त्रयोदश माला, खंड 32, अंक 15

शुक्रवार, 7 मार्च, 2003
16 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 32, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 15, शुक्रवार, 7 मार्च, 2003/16 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में	1–12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 243	13–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 244 से 260	29–66
अतारांकित प्रश्न संख्या 2462 से 2691	66–378
सभा पटल पर रखे गए पत्र	378–384
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
दसवां प्रतिवेदन	384–385
सभा का कार्य	385–390
समिति के लिए निर्वाचन	
कॉफी बोर्ड	390–391
विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	391
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	391–394
(एक) संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक	391–393
(दो) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक	393–394
सीमा शुल्क से संबंधित अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	394
सदस्यों द्वारा निवेदन	400–424
(एक) बिहार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में	400–407
(दो) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में	407–424

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सामान्य बजट, 2003—2004—सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2002-2003	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001	427–508
श्री खारबेल स्वाइं	445–450
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया	450–458
श्री चन्द्र विजय सिंह	458–459
श्री भर्तृहरि महताब	459–462
श्री रूपचन्द पाल	462–469
श्री रघुवीर सिंह कौशल	470–474
श्री रामजीलाल सुमन	474–480
कुमारी ममता बनर्जी	480–487
श्री रमेश चेन्नितला	488–494
श्री राधामोहन सिंह	494–502
श्री सुन्दर लाल तिवारी	502–505
श्री नवल किशोर राय	505–508

लोक सभा

शुक्रवार, 7 मार्च, 2003/16 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): महोदय, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे आज का बिजनेस पढ़ने दीजिए। आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1-12

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको सभा के कार्य के बारे में बता देता हूं। मुझे आज अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ सूचनाएं स्थगन प्रस्ताव के रूप में प्राप्त हुई हैं। कुछ सूचनाएं प्रश्न काल के निलंबन के लिए अनुरोध के रूप में प्राप्त हुई हैं और कुछ सूचनाएं विशेषाधिकार मामलों के संबंध में हैं। मेरे अनुसार ये सभी कार्य मदें महत्वपूर्ण हैं। कुछ मुद्दों पर सभा में चर्चा हो चुकी है और कुछ पर चर्चा होनी बाकी है। यद्यपि मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूं फिर भी यदि सदस्य इस बात पर जोर देंगे कि उनके स्थगन प्रस्ताव आज ही लिए जाएं तो उन्हें यह स्पष्ट करने की अनुमति दूंगा कि उनके स्थगन प्रस्ताव आज ही क्यों लिए जाएं। मैं एक-एक करके सदस्यों को अनुमति दूंगा। अब श्री प्रभुनाथ सिंह।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका भी नोटिस है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो आवर में मौका दूंगा। श्री प्रभुनाथ सिंह जी का एडजार्नमेंट मोशन है, इसलिए उनको मौका दिया है।

...(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय: महोदय, पश्चिम बंगाल में तीन एमपीज के खिलाफ एफआईआर कटी है। वहां सीपीएम के कामरेड ने रेप किया है। डेलीब्रेटली किया है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप 'शून्य काल' के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, अति महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। कल दिन में 10.30 बजे समता पार्टी के पुनपुन क्षेत्र के अध्यक्ष, श्री कामेश्वर सिंह की हत्या दिन-दहाड़े राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 पर कर दी गई। बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बिहार में हत्या और अपहरण उद्योग धन्धा बन चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार राज्य में डेढ़ लाख संघीय अपराध प्रतिवर्ष होते हैं। प्रतिदिन 14 से 15 हत्यायें, चार-पांच बलात्कार और 8-9 अपहरण की घटनायें होती हैं। साढ़े तीन लाख*...(व्यवधान)* डकैतियां और पांच हजार से ज्यादा अपहरण की घटनायें हो चुकी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अपहरण की घटनाओं में 75 ऐसी घटनायें घटी हैं, जिसमें बिहार के सुप्रीम मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव के निदेश पर अपहरणकर्त्ता वापिस हुए हैं।

ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार वहां शासन कर रही है। वहां कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस के लोग प्रति माह रुपया लेकर उन्हें समर्थन देने का काम करते हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी निकम्मी सरकार को शीघ्र बर्खास्त किया जाए और कामेश्वर सिंह के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में आप जीरो आवर के दौरान बोल सकते हैं। अभी इस बारे में नहीं बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: यहां मंत्री बैठे हैं। वहां एक हजार से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। एक हजार राजनीतिक हत्याओं के बाद भी केन्द्र सरकार विधि और व्यवस्था को राज्य का विषय कह कर इस मामले में चुपचाप बैठी है। कानून मंत्री यहां बैठे हैं। यह एक संवेदनशील मामला है। पार्टी के अध्यक्ष मारे जाते हैं। पार्टी का एक-एक कार्यकर्त्ता जो वहां की सरकार का विरोधी है, वह मारा जा रहा है।...*(व्यवधान)* आरजेडी को समर्थन देने वाले कांग्रेस के लोग हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, बैठिए। मैंने आपकी बात को सुना है। आप जीरो आवर में यह विषय उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं जीरो आवर में आपको बोलने का मौका दूंगा। अभी जीरो आवर होना है। मुलायम सिंह जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): यदि वह सीनियर मैम्बर हैं तो क्या है? हम भी जूनियर मैम्बर हैं। हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है? वह ठीक बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय में आपको नियम समझा दूंगा कि क्या नियम है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें नमस्कर करते हो तो अध्यक्ष महोदय को भी नमस्कार करो।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे यहां खड़े होकर बोलने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मुझ से सीधा जुड़ा यह सवाल है, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मामले को श्री राम विलास पासवान और कुंवर अखिलेश सिंह ने भी उठाया। यह गम्भीर मामला इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने धमकी देकर कहा है कि वह श्री मुलायम सिंह यादव और श्री राम गोपाल सांसद को देख लेगी। उत्तर प्रदेश से सदस्य राज्य सभा एवं विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपनी निधि से पैसा दे सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह डिग्री कोलिज हैबरा (इटावा) जिसमें श्री राम गोपाल प्राचार्य हैं और राज्य सभा के सदस्य भी हैं, वहां छापा मारा गया। एस.एल. मेमोरियल कालेज जो हमारे गांव सेफई में है, वहां छापा मारा गया बख्यिारपुर में भी एक कालेज है जिसमें प्रबंधक श्री रामगोपाल यादव हैं, वहां छापा मारा गया। सांसद एवं विधायक निधि के खर्च करने की जिम्मेदारी, डी.एम. एवं सी.डी.ओ. की होती है गांव की हालत यह हो गई है कि स्कूल है लेकिन छत नहीं है और लड़के फुटपाथ पर झाड़ू लगाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। मैंने मुलायम सिंह जी को निवेदन करने की इजाजत दी है और वह निवेदन कर रहे हैं। उनका निवेदन सुना जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इनको बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय में नोटिस दे सकते हैं। आपके नेता जब बोल रहे हैं तो आप बैठिए। आप कोआपरेट करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सब से विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी विषय पर बोलना है तो आप नोटिसेज दे सकते हैं, मैं आप सब को परमीशन दूंगा। कृपया बैठ जाइए। जब पार्टी का नेता बोल रहा हो तो प्रत्येक सदस्य को सहयोग करना चाहिए। अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप भी नोटिस दे सकते हैं, मैं आपको इजाजत दूंगा लेकिन हरएक बोलने की इजाजत चाहे, तो आप नोटिसेज दीजिये, मैं इजाजत दूंगा, इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश विधान सभाओं से संबंधित मामले ही यहां रोज उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति के अलावा अन्य मामलों पर चर्चा नहीं होती है। उन सदस्यों का क्या होगा जो देश के विभिन्न भागों से यहां आते हैं?...*(व्यवधान)* हमें सभा में महत्वपूर्ण मामले उठाने का भी अधिकार मिला है। महोदय, इस सभा में क्या

हो रहा है? पूरा दिन बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने में बीत जाता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप भी नोटिस देकर मैटर्स रेज करिये, मैंने कब आपको मना किया है। आप लोगों की कुछ कम्प्लेंट्स हैं। पिछले हफ्ते से मेरे पास कम्प्लेंट्स लेकर आते हैं। इस में केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रश्न ही नहीं आते। मैं तो सब से कहूंगा कि आप भी नोटिसेज दें, आप का प्रश्न भी आयेगा। ऐसे मैं किसी का प्रश्न कैसे ले लूं? हाऊस रूल के मुताबिक चलेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिसेज देंगे तो आपको प्रश्न उठाने की इजाजत दूंगा।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, माननीय मुलायम सिंह जी गलत बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी इजाजत देने के लिये तैयार हूं और इसके लिये आपको 'न' नहीं कहा।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: सदन में एक प्रोसीजर है कि यह कैसे चलेगा। इसे चलाने के लिये आप लोगों ने ही नियम बनाये हैं। आपने ये नियम बनाये हैं, और आप ही तोड़ेंगे, यह कैसे चलेगा?

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि हम सांसद लोग प्रश्नकाल में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते हैं और न नियम तोड़ना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों को धमकी दी गई है, हमारे यहां छापा मारा जा रहा है, परसों भी मारा गया...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: अध्यक्ष जी, यह सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): स्पीकर साहब, आप 11 से 1 बजे तक यू.पी. व बिहार के लिये कर दीजिये और 3 से 4 बजे तक कंट्री के दूसरे स्टेट्स के लिये टाइम कर दीजिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए, श्री मुलायम सिंह यादव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, ये लोग हमें बोलने कहां दे रहे हैं? सदन आप चलायेंगे या ये लोग चलायेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: अध्यक्ष जी, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और हम खामोश रहें?...*(व्यवधान)* पूरे सदन का काम रोक कर रखा हुआ है। आप यह अखबार देखिये, इसमें लिखा है, आप इसे ले लें।

अध्यक्ष महोदय: यह पेपर आप मुझे बाद में देना, मैं इसे देख लूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, इस तरह की बातों के लिए किस तरह अनुमति दी जा सकती है? रोज यह हो रहा है...*(व्यवधान)* ये 'प्रश्न काल' में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, अगर ऐसा होगा तो हमारी प्रश्न काल रोकना मजबूरी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी जो विषय आप लोग उठा रहे हैं, अगले हफ्ते में सदन शुरू होने पर मैं सभी नेताओं को बुलाकर उन पर चर्चा करूंगा। माननीय सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि केवल एक-दो स्टेट के विषय ही आते हैं।

[अनुवाद]

मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं नेताओं की बैठक बुलाऊंगा और हम स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निर्णय ले सकते हैं कि क्यों इसे लिया जाना चाहिए अथवा प्रश्न काल के बाद इसे लिया जाना चाहिए। मैं नेताओं को विश्वास में लेना चाहता हूं। मैं मामले की जांच करूंगा। लेकिन इसी बीच

श्री मुलायम सिंह यादव कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ कहना चाहते हैं। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे शीघ्र अपनी बात समाप्त कर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं, सोमवार को अध्यक्ष महोदय तय कर लें उसके बाद बोलें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): ...*(व्यवधान)* ऐसा कैसे हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, क्या आप शीघ्र अपनी बात पूरी कर लेंगे? जल्दी से अपनी बात समाप्त कीजिए, फिर मंत्री जी से मैं पूछूंगा। मुझे विषय मालूम है। कृपया पूछिये।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया सभा के साथ सहयोग कीजिए। 'प्रश्न काल' चलने दीजिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) आपने यह तय किया है कि एडजर्नमेंट मोशन आगर हाउस में आएगा तो उनको पहले बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर बिहार के बारे में है तो पहले उन्हें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका भाषण हो गया है। वह बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: प्रभुनाथ सिंह का जवाब हो गया, लेकिन पहले मंत्री जी का जवाब दिलवाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, न तो सतापक्ष और न ही विपक्ष शर्तों का पालन कर रहे हैं। यह क्या चल रहा है? श्री प्रभुनाथ सिंह के बाद आपने श्री मुलायम सिंह को बोलने का अवसर दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि यदि कोई बोलना चाहता है तो उसे बोलने के लिए सूचना देनी चाहिए। हम विपक्ष में चुपचाप बैठे हैं। कोई भी नहीं बोल रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये। मुलायम सिंह जी को मैंने बोलने के लिए कहा है। मुलायम सिंह जी, आप आप बात जल्दी से पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हर रोज प्रश्नकाल में कुछ न कुछ ऐसी बातें लाकर हमारे प्रश्नकाल का समय खत्म किया जाता है जिसमें हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूरे देश की जनता भी यही चाहती है। प्रश्नकाल में तो हमारा अधिकार है कि हमने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक घंटे में क्या बिगड़ने वाला है? 12 बजे के बाद कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। यहां तो रोज यही बात होती है हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि प्रश्न काल का समय खत्म हो जाए।...*(व्यवधान)* आप जो भी निर्णय करें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। हम आपको विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्नकाल पूरा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने यहां व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। यदि सदन चाहता है तो सोमवार से जब तक प्रश्नकाल पूरा नहीं होता है, तब तक दूसरा कोई भी प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि पूरी सभा सहमत है तो मुझे कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। प्रश्नकाल पूरा होना चाहिए, चाहे एडजर्नमेंट मोशन हो या प्रिविलेज नोटिस हो,

[अनुवाद]

प्रश्न काल के बाद प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सोमवार से सभा की सहमति से प्रश्न काल के अलावा और किसी बात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह मैं सोमवार से लागू करूंगा, लेकिन आज मैंने मुलायम सिंह जी को इजाजत दी है, उनको अपनी बात कहने दी जाएगी। आगे बोलिए। मुलायम सिंह जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जो निर्देश आपने दिया है, वह अलग विषय हो जाएगा, सारे दलों के नेता बैठकर तय कर लेंगे। लेकिन हम किसी सूबे के सवाल को यहां आने

से नहीं रोकते हैं। जो अपने सूबे की चर्चा यहां करना चाहते हैं, वह करें। पूरे देश की बात हम करते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार की बात नहीं है। दूसरे सदस्य अपने प्रदेशों का सवाल उठाएंगे तो हम बाधा नहीं डालेंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि जो भी माननीय सदस्य अपने प्रदेशों की बात यहां उठाना चाहते हैं, हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे। सवाल यह है कि यह विशेषाधिकार हनन का विषय भी बनता है। आज वाणी की जो आजादी है, उस पर कोई भी सरकार अगर प्रतिबंध लगाएगी कि हमारे खिलाफ जरा सी भी आलोचना करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा—आज हम भुगत रहे हैं। वे पोटा में बंद कर देंगे, यह भी धमकी दे दी। पोटा में बंद कर दीजिए, हमें चिन्ता नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात समाप्त करिये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा और अगर यही स्थिति रही, तो आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यह मामला केवल हमारा मामला नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: अध्यक्ष महोदय, पहले प्रभु नाथ सिंह जी ने मामला उठाया था और वह बिहार के बारे में था। इसलिए जवाब यदि आना है, तो पहले बिहार के बारे में ही आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आपने प्रश्न उठाया था, मैंने आपको बोलने की भी इजाजत दी और बाद में मैंने यह भी कहा कि जब जीरो-आवर प्रारम्भ हो तब मैं आपको इस विषय पर बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: अध्यक्ष महोदय, पहले बिहार का मामला उठा था। इसलिए पहले बिहार के ऊपर उत्तर आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह भी तय करें कि क्या सत्तापक्ष के कुछ सदस्य आपके शासन को निर्दिष्ट करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, मैं खड़ा हूं और बोल रहा हूं। आप कम से कम आसन की इज्जत तो करें। कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्न काल के निलंबन के लिए सूचनाओं को स्वीकृति नहीं दी है और मैंने स्थगन प्रस्तावों के लिए सूचनाओं को भी स्वीकृत नहीं किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मुलायम सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देंगे? मैं पूछ रहा हूं कि क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मुलायम सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप संबंधित मंत्री को यह बता सकते हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, इसका तो कोई कंसर्न्ड मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह बिहार में हुए अत्याचार के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इजाजत दी। आपने प्रश्न प्रस्तुत किया। प्रश्न के बाद मैंने यह भी कहा कि यह मामला एडजर्नमेंट मोशन के रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन जीरो-आवर में मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले हमारा मामला आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह शर्त नहीं हो सकती है। मैं शून्य काल के दौरान इनका समाधान करूंगा। मैंने सभी अन्य सूचनाओं को अस्वीकार किया है। मैंने सूचना की अनुमति नहीं दी है। प्रश्न काल के निलंबन को भी स्वीकार नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदस्यों की बात सुननी चाहिए। माननीय सदस्य चाहते हैं कि हमें 'प्रश्न काल' शुरू करना चाहिए। मैं किस तरह से इसे जारी रख सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे भी शून्य-काल में बोलने के लिए समय देंगे।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो-आवर में समय दूंगा।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी, हां। अपना व्यवस्था का प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कल बताया था कि मुझे 'शून्य काल' के दौरान मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाएगी। आपने कहा था कि 'प्रश्न काल' के दौरान सबसे पहले मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री के. मलयसामी: कल आपने कहा था कि 'शून्य काल' के दौरान मुझे सबसे पहले बोलने का अवसर मिलेगा। मेरा मुद्दा मुछआरों की समस्याओं के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान मैं आपके अनुरोध पर विचार करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी: इस पर विचार करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको मुझे बोलने का अवसर देना चाहिए*...(व्यवधान)* यह सभा कुछ राज्यों और कुछ लोगों की बन गई है जो ऊंची आवाज में अपनी बात कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए?*...(व्यवधान)* मैं बहुत दुख और आक्रोश के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं कई दिन से बोलने की अनुमति मांग रहा हूं लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। सभी विविध मुद्दों को प्रमुखता दी गई है जबकि राष्ट्रीय मुद्दे को एक तरफ रख दिया गया है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवश्य बोलने की अनुमति दूंगा बशर्ते 'शून्य काल' हो।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): अध्यक्ष जी, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि क्या इस सदन में राज्यों के विषयों पर चर्चा करने की नई परम्परा प्रारम्भ की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय में मैंने अपना निर्णय सदन में दे दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मैं इस मुद्दे पर निर्णय दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप सभा में उपस्थित नहीं थे। मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, जब-जब किसी प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या होगी और लोकतंत्र को तोड़ा-मरोड़ा जाएगा, तब-तब ऐसे मामले इस सदन में आते रहेंगे।*...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: मध्यक्ष महोदय, जब तक राज्यों में ऐसी अराजकता की स्थिति बनी रहेगी तब तक प्रदेशों के मामले सदन में चर्चा के लिए उठाए जाते रहेंगे*...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सब इनकी वजह से ही हुआ है। ऐसे विषय यहां उठाना हमारी मजबूरी हो गई है।

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का मामला जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला बंगाल का है। वहां जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उन पर भी सदन में चर्चा हो।*...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये यहां आकर चेहरा साफ करने का प्रयास कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को बता दूं कि प्रश्न सं. 241 को सदस्य के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल शुरू कर चुका हूं। मैं प्रश्न को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हाल ही में उठाए गए मुद्दे पर मैंने कल निर्णय दिया था। इसलिए और निर्णय दिया जाना आवश्यक नहीं है।

श्री पी. राजेन्द्रन, कृपया प्रश्न पूछिए।

पूर्वाह्न 11.26 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

13-22

खाद्यान्नों की खरीद संबंधी कार्य को भारतीय खाद्य निगम से वापस लेना

*242. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार खाद्यान्नों की खरीद संबंधी कार्य भारतीय खाद्य निगम से वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की खरीद और उनके वितरण के लिए कौन से वैकल्पिक प्रबंधों का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने केरल जैसे खाद्यान्नों की कमी वाले और दूरस्थ राज्यों में उचित मूल्य की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति बनाए रखने पर इस निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी, नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्यों को आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों की वसूली की मौजूदा प्रणाली को सरकार द्वारा जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश भर में कितने खरीद केन्द्र और गोदाम सक्रिय हैं। कोचीन और कोवलम में बहुत से गोदाम बन्द कर दिये गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के किसी भाग में कोई खरीद केन्द्र और गोदाम बन्द किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पूरे देश भर में गोडाउंस की संख्या कितनी है। इस समय 5,696 खरीद केन्द्र काम कर रहे हैं। इसमें विभिन्न राज्यों की स्थिति दी गई है। केरल में जो गोडाउंस चल रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं की गई है। कई जगहों पर राज्य सरकारों को खरीद के लिए अनुमति दी गई है। एफसीआई के गोडाउंस में कहीं भी कमी नहीं आई है, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन: महोदय, राज्य सरकारों को एक संदेश भेजा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने के लिए राज्यों को खाद्यान्न की खरीद करनी पड़ती है। राज्य सरकारों को आशंका है कि केन्द्र सरकार धीरे-धीरे खाद्यान्न की खरीद और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के कार्य से हट रही है। इस नीति के कारण सारा देश परेशानी में पड़ जाएगा। कर्मचारियों को भी अपनी छंटनी होने की आशंका है। कोझीकोड जिले में भी काफी दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार से निकाल दिया गया है। केवल कोझीकोड जिले में ही 240 कामगारों की छंटनी की गयी है। पूरे केरल राज्य में या तो कामगारों का स्थानांतरण कर दिया गया है या उनकी छंटनी की गयी है।

भारतीय खाद्य निगम में 60,000 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अब राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद करने की अनुमति प्रदान की गयी है। अब नीति यह है कि धीरे-धीरे केन्द्र सरकार इस परिदृश्य से हट जाएगी। इससे सारा देश प्रभावित होगा। पिछले कई दशकों से भारतीय खाद्य निगम का कार्य निष्पादन असाधारण रहा है। मेरे विचार से मेरे प्रश्न का उचित जवाब नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। इन्होंने जो आशंका व्यक्त की है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। काम बढ़ा है, जहां खरीद होती थी, उसका हमने विस्तार किया है।

प्रक्योरमेंट का एफसीआई का काम बढ़ा है। जहां तक छंटनी का सवाल है, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे मामला बताया था, मैं उसे एग्जामिन करा रहा हूं। एफसीआई में खरीद का काम जोरों से है, उस काम में कोई कमी नहीं है। इस बार देश में 150 लाख टन का उठान होगा इसलिए इस मामले में जो आशंका उठाई गई है, उसमें कोई तथ्य नहीं है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गये कार्यक्रमों के लिए भी भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की आपूर्ति करनी होती है। असम के विभिन्न भागों और मेरे चुनाव क्षेत्र में नगद भुगतान किया जाता है। लेकिन लाभार्थियों को वितरित करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण हमारे सामने गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। जब देश में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि खाद्यान्नों के भंडार की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में भी 400 लाख मीट्रिक टन हमारे पास चावल और गेहूं है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: हर बार हम वही जवाब सुनते हैं। लेकिन जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो पता चलता है कि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई है। ये क्या बात है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उत्तर तो सुनिए।

श्री सुभाष महरिया: आपकी स्टेट में भी एफ.सी.आई. के गोडाउंस में और स्टेट गोडाउंस में खाद्यान्नों की भरपूर मात्रा है। जो भी रिक्वायरमेंट स्टेट्स के थ्रु यहां आ रही हैं, वहां दूसरे राज्यों से भी खाद्यान्न पहुंचाने का काम जोरों से चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: इस मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव आ सकता है। हर बार ये ऐसा ही उत्तर देते हैं। महोदय, कृपया आप इस स्थिति पर विचार करिए। कछार में बराक घाटी के करीमगंज और हेलखंडी क्षेत्र में आपके गोदामों में कोई खाद्यान्न नहीं है। कृपया इस हालात पर विचार करिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, कुछ सूबों में निश्चित तौर पर यह काम बहुत बढ़ा है और खासकर जो मूवमेंट है, किसी बड़े सरपलस स्टेट से डैफीसिट स्टेट में पहुंचाने का जब मामला होता है...*(व्यवधान)* सुनिये न, मैं आपकी बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: माननीय मंत्री जी रेल द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई की बात कर रहे हैं। हम वहां लोगों का सामना कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आप संसद में कह रहे हैं कि खाद्यान्न उपलब्ध है पर लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। संसद को गुमराह मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि कई सूबों में दिक्कतें हैं। असम में रेल रैक्स हमारे पास कम हैं। रेल मंत्री से मैंने कल ही बात की और मैंने उसे निवेदन किया कि रेल रैक्स बढ़ाये जायें। पी.डी.एस. में रेल रैक्स की कमी के चलते कई जगह यह मामला डैफीसिट का हो रहा है। उसमें हम लगे हुए हैं और आपके यहां की जो दिक्कत है, वह हमारे ध्यान में है।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मंत्री जी बिहार से आते हैं। हो सकता है कि जो पर्टिकुलर प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, उसमें इनको जानकारी न हो। अगर न हो तो बाद में भी भेज सकते हैं। मैं एक तारीख को पटना की बगल में बीहटा गया हुआ था। बीहटा में जो जानकारी मिली है, मैं समझता हूं कि वह पूरे बिहार की है, दूसरे राज्यों की बात मैं नहीं कह सकता हूं। जो धान नवम्बर में खरीदा जाना चाहिए था, वह जनवरी में दिखाया जाता है। अभी वहां जनवरी में 550 रुपये में खरीदा गया, जिस पर 20 रुपये सब्सिडी है। 11 जनवरी के बाद खरीदा ही नहीं गया और अब कह रहे हैं कि अब हम इसे 528 रुपये की दर से पेमेण्ट देंगे। 25 हजार क्विंटल बीहटा में धान पड़ा हुआ है।

मैं स्वयं वहां गया था, जो वहां इंचार्ज असिस्टेंट मैनेजर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने स्वयं कबूला कि एक महीने से हमने यहां खरीद नहीं की है। एक महीने से खरीद बिक्री बन्द है और अब वहां बारिश हो गई और बारिश के बाद अब कम दाम पर लो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में कुल कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं? क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि किसी किसान के पास जनवरी के बाद अनाज है ही नहीं और जो 550 रुपये फिक्स है, उसमें खरीदा जाये, जबकि सब 528 रुपये में खरीदा जा रहा है। जो बीहटा की बात मैंने कही, मैं स्वयं वहां गया, वहां हर पार्टी के लोग थे, वहां किसान परेशान हैं तो क्या उस मामले में जांच कराकर सूचित करने का कष्ट करेंगे?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय पासवान जी ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सेन कमेटी ने सिफारिश दी थी कि जो अनाज की खरीद होती है, वह कुछ सूबों तक सीमित है, उसका विस्तार होना चाहिए। पिछली बार बिहार में 40 केन्द्र खोले गये। सारी पार्टीज का डेलीगेशन मेरे पास आया था और उन्होंने मांग की थी कि 100 केन्द्र खोले जायें। वे 100 केन्द्र खोले गये हैं। निश्चित तौर पर पहली बार जब हम यह काम एफ.सी.आई. ने इतने बड़े पैमाने पर वहां किया है तो कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक दिक्कत तो यह है कि वहां एफ.ए.क्यू का सिस्टम नहीं बना हुआ है, यानी फेयर एवरेज क्वालिटी का जो अनाज होता है, जो धान होता है, उस मामले में वहां जानकारी नहीं है, इसलिए हमने पोस्टर और पर्चे बंटवाये और देश भर से कर्मचारी वहां पहुंचाये हुए हैं। निश्चित तौर पर जो बीहटा का माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मैं पर्सनली उसे देखूंगा कि वहां क्या दिक्कत है और उसे सुधारने का काम किया जायेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम नई जगह जाएंगे, जहां सड़कें नहीं हैं, मंडी नहीं हैं, जहां लॉ एण्ड आर्डर नहीं है, हमारे कर्मचारियों की जान को खतरा है। ये सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं, लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद भी हम गरीब इलाकों में खरीद के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो दिक्कतें आएंगी, उनसे भी मेरा कहना है और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूं कि सब लोग सहयोग करने का काम करेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कितना प्रिक्यूरमेंट हुआ है, यह बताइये। बिहार में कहीं कैश नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन: अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु का तंजावुर डेल्टा देश का प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र है। अब यह सूखे का सामना कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के दौरान एफ.सी.आई. ने तमिलनाडु से कितनी मात्रा में धान की खरीद की और किस दर से; और क्या सूखे की स्थिति और किसानों की विपरीत स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार धान की खरीद की दर बढ़ाने का विचार करती है?

[हिन्दी]

श्री सुबाष महरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक धान की खरीद इस वर्ष में 131 लाख टन हो चुकी है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि खरीद का भाव क्या है, खरीद के लिए धान 550 रुपये प्रति क्विंटल और 580 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित के हिसाब से खरीदा गया है। जहां तक तंजावूर जिले का सवाल है, माननीय सदस्य को अलग से जानकारी चाहिए तो अलग से जानकारी दे दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, एक तरफ तो हम देश के कुछ भागों में खाद्यान्नों की अत्यधिक मात्रा की बात करते हैं जो कि बेकार हो रहा है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम की घोषणा की गई है और हमें बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। मैं यहां मंत्री जी से यह पूछने के लिए खड़ी हुई हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि बेलगाम जिले के गोदाम बिल्कुल खाली पड़े हैं। वहां से मदद मांगी गयी है फैक्स भेजे गए हैं। मैं पूर्वोत्तर की बात नहीं कर रही हूं। आप खाद्यान्न की ढुलाई की समस्याओं की बात कर सकते हैं। कर्नाटक के बेलगाम जिले में रेलवे लाइनें भी उपलब्ध हैं। वहां से मदद का संदेश आया है बेलगाम जिले से प्राप्त फैक्स कि वहां गोदाम खाली पड़ा है कल ही मैंने मंत्री जी को सौंपा है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीब वर्ग को अनाज देने के लिए वहां खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह शर्मनाक है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: यहां सरकार कहना चाहती है कि हर चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। न तो रैक ही उपलब्ध कराये जा रहे हैं, न ही खाद्यान्न की ढुलाई हो रही है और न ही एफ.सी.आई. कोई सहयोग कर रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय है ताकि जो आप कह रहे हैं रेलवे और अन्य प्रशासन द्वारा उसका अनुपालन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: हां, मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री सुबाष महरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टाक्स का सवाल है, राइस का स्टाक वर्तमान में सेन्ट्रल पूल में

187.77 लाख टन है। जहां तक व्हीट का सवाल है 213.21 लाख टन हमारे पास है। यानि कुल 400.98 लाख टन इस समय हमारे गोदामों में अनाज है। माननीय सदस्यों ने बेलगाम के बारे में पूछा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आप बस यह बताइये कि बेलगाम को खाद्यान्न प्राप्त हुआ या नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: बेलगाम के बारे में विशेष जानकारी चाही है, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रैक नहीं मिले हैं। रेलवे से रैक लेकर बेलगाम तक हम अनाज पहुंचाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पूछा गया प्रश्न अलग था और माननीय मंत्री जी सामान्य आंकड़े दे रहे हैं। मंत्री जी हर बार संसद में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते...*(व्यवधान)* ये सब क्या है?...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: वहां से मदद के लिए आवेदन और फैक्स, भेजा गया है कि गोदाम खाली पड़े हैं, जो कि मंत्री जी को सौंप दिया गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस मंत्रालय के पास एक समन्वय टीम होनी चाहिए। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हर रोज आप यहां बैठकर सदन को गुमराह करते हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: यदि खाद्यान्नों को उठाने के लिए रैक नहीं हैं तो आप उसे ट्रकों से भेज दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके इस प्रश्न का जवाब देने के पहले शिवराज जी इस विषय पर ही बोलना चाहते हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। वे आपके मुद्दे को पूरा कर रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान, हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, मगर ऐसा देख गया है कि कुछ प्रान्तों में अनाज नहीं पहुंचता है और लोग उसकी वजह से तकलीफ में आते हैं।

डा. स्वामीनाथन ने यह सजेशन दिया था जिन जगहों पर अनाज होता है और जिन प्रांतों में अनाज की जरूरत है वहां पर फूड बैंक्स बनाये जायें ताकि आपके पास जो अनाज आता है, उसकी अच्छी रक्षा हो और जहां अनाज की जरूरत है वहां आसानी से और वक्त पर अनाज उन लोगों को मिल सके। मेरा कहना है कि गवर्नमैंट इस पर कुछ विचार करके इस दृष्टि से कदम उठायेगी तो उसे फायदा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट इस पर कुछ विचार करके इस पर अमल करेगी?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, श्रीमती माग्रेट अल्वा जी ने पहले जो प्रश्न पूछा है, आप उसका जवाब दीजिए। उसके बाद आप श्री शिवराज पाटिल जी के प्रश्न का जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अध्यक्ष महोदय, मैं आंध्र प्रधेश के संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आंध्र प्रदेश के नेता कहां है?

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, हमारे नेता के अलावा 28 सदस्य और हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से प्रश्न पूछने का अवसर मांग रहा हूं, दुर्भाग्य से मुझे मौका नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं ताकि अनेक सदस्यों को बोलने का मौका मिले।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मार्ग्रेट आल्वा जी ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बेलगाम में रैक्स का मामला कठिनाई में है। मुझे मालूम है कि वहां कमी है लेकिन उसकी तैयार हो गयी है और वह वहां पहुंच जायेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां रैक्स की भारी कमी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस बाबत सूचना दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: यह डिसकशन कभी पूरा नहीं होगा और दो मिनट में रैक्स नहीं बन जायेंगे। जिन लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। देश भर में यह बड़ा काम है और देश की आबादी बहुत है। गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग रहते हैं या जो रिमोट एरियाज में हैं जिसके बारे में श्री शिवराज पाटिल जी ने निवेदन किया, तो हमने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयास किया है लेकिन मेरे आने से पहले वह प्रयास केवल पंजाब और हरियाणा भर में ही हुआ है। मैंने आने के बाद एक योजना बनाई है जिससे देश के जो दूर-दराज के गरीब इलाके हैं यानी आपके प्रखंड स्तर से लेकर सब जगह गोडाउन हों। जो दिक्कत आपने स्टोरेज की बताई।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हमारे यहां गोडाऊन हैं लेकिन वे खाली पड़े हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैंने निवेदन किया कि सब जगह नहीं हैं। आपके यहां दिक्कत है, मैं उसको मान रहा हूं। यह हमारी गलती नहीं है क्योंकि वहां रैक्स की कमी है और रैक्स दो मिनट में नहीं बनते हैं। मैंने कल ही रेल मंत्री जी से इस बारे में बात की है। मैं मानता हूं कि माननीय शिवराज पाटिल जी ने जो सुझाव दिया है, उसकी बहुत जरूरत है। हम लांग टर्म योजना बना रहे हैं जिससे देश भर में स्टोरेज का एक ऐसा नेटवर्क बने विशेष तौर पर जो रिमोट इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं, वहां जो स्टोरेज व्यवस्था है, वह मुकम्मिल हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस विषय पर प्रश्न पूछने के लिए 15 या 16 सदस्यों के नाम प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैंने इस पर आधा घंटे की चर्चा की अनुमति देने का निर्णय लिया है ताकि और अधिक सदस्य प्रश्न पूछ सकें।

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में काम के बदले अनाज की योजना चालू है।...*(व्यवधान)* वहां लोग दो महीने से कूपन लेकर घूम रहे हैं लेकिन गोडाऊन खाली पड़े हैं।...*(व्यवधान)* आपके यहां से अनाज नहीं गया। मेरे लोक सभा क्षेत्र में लोग कूपन लेकर घूम रहे हैं।...*(व्यवधान)* काम के बदले अनाज देने की योजना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: मंत्री जी कह रहे हैं कि गोडाऊन की सुविधा देंगे लेकिन सारे गोडाऊन खाली पड़े हैं। यह कह रहे हैं कि हमारी गलती है।...*(व्यवधान)* यह गलती किसकी है? सरकार तो आपकी है।...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए। जब प्रश्न काल होगा तब भी हमें प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलता और जब आधे घंटे की चर्चा होगी तब भी हमें प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया जायेगा। अगली पंक्ति के लोगों को ही आप बुलाते हैं।...*(व्यवधान)* हम क्या करें? क्या हम यहां से चले जायें?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दे दीजिए तो मैं आपको प्रश्न पूछने का चांस दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: हमने नोटिस दिया था लेकिन हमें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर आपका नोटिस नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: हर चीज में ये ही एक्सपर्ट हैं।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। हमें भी श्री प्रभुनाथ सिंह जी की तरह करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद] 22 - 29

राज्यों को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना

***243. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने, विशेषकर गुजरात ने, केन्द्र सरकार से कम दरों पर ऋण की एकबारगी स्वीकृति देने पर विचार करने हेतु आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों ने अल्प आवधिक ऋणों के लिए अनुरोध किया है, लेकिन गुजरात सरकार ने नहीं।

(ख) और (ग) रोकड़ समस्या से उबरने हेतु सहायता के लिए महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त अनुरोधों के प्रत्युत्तर में प्राप्ति तथा व्यय में अस्थायी विसंगति को ध्यान में रखते हुए भात सरकार अर्थोपाय अग्रिम तथा योजना तथा गैर-योजना सहायता अग्रिम में मुहैया कराकर राज्यों की सहायता करती रही है। इस वर्ष के प्रारम्भ में बकाया उच्च लागत वाले भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों का पूर्वभुगतान करने में राज्यों को समर्थ बनाने की दृष्टि से भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों का पूर्वभुगतान करने में राज्यों को समर्थ बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ऋण विनिमय स्कीम भी लागू कर रही है। राजकोषीय दबाव झेल रहे यथाक्रमित मामलों से निबटने के लिए अपने मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी) तैयार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा 2000-01 से 2004-05 आरम्भ की है। विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन के प्रति राज्यों को सक्षम बनाने हेतु एस.पी.वी. के माध्यम से लिए गए ऋणों को भी संविधान की धारा 293(3) के दायरे में लाया गया है। भारत सरकार ने राजकोषीय दबाव वाले कुछ राज्यों को मध्यम आवधिक गैर-योजना ऋण की एकमुश्त सहायता भी आबंटित की है, बशर्ते कि ये राज्य अपना मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) तैयार कर रहे हों तथा भारत सरकार के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू./पत्रों के आदान-प्रदान में शामिल हों।

श्री पी.एस. गढ़वी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार इस वर्ष के प्रारंभ से ऋण विनिमय स्कीम क्रियान्वित कर रही है ताकि राज्यों को भारत सरकार के बकाया उच्च लागत वाले ऋणों और अग्रिमों का पुर्वभुगतान करने के लायक बनाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा सामने लायी ऋण विनिमय स्कीम में भाग लिया है।

चालू वर्ष में इस स्कीम में भाग लेने वाले राज्य बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर भारत सरकार के उच्च लागत वाले ऋणों को लौटाने में समर्थ होंगे।

गुजरात सरकार ने पहले ही चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान 500 करोड़ रुपये की राशि बाजार से अतिरिक्त उधार के माध्यम से जुटाई है, और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरे चरण में 540 करोड़ रु. की और अधिक राशि जुटाए जाने की आशा है।

इससे आशा है कि गुजरात सरकार के कर्ज का बोझ 60 करोड़ रु. प्रति वर्ष घट जाएगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार गुजरात सरकार के इस ऋण स्कीम के मानदंडों में सुधार के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ने यहां दो-तीन मुद्दों को एकत्रित कर दिया है। मूल प्रश्न ऋण विनिमय पर केन्द्रित है। मूल प्रश्न में विशेष रूप से यह पूछा गया था कि क्या गुजरात ने इसकी मांग की थी।

अब जहां तक ऋण विनिमय का संबंध है राज्य इस में भाग ले रहे हैं। मैंने पहली ही कहा है कि इस कार्यविधि के माध्यम से 2005 तक कम से कम 83,000 करोड़ रुपये का राज्य ऋण जो कि उच्च लागत वाले ऋण हैं, को समाप्त कर दिया जाएगा। औसत के रूप में देखा जाए तो यह लगभग 13 प्रतिशत है। यदि 13 प्रतिशत ऋण समाप्त किया जाता है और इसके पश्चात के ऋण को चालू दर पर पुनर्निधारित किया जाता है तो इससे संबंधित राज्यों की ब्याज देयता आधी रह जाएगी।

इसके अतिरिक्त राज्यों को न्यूनतम अवधि इत्यादि के कुछ मानदंड पूरे करने होते हैं।

उन्होंने 500 करोड़ रुपये या 540 करोड़ रुपये के ऋण के बाबत पूछा है। यह एक विशेष मुद्दा है। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मेरे प्रथम अनुपूरक प्रश्न में मैंने ऋण विनिमय स्कीम के बारे में पूछा था जिसमें गुजरात ने भाग लिया है।

मेरा द्वितीय अनुपूरक भी उसी मुद्दे पर है। क्या भारत सरकार को गुजरात सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

जहां तक पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम का संबंध है यह विशेष रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। भूकंप में लाखों घर ध्वस्त हो गये हैं। सरकार ने उनके लिए इस ऋण की राशि को जुटाया है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जहां तक जीईआरएलपी का संबंध है क्या भारत सरकार संशोधन करके इस राशि को 70 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण के आधार पर जारी करेगी?

श्री जसवंत सिंह: पुन: यह ऋण विनिमय के केन्द्रीय पहलू से थोड़ा अलग प्रश्न है। परंतु गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में विद्यमान स्कीम पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और इसे पुनर्नियोजित

करने के इस विशेष पहलू पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे ताकि राहत कार्य को और सुविधाजनक बनाया जा सके।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, अनेक राज्य वस्तुत: वित्तीय संकट से ग्रस्त हैं। पिछले चार वर्षों में गुजरात सरकार पर लगभग 37,000 करोड़ रुपये का कर्ज था और लगभग 5,000 करोड़ रुपये की राशि ब्याज के रूप में चुकायी गयी। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण गुजरात को लगभग 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से भारत सरकार ने 2,600 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं जो केवल 10 प्रतिशत है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपना फार्मूला इस प्रकार बनाया है जिसमें गुजरात सरकार का हिस्सा जो एक समय 4.8 प्रतिशत था वास्तव में घट कर 2.02 प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार गुजरात सरकार की निधियां समाप्त हो रही हैं। इतना ही नहीं गुजरात सरकार के कुल बजट का केवल 20 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्त आयोग और योजना आयोग से आता है।

महोदय, गुजरात राज्य समेत अनेक राज्यों ने राज्यों के लिए कतिपय आय जुटाने के लिए कन्साइनमेंट टैक्स लगाने का आग्रह किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के कर आधार को बढ़ाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जब तक केन्द्र सरकार कर आधार को नहीं बढ़ाती, अनेक राज्य ऋण के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे और सालों साल घाटे का बजट बनाते रहेंगे और कर्ज लेते रहेंगे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ताकि गुजरात राज्य समेत सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, पुन: अनेक मुद्दे उठ खड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक ही मुद्दे का उत्तर दे सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: परंतु मैं प्रश्न का उत्तर यथासंभव अच्छी तरह देने का प्रयास करूंगा। वित्त आयोग इत्यादि के संबंध में जो बातें कहीं गई हैं वे वास्तव में ऋण विनिमय के मुद्दे से उत्पन्न नहीं होती। जहां तक कान्साइनमेंट टैक्स संबंधी किसी प्रस्ताव के सरकार के समक्ष विचाराधीन होने की बात है तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि हम कान्साइनमेंट टैक्स पर विचार कर रहे है। यदि मैंने कन्साइनमेंट टैक्स के प्रस्ताव पर गौर किया होता तो जैसे कि मैंने अपने सभी विचार माननीय संसद सदस्यों से बांटे हैं मैं निश्चित रूप से इसे भी बांटता।

अब, हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं और जिस संबंध में विचार हमने माननीय सांसदों के समक्ष रखे हैं वह है मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर और कान्साइनमेंट टैक्स वास्तव में अवधारणा और क्रियान्वयन की दृष्टि से पूर्णत: विरोधाभासी हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से इस संबंध में माननीय सदस्यों की शंकाओं को दूर करता हूं। उससे जुड़े अन्य पहलू इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं।

श्री आदि शंकर: महोदय, आज के 'द हिन्दू' समाचार-पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि चेन्नई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तमिलनाडु में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य कारणों से वित्तीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति से सिफारिश करने को तैयार हैं। चेन्नई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति का अवलोकन किया और उसकी आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट कहा, ''हमें अपने न्यायालय बंद करने पड़ेंगे।'' मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि, ''हम संवैधानिक कार्यकारी से वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए कहेंगे और हम ऐसा करेंगे।''

इस मामले में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तमिलनाडु सरकार के कुप्रशासन के चलते राज्य में वित्तीय आपातकाल लागू करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी या नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, चेन्नई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ टिप्पणियां इसलिए की हैं क्योंकि न्यायालयों को निधियां उपलब्ध नहीं करायी जा रही यहां तक कि कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो सकी। जब यह मामला न्यायिक टिप्पणियों से संबंधित है तब यह प्रश्न काल का विषय कैसे बन सकता है? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रश्न का उत्तर दूं।

अध्यक्ष महोदय: केवल आदि शंकर के प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री जसवंत सिंह: इसलिए मुझे मूल प्रश्न का ही उत्तर देना है।

महोदय, मुझे राहत मिली है कि मुझे चेन्नई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा, हालांकि मेरा विचार है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के वित्तीय प्रबंधन या अन्य मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह उच्च न्यायालयों के कार्यकरण का भाग नहीं है। मैंने यह टिप्पणी न्यायापालिका के प्रति पूरा आदर रखते हुए

की है। हम न्यायपालिका के कार्यकरण पर यदा-कदा ही टिप्पणी करते हैं। इसलिए, जब माननीय सदस्य न्यायालय की टिप्पणी को अपने प्रश्न का आधार बना रहे हैं तो मैं उनसे सिफारिश करता हूं कि वे इस मामले को राज्य सरकार और संबंधित राजनैतिक दलों, चाहे वे किसी भी राज्य के हों के मध्य का मामला मानें।

राज्य के वित्तीय मामलों के उचित प्रबंधन अथवा अन्यथा का उत्तरदायित्व विधानमंडल और कार्यपालिका का है और जवाबदेही भी उन्हीं की है।

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी।

...(व्यवधान)

श्री आदि शंकर: महोदय, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न सरकारी निधियों से कुप्रबंधन से संबंधित है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी निधियों का कुप्रबन्ध किया है। क्या केन्द्र सरकार अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती?...*(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुसामी: अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है...*(व्यवधान)*

श्री के.के. कलिअप्पन: महोदय, यह राज्य का मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। आप बैठ क्यों नहीं जाते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक सदस्य को अनुशासन का पालन करना चाहिए। माननीय मंत्री जी यहां उत्तर देने के लिए आए हैं वे खड़े हैं और आप उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, क्या मैं इसका उत्तर दूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंता को समझता हूं। यह उनकी जनता के प्रति भावनाएं हैं जो वे यहां अपने राज्य से संबंधित चिंताओं को यहां व्यक्त कर रहे हैं। यह पूर्णत: समझ आने वाली बात है। मैंने यह कहा है कि यह उनका कार्यकरण है न कि न्यायालय का कार्यकरण। मैं उनकी चिंता की सराहना करता हूं। परंतु राज्य की स्थिति अभी ऐसा नहीं हुई है कि वहां कोई वित्तीय आपातकाल लगाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, अब केवल दो या तीन मिनट ही बचे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अपना प्रश्न पूछने के लिए कहा है। आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं...*(व्यवधान)*

श्री के. मलयसामी: महोदय, मैं बोलने के लिए केवल एक मिनट ही लूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी के बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: अब मेरी बारी है आप अपना प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं।

महोदय, यह तथ्य है कि अनेक राज्य सरकारें अपने वित्तीय कुप्रबंधन के कारण विदेशी ऋण ले रही हैं; कहीं यह 72,000 करोड़ रुपये है मेरे राज्य में यह 76,000 करोड़ रुपये है? महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि कैसे विदेशी ऋण बढ़ रहा है। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में यह 76,000 करोड़ रुपये है। विदेशी निधियों पर नियंत्रण रखने के संबंध में सरकार की स्थिति क्या है? राज्य सरकार निधियों का पुनर्भुगतान नहीं कर रही है। पुनर्भुगतान करने की बजाय वे करोड़ों रुपयों का ऋण ले रही है। वित्तीय स्थिति कैसे सुधरेगी? वित्तीय स्थिति की क्या दशा होगी? हम इस पर कैसे नियंत्रण रखेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मुख्य प्रश्न वित्तीय स्थिति, संघ के विभिन्न राज्यों की ऋण की हालत से संबंधित है। मैं किसी एक राज्य या उसकी वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता...*(व्यवधान)* मैं उत्तर दे रहा हूं। आप मुझे उत्तर देने के संबंध में मत बताइए।

जहां तक संबंधित राज्यों की वित्तीय स्थिति का प्रश्न है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि जब वे पूर्व प्रश्नकर्त्ता की तरह अपने गृह राज्य से संबंधित प्रश्न पूछती हैं, वे स्वाभाविक रूप से अपने राज्य की वित्तीय स्थिति के बाबत चिंतित हैं। इस चिंता को

समझा जा सकता है। मैं भी वित्तीय स्थिति से चिंतित हूं। मैंने संबंधित वित्त मंत्रियों और साथ ही संबंधित माननीय मुख्य मंत्रियों को वित्तीय स्थिति के बाबत अपनी चिंता से अवगत कराया है।

जहां तक विदेशी ऋणों का संबंध है, विदेशी ऋण प्राप्त करना केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है। यह राज्य का कार्य नहीं है। विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राष्ट्रीय आधार पर होता है न कि राज्य के आधार पर। राज्य सरकारों के वित्त से संबंधित कुछ बातें चिंताजनक हैं विशेषकर माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किए गये राज्यों में। यहां चिंताजनक बात यह है कि राज्य सरकारों ने अपनी गारन्टी दी है। और ये गारन्टी चालू वर्ष में ही परिणाम दिखाना आरंभ कर देंगी और हम उस स्थिति में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री के. मलयसामी: मैं माननीय मंत्री जी का उनकी इस टिप्पणी के लिए धन्यवाद देता हूं कि न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टिप्पणियों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं और वह सही हैं।

ऐसा करते हुए मैं श्री आदि शंकर द्वारा उठाए प्रश्न में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि यह पूरा मामला वर्तमान सरकार द्वारा किए वित्तीय कुप्रबंधन का कतई नहीं है। इसके विपरीत डीएमके की पूर्व सरकार ने सभी जगह कुव्यवस्था फैलायी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप जयललिता महोदया को यह सब विरासत में मिला है...*(व्यवधान)* अब वे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. कृष्णस्वामी: महोदय, एआईएडीएमके सरकार भ्रष्ट सरकार है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

201-32

विदेशों में भारतीय परियोजनायें

***244. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों में चलायी जा रही भारतीय परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं, विदेशों में चलायी जा रही भारतीय परियोजनाओं को निर्यात आयात बैंक (एक्जिम) ही विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करता है न कि सरकार।

(ख) अप्रैल 2002 से दिसम्बर, 2002 के दौरान एक्जिम बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियों के देश-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ही परियोजना निर्यात संविदाओं के लिए मानदंड निर्धारित करता है। इन मानदंडों का सारांश विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

विदेशी मुद्रा में अप्रैल, 2002 से दिसम्बर, 2002 के दौरान स्वीकृतियों का देशवार ब्यौरा

क्र. सं.	देश/क्षेत्र	परियोजना	राशि करोड़ रुपए (समतुल्य)
1	2	3	4
1.	अल्जीरिया	प्रसारण	9.78
2.	आस्ट्रेलिया	कृषि उत्पाद	1.00
3.	बेल्जियम	अलाय वील	3.00
4.	ब्राजील	प्रसारण लाइन	21.90
5.	चीन	रसायन	9.79
6.	डोमिनिकन गणराज्य	वाहन	50.07
7.	ईस्ट तीमोर	फारमास्यूटिकल्स	4.50
8.	पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका	क्रेडिट श्रृंखला	48.50
9.	मिश्र	आटो पार्ट्स पाइप	33.44
10.	घाना	दूर संचार	62.89
11.	इंडोनेशिया	सबमर्जड वेल्डेट आर्क पाइप, पाइपलाइन, गैस प्रसारण	56.47

1	2	3	4
12.	ईराक	खनिज, गैस सिलिन्डर	32.98
13.	कुवैत	शोधनशाला	20.90
14.	मारिशस	साइबर टावर्स एयर क्राफ्ट हेलीकोप्टर का निर्माण	84.47
15.	मोजाम्बिक	ब्रिवेरी मशीनरी	13.34
16.	नेपाल	कोल्ड रोड स्टील शीट और कोईल	19.36
17.	ओमान	प्रसारण	12.26
18.	कतार	पाइपलाईन	5.44
19.	रोमानिया	क्रेडिट श्रृंखला	48.88
20.	रूस	क्रेडिट श्रृंखला	121.66
21.	सऊदी अरब	दूर संचार	4.35
22.	सेशेल्स	क्रेडिट श्रृंखला	24.17
23.	सिंगापुर	रसायन	9.70
24.	साउथ अफ्रीका	वाहन	14.51
25.	साउथ कोरिया	हीट एक्सचेन्जर	8.88
26.	श्रीलंका	फारमास्यूटिकल्स	0.82
27.	तंजानिया	रेलवे विद्युत	63.67
28.	ट्यूनिशिया	प्रसारण श्रृंखला	24.17
29.	तुर्की	वस्त्र मशीनरी	3.65
30.	यू.ए.ई.	कृषि उत्पाद मैटल बोल्स	96.84
31.	उगांडा	प्रसारण श्रृंखला	1.61
32.	यू.के.	कृषि उत्पाद	23.98
33.	यू.एस.ए.	साज-समान	4.86
34.	जाम्बिया	चीनी मशीनरी	12.26
			949.10

विवरण II

परियोजना निर्यात संविदाओं के लिए मानदंडों का सारांश

सभी परियोजना निर्यात संविदाओं को कार्यकारी समूह तंत्र के तहत अनुमोदन की आवश्यकता है।

- कार्यकारी समूह में एक्जिम बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, विदेश कार्य मंत्रालय, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड और वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

- अग्रिम भुगतानों के रूप में प्राप्त की जाने वाली संविदा मूल्य की 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत धनराशि और शेष आस्थगित ऋण के लिये पेशकश की जा सकती है।

- ऋण की अवधि, संविदा के मूल्य और बराबर का वित्त जुटाने पर निर्भर करती है।

- निवल विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- विदेशी क्रेता को प्रदान किये जा रहे आस्थगित ऋण पर ब्याज की दर ऐसी होनी चाहिए जिससे बैंकों से प्राप्त ऋण के लिए भारतीय निर्यातकों द्वारा वहन की जाने वाली लागत पूरी हो सके ताकि समग्र लाभ कारिता को सुरक्षित रखा जा सके।

- यदि विदेशी क्रेता एक निजी कंपनी है तो आस्थगित ऋण के लिए साख-पत्र अथवा आयात वाले देश अथवा तीसरे देश जो भी स्वीकार्य हो, के बैंक से गारंटी के रूप में और यदि विदेशी क्रेता सरकार के स्वामित्व में है तो सरकारी गारंटी अथवा वचन-पत्रों के रूप में प्रतिभूति होगी।

- विदेशी मुद्रा के तुरन्त निर्गम के लिए केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त विदेशीकरण प्रमाण-पत्र।

- ऋण/क्रेडिट एवं विदेशी उधार, संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ज्ञापन पीईएम, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का एक भाग है, में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित।

[अनुवाद]

32-34

चीनी मिलों का बन्द होना

***245. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक बंद हो चुकी चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन चीनी मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पुनरुद्धार के लिये बी.आई.एफ.आर. को भेजी गयी चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त प्रत्येक मिल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु इनको अतिरिक्त सहायता दने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (च) पिछले तीन चीनी मौसमों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 और वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के दौरान जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया उनकी राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। चीनी मिलों के बन्द होने के कारणों के संबंध में जानकारी नहीं रखी जा रही है।

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की रुग्ण चीनी कम्पनियां रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के दायरे में आती हैं। उक्त अधिनियम के अधीन किसी भी चीनी फैक्ट्री का कोई भी मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को नहीं भेजा गया है।

बन्द पड़ी चीनी मिलों को जीवनक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

चीनी मौसम 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 तथा वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के दौरान जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया, उनकी राज्य-वार संख्या

राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अनन्तिम)
पंजाब	1	1	1	1
राजस्थान	1	2	2	2
उत्तर प्रदेश	7	7	6	7
मध्य प्रदेश	2	3	3	5
गुजरात	4	5	7	5
महाराष्ट्र	10	7	27	23
बिहार	18	18	18	18
असम	2	2	3	3
आंध्र प्रदेश	6	6	6	7
कर्नाटक	3	3	6	11
तमिलनाडु	0	0	2	3
उड़ीसा	1	4	4	4
पश्चिम बंगाल	0	0	0	1
जोड़	55	58	85	90

[हिन्दी]

भारत विकास कोष

*246. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत विकास कोष किस तिथि को स्थापित किया गया था;

(ख) इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भारत विकास कोष में निवेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों को 'नाबार्ड' से सहायता

*247. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'नाबार्ड' द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों की सहायता के लिए राज्यवार कौन-कौन सी योजनायें आरम्भ की गई हैं;

(ख) क्या उपलब्ध कराई गई सहायता से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी बैंकों को उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए तीन स्थूल क्षेत्रों अर्थात पुनर्वित्त सुविधाओं, संस्थागत विकास और संवर्धन सहायता के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है। पुनर्वित्त सुविधाओं के अंतर्गत, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी बैंकों को उनकी अल्पावधिक/मध्यावधिक/दीर्घावधिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों को राज्य-वार उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की पुनर्वित्त सहायता संलग्न विवरण में दी गई है। संस्थागत विकास के लिए नाबार्ड, सहकारी बैंकों को ऋण पोर्टफोलियो का विविधीकरण एवं विस्तार करके, कम लागत वाली जमाराशियां एकत्र करके वसूलियों में सुधार करके, प्रबंधन का व्यावसायिकरण आदि करके चालू एवं सतत् अर्थक्षमता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूपरेखा दर्शाते हुए विकास कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नाबार्ड सहकारी बैंकों को उनके आधारिक विकास कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के लिए भी सहायता प्रदान करता है। 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने इस सुविधा के अंतर्गत सहकारी बैंकों को 55.28 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी।

नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई इस सहायता से सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों के लिए अपने ऋण संवितरण में वृद्धि करने में सक्षम हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा कृषि को बुनियादी स्तर पर संवितरित ऋण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बुनियादी स्तर पर संवितरित ऋण	वृद्धि
1998-1999	18259.86	15.05
1999-2000 (अनंतिम)	20699.67	13.36
2000-2001 (अनंतिम)	27080.14	30.82

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को संवितरित राज्य-वार पुनर्वित्त

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	201	149	285
2.	आंध्र प्रदेश	144756	136126	125978

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	42	116	107
4.	असम	73	103	159
5.	बिहार	6760	6571	7143
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़*	–	–	10129
8.	दादरा एवं नागर हवेली	120	0	0
9.	गोवा	723	921	1126
10.	गुजरात	29565	36137	52925
11.	हरियाणा	97776	114603	127261
12.	हिमाचल प्रदेश	5149	7078	8174
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1498	1170	572
14.	झारखण्ड*	0	0	0
15.	कर्नाटक	63219	65471	69330
16.	केरल	23611	17247	37033
17.	लक्षद्वीप	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	68629	66897	82784
19.	महाराष्ट्र	25750	45656	50178
20.	मणिपुर	609	0	0
21.	मेघालय	296	489	515
22.	मिजोरम	172	180	603
23.	नागालैण्ड	224	175	228
24.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	66	594	593
25.	उड़ीसा	37715	41768	45825
26.	पांडिचेरी	472	475	642
27.	पंजाब	82123	86163	92397
28.	राजस्थान	62308	65578	70801
29.	सिक्किम	0	0	0
30.	तमिलनाडु	83520	83561	92333

1	2	3	4	5
31.	त्रिपुरा	1119	1445	476
32.	उत्तर प्रदेश	83509	91695	110494
33.	उत्तरांचल*	0	0	0
34.	पश्चिम बंगाल	19553	18311	22355

* विभाग में सम्मिलित झारखण्ड, 1999-2000 एवं 2000-2001 के लिए मध्य प्रदेश में सम्मिलित छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में सम्मिलित उत्तरांचल

नारियल तेल का आयात

***248. श्री टी. गोविन्दन:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान नारियल तेल के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल तेल के आयात के कारण घरेलू खाद्य तेल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो देश में नारियल उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) नारियल के तेल के आयात के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:-

(टन में)

वर्ष	मात्रा
2001-2002	23608
2002-2003 (अप्रैल-अक्तूबर, 2002)	21268

स्रोत: विदेश व्यापार महानिदेशालय

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना नहीं मिली है।

चमड़े के निर्यात का संवर्धन

***249. श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चमड़े के निर्यात के संवर्धन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिये आवंटित, वितरित और प्रयुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के निर्यात संबंधी कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सरकार ने चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कुछ नीतिगत उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) लघु उद्योग के कार्यक्षेत्र से चर्म शोधन एवं फुटवियर उपक्षेत्रों को अनारक्षित करना।

(2) निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त निविष्टियों पर संदत्त शुल्कों को शुल्क वापसी/शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना के जरिए निष्प्रभावी बनाना।

(3) निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित आवश्यक निविष्टियों के आयात हेतु चर्म प्रधान क्षेत्र को पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात निष्पादन के 3% की सीमा तक शुल्क मुक्त आयात की सुविधा प्रदान की गई है।

(4) आवश्यक परिष्करणों/निविष्टियों के आयात हेतु चमड़ा उद्योग के समस्त खंडों को पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात निष्पादन के 1% की सीमा तक शुल्क मुक्त आयात की सुविधा प्रदान की गई है।

(5) भारतीय चमड़ा उत्पादों के लिए बाजार के विकास/संवर्धन हेतु अलग-अलग निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, बिक्री एवं अध्ययन दौरे करने; मुद्रित सामग्री के जरिए प्रचार करना; विदेश में भांडागार/शोरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। पिछले तीन वर्षों में जनवरी, 2003 तक अलग-अलग निर्यातकों का 369 लाख रुपए की राशि आवंटित कर जारी की गई थी।

(6) देश के भीतर और देश के बाहर व्यापार संवर्धन कार्यकलाप करने के लिए चमड़ा निर्यात परिषद को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़ा निर्यात परिषद को 915 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। इस राशि में से 869 लाख रुपए जनवरी, 2003 तक जारी किए जा चुके हैं।

(7) वर्ष 2002 के दौरान चुनिंदा देशों में चर्म निर्यातों के विपणन हेतु संकेंद्रित पद्धति लागू करने के लिए चमड़ा निर्यात परिषद को प्रदत्त वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

(धनराशि लाख रुपए में)

	आबंटित राशि	उपयोग में लाई गई राशि
लैटिन अमरीकी देश	37	37
यूएसए	258	200
जापान	76	50

(घ) निर्यात निष्पादन की मानिटरिंग चमड़ा निर्यात परिषद के जरिए की जाती है जो कि चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु नोडल एजेंसी है। उद्योग के निर्यात निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर लक्ष्य प्राप्ति और पूर्ववर्ती निष्पादन के साथ तुलना करते हुए की जाती है। उद्योग के परामर्श से सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके।

विदेशी ऋण का समय पूर्व भुगतान

41-42

***250. डा. राम लखन सिंह:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 2003 की तिथि के अनुसार देश पर कुल कितना विदेशी ऋण बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार की सुदृढ़ स्थिति के मद्देनजर विदेशी ऋण का समय पूर्व भुगतान करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका किस तरीके से उपयोग किये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) उपलब्ध अद्यतन आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सितम्बर, 2002 के अन्त की स्थिति के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण 102 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) और (ग) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को देय क्रमशः 1688 मिलियन अमरीकी डालर और 1158 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि के चौबीस बहुत मंहगे विदेशी ऋणों को समय से पहले वापस कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

द्विपक्षीय-वार्ता 42

भारत-फ्रांस वार्ता

***251. श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच बाजार में पैठ संबंधी मुद्दों, विशेषकर समुद्री खाद्य निर्यात के संबंध में वार्ता हुई थी और उस वार्ता में यूरोपीय संघ में भारतीय वस्त्र उत्पादों के विरुद्ध पाटन रोधी कार्रवाईयों पर चिंता जताई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम निकला?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) दिनांक 7 फरवरी, 2003 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा फ्रांस गणराज्य के आर्थिक, वित्त और उद्योग मंत्री श्री फ्रांसिस मेर और व्यापार और वाणिज्य मंत्री श्री फ्रेंकोइस लूस के साथ हुई बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने भारत द्वारा विशेष रूप से समुद्री उत्पादों और वस्त्र के क्षेत्र में भारत के सामने आई बाजार पहुंच समस्याओं को उजागर किया था। इनके उचित समाधान के लिए इन मुद्दों पर यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भी आगे कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रशासनिक व्यय में कटौती

*252. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री बीर सिंह महनो:

क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी से सचिव स्तर तक के अनेक पद समाप्त कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार समाप्त किए गए पदों की सही संख्या कितनी है और मंत्रालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के उक्त कदम से व्यय में कमी लाने में किस सीमा तक सहायता मिली है;

(घ) क्या समूह 'क' के पदों की तुलना में चतुर्थ श्रेणी के अधिक पद समाप्त किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) सन 1992 से लगभग 1.73 लाख पद (सचिव स्तर के 10, अपर सचिव स्तर के 9 और संयुक्त सचिव स्तर के 135 पदों सहित) समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे 1.1.1992 को यथा-विद्यमान स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों के संदर्भ में 4 प्रतिशत से कुछ अधिक की कमी आई है।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी समूहों के पदों को मिलाकर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के करीब 13000 पद अर्थात् सूचना एवं प्रसारण-1424, आर्थिक कार्य-1903, लोक उद्यम-15, आपूर्ति 996, इस्पात-6, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस-17, रसायन एवं पेट्रो-रसायन-624, उर्वरक-19, खान-62, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण-135, कृषि और सहकारिता-214, जहाजरानी-6, महिला एवं बाल विकास-175, पर्यावरण एवं वन-779, संस्कृति-12, वाणिज्य-90, शहरी विकास-6411, पर्यटन-28, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन-134 समाप्त कर दिए गए हैं। इन पदों को समाप्त करने के फलस्वरूप वार्षिक व्यय में लगभग 120 करोड़ रुपए की कमी आने की संभावना है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे भी जारी रहेगी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा भी 16.5.2001 को आदेश जारी किए गए थे कि वार्षिक सीधी भर्ती रिक्तियों की एक तिहाई रिक्तियां सीधी भर्ती से इस शर्त पर भरी जाएं कि वे किसी विशिष्ट विभाग की कुल संख्या की 1 प्रतिशत से अधिक न हों। यह आदेश पदों की सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू है तथा इसमें सभी समूहों के पदों को कवर करते हुए अब तक करीब 30,000 पदों को समाप्त करने के लिए अभिचिन्हित कर लिया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.) को प्राप्त शिकायतें

*253. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.) निर्यातक देशों, विशेषकर यूरोपीय समुदाय/आयोग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण ड्रिल/दिशा-निर्देशों/निदेशों/अनुदेशों की निगरानी करने वाली एकमात्र एजेंसी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद को उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उनका स्वरूप क्या है; और

(घ) उन शिकायतों पर कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) बासमती चावल के लिए प्रमाणिकता प्रमाण-पत्र और यूरोपीय आयोग द्वारा मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(ख) यूरोपीय संघ के देशों को निर्यातित मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में ईआईसी को प्राप्त हुई शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरम में दिए गए हैं। तथापि, ईआईसी को यूरोपीय संघ के देशों को बासमती चावल के निर्यात के बारे में गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जैसाकि अनुबंध से देखा जा सकता है वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान ईआईसी द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 9, 13 और 50 है। ये शिकायतें भारत से निर्यातित मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के परीक्षणों में माइक्रोबायालोजिकल, रासायनिक और भारी धातुओं के संदूषण

पदार्थों का पता लगाने के कारण यूरोपीय संघ के देशों द्वारा की गई हैं।

ईआईसी ने एक विस्तृत शिकायत प्रहस्तन तंत्र तैयार किया है जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण इकाई को सावधान किया जाता है और ईआईसी/ईआईए के अधिकारियों द्वारा यूनिट पर निगरानी को और अधिक कड़ा कर दिया जाता है जिसमें दस क्रमिक परेषणों के संतोषजनक परीक्षण तक निगरानी दौरों की संख्या प्रतिमाह सामान्य की तुलना में दो से चार तक अधिक कर दी जाती है। संदूषण के वास्तविक कारण और स्रोत का पता लगाने के लिए प्रत्येक मामले में ईआईसी/ईआईए विस्तृत जांच-पड़ताल करते हैं और ऐसे संदूषण के कारण को रोकने की दृष्टि से और आवश्यक उपाय करते हैं।

सरकार ने माइक्रोबायलोजिकल और रासायनिक संदूषणों के कारण मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के परेषणों को रद्द करने के मामले को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

* गुणवत्ता मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन भण्डारण और परिवहन के सभी स्तरों पर समुद्री खाद्य के स्वास्थ्यपूर्ण प्रहस्तन के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं निर्धारित करना;

* रसायनों और भारी धातुओं के अधिकतम अनुमत स्तर को निर्धारित करना।

* यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडी) और ईआईसी द्वारा प्रसंस्करण इकाइयों पर निगरानी रखना;

* निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं, कृषकों, चारा निर्माताओं, उत्पत्तिशाला मालिकों आदि के बीच गुणवत्ता संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें किसी भी स्तर पर प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करने हेतु एम्पीडा और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सभी समुद्री खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में अभियान चलाना; और

* मुख्य उत्पादन केन्द्रों में समुद्री खाद्य की जांच के प्रयोजनार्थ प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करना तथा मत्स्य ग्रहण केन्द्रों और मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों का सुधार/आधुनिकीकरण।

विवरण

वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 के दौरान सूचित की गई यूरोपीय संघ के देशों को मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यात के संबंध में गुणवत्ता के स्तर के बारे में देशवार शिकायतें

देश	2000			2001			2002		
	रसायन	माइक्रोबायलोजिकल/ भारी धातुएं	जोड़	रसायन	माइक्रोबायलोजिकल/ भारी धातुएं	जोड़	रसायन	माइक्रोबायलोजिकल/ भारी धातुएं	जोड़
स्पेन	0	4/1	5	0	7	7	15	6/1	22
नार्वे	0	0	0	0	0	0	0	6	6
नीदरलैंड	0	0	0	0	0	0	5	0	5
फ्रांस	0	3	3	0	1	1	1	2	3
यू.के.	0	0	0	0	0	0	3	0	3
इटली	0	1	1	0	4	4	3	2	5
पुर्तगाल	0	0	0	0	0	0	0	1	1
यूनान	0	0	0	0	0	0	0	2	2
जर्मनी	0	0	0	0	0	0	2	0	2
बेल्जियम	0	0	0	0	1	1	0	1	1
जोड़	0	8/1	9	0	13	13	29	20/1	50

47

राज्य व्यापार निगम को घाटा

*254. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) को वर्ष 2002-2003 की तीसरी तिमाही में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम के कार्य निष्पादन को सुधारने हेतु कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002-2003 की तीसरी तिमाही के लिए असंपरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार एसटीसी को 10.09 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यह घाटा वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में प्रत्येक के दौरान हुए 14.78 करोड़ रुपए के औसत घाटे की तुलना में 32% कम था। यह घाटा मुख्यत: स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) संबंधी व्यय के लिए 3.08 करोड़ रुपए और निगम द्वारा यूएस-64 यूनिटों में किए गए निवेशों के मूल्य में कमी के लिए 4.83 करोड़ रुपए के आनुपातिक परिशोधन के कारण हुआ था। यदि इन पूर्वावधि लेखा प्रविष्टियों को छोड़ दिया जाए तो तीसरी तिमाही के दौरान घाटा केवल 2.18 करोड़ रुपए का हुआ था। घाटे के अन्य कारणों में शामिल हैं—यूटीआई द्वारा यूएस-64 यूनिटों पर लाभांश का भुगतान न करना जिसके परिणामस्वरूप एक तिमाही में लगभग 2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और ब्याज दरों में भारी गिरावट जिससे कम ब्याज आय प्राप्त हुई।

(ग) एसटीसी ने नए व्यापारिक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं—अपरिष्कृत चीनी, खाद्य तेलों, मिट्टी तेल और अलौह धातुओं का आयात; और इराक को गेहूं और फिलीपींस को चावल निर्यात। इसने शाखा कार्यालयों को युक्तिसंगत बनाकर, दुबई स्थित विदेशी कार्यालय को बंद करके, वीआरएस के जरिए जनशक्ति को कम करके और ऊपरी खर्चों को नियंत्रित कर लागतों में भी कमी की है।

श्रीलंका से चाय का आयात

*255. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने 7.5 प्रतिशत आयात-शुल्क की दर से देश में चाय के आयात के संबंध में श्रीलंका के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते से देश में विशेषकर दक्षिण भारत में, चाय उद्योग के हितों को भारी नुकसान पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में श्रीलंका के साथ पुन: बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) वर्ष 1998 में हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के अंतर्गत श्रीलंका को 7.5% के अधिमानी शुल्क पर भारत को वार्षिक रूप से चाय के 15 मिलि. कि.ग्रा. के टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के निर्यात की अनुमति दी गई है। टीआरक्यू को भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच 18-19 अप्रैल, 2000 को हुई बैठक के बाद मई 2000 में शुरू किया गया है।

(ग) जी, नहीं। इस करार के देश में चाय उद्योग के हित को नुकसान नहीं पहुंचा है। करार के तहत श्रीलंका को 7.5% के मूल सीमा शुल्क पर भारत को 15 मिली. किग्रा. चाय का वार्षिक रूप से निर्यात करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2000 और 2001 के दौरान मुक्त व्यापार करार के तहत श्रीलंका से क्रमश: 0.46 मिलि. किग्रा. और 0.31 मिलियन किग्रा. चाय का आयात किया गया था। जनवरी-दिसम्बर, 2002 के दौरान श्रीलंका से एफटीए के तहत 0.60 मिलि. किग्रा. चाय का आयात किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दल-बदल विरोधी कानून

*256. **श्री भास्करराव पाटील:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन किए जाने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दल-बदल विरोधी कानून में उपयुक्त संशोधन करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) विभिन्न निकायों द्वारा जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग भी है, अनेक सिफारिशें की गई हैं। मुख्य सिफारिशों वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संविधान की दसवीं अनुसूची में (दल-परिवर्तन विरोधी विधि) संशोधनों से संबंधित कतिपय प्रस्तावों को निर्वाचन विधियों के सुधार के विषय पर राजनीतिक दलों की तारीख 22.5.1998 को हुई बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था इस मुद्दे पर विचार-विमर्श को आस्थगित कर दिया गया था। सरकार ने, राजनीतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए कोई पश्चात्वर्ती तारीख विनिश्चित नहीं की है।

विवरण

(1) दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें:—

(1) निरर्हता के उपबंधों को (क) किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा उस राजनीतिक दल की, जिससे सदस्य संबंधित है, अपनी सदस्यता को स्वैच्छया छोड़ देने; और (ख) किसी सदस्य द्वारा केवल विश्वास मत के प्रस्ताव या अविश्वास वाले किसी प्रस्ताव की बाबत या धन विधेयक या राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने दल के निर्देशों या व्हिप के विरुद्ध मत देने या उससे विरत रहने के मामलों तक सीमित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यथास्थिति, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष, राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद का उप सभापति या किसी निर्वाचित पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में तत्समय अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति को निरर्हता उपगत नहीं करनी चाहिए यदि वह अपने दल के निर्देशों या व्हिप के विरुद्ध मत देने से विरत रहने का चयन करता है।

(2) निरर्हता के विधिक मुद्दे का विनिश्चय करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष या सभापति पर नहीं, अपितु, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर छोड़ी जानी चाहिए, जो निर्वाचन आयोग की सलाह पर कार्य करेगा, जिसे किसी सदस्य की निर्वाचन के पश्चात् किसी अन्य निरर्हता की दशा के समान अवधारण के लिए प्रश्न निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(3) सदन का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य को तब निरर्हता उपगत करनी चाहिए जब वह किसी समय किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

(2) उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्राप्त सुझाव:

(1) उच्चतम न्यायालय ने किहोटा होलोहोन बनाम जछिलू और अन्य के मामले में [1992(1) स्केल 338-364(4)] बहुमत के निर्णय द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची की, सिवाय उसके पैरा 7 के, विधिमान्यता को मान्य ठहराया है। पैरा 7 दसवीं अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय की बाबत न्यायालयों की अधिकारिता को विवर्जित करता था। निर्णय का तात्पर्य यह है कि पीठासीन अधिकारियों के विनिश्चयों की न्यायालयों द्वारा इस आधार पर संवीक्षा नहीं की जा सकती कि दल परिवर्तन के मुद्दों का विनिश्चय करने में वे अधिकरणों के रूप में कार्य कर रहे थे।

(2) उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में 1992 में हुए विभिन्न राज्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की गई थी, यह सुझाव दिया गया था कि दल-परिवर्तन विरोधी विधि में ऐसे एक अपील प्राधिकारी का उपबंध करने के लिए उपबंध किया जाए, जो पीठासीन अधिकारियों के निर्णय से अपीलों की सुनवाई करेगा, जिससे कि पीठासीन अधिकारियों के विनिश्चियों की सीधे न्यायालयों द्वारा संवीक्षा नहीं की जा सके।

(3) उपरोक्त सुझाव के अनुसरण में, अपील प्राधिकारी के गठन से संबंधित एक सुझाव यह था कि संसद सदस्यों की दशा में भारत का राष्ट्रपति ऐसा प्राधिकारी हो सकता है, जो न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 की धारा 3(2) में उपदर्शित तीन सदस्यों अर्थात् उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् वाली एक समिति की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा। राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के संबंध में इसी प्रकार का प्रस्ताव किया गया था।

(3) भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशें:—

दल परिवर्तन विरोधी विधि को, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात्, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता के मामलों का विनिश्चय करने की शक्ति राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपालों के पास छोड़ते हुए, संशोधित किया जा सकता है।

(4) विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में की गई उसकी सिफारिशें:—

(1) विधान-मंडल दल की परिभाषा का लोप करना।

(2) दसवीं अनुसूची के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन-पूर्व मोर्चों पर गठबंधनों को सम्मिलित करने के लिए राजनीतिक दल की नई परिभाषा का दिया जाना।

(3) विभाजन और विलयन की धारणा को समाप्त करना।

(4) निर्वाचन के पश्चात् लोक सभा/राज्य विधान सभाओं की सदस्यता के लिए निरर्हता के प्रश्न को विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौंपा जाना।

(5) राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग की सिफारिशें:—

संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों को यह उपबंध करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से संशोधित किया जाए कि ऐसे दल या सहयोगी दलों से, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में-दल परिवर्तन करने वाले सभी व्यक्ति, जिसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए हों, अपने संसदीय या विधानसभा स्थानों से त्यागपत्र दें और नए सिरे से निर्वाचन लड़ें। अन्य शब्दों में ऐसे व्यक्ति अपनी सदस्यता को छोड़ दें और विभाजन आदि के उपबंध के अधीन संरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दल परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को कम से कम विद्यमान विधान-मंडल की शेष अवधि के लिए या आगामी नए निर्वाचनों तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, मंत्रियों के रूप में कोई सार्वजनिक पद या कोई अन्य पारिश्रमिक वाले पद को धारित करने से भी विवर्जित किया जाना चाहिए। किसी सरकार को गिराने के लिए ऐसे दल परिवर्तन करने वाले व्यक्ति द्वारा डाले गए मत को अविधिमान्य समझा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करने की शक्ति संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष की बजाय निर्वाचन आयोग में निहित होनी चाहिए।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल का वितरण

*257. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय पूल से सूखा प्रभावित राज्यों को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए गेहूं और चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार विदेशों को गेहूं और चावल की कुछ मात्रा निर्यात करने का है क्योंकि खाद्यान्न भंडारण की लागत बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे समय में, जबकि कई राज्य सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं; खाद्यान्न का निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को 57.68 लाख टन का खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं। इन राज्यों को आबंटित खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न वितरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का निर्यात नहीं करता है। तथापि, अधिशेष स्टाक का निपटान करने और अग्रनयन लागत के कारण खाद्य राजसहायता में वृद्धि को रोकने के लिए निर्यात हेतु खाद्यान्नों की पेशकश की जाती है।

(घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक होने के कारण निर्यात हेतु उनकी पेशकश करने की वजह से सूखा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन प्रभावित नहीं हुआ है।

विवरण

2002-2003 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन सूखा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य	गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	2000000	2000000
2.	छत्तीसगढ़	0	236116	236116
3.	हरियाणा	25000	0	25000
4.	हिमाचल प्रदेश	4232	5768	10000
5.	झारखण्ड	20000	20000	40000
6.	कर्नाटक	0	365000	365000
7.	केरल	0	10000	10000
8.	मध्य प्रदेश	271586	94914	367500

1	2	3	4	5
9.	महाराष्ट्र	92640	23180	115800
10.	उड़ीसा	0	400000	400000
11.	राजस्थान	1898420	0	1898420
12.	तमिलनाडु	0	50000	50000
13.	उत्तर प्रदेश	200000	0	200000
14.	उत्तरांचल	19000	31000	50000
	जोड़	2530878	3236958	5767836

[अनुवाद]

53-54

ऋणों की वसूली हेतु लोक अदालतें

*258. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे चूककर्ता कर्जदारों की बैंकवार, संख्या कितनी है जिन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दस करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वापस करनी है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंक ऋणों की वसूली के लिए लोक अदालतों के गठन का सुझाव दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अब तक लोक अदालतों का गठन कर दिया है;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) की वसूली की गई; और

(च) सरकार द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली हेतु अन्य कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के आधार पर 10 करोड़ रुपए और इससे अधिक के चूककर्ता ऋणकर्ताओं की संख्या और वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई वसूलियों का ब्यौरा बैंक-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी है कि अपने अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का स्टाक कम करने के लिए 10 लाख रुपए और इससे अधिक के मामलों को निपटाने के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भाग लें। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक लोक अदालतों में भाग ले रहे हैं।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वसूली नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने, दीवानी अदालतों/ऋण वसूली अधिकरणों में दावे दायर करने, निपटान सलाहकार समिति और विवेकाधिकारहीन एवं अभेदमूलक एकबारगी निपटान योजनाओं के जरिए समझौता वार्ता द्वारा निपटान करने जैसे अतिरिक्त उपाय करें। बैंकों को ऋणकर्ताओं संबंधी सूचना देने के लिए ऋण आसूचना ब्यूरो भी स्थापित किया गया है। कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) तंत्र भी बनाया गया है, ताकि अर्थक्षम कंपनियों के निगमित ऋण का पुनर्गठन करने के लिए पारदर्शी तंत्र प्रदान किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत आस्ति पुनर्गठन कंपनी (इंडिया) लि. निगमित की गई है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 हाल ही में अधिनियमित किया गया है, ताकि चूक के मामलों में मौचन निषेध एवं प्रवर्तन को सुकर बनाया जा सके और बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपनी देयराशि वसूली कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 करोड़ रुपए तक की बहुत पुरानी अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीएन) का समझौता वार्ता द्वारा निपटान के लिए 29 जनवरी, 2003 को एक नई एक बारगी निपटान योजना जारी की है।

विवरण

10 करोड़ रुपये के अधिक से चूककर्ता उधारकर्ताओं की संख्या और अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के बैंक-वार ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	चूककर्ता उधारकर्ताओं की संख्या		की गई वसूली
		गैर-वाद दाखिल 30.09.2001	वाद-दाखिल 31.03.02	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	93	134	455935
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4	10	21833

1	2	3	4	5
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7	14	41490
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1	8	16594
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2	15	16966
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	7	8	23920
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2	9	23306
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	7	26	23533
9.	इलाहाबाद बैंक	6	19	35008
10.	आंध्रा बैंक	6	6	15452
11.	बैंक आफ बड़ौदा	16	49	73144
12.	बैंक आफ इंडिया	30	78	106700
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	4	25	21209
14.	केनरा बैंक	57	119	78229
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	4	58	63544
16.	कार्पोरेशन बैंक	3	10	14349
17.	देना बैंक	13	40	54943
18.	इंडियन बैंक	23	58	56135
19.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	18	24	36037
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	7	10	23499
21.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3	15	18106
22.	पंजाब नेशनल बैंक	22	56	49991
23.	सिंडिकेट बैंक	2	3	17067
24.	यूको बैंक	3	11	37340
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3	12	33948
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3	9	29400
27.	विजया बैंक	7	15	18240
	कुल	353	841	1405917

[हिन्दी]

गन्ना किसानों को बकाया राशि का भुगतान

***259. श्री सुबोध राय:**
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों ने गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किसानों को देय कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) गन्ना किसानों को बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा;

(घ) सरकार द्वारा इन राज्यों में आंदोलनकारी किसानों को शांत करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या हाल में चीनी मिलों ने किसानों से गन्ने की खरीद बंद कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (छ) वर्ष 2001-2002 तक और वर्तमान पेराई मौसम अर्थात 2002-2003 के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की राज्य-वार उपलब्ध सूचना क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 (3क) के अनुसार सभी चीनी मिलों के लिए गन्ने की सुपुर्दगी की तारीख से 14 दिनों के भीतर किसानों को गन्ने के मूल्य की अदायगी करना अनिवार्य है। गन्ने से मूल्य की बकाया धनराशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिनके पास इस कार्य के लिए आवश्यक शक्तियां/फील्ड संगठन हैं।

2. किसानों को गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक सृजित किया गया है ताकि चीनी मिलें चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपये की सब्सिडि प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, मिलों को बफर स्टाक के कारण लगभग 374 करोड़ रुपये बैंकों से उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, किसानों के गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए चीनी मिलों को कुल 786 करोड़ रुपये मुहैया किए जाएंगे।

(2) लेवी चीनी के न उठाए गए स्टाक की मात्रा के बराबर गैर-लेवी चीनी को खुले बाजार में बेचने की अनुमति देकर चीनी फैक्ट्रियों को राहत दी गई है। अब तक, विभिन्न मौसमों से संबंधित उठान नहीं की गई लेवी चीनी के स्टाक की लगभग 240534.4 मी. टन मात्रा को खुले बाजार में गैर-लेवी चीनी के रूप में बेचने की अनुमति दी गई है।

(3) कुछ चीनी मिलों को गैर-लेवी चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की गई हैं ताकि वे किसानों को गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान कर सकें तथा अपने स्टाक को कम कर सकें। 2001-2002 के मौसम के दौरान 402830.5 मी. टन चीनी रिलीज की गई है।

(4) चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा समाप्त कर दी गई है और चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 तथा चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संशोधन किया गया है ताकि आंतरिक ढुलाई तथा चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर होने वाली समुद्री भाड़े की हानि को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिपूर्ति की जा सके।

3. गन्ने को खरीदने से इंकार (चीनी मिलों द्वारा किसानों से) करने के संबंध में कोई रिपोर्ट मंत्रालय में अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण I

चीनी मौसम 2001-2002 तक गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की राज्य-वार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	चीनी मौसम 2001-02 तक बकाया धनराशि	को स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	85.79	25.02.03
2.	पंजाब	65.47	31.01.03
3.	गुजरात	1.40	31.01.03
4.	कर्नाटक	52.71	31.01.03
5.	उत्तरांचल	7.35	31.01.03
6.	बिहार	42.32	31.01.03
7.	तमिलनाडु	7.32	31.01.03
8.	हरियाणा	16.03	31.01.03
9.	आंध्र प्रदेश	1.96	31.01.03
10.	महाराष्ट्र	47.83	31.01.03
11.	उड़ीसा	4.06	31.01.03
12.	मध्य प्रदेश	6.03	31.01.03
13.	पांडिचेरी	0.14	31.01.03
14.	असम	0.14	31.01.03

1	2	3	4
15.	पश्चिम बंगाल	0.01	31.01.03
16.	राजस्थान	1.18	31.01.03
17.	गोवा	—	31.01.03
18.	केरल	1.28	31.01.03
	जोड़	341.02	

विवरण II

2002-2003 मौसम (31.12.02 की स्थिति के अनुसार) के दौरान खरीदे गए गन्ने के प्रति गन्ना मूल्य देय, अदा की गई धनराशि तथा शेष बकाये की राज्यवार/जोनवार स्थिति का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य/जोन	2002-2003 के दौरान 31.12.02 तक खरीदे गए गन्ने के लिए कुल देय मूल्य	31.12.02 तक अदा किया गया गन्ना मूल्य	31.12.02 की स्थिति के अनुसार, शेष देय गन्ना मूल्य
1	2	3	4
पंजाब	172.45	50.07	122.38
हरियाणा	45.25	1.66	43.59
राजस्थान	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	101.25	80.69	20.56
मध्य उत्तर प्रदेश	57.09	25.74	31.35
पूर्वी उत्तर प्रदेश	32.05	24.76	7.29
जोड़ उत्तर प्रदेश	**190.39**	**131.19**	**59.20**
उत्तरांचल	3.56	0.00	3.56
मध्य प्रदेश	10.96	10.96	0.00
दक्षिण गुजरात	200.17	161.65	38.52
सौराष्ट्र	5.24	2.29	2.95
जोड़ गुजरात	**205.41**	**163.94**	**41.47**
दक्षिण महाराष्ट्र	321.89	285.22	36.67
उत्तरी महाराष्ट्र	155.63	108.48	47.16
मध्य महाराष्ट्र	210.53	165.29	45.24
जोड़ महाराष्ट्र	**688.05**	**558.98**	**129.07**
उत्तरी बिहार	1.00	0.00	1.00
दक्षिण बिहार	0.00	0.00	0.00
जोड़ बिहार	**1.00**	**0.00**	**1.00**
असम	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	222.02	99.09	122.93
कर्नाटक	384.95	154.13	230.82
तमिलनाडु	182.54	74.89	107.65
केरल	1.77	0.00	1.77
उड़ीसा	4.88	2.40	2.48
पश्चिमी बंगाल	2.49	0.00	2.49
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.32	0.00	0.32
गोवा	2.93	2.08	0.85
जोड़ अखिल भारत	2118.97	1249.39	869.58

[अनुवाद]

60 - 66

मतदाता पहचान-पत्र

***260. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान-पत्र जारी करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने प्रतिशत मतदाताओं को पहचान-पत्र उपलब्ध कराये गये हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयी है;

(घ) सभी मतदाताओं को ऐसे पहचान-पत्र कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है और चुनाव में मत डालने के लिए इस पहचान-पत्र का प्रयोग कब तक अनिवार्य बनाया जायेगा; और

(ङ) इन पहचान-पत्रों के तैयार करने में अब तक पाई गयी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2002 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावालियों का पुनरीक्षण कर दिया गया है और वर्ष 2002 के दौरान दो करोड़ चौंतीस लाख निर्वाचकों को दोषमुक्त मतदाता पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) सरकार ने 1994-95 से मतदाता पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को 434,45,61,710 रुपए की अनंतिम राशि जारी की है।

(घ) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसने स्कीम के पहले चरण में 85 प्रतिशत मतदाताओं को इसके अंतर्गत लाने की अवसीमा नियत की है और उसने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया है कि वे उन 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जिनमें अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2002 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावलियों के रूप में 1.1.2003 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, 31.12.2003 तक मतदाता पहचान-पत्र जारी किए जाने का कार्य पूरा करे। इस संदर्भ में, उपरोक्त दो प्रवर्गों के अधीन आने वाले राज्यों के नामों वाला विवरण-II संलग्न है। निर्वाचन आयोग ने यह और सूचित किया है कि 85 प्रतिशत निर्वाचकों को मतदाता पहचान-पत्र जारी करने के उद्देश्य की प्राप्ति मद्दें उपाय के रूप में यह निर्वाचनों के दौरान, ऐसे निर्वाचकों की दशा में जिनके पास मतदाता पहचान-पत्र नहीं हैं, उनकी पहचान सिद्ध करने के लिए अन्य दस्तावेज अनुज्ञात करने के साथ ही मतदाता की पहचान करने के लिए सभी निर्वाचनों में मतदाता पहचान-पत्रों के प्रगामी उपयोग पर लगातार जोर दे रहा है।

(ङ) निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि उसने पहले से जारी किए गए मतदाता पहचान-पत्रों में प्रविष्टियों की उपलब्धता और शुद्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2002 के प्रतिनिर्देश से 20 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में और अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2003 के प्रतिनिर्देश से 7 राज्यों में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान घर-घर सर्वेक्षण कराके निर्वाचकों को पहले से जारी किए गए मतदाता पहचान-पत्रों का सत्यापन किया था। इस प्रकार प्राप्त किए गए आंकड़ों को वर्तमान निर्वाचक नामावलियों के समक्रमिक बना लिया गया है, जो शेष निर्वाचकों को मतदाता पहचान-पत्र जारी किए जाने के लिए केंद्रीय अभियान आरंभ करने और पूर्व में जारी किए गए पत्रों में शुद्धियां, यदि कोई हों, कर सकने के लिए आवश्यक अंत: सामग्री प्रदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने परिगणकों और पर्यवेक्षकों को भी अनुदेश दिया है कि वे ऐसे व्यक्तियों के मतदाता पहचान-पत्रों को, जो समाप्त हो गए हैं, वापस ले लें और उन्हें निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास जमा करा दें।

विवरण I

भारत निर्वाचन आयोग

मतदाता फोटो पहचान-पत्रों की प्रगति पर प्रास्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिविहीन पहचान पत्र जारी किए गए	प्रतिशतता (4, 3 का कितना प्रतिशत है)	निम्नलिखित तारीख को मतदाता फोटो पहचान पत्रों की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	50,898,945	32,568,406	63.99	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	638,718	373,452	58.47	—
3.	असम*	14,426,221	67,479	0.47	—
4.	बिहार	45,453,577	17,092,234	37.60	07.12.02
5.	गोवा	925,555	613,859	66.32	14.05.02

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	32,475,212	23,177,051	71.37	30.09.02
7.	हरियाणा@	12,247,273	10,547,925	86.12	14.01.03
8.	हिमाचल प्रदेश@	4,058,165	2,371,525	58.44	14.01.03
9.	जम्मू-कश्मीर	6,163,274	2251824	36.54	15.02.03
10.	कर्नाटक	37,231,412	33,388,007	89.68	—
11.	केरल	22,359,631	18,344,689	82.04	—
12.	मध्य प्रदेश	35,244,850	21,855,970	62.01	30.06.02
13.	महाराष्ट्र	61,468,890	44,455,999	72.32	—
14.	मणिपुर@	1,503,402	1,033,733	68.76	31.01.03
15.	मेघालय@	1,280,904	1,031,057	80.49	06.01.03
16.	मिजोरम**	505,587	29592	5.85	21.02.03
17.	नागालैण्ड	1,006,549	625,996	62.19	—
18.	उड़ीसा	24,925,892	20,790,601	83.41	10.08.02
19.	पंजाब	15,817,105	11,963,814	75.64	31.08.02
20.	राजस्थान	33,979,199	23,804,513	70.06	29.10.02
21.	सिक्किम	259,993	200,077	76.95	21.09.02
22.	तमिलनाडु	49,327,491	31,662,414	64.19	—
23.	त्रिपुरा	1,880,746	1,289,913	68.59	14.10.02
24.	उत्तर प्रदेश	99,685,000	62,830,538	63.03	15.06.02
25.	पश्चिमी बंगाल	45,838,289	42,902,967	93.60	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	228,763	195,072	85.27	—
27.	चंडीगढ़@	503,930	263,863	52.36	17.02.03
28.	दादरा और नागर हवेली	118,415	87,922	74.25	31.01.03
29.	दमण और दीव	77,146	45,645	59.17	—
30.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	8,176,002	5,658,863	69.21	14.01.03
31.	लक्षद्वीप	36,847	31,813	86.34	—
32.	पांडिचेरी@	614,823	611,479	99.46	06.01.03
33.	छत्तीसगढ़@	13,271,510	5,917,329	44.59	22.02.03
34.	झारखण्ड	14,692,513	4,673,190	31.81	17.02.03
35.	उत्तरांचल@	5,568,898	2,530,981	45.45	06.01.03
	भारत का योग	642,890,727	425,289,792	66.15	

**मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम 17.10.2002 से आरंभ किया गया है।

* असम में मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने का कार्यक्रम अभी नहीं चल रहा है क्योंकि वहां पर अवैध अप्रवास और नागरिकता के मुद्दों की बाबत विवाद है।

@ 1.1.2003 को मतदाताओं संबंधी आंकड़े।

विवरण II

ऐसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची, जहां आयोग द्वारा अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2002 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावलियों का गहन प्रकृति का विशेष पुनरीक्षण किया गया है

1. आंध्र प्रदेश
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. कर्नाटक
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. उड़ीसा
10. राजस्थान
11. सिक्किम
12. तमिलनाडु
13. पश्चिम बंगाल
14. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
15. चंडीगढ़
16. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र
17. दादरा और नागर हवेली
18. दमण और दीव
19. लक्षद्वीप
20. पांडिचेरी

ऐसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची, जहां आयोग द्वारा अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2003 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावलियों का गहन प्रकृति के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया गया है

1. बिहार
2. झारखण्ड
3. छत्तीसगढ़
4. मध्य प्रदेश
5. पंजाब
6. उत्तर प्रदेश
7. उत्तरांचल।

66

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 हेतु विशेष न्यायालय

2462. श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकृत, न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वे राज्य जहां इस अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनन्य विशेष न्यायालय गठित करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां बहुत ज्यादा मामले लंबित हैं; और

(घ) इन राज्यों द्वारा अब तक गठित अनन्य विशेष न्यायालयों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय

66-67

2463. श्री अबुल हसनत खां:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में संवर्ग-वार श्रम शक्ति की कोई योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) की शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में संवर्ग वार श्रम शक्ति आयोजना को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड को आवश्यकतानुसार शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ को तैनात/पुन: तैनात करने की लचीली शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी] 67-68

इस्पात के तार का निर्यात

2464. योगी आदित्यनाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से इस्पात (लोहे) के तारों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के तारों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जहां इसका निर्यात किया गया था;

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार इस्पात के तार निर्यात करने वाली इकाइयों के लिए निर्यात कर पर राजसहायता देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) भारतीय इस्पात (लोहे) के तार के निर्यात बाजार में अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बंगलादेश, चीनी ताईपेई, चीन जनवादी गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इटली, जापान, उत्तर कोरिया, मलेशिया, सउदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाइलैंड, यूएई, यूके और यूएसए आदि शामिल हैं। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आईपीसी कोड 7217, 7223, 7229, 7312 और 7313 के अंतर्गत आने वाले इस्पात (लोहे) के तार का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार रहा है:-

1999-2000		2000-2001		2001-2002	
मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
94822	321.78	114605	431.14	115385	399.14

(स्रोत: इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद)

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 68

धान की खरीद

2465. श्री ए.सी. जोस: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसानों से धान और गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितनी मात्रा में चावल और धान की खरीद की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने कई बाधाओं और सीमाओं के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धान की वसूली शुरू करना व्यवहार्य नहीं पाया है। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह प्रशासन से विकेंद्रीकृत वसूली योजना के अधीन धान/चावल की वसूली करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए लिए कहा गया है, जिसके अधीन केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी] 69-70

छत्तीसगढ़ में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2466. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ में विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दाता	करार की तारीख	ऋण की मुद्रा	ऋण राशि	संवितरण की समापन तारीख	31.1.03 तक संचयी वितरण
1.	छत्तीसगढ़ रेशम कीटपालन	जापान	12.12.1997	जापानी येन	2212.00	5.2.2005	618.54
2.	झारखण्ड-छत्तीसगढ़ जयजातीय विकास	आईएफएडी	25.06.1999	एक्सडीआर	16.95	31.12.2009	0.79
3.	जल-विज्ञान परियोजना	आईडीए	22.9.1995	एक्सडीआर	75.10	31.12.2003	61.97
4.	एकीकृत पशुधन विकास	डेनमार्क	5.12.1996	डीकेके	28.30	31.3.2003	8.31

प्रयुक्त संक्षेपाक्षर:

आईएफएडी: अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि
आईडीए: अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
जे.येन: जापानी येन
एक्सडीआर: विशेष आहरण अधिकार
डीके: डेनिश क्रोनर

टिप्पणी: क्रम संख्या 2 तथा 3 पर दर्शाई गई परियोजनाएं बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं, जिनके भागीदार राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। दर्शाए गए आंकड़े सभी भागीदार राज्यों के आंकड़ों को एक साथ मिलाकर दिए गए हैं।

[अनुवाद] 69 - 70

एम.एफ.एन. देशों द्वारा अनुचित व्यापार

2467. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें अत्यधिक तरजीह वाले राष्ट्रों (एम.एफ.एन.) का दर्जा दिया गया है;

(ख) सरकार के पास अत्यधिक तरजीह वाले राष्ट्रों द्वारा भारत को वस्तुओं का निर्यात करने में अनुचित व्यापार के मामले में क्या उपचारात्मक उपाय उपलब्ध हैं;

(ग) क्या अत्यधिक तरजीह वाले राष्ट्रों द्वारा किए गए किसी अनुचित व्यापार का अब तक पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) भारत आमतौर पर अपने सभी व्यापारिक भागीदारों को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान करता रहा है। उन मामलों में, जहां अधिमानी व्यापार व्यवस्थाएं मौजूद हैं, ऐसी अधिमानी व्यवस्थाओं के आधार पर रियायतें भी दी जाती हैं।

भारत को माल के निर्यात के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे निर्यातकों द्वारा पाटन अथवा निर्यातक सरकारों द्वारा अनुचित सब्सिडियां देने के मामले में व्यापार निवारक उपाय हैं जो हमारे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध हैं जिन्हें लागू किया जाता है। यथोचित जांच-पड़ताल के पश्चात लागू किए जाने वाले इन व्यापार निवारक उपायों से संबंधित ब्यौरे समय-समय पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।

70-71

विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987

2468. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार, पीठ और केन्द्र सरकार के बीच विवादों को निपटाने के लिए वैकल्पिक मंचों की स्थापना के मामले में विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन पर एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या अब अतिव्यापी अधिकारिता सहित समानांतर न्यायालयों के रूप में मंचों के गठन से कथित रूप से वर्तमान न्यायिक ढांचे की विश्वसनीयता में कमी आएगी और इससे वर्तमान न्यायिक ढांचे में बिखराव उत्पन्न होगा;

(ग) क्या किसी सर्वमान्य फार्मूले पर पहुंचने के लिए कोई ऐसी बैठक आयोजित की गई या किए जाने का प्रस्ताव है ताकि लोगों को शीघ्र एवं आसान न्याय प्रदान किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में हाल ही में किए गए संशोधनों पर कोई बैठक आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं। अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालतें कानूनों के अधीन उपलब्ध कराए गए विभिन्न मंचों के अतिरिक्त हैं न कि उनके अल्पीकरण में। उनका आशय समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्राप्त करने के लिए कम खर्चीला, तीव्र और दक्ष तंत्र उपलब्ध कराना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

2469. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेट के माध्यम से होने वाले 'ई कामर्स' लेन-देन को शामिल करने और विदेशों में रह रहे विक्रेताओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं को अधिकार संपन्न करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त संशोधन को क्रियान्वित करने हेतु क्या तंत्र अपनाए गए हैं; और

(घ) इस अधिनियम में ये संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में आगे और संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों का विकास

2470. श्री मानसिंह पटेल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता की मांग करते हुए गुजरात सरकार से वर्तमान वर्ष में प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान

(2) आदिम जनजातीय समूहों का विकास

(3) अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावास

(4) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

(5) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

(6) अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(7) कोचिंग एवं सम्बद्ध

(8) अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान तथा पुस्तक बैंक की योजना के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और राज्य सरकार को क्रमश: 2250 लाख रुपए और 10.25 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

आदिम जनजातीय समूह कोरवालिया के विकास के लिए गुजरात से प्राप्त 444.20 लाख रुपए के प्रस्ताव को चयन समिति के समक्ष रखा जाना है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिनकी राज्य सरकार से प्रतीक्षा है। अन्य प्रस्तावों की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को अवकाश लाभ

2471. डा. रामचन्द्र डोम: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रायोजित बैंकों में उपलब्ध मातृत्व और अन्य विशेष अवकाशों की सुविधा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को भी समान रूप से दी है और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट द्वारा दी गई अनुमति के अनुरूप अवकाश लाभों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रसूति एवं अन्य विशेष छुट्टियों के संबंध में प्रायोजक बैंक के साथ समानता प्रदान नहीं की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रसूति एवं अन्य छुट्टियों का लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी सेवा विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड को केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रायोजक बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात अपने कर्मचारियों के संबंध में विनियम बनाना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी सेवा विनियमों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को स्वीकार्य छुट्टियों में प्रसूति छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, विशेषाधिकार छुट्टी, बीमारी की छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी शामिल है। राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एनआईटी) के अधिनिर्णय द्वारा प्रायोजक बैंकों के साथ केवल वेतन एवं भत्तों के संबंध में समानता प्रदान की गई थी, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को पहले ही प्रदान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

महिलाओं को नाबार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सहायता

2472. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाबार्ड द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली निर्धन महिलाओं को राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान महिलाओं को दी गई सहायता का कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह कृषि एवं कृषीतर क्रियाकलापों, जिनमें लिंग भेद नहीं किया जाता, के लिए अपने आगे उधार देने के संबंध में बैंकों को अनुमोदित प्रयोजनों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं देता है। तथापि, महिलाओं के विकास के लिए उनके पास अनन्य संवर्धनात्मक योजनाएं हैं। कृषीतर विकास में ग्रामीण महिलाओं को सहायता (अरविन्द) तथा ग्रामीण महिलाओं को कृषीतर उत्पादों के विपणन के तहत सहायता (महिमा) के अंतर्गत दी गई सहायता के राज्य-वार ब्यौरे शामिल किये गये जिलों को दर्शाते हुए संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों में महिला विकास प्रकोष्ठ (डब्ल्यू डी सी) स्थापित करने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त ऐसे 97 प्रकोष्ठों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्व-सहायता समूह कार्यक्रम के तहत लगभग 4,15,330 महिला स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनसे लगभग 70,60,613 महिलाओं को लाभ मिला है।

विवरण I

कृषितर विकास में ग्रामीण महिलाओं को सहायता (अरविन्द) योजना के तहत नाबार्ड द्वारा दी गई सहायता के राज्य-वार ब्यौरे (31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल जिलों की संख्या	शामिल की गई महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	175
2.	असम	1	150
3.	बिहार	1	30
4.	छत्तीसगढ़	3	273
5.	गोवा	1	30

1	2	3	4
6.	गुजरात	8	1715
7.	हरियाणा	1	20
8.	हिमाचल प्रदेश	6	515
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	220
10.	कर्नाटक	5	3285
11.	केरल	6	581
12.	मध्य प्रदेश	1	30
13.	महाराष्ट्र	3	215
14.	उड़ीसा	12	689
15.	पंजाब	1	50
16.	राजस्थान	1	170
17.	तमिलनाडु	2	450
18.	त्रिपुरा	4	210
19.	उत्तर प्रदेश	6	500
20.	उत्तरांचल	2	110
21.	पश्चिम बंगाल	2	320
	कुल	75	9738

विवरण II

ग्रामीण महिलाओं के कृषितर उत्पादों के विपणन (महिमा) योजना के तहत नाबार्ड द्वारा दी गई सहायता के राज्य-वार ब्यौरे (31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए जिलों की संख्या	शामिल की गई महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	50
2.	दिल्ली	—	20
3.	गुजरात	5	350
4.	कर्नाटक	5	1130
5.	केरल	1	400
6.	मध्य प्रदेश	1	50
7.	महाराष्ट्र	4	372
8.	राजस्थान	4	232
9.	उत्तरांचल	10	2000
	कुल	25	4604

विवरण III

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में महिला विकास प्रकोष्ठों के तहत नाबार्ड द्वारा दी गई सहायता के राज्य-वार ब्यौरे (31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए जिलों की संख्या	शामिल की गई महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	315237
2.	असम	13	2029
3.	छत्तीसगढ़	5	21121
4.	गुजरात	2	2515
5.	हरियाणा	6	13559
6.	हिमाचल प्रदेश	6	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	8	12090
8.	झारखंड	6	7205
9.	कर्नाटक	16	52844
10.	केरल	6	623478
11.	मध्य प्रदेश	11	5235
12.	महाराष्ट्र	16	52844
13.	उड़ीसा	19	49783
14.	पंजाब	5	8123
15.	राजस्थान	4	—
16.	तमिलनाडु	10	372338
17.	उत्तर प्रदेश	17	46891
18.	पश्चिम बंगाल	10	33310
	कुल	175	18,73,659

77

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2473. डा. बलिराम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ऐसे पदों की संख्या कितनी है जिनके लिए अब तक कार्रवाई नहीं शुरू की गई है;

(ग) इन पदों की शीघ्र नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रिक्त इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 31 जनवरी, 2003 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के चौबीस पद रिक्त थे।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ की जाती है। तथापि, सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों को, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल भी हैं, विद्यमान तथा अगले छह मास में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव चलाने का अनुरोध करती रही है। उन्हें अंतिम बार तारीख 28 अक्तूबर, 2002 को स्मरण कराया गया था।

[अनुवाद]

77-78

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण दिया जाना

2474. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामी बैंकों के मामले में मूल मार्ग-निर्देशों में छूट दी गई है और हाल ही में उन्हें व्यवहार्यता के नाम पर गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में भारी निवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण देने के अधिकार के संबंध में इस समय क्या मार्गनिर्देश लागू हैं; और

(ग) इस समय वणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के कार्यकरण में क्या अंतर है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में छोटे और सीमांतिक किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों तथा लघु उद्यमियों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तथापि, यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, जिसके लिए उनकी स्थापना की गई है, उन लक्ष्यों को पूरा करना है, तो उनकी परिचालनों की सतत् अर्थक्षमता आवश्यक है। तदनुसार, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन की अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दरों का अविनियमन तथा सेवाओं के दायरे और संभावनाओं का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी प्राथमिकता क्षेत्र उधारकर्ताओं को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम, उनके बकाया अग्रिमों का 40 प्रतिशत होना चाहिए जैसाकि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में है। 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर समाज के कमजोर वर्गों को मंजूर अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (कुल बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत) से कम नहीं होना चाहिए। अपने निवेश पोर्टफोलियो को व्यापक आधार वाला बनाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर लागू एक्सपोजर मानदंडों के अनुपालन के अध्यधीन निवेश अवसरों के चयन के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष रखा है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाना है। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मुख्य रूप से उधारकर्ताओं को संस्थागत ऋण प्रदान करने की अपनी बाध्यता को पूरा करना जारी रखा है।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के बीच कार्य में अधिक अंतर नहीं है। अपवाद यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की तुलना में वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं का व्यापक रेंज प्रदान करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अधिसूचित क्षेत्र अर्थात, मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में ही परिचालन करने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

78-79

मध्य प्रदेश में कुटुम्ब न्यायालय

2475. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुटुम्ब न्यायालय गठित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में कुछ कुटुम्ब न्यायालयों में सदस्यों के लिए पदों का सृजन लंबित है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा व्यवस्थित कार्यकरण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी नहीं।

भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर, सागर, उज्जैन और ग्वालियर में सात कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

79-81

वस्त्र पैकेज

2476. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के त्वरित विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित "वस्त्र पैकेज" के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऊन क्षेत्र के विकास की भविष्य में संभावनाएं क्या हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए बनाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऊन क्षेत्र में कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) वर्ष 2004 के अंत तक विश्व वस्त्र और क्लोदिंग बाजारों के एकीकरण सहित बदलते हुए वैश्विक पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत नयी चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के एक मजबूत और गतिशील वस्त्र उद्योग, जो विश्व बाजार में बढ़ते हुए भाग के लिए स्वीकार्य कीमतों पर अच्छी कोटि के कपड़े का उत्पादन करने और अन्य वस्त्र उत्पादक देशों से विश्वास के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो, को विकसित करने के लिए नवंबर 2000 में राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 की घोषणा की है। राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के त्वरित विकास के लिए घोषित वस्त्र पैकेज के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(1) लघु उद्योग से बुने हुए सिले-सिलाये परिधान को अनारक्षित करना।

(2) तीन लगातार बजटों में घोषणा जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र में शुल्क ढांचे को और अधिक तर्कसंगत बनाना तथा प्रौद्योगिक उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल और मशीनरी की लागत कम करना।

(3) महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों पर ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना और वस्त्र केन्द्र ढांचागत विकास योजना शुरू करना।

(4) प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना और कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संग्रठित प्रयास।

(5) कुछ अपवाद के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति देना।

(6) बुनकर सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के भाग के रूप में कार्यक्रम शुरू करना।

(ख) से (घ) देश में ऊन तथा ऊनी वस्त्रों के विकास और भावी संभावनाओं के लिए रणनीति के संघटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. स्वदेशी ऊनी उत्पादन में वृद्धि और इसकी गुणवत्ता में सुधार;
2. बेहतर ऊनी उत्पाद हेतु अनुसंधान का संवर्द्धन करना ताकि उच्चतर मूल्य की प्राप्ति हो सके; और
3. गुणवत्ता और विपणन क्षमता में सुधार कर ऊन तथा ऊनी वस्त्रों के निर्यात का संवर्द्धन।

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, ऊन की गुणवत्ता और उपज में सुधार; ऊन का अत्युत्तम प्रसंस्करण, पश्मीना और अंगोरा जैसे विशिष्ट फाईबरों का विपणन और विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के माध्यम से देश में ऊन व ऊनी वस्त्रों के विकास हेतु कार्यक्रम

संचालित करता है। उत्पादों में सुधार हेतु अनुसंधान परियोजनाओं को भी ऊन अनुसंधान संघ द्वारा शुरू किया जाता है। 10वीं योजना अवधि के दौरान, 40 करोड़ रु. का आवंटन सरकार द्वारा ऊनी क्षेत्र के लिए किया गया है। 10वीं योजना द्वारा प्रस्तावित निवेश का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण

2477. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश को दिए गए ऋण पर अपनी गारंटी दी है;

(ख) यदि हो, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से कितनी ऋण राशि मांगी गई; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) चूंकि आंध्र प्रदेश तथा वास्तव में अन्य सभी राज्यों की परियोजनाओं के लिए भी गत वर्ष विश्व बैंक से लिए गए ऋण भारत सरकार द्वारा लिए गए थे तथा भारत सरकार द्वारा ही आगे आंध्र प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए थे, इसलिए इन ऋणों के लिए गारंटी देने की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही कोई कारण।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आंध्र प्रदेश द्वारा ऐसे किसी ऋण की मांग नहीं की गई थी जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जानी थी।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में करबीस जाति को शामिल किया जाना

2478. डा. जयन्त रंगपी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम के स्वायत्त जिला क्षेत्र से बाहर रह रहे करबीस, दिमासास और गारोस जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए असम से सिफारिशें प्राप्त हुई थीं;

(ख) क्या यह सही है कि पिछले सत्र में एक संशोधन अधिनियम पारित किए जाने के दौरान अनुसूचित जनजातियों की सूची में केवल गारो और दिमासास जातियों को ही शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो करबीस को इसमें न शामिल किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अब सरकार का विचार करबीस जाति को इसमें शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ङ) असम सरकार ने सिफारिश की थी कि स्वायत्त जिलों के बाहर रहने वाले करबी, दीमासा और गारो समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। ऐसे दावों के निर्णय के लिए अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार दीमासा और गारो समुदाय सूची में शामिल होने के लिए पात्र बन गए हैं। तदनुसार, इन्हें सूची में शामिल कर लिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करबी समुदाय को अब तक अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस चरम में कोई समय सीमा बताई नहीं जी सकती क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ परामर्श शामिल है।

केन्द्रीय आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो

2479. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया गया है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्यूरो द्वारा अपनी शुरूआत से अब तक कितने आर्थिक अपराधों की जांच की गई; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्गी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो का गठन जुलाई, 1985 में किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों की जांच-पड़ताल तथा आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के आसूचना एकत्र करने से संबंधित क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना है। ब्यूरो, राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

(ग) और (घ) एक आसूचना संगठन होने के कारण, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो सामन्यतया आर्थिक अपराधों की जांच-पड़ताल नहीं करता है लेकिन आर्थिक अपराधों से संबंधित आसूचना की छानबीन करता है और इसे, संबंधित एजेंसियों को जांच-पड़ताल हेतु भेजता है।

विधि महाविद्यालय

2480. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विश्वविद्यालयों के राज्य-वार नाम क्या हैं जो अपने सायंकालीन विधि महाविद्यालयों को बंद करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) ऐसे महाविद्यालयों के नाम और स्थान क्या हैं जिन्हें वर्ष 2000 और 2001 के दौरान बंद कर दिया गया;

(ग) उन महाविद्यालयों के नाम और स्थान क्या हैं जिन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष में बंद किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा सायंकालीन विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए किए गए वैकल्पिक प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जैसा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा सूचित किया गया है, संध्याकालीन विधि महाविद्यालयों के छात्रों को दिवापाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों की वित्तीय स्थिति

2481. **श्री जय प्रकाश:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जनवरी, 2003 के 'दैनिक जागरण' में "आर्थिक उदारीकरण से 'बीमारू' राज्यों की स्थिति और बिगड़ी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न एसोचैम द्वारा निर्गमित "इकानामिक लिबरलाइजेशन फेल्स टू इम्पैक्ट 'बिमारू' स्टेट्स" नामक एक अध्ययन पर आधारित समाचार शीर्षक को आलोकित करता है। एसोचैम के अनुसार, इस अध्ययन का विश्लेषण केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित था। इस समाचार-पत्र ने 1991-92 की तुलना में 1999-00 के दौरान कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत औद्योगिक एककों में आये परिवर्तनों का विश्लेषण किया है।

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मामले में 1999-00 के दौरान औद्योगिक एककों की संख्या में दर्शाई गई तीव्र गिरावट मुख्यत: इस तथ्य के कारण आई है कि उक्त अखबार 1999-00 के दौरान झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल में पंजीकृत औद्योगिक एककों की संख्या को ध्यान में नहीं रख पाया है जो क्रमश: इन राज्यों के विभाजन पूर्व उनके भाग थे। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 1999-00 के आधार पर सीएसओ द्वारा जारी किये सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार और झारखंड के उद्योगों का संयुक्त जोड़ 2996 है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 3335 है और उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल का 10,918 है। औद्योगिक एककों का प्रतिशत में परिवर्तन उतना नहीं है जितना अखबार में बताया गया है। इसके अलावा, औद्योगिक एककों की संख्या मात्र में आये परिवर्तन के आधार पर आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव का अनुमान लगाना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात

2482. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान किए गए वास्तविक वस्त्र निर्यात की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए वस्त्र निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नई रणनीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र और

पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-02) में 10,715.0 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के वास्तविक निर्यात की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्ष (2006-07) में 31.87 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात लक्ष्य की परिकल्पना की है।

(ख) से (घ) सरकार निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में उद्योग को सक्षम बनाने के लिए अनेक उपाय करती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अपैरल के डिजाइन के क्षेत्र में, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवाने के लिए पारि-अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रचर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

केरल में "नोटरी पब्लिक" 86

2483. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल ने राज्य में नोटरी पब्लिक की संख्या बढ़ाकर 1000 करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) केरल से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई थी और चूंकि, देशभर में एकरूपता लाने के प्रयोजन क लिए अभी हाल ही में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में नोटेरियों की संख्या के संबंध में कोटा नियत किया गया है, अत: उसे पुनरीक्षित करना उचित नहीं समझा गया है।

राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदन 86-87

2484. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की ओर से केन्द्र सरकार पर उनकी बकाया धनराशि में से की जाने वाली कटौती को रोकने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में उल्लिखित मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) अगर कोई राज्य पिछले वर्षों के योजना व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध करवाने में असमर्थ होता है तो उस राज्य को वर्तमान वर्ष में देय सामान्य केन्द्रीय सहायता में से 1 प्रतिशत टोकन राशि को रोक दिया जाता है।

(ग) चूंकि यह सभी राज्यों के लिए लागू आम नीति है, इसलिए असम के मामले में कोई अपवाद नहीं किया जा सकता है।

उपभोक्ता न्यायालय

2485. **श्री अनंत गुढे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश के उन ग्रामीण क्षेत्रों, जहां ये न्यायालय नहीं हैं, में अधिकाधिक उपभोक्ता न्यायालयों की राज्य-वार स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। उन्हें जहां न्याय-संगत हो, एक जिले में एक से अधिक जिला मंच स्थापित करने की भी शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला मंच की अवस्थिति का निर्णय लेती हैं।

मांस के निर्यात पर प्रतिबंध

2486. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांस के निर्यात से अवैध पशुवध और संदूषण को बढ़ावा मिलता है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है।

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों के अनेक वर्ग और एनीमल राइट्स इंटरनेशनल जैसे अनेक संगठन मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभ्यावेदन देते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में महाराजा कुमारपाल जीवोदय ट्रस्ट, चैन्नई, जैन सोशल ग्रुप, अकोला, महाराष्ट्र और एनीमल राइट्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली जैसे संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार गोमांस का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, भैंसे, भेड और बकरे के मांस का निर्यात मुक्त है।

वस्त्र कोटा होड़

2487. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 250 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के वस्त्र खेपों को कोटा होड़ के कारण यूरोपीय पत्तनों में रोक पर रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, 4.30 करोड़ रु. (अनुमानत): कीमत की लगभग 21.2 लाख कमीज और पुलोवर की खेप भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय वस्त्र करार के तहत वर्ष 2002 में निर्धारित कोटा सीमा से अधिक लदान के कारण यूरोपीय पत्तन पर रुकी हुई है।

(ग) सरकार ने शीघ्र ही रुकी हुई खेपों के क्लियरेंस के लिये विशेष छूट देने का निवेदन करते हुए यूरोपीय संघ से सम्पर्क किया है। यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

बहुस्तरीय विपणन

2488. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत में बहुस्तरीय विपणन/द्विआधारी प्रणाली की शिकायतों/रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली में कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रणाली को विधिपरक बनाने और विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों की इकाईयों को सहायता

2489. श्रीमती कांति सिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक बिहार की रुग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को उनके पुनरुद्धार हेतु वित्तीय सहायता दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन औद्योगिक इकाईयों को बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। शुरूआती अवस्था में रुग्णता का पता लगाने तथा संभावित रूप से अर्थक्षम के रूप में पहचाने गए रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास हेतु उपचारी उपाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2002 में बैंकों को व्यापक संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। बैंक को शुरूआत में ही रुग्णता का पता लगाने और कार्रवाई हेतु सक्षम बनाने के लिए किसी लघु उद्योग को रुग्ण मानने संबंधी मानदंडों को संशोधित किया गया है। एकक को पुनरुज्जीवित करने के लिए सुधारात्मक संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार एककों को संभावित रूप से अर्थक्षम घोषित किए जाने के छः महीने के भीतर पुनर्वास पैकेज को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले में गुणदोषों पर निर्भर करते हुए संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनरुज्जीवन के लिए राहत/रियायत की मंजूरी के लिए व्यापक पैरामीटर भी निर्धारित किए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान बिहार राज्य में रुग्ण औद्योगिक एककों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मार्च को समाप्त वर्ष	कुल रुग्ण एकक		संभावित रूप से अर्थक्षम		अर्थक्षम एककों में से एकक जिन्हें पोषण कार्यक्रम के अधीन रखा	
	एककों की सं.	बकाया राशि	एककों की सं.	बकाया राशि	एककों की सं.	बकाया राशि
2000*	26906	167.44	185	11.53	40	6.74
2001*	16423	125.98	120	12.47	19	3.32
2002	15181	100.48	29	4.29	7	0.91

*झारखंड राज्य से संबंधित आंकड़ों सहित।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

2490. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनुदानों, सहायता और ऋण के लिए अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और केन्द्र सरकार की संरचनात्मक समायोजन ऋण के विशेष संदर्भ में इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रेषित संरचनात्मक समायोजन ऋण संबंधी प्रस्ताव विश्व बैंक को अग्रेषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से राज्य की नकदी समस्या को ध्यान में रखते हुए बाजार से ऋण उगाही के साथ सहायता हेतु अनुरोध किया है। राज्य की नकदी समस्या के मद्देनजर भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य की व्यवहार्य हकदारियों को अग्रिम रूप से जारी कर उनकी मदद करती रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने संरचनात्मक समायोजन ऋण के लिए एक प्राथमिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य इस प्रकार के संरचनात्मक समायोजन ऋण के पात्र नहीं हैं।

[हिन्दी]

बिहार को विदेशी सहायता

2491. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने विदेशी सहायता के मामले में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राज्य सरकार ने विदेशी सहायता की मांग की है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के पास विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति इस प्रकार है:

1. *पटना में जल आपूर्ति प्रणाली/मल निकाली तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रणाली का संवर्धन/सुधार:* शहरी विकास मंत्रालय ने जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) से एफवाई 2003 ऋण पैकेज के तहत सहायता प्राप्ति के लिए परियोजना (1669.89 करोड़ रु. की लागत) प्रस्तुत करने की सिफारिश की है।

2. *पटना तथा दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पतालों में तीन एमआरआई मशीनों का संस्थापन:* इस प्रस्ताव की सिफारिश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा तदनुसार, जून, 2002 में जर्मन सहायता हेतु इसे प्रस्तुत किया गया था। परन्तु, जर्मनी ने सहायता हेतु इसे स्वीकार नहीं किया है।

[अनुवाद]

91-93

आईसीआईसीआई सेफ्टी बांड

2492. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान आईसीआईसीआई द्वारा कितने सेफ्टी बांड जारी किए गए;

(ख) इन बांडों में वेतनभोगी वर्ग द्वारा अनुमानित कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ग) क्या आईसीआईसीआई ने पिछले दो वर्षों में बांड धारकों को ब्याज का भुगतान किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा और संख्या वर्ष-वार क्या है;

(च) निपटान हेतु इस समय कितनी शिकायतें अभी लंबित हैं और इन शिकायतों के लंबित होने के क्या कारण हैं;

(छ) आईसीआईसीआई द्वारा बांड धारकों को ब्याज का भुगतान करने में क्या तरीका अपनाया जा रहा है; और

(ज) आईसीआईसीआई द्वारा बांडों पर ब्याज का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए सुरक्षा बांडों की संख्या और किया गया निवेश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

2000-01		2001-02		2002-03	
निर्गमों की सं.	निवेश	निर्गमों की सं.	निवेश	निर्गमों की सं.*	निवेश
7	2570	9	3271	2 जनवरी 2003 और फरवरी 2003 के दौरान	**

**दिनांक 4 मार्च, 2003 को अंशदान के लिए बंद हुए फरवरी के निर्गम का ब्यौरा अभी एकत्र किया जाना है।

*विलय के बाद आईसीआईसीआई बैंक लि. द्वारा जारी।

उपर्युक्त निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत जारी किए गए कर बचत बांडों में किए गए थे, जिसका अभिदान मुख्य रूप से अधिकांशत: वेतनभोगी वर्ग से संबंधित व्यक्तिगत निवेशकों का अलग से रिकार्ड नहीं रखते हैं।

(ग) आईसीआईसीआई ने निर्धारित अवधि पर अपने सभी बांडों पर ब्याज का भुगतान किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों और लंबित शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	शिकायतें	
	प्राप्त	लंबित
2000-01	49293	1212
2001-02	66894	1107
2002-03	52493	734

आईसीआईसीआई बैंक ने सूचित किया है कि वे शिकायतें प्राप्त होने के 10 दिन के अन्तर उसका समाधान करते हैं। पूर्वोक्त लंबित शिकायतें, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आस-पास प्राप्त होने की वजह से उनके समाधान की प्रक्रिया चल रही है।

(छ) 2500 रुपए से अधिक की रकम के समस्त ब्याज का भुगतान पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है। जहां कहीं, निवेशकों द्वारा आईसीआईसीआई बैंक खाते के ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं, वहां ब्याज की रकम उनके खाते में इलेक्ट्रानिक अंतरण के रूप में अदा/जमा की जाती है।

(ज) आईसीआईसीआई अपने सभी बांडों पर, यथा लागू, पूर्व निर्दिष्ट अवधियों पर ब्याज का भुगतान करता रहा है और उसने अपने भुगतान/वापसी अदायगी की बाध्यताओं में कभी भी चूक नहीं की है। 93

राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान

2493. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो संस्थान की स्थापना कब तक की जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस चरण पर कोई समय-सीमा बताई नहीं जा सकती।

अधिनियमों की अधिसूचना 93-94

2494. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद द्वारा पारित अधिनियम सरकार द्वारा अब तक अधिसूचित न करने के बारे में कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अधिनियमों का बिना विलम्ब अधिसूचित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) अद्यतन जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

चीन को 30 मिलियन डालर का ऋण 94

2495. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन अपनी विशाल अर्थव्यवस्था के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को चुनौती दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीन की चुनौती का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि एक्जिम बैंक ने चीन के लिए तीस मिलियन डालर के ऋण की मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एक्जिम बैंक द्वारा किन अन्य देशों को ऋण का प्रस्ताव किया गया है और इस ऋण की सीमा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक्जिम बैंक आफ इंडिया ने चीन को भारत से किए जाने वाले निर्यातों के वित्तपोषण के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर (50 मिलियन अमरीकी डालर नहीं) की एक ऋण श्रृंखला प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) यह ऋण श्रृंखला इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक आफ चायना (आईसीबीसी) को भी प्रदान की गई है। इस ऋण में संविदा मूल्य का 90 प्रतिशत शामिल किया जाएगा। इस ऋण श्रृंखला के अधीन एक्जिम बैंक आफ इंडिया और उधारकर्ता के बीच तय की गई किसी भी मद का भारत से चीन को निर्यात किया जा सकता है। आईसीबीसी के साथ ऋण समझौते पर बातचीत चल रही है।

(ङ) एक्जिम बैंक आफ इंडिया की इस समय परिचालित ऋण श्रृंखला की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एक्जिम बैंक आफ इंडिया की परिचालित ऋण श्रृंखला की सूची

(1 मार्च, 2003 की यथा स्थिति)

क्र.सं.	उधारकर्ता	ऋण की राशि
1	2	3
1.	पूर्वी अफ्रीकी विकास बैंक (कीनिया, तंजानिया और युगांडा सहित)	5 मिलियन अमरीकी डालर
2.	आफशोर डेवलेपमेंट कंपनी (पीटीवाई) नामीबिया	20 करोड़ रुपए
3.	बैंक इंटरनेशनल अरेबे-दे टुनिशी, ट्यूनीशिया	5 मिलियन अमरीकी डालर
4.	कोरिया विकास बैंक, दक्षिण कोरिया	20 मिलियन अमरीकी डालर
5.	कारपोरेशन एनदिना दे फोमेन्टो (एनदियन डेवलेपमेंट कारपोरेशन (बोलीविया कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरू और वेनेजुएला सहित)	10 मिलियन अमरीकी डालर
6.	पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका व्यापार और विकास बैंक (पीटीए बैंक)	5 मिलियन अमरीकी डालर
7.	(पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र के 16 देशों सहित)	10 मिलियन अमरीकी डालर
8.	बानको नेशनल दे कोमेर्शियो एक्सटेरियर एस.एन.सी. (बैंकोमेक्सट, मेक्सिको)	10 मिलियन अमरीकी डालर
9.	सेन्ट्रल अमरीकी बैंक फार इकोनोमिक इंगटरेशन (होन्दुरास निकारागुआ, गुएटेमाला, ईआई सेल्वाडोर और कोस्टा रिका सहित)	10 मिलियन अमरीकी डालर
10.	नेशंकोनामबैंक, रूस	10 मिलियन अमरीकी डालर
11.	बैंक मर्कांजी जम्हिरी इस्लामी ईरान, ईरान	20 मिलियन अमरीकी डालर
12.	बैंको द कमर्शिया एक्सटेरियर दे कोलम्बिया (बैंकोल्डेक्स) कोलंबिया	10 मिलियन अमरीकी डालर
13.	बैंको इंडस्ट्रियल दे वेनेजुएला, सीए (बीआईवी) वेनेजुएला	10 मिलियन अमरीकी डालर
14.	बैंकों ब्रादस्को, एस.ए. ब्राजील	10 मिलियन अमरीकी डालर
15.	बैंको कमर्शिआला रोमाना (बीसीआर), रूमानिया	10 मिलियन अमरीकी डालर
16.	नेशटोर्गबैंक (बैंक फार फारेन ट्रेड) रूसी संघ	25 मिलियन अमरीकी डालर
17.	सेशल्ल मार्केटिंग बोर्ड, सेशेल्स	5 मिलियन अमरीकी डालर
18.	ईरान (सात ईरानी वाणिज्यिक बैंक)	200 मिलियन अमरीकी डालर
19.	हार्टोन नेशनल बैंक लिमिटेड, श्रीलंका	5 मिलियन अमरीकी डालर

केन्द्र सरकार को ऋण पुनर्भुगतान समय सारिणी

2496. श्रीमती रेणूका चौधरी: 96-97
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों यथा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश ने ऋण भुगतान समय सारिणी में छूट और केन्द्र सरकार को देय ऋण देनदारी में राहत की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों ने ऋण के अधिस्थगन, ऋण के पुन: नियतन तथा ऋण पर ब्याज के भार को कम करने का अनुरोध किया है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के एक भाग के रूप में सामान्य ऋण राहत योजना की सिफारिश की है। 2001-02 में इस योजना के अनुसार 4.24 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई थी। भारत सरकार द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक ऋण राहत को चुनिन्दा रूप से पुन: शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है।

राजकोषीय सुधार परिदृश्य के अनुसार राज्यों के उधार कार्यक्रम को सुसाध्य तथा कारगर बनाने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम योजना

आयोग को सम्प्रेषित करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अधिकतम विवेकपूर्ण ऋण की सीमाएं निर्धारित करने के लिए आधार होगा। इसके बाद योजना आयोग द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक किसी और ऊर्ध्वमुखी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हाल ही में निरूपित ऋण विनिमय योजना का उद्देश्य राज्यों को वर्तमान कम कूपन वाली अल्प बचतों एवं खुले बाजार के ऋणों के साथ विगत में अनुबंधित महंगे ऋणों की पूर्व अदायगी करने में सक्षम बनाना है। वर्तमान वर्ष सितम्बर से राज्यों को देय निवल अल्प बचत ऋणों की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग विगत ऋण की पूर्व अदायगी के लिए किया जाएगा। इसी प्रयोजन हेतु इसकी प्रतिपूर्ति खुले बाजार से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेकर की जाएगी।

गन्ना किसानों को भुगतान

2497. **श्रीमती मेनका गांधी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के 95 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य के निदेश के विपरीत निजी मिल मालिक गन्ना किसानों को 69.50 रुपये के मानक न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान कर रहे हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या हस्तक्षेप किया गया है कि मिलें उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के कोई निदेश नहीं हैं।

सस्ते रासायनिक उत्पादों का पाटन

2498. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन जैसे देशों से सस्ते रासायनिक उत्पादों का पाटन देशी रासायनिक क्षेत्र के उद्योग के घटते कार्यनिष्पादन का प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में नामोदिष्ट प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाकर सस्ते आयात पर नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु पाटन-रोधी तंत्र बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) को ऐसी अनेक याचिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें चीन सहित विभिन्न देशों से देश में रासायनिक उत्पादों के पाटन का आरोप लगाया गया है। इन याचिकाओं के आधार पर डीजीएडी ने अब तक रासायनिक उत्पादों से संबंधित 69 मामलों में पाटनरोधी जांच शुरू की है। इन मामलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

ऐसे मामले जिनमें अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं	–	53
ऐसे मामले जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम प्रकाशित किए गए हैं तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है	–	7
प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए जांचाधीन मामले	–	6
शुरू किए गए किन्तु बंद किए गए मामले	–	3
कुल	–	69

पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन द्वारा उत्पन्न हुई व्यापार विकृति तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को समाप्त करके घरेलू उद्योग को राहत उपलब्ध होती है। तथापि पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से होने वाले आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की गरीबी उपशमन के अन्तर्गत धनराशि के उपयोग संबंधी रिपोर्ट

2499. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि के अनुचित उपयोग पर टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा इस संबंध कोई नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 99-100

गोविन्दराजन समिति की रिपोर्ट

2500. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेश संबंधी अनुमोदन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रक्रिया की जांच करने हेतु सरकार द्वारा गठित गोविन्दराजन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग 1 में सार्वजनिक निवेश के लिए एक संशोधित परियोजना चक्र तथा सार्वजनिक परियोजनाओं की परिकल्पना, मूल्यांकन व मूल्यांकन बाद की अवस्थाओं की अधिकाधिक व्यावसायीकरण करने की अनुशंसा की गई है। उक्त समिति ने रिपोर्ट के भाग 2 में अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न अनुमोदनों की मंजूरी एवं निरीक्षण, रिकार्ड रखने व संसूचना अपेक्षाओं को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित पद्धतियों को सरल बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर विनियामक प्रक्रियाओं की पुनः संरचना करने हेतु सिफारिश की है। उक्त सिफारिशों में अनुमोदन प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का अधिकाधिक इस्तेमाल करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की शुरूआत कर दी गयी है।

[हिन्दी] 100

भोजन का अधिकार

2501. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाल ही में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में विचार करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुरोध पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद] 100-01

फोटो पहचान-पत्र

2502. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में फोटो पहचान-पत्र जारी करने हेतु आन लाइन प्रक्रिया शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में अब तक कितने मतदाताओं को ऐसे फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) इस पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक को कितनी धनराशि जारी की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उसने फोटो पहचान-पत्र जारी करने की आन-लाइन पद्धति आरंभ कर दी है।

(ख) फरवरी, 2003 तक लगभग 3,41,13,542 (तीन करोड़ इक्तालीस लाख तेरह हजार पांच सौ बयालीस) निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं जो अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2003 के प्रतिनिर्देश से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात् तारीख 6.1.2003 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत 3,76,79,400 निर्वाचकों का 90.53 प्रतिशत है।

(ग) 18,50,00,000 रुपए (अनुमानित)।

(घ) अब तक कर्नाटक सरकार को 22,09,53,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2002-2003 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी (क्योंकि राज्य सरकार के पास वित्तीय वर्ष के आरंभ में लगभग 1,64,55,000 रुपए की अनुपयोजित राशि पहले से ही थी)।

101-02

केरल में न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा

2503. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित उस केन्द्रीय प्रायोजित योजना की स्थिति क्या है जिसे केरल राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इसमें केन्द्र की हिस्सेदारी कितनी है और वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और जारी की गई;

(ग) क्या सरकार को केन्द्र की हिस्सेदारी की दूसरी किस्त शीघ्र जारी करने हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) न्यायपालिका के संबंध में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन, जिसे वर्ष 1993-94 के दौरान आरंभ किया गया था, केरल राज्य को अभी तक 18.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य के बराबर की रकम की अंश सहित, सरकार द्वारा 64.02 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान, केरल राज्य लिये के 261.76 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। संपूर्ण राशि क्रमश: 138.38 लाख रुपए और 123.38 लाख रुपए की दो किश्तों में जारी कर दी गई है।

उड़ीसा में फर्जी कंपनियां

102-03

2504. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितनी फर्जी कंपनियों ने छोटे निवेशकों से धनराशि प्राप्त की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किस प्राधिकारी की ऐसी कंपनियों के कार्यकलापों की निगरानी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जैसाकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और कंपनी कार्य विभाग द्वारा सूचित किया गया है पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा से कोई कंपनी लुप्त कंपनी घोषित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) समन्वय और अनुवीक्षण समिति (सीएमसी) (सचिव, कंपनी कार्य विभाग और अध्यक्ष सेबी की संयुक्त अध्यक्षता में सेबी और कंपनी कार्य विभाग का संयुक्त तंत्र) लुप्त कंपनियों के लिए नीति बनाने वाला निकाय है।

लुप्त होने वाली कंपनियों के बारे में नीतियां बनाने के लिए प्रचालन स्तर पर अनुपालन की पुष्टि करने के लिए सीएमसी के अतिरिक्त कंपनी कार्य विभाग, सेबी और स्टाक एक्सचेंजों के अधिकारियों को मिलाकर सात क्षेत्रीय कृतिक दल गठित किए गए थे। इन कृतिक दलों का उद्देश्य ऐसी चूककर्ता कंपनियों की

पहचान करना और कंपनी कार्य विभाग, सेबी व स्टाक एक्सचेंजों जैसे समुचित प्राधिकरणों को संगत कानूनों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सूचित करना है।

सेबी ने लुप्त घोषित कंपनियों के बारे में सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के अन्तर्गत 93 कंपनियों और 351 निदेशकों के विरुद्ध आदेश पारित किए जिनमें उन्हें आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार से जुड़े क्रियाकलाप करने, पूंजी बाजारों से धन जुटाने और प्रतिभूतियों का व्यापार करने से निर्वर्जित किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2505. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन 2000 से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 31 दिसंबर, 2000 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में होने वाली चौदह रिक्तियों में से 11 पदों को भर दिया गया है और इस प्रकार वर्ष 2000 से तीन पद भरे जाने के लिए रिक्त हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ की जाती है। तथापि, सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों को विद्यमान तथा ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए, प्रस्ताव चलाने का अनुरोध करती रही है, जिनकी अगले 6 मास के दौरान होने की संभावना है।

[अनुवाद]

भ्रष्ट लोक सेवक (संपत्ति का समपहरण) विधेयक

2506. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने भ्रष्ट लोक सेवक (संपत्ति का समपहरण) विधेयक बनाने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) 'भ्रष्ट लोक सेवक (संपत्ति समपहरण) विधेयक' पर विधि आयोग की 166वीं रिपोर्ट, जिसमें इस विषय पर एक प्रारूप विधेयक के साथ ही इसकी मुख्य विशेषताएं भी अंतर्विष्ट हैं, तारीख 27.10.1999 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। रिपोर्ट की विधि विशेषज्ञों के परामर्श से समीक्षा की गई थी जिन्होंने अपनी यह राय व्यक्त की थी कि पृथक विधान अधिनियमित करने की बजाए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को इस प्रकार संशोधित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा जिससे कि इसे अधिक भयपरतिकारी बनाया जा सके। यह महसूस किया गया था कि भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बेहतर होगा।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना

2507. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:
प्रो. दुखा भगत:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण-जमा अनुपात राज्य-वार कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा क्षेत्र-वार कितना ऋण दिया गया;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या निर्देश जारी किए गए;

(घ) क्या बैंकों द्वारा इन निर्देशों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन नियमों का उचित रूप से पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार ऋण-जमा अनुपात विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए क्षेत्र वार ऋण संलग्न विवरण-II, III और IV में दिए गए हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके भीतर कृषि एवं कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए क्रमश: 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(घ) समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 40 प्रतिशत का समग्र प्राथमिकता क्षेत्र उधार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मार्च 2002 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को बकाया अग्रिम निवल बैंक ऋण का 43.12 प्रतिशत था। कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम निवल बैंक ऋण क्रमश: 15.81 प्रतिशत तथा 7.30 प्रतिशत था।

(ङ) प्राथमिक क्षेत्र/कृषि को उधार में कमी वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण आधारित विकास निधि (आर आई डी एफ) में अंशदान के लिए राशियां आबंटित की जाती हैं। आर आई डी एफ जमाराशियों पर ब्याज की दर को कृषि क्षेत्र को उधार में बैंक के कार्य निष्पादन से जोड़ा गया है। तदनुसार, बैंकों को कृषि में उधार में कमी पर प्रतिलोमत: ब्याज दर पर आर आई डी एफ-8 में अंशदान पर नाबार्ड से ब्याज प्राप्त हुआ।

विवरण I

राज्यवार ऋण-जमा अनुपात

I	31.3.2000 2	31.3.2001 3	31.3.2002 4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	42	43	42*
हिमाचल प्रदेश	27.10	28.87	27.58
जम्मू और कश्मीर	30	30	30
पंजाब	39.9	42.3	41*
राजस्थान	48.19	50.56	52.31
चंडीगढ़	91	90.4	103.2*
दिल्ली	60.6	62.88	62.11
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	20.98	21.14	22.01
असम	33.01	32.61	33.18
मणिपुर	38.41	40.77	39.00*
मेघालय	17.83	20.21	21.14
मिजोरम	24.9	27.32	29.01
नागालैण्ड	17.75	16.37	18.66
त्रिपुरा	30.44	27.82	27.82*
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	22.98#	23.18	22.79
झारखण्ड	29.05	28.52	27.14*
उड़ीसा	43.78	46.36	47.12
सिक्किम	15.9	17.5	16.2
पश्चिम बंगाल	46	42.72	44.00*
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14.98	24.63	21.89*
मध्य क्षेत्र			
मध्य प्रदेश	47.72	50.10	52.06*
छत्तीसगढ़	अनुपलब्ध	38.05	40.70*
उत्तर प्रदेश	28.90	27.33	27.64
उत्तरांचल	अनुपलब्ध	22.54	22.70*
पश्चिम क्षेत्र			
गोवा	35	32.6	32$
गुजरात	48.42	48.88	47.11
महाराष्ट्र	83.55	84.53	84.85
दादरा एवं नागर हवेली	23.61	20.45	18.84
दमन (सं.रा.क्षे.)	33.84	27.08	23.54*
दीव (-तदैव-)	5.07	5.51	5.21*
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	73	70	69*

1	2	3	4
कर्नाटक	62.28	60.46	61.50
केरल	41.28	42.77	44.11*
तमिलनाडु	85	82	79*
लक्षद्वीप	7.55	9.23	8.15
पांडिचेरी	51	49	52

*31.12.2001 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

$सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

विवरण II

सरकारी क्षेत्र के बैंक मार्च, 2000

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	कुल पीएस अग्रिम	एनबीसी की तुलना में पीएस का %	कुल कृषि अग्रिम	एनबीसी की तुलना में कुल कृषि का %	एसएसआई अग्रिम	कमजोर वर्ग	निवल बैंक ऋण की तुलना में कमजोर वर्गों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक	79003.04	32273.67	40.85	13012.85	16.47	12440.76	5218.20	6.61
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4339.81	2125.10	48.97	702.86	16.20	908.58	356.82	8.22
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	5760.00	2492.50	43.27	985.00	17.10	794.00	600.00	10.42
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2765.65	1220.10	44.12	474.96	17.17	427.10	154.21	5.58
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3016.68	1377.34	45.66	527.10	17.47	554.55	358.16	11.87
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	5363.00	2236.47	41.70	1016.00	18.94	732.00	520.00	9.70
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	3189.68	1460.35	45.78	509.90	15.99	781.03	131.32	4.12
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2573.51	1843.34	71.63	530.58	20.62	519.23	294.55	11.45
9.	इलाहाबाद बैंक	8361.00	3572.66	42.73	1321.44	15.80	928.54	575.80	6.89
10.	आंध्रा बैंक	5221.86	2358.06	45.16	915.94	17.54	675.27	558.00	10.69
11.	बैंक आफ बड़ौदा	15548.61	7670.55	49.33	2761.18	17.76	2988.12	1167.94	7.51
12.	बैंक आफ इंडिया	16733.45	7567.50	45.22	2722.22	16.27	2891.50	857.73	5.13
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5339.83	2289.06	42.87	834.01	15.62	693.62	383.27	7.18
14.	केनरा बैंक	17622.35	7717.38	43.79	2981.97	16.92	2795.95	1610.09	9.14
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	15350.00	6635.26	43.23	1929.46	12.57	2265.43	850.20	5.54
16.	कारपोरेशन बैंक	6071.65	2561.14	42.18	596.44	9.82	697.99	146.60	2.41
17.	देना बैंक	7080.18	3063.49	43.27	1113.65	15.73	1216.88	227.27	3.21
18.	इंडियन बैंक	6946.25	3190.78	45.94	1251.97	18.02	960.50	605.66	8.72
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7820.54	3603.81	46.08	1463.15	18.71	1330.07	922.12	11.79
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	9708.00	4080.40	42.03	1403.37	14.46	1638.35	524.39	5.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब नेशनल बैंक	22035.00	9833.91	44.63	2880.56	13.07	3512.31	1861.38	8.45
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	4281.36	2079.05	48.56	714.06	16.68	780.64	266.05	6.21
23.	सिंडिकेट बैंक	8760.00	4170.00	47.60	1545.00	17.64	1050.00	895.00	10.22
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	13467.00	5414.04	40.20	1698.88	12.62	2214.36	768.05	5.70
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5634.00	2459.87	43.66	763.00	13.54	643.00	421.00	7.47
26.	यूको बैंक	6843.00	2550.00	37.26	794.00	11.60	788.00	461.00	6.74
27.	विजया बैंक	4107.09	1961.31	47.75	740.00	18.02	560.00	410.00	9.98
	कुल	292942.54	127807.14	43.63	46189.55	15.77	45787.78	21144.81	7.22

विवरण III

सरकारी क्षेत्र के बैंक मार्च, 2001

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	कुल पीएस अग्रिम	निवल बैंक ऋण की तुलना में पीएस का %	कुल कृषि अग्रिम	निवल बैंक ऋण की तुलना में कुल कृषि का %	एसएसआई अग्रिम	कमजोर वर्ग	निवल बैंक ऋण की तुलना में कमजोर वर्गों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक	89105.00	35899.14	40.29	14982.31	15.15	12718.39	6847.25	7.68
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4991.27	2309.27	46.27	818.76	16.22	869.03	383.36	7.68
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	6677.14	2914.30	43.65	1214.30	18.19	824.49	495.65	7.42
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	3381.05	1496.54	44.26	609.19	18.02	459.22	218.89	6.47
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3669.02	1642.93	44.78	571.69	15.58	614.93	431.25	11.75
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	6463.00	2603.10	40.28	1136.00	17.58	803.00	647.00	10.01
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	3597.09	1532.88	42.61	614.08	17.07	793.56	144.57	4.02
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3380.00	2117.38	62.64	572.62	16.94	533.10	411.05	12.16
9.	इलाहाबाद बैंक	9483.18	4192.40	44.21	1593.98	14.82	928.61	610.04	6.43
10.	आंध्रा बैंक	6668.20	2774.02	41.6	1048.89	15.73	830.05	782.90	11.74
11.	बैंक आफ बड़ौदा	17888.25	8762.50	48.98	3032.81	16.62	3274.35	1266.38	7.08
12.	बैंक आफ इंडिया	20175.41	8731.00	43.28	3030.09	15.02	3034.25	1026.80	5.09
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	6725.34	2763.44	41.09	818.26	12.17	984.10	394.32	5.86
14.	केनरा बैंक	22064.00	9049.85	41.02	3510.76	15.91	3244.55	1911.30	8.66
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	17837.00	7839.65	43.95	2544.91	13.87	2230.23	912.39	5.12
16.	कारपोरेशन बैंक	6534.55	3178.39	48.64	719.27	11.01	722.22	161.97	2.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	देना बैंक	7223.68	3163.73	43.80	1158.99	13.01	1240.64	263.14	3.64
18.	इंडियन बैंक	8075.60	3282.77	40.65	1453.62	17.49	1020.81	743.70	9.21
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5829.00	4209.00	49.35	1609.00	18.87	1407.00	1060.00	12.43
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	11482.28	4819.16	41.97	1669.88	12.90	1738.18	480.65	4.19
21.	पंजाब नेशनल बैंक	27170.70	12110.88	44.57	3849.64	14.17	3893.80	2399.93	8.83
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	4883.16	2276.81	46.63	849.99	13.99	804.26	268.95	5.51
23.	सिंडिकेट बैंक	9650.00	4662.00	48.31	1750.00	18.13	1100.00	980.00	10.16
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	15152.75	6759.14	44.61	2050.87	13.53	2343.07	784.23	5.18
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6381.00	2400.00	37.61	765.00	11.99	640.00	390.00	6.11
26.	यूको बैंक	8905.00	3009.00	33.79	959.00	10.77	822.00	439.00	4.93
27.	विजया बैंक	4795.26	2046.68	42.68	751.45	15.67	571.41	350.61	7.31
	कुल	340887.93	146545.96	42.99	53685.36	15.65	48445.25	24805.33	7.28

विवरण IV

सरकारी क्षेत्र के बैंक मार्च, 2002

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	कुल पीएस अग्रिम	निवल बैंक ऋण की तुलना में पीएस का %	कुल कृषि अग्रिम	निवल बैंक ऋण की तुलना में कुल कृषि का %	एसएसआई अग्रिम	कमजोर वर्ग	निवल बैंक ऋण की तुलना में कमजोर वर्गों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक	97614.00	40538.92	41.53	16202.92	15.82	12581.83	7052.10	7.22
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5643.35	2659.78	47.13	941.67	16.69	955.25	439.67	7.79
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7703.00	3469.98	45.05	1408.39	18.02	925.62	771.00	10.01
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	4261.96	1881.18	44.14	768.45	18.03	586.09	296.53	6.96
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4225.61	1739.67	41.17	641.08	15.17	598.33	460.65	10.90
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	7653.00	3081.00	40.26	1380.00	17.95	810.00	767.00	10.02
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4014.39	1747.11	43.52	802.18	19.98	776.94	229.84	5.73
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3921.00	2374.06	60.55	647.91	16.52	572.10	420.95	10.74
9.	इलाहाबाद बैंक	10695.48	4722.81	44.16	1928.00	16.72	830.25	752.95	7.04
10.	आंध्रा बैंक	9280.06	3401.21	36.85	1389.07	14.97	888.54	894.00	9.63
11.	बैंक आफ बड़ौदा	21459.51	10336.94	48.17	3561.09	15.81	3280.63	1601.00	7.46
12.	बैंक आफ इंडिया	22229.57	10169.59	45.75	3530.59	15.88	3330.38	1600.00	7.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	7993.66	3211.26	40.17	1026.62	12.84	900.85	611.00	7.64
14.	केनरा बैंक	25748.66	10536.00	40.92	3888.00	15.10	3366.00	1930.00	7.50
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	20822.00	8934.61	42.91	3056.84	12.27	2291.34	932.50	4.48
16.	कारपोरेशन बैंक	8932.67	3583.80	40.12	937.77	10.50	619.74	205.89	2.30
17.	देना बैंक	7581.14	3339.49	44.05	1165.56	12.49	1345.72	252.97	3.34
18.	इंडियन बैंक	8445.31	3986.55	47.20	1526.69	18.08	989.59	845.27	10.01
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10690.18	5066.37	47.39	1966.06	18.19	1584.32	1295.03	12.11
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	14366.17	5861.97	40.80	1972.62	11.46	1582.25	491.96	3.42
21.	पंजाब नेशनल बैंक	33336.60	14895.90	44.68	5127.70	15.38	4213.70	3263.10	9.79
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	5230.92	2474.50	47.31	943.15	15.34	860.31	266.12	5.09
23.	सिंडिकेट बैंक	10763.00	5005.00	46.50	1945.00	18.07	1070.00	1095.00	10.17
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	18979.36	8374.12	44.12	2887.46	13.81	2439.87	1086.90	5.73
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	7504.00	2715.00	36.18	1030.00	11.95	535.00	457.00	6.09
26.	यूको बैंक	12172.00	4847.50	39.83	1549.00	12.12	1238.00	569.00	4.67
27.	विजया बैंक	5688.36	2230.94	39.22	859.17	15.10	570.44	387.47	6.81
	कुल	396954.30	171185.26	43.12	63082.99	15.81	49743.09	28974.90	7.30

[हिन्दी]

11.3-14

खिलौनों का निर्यात

2508. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत द्वारा कितनी मात्रा में खिलौनों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खिलौनों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार खिलौनों के निर्यात को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से किए गए खिलौनों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

अवधि	मूल्य (मिलियन अम. डालर में)
1998-1999	13
1999-2000	14
2000-2001	16

(ग) और (घ) सरकार ने भारत से खिलौनों के निर्यात के संवर्धन हेतु अनेक उपाय किए हैं जिनमें विदेशों में विशिष्टीकृत खिलौना मेलों में भागीदारी करना, निर्विघ्/उत्पादन मानदण्ड निर्धारित करना तथा खिलौनों हेतु डीईपीबी योजना में और अधिक मदों को लाना शामिल है। खिलौना क्षेत्र को निर्यात सुविधा के प्रति अधिक संकेद्रित पद्धति अपनाने के लिए खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद के कार्य क्षेत्र में भी लाया गया है।

[अनुवाद]

114-15

बैंक चलाने वाले औद्योगिक घराने

2509. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंक चलाने के लिए औद्योगिक घरानों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक क्षेत्र द्वारा चलाये जाने वाले बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुसार, बड़े औद्योगिक घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

115-16

न्यायालय में लंबित मामले

2510. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित संवैधानिक (पूर्ण बेंच), दीवानी और फौजदारी मामलों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने मामले तीन साल से ज्यादा और पांच साल अथवा पांच साल से ज्यादा पुराने हैं;

(ग) वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं और वे किस तिथि से रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने पद भरे गये हैं; और

(ङ) पुराने मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उच्चतम न्यायालय ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, तारीख 28.2.2003 को भारत के उच्चतम न्यायालय में संविधान न्यायपीठ वाले 487 सिविल और 9 दांडिक मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं।

(ख) राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी, 2003 को भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान न्यायपीठ संबंधी तीन वर्ष/पांच वर्ष से अधिक से लंबित मामलों की संख्या ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	फाइलों की वास्तकि संख्या		
	सिविल	दांडिक	योग
तीन वर्ष से अधिक पुराने मामले	145	1*	146
पांच वर्ष से अधिक पुराने मामले	88	1*	89

(ग) उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायधीशों की अनुमोदित पद संख्या में से इस समय 25 न्यायाधीश पदासीन हैं और एक पद भरे जाने के लिए रिक्त है। यह पद 19.12.2002 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति पर रिक्त हुआ।

(घ) वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय में भरी गई रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

	वर्ष	भरी गई रिक्तियों की संख्या
(i)	2000	08
(ii)	2001	04
(iii)	2002	07

(ङ) उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों में कमी की प्रवृत्ति दर्शित हुई है। लंबित मामलों की संख्या, जो 31.12.1991 को 1,04,936 थी, 1.11.2002 को कम होकर 24.381 रह गई है। यह अत्यधिक कमी, उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विभिन्न उपायों, अर्थात् मामलों का अधिक व्यवहार्य प्रवर्गीकरण और समूहबद्ध किया जाना, दोषपूर्ण मामलों का संचयन, पुराने लंबित मामलों के लिए और अधिक समय का सुरक्षित किया जाना, आदि के कारण है। अन्य उपायों के अंतर्गत बेहतर न्यायालय प्रबंध, मामला प्रबंध और बेहतर दस्तावेजीकरण प्रबंध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी है, जिसके परिणामस्वरूप पुराने लंबित मामलों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है।

116-17

वस्त्र प्रोत्साहन योजनाएं

2511. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र केन्द्र आधारभूत ढांचा विकास योजना के तहत अपनी भागीदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में अत्यावश्यकता लाने के उद्देश्य से टी सी आई डी एस के क्षेत्र और निधि प्रदान करने के पैटर्न में संशोधन (दिसम्बर, 2002 में) की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता पहले प्रत्येक क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 करोड़ रु. के अध्यधीन परियोजना के महत्वपूर्ण संघटकों के 50 प्रतिशत तक सीमित थी। संशोधित योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सहायता साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र, जलापूर्ति और जलनिकासी सुविधाओं में सुधार लाने तथा अपैरल एककों के लिए शिशु सदन के निर्माण के संबंध में परियोजना के महत्वपूर्ण संघटकों की 100 प्रतिशत सीमा तक उपलब्ध रहेगी जबकि अन्य संघटकों को केन्द्र और संबंधित राज्य/एजेंसियों के बीच 75:25 के आधार पर निधि प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

117-18

चीन से सामान की तस्करी

2512. श्री श्याम सुन्दर तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 2003 को "नवभारत टाइम्स" में "चीन के माल से अटे पड़े हैं पूर्वोत्तर राज्यों के बाजार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते चीन, कोरिया और ताइवान के सामान का तस्करी के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने और सस्ती दरों पर बेचे जाने से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड, मणिपुर और मेघालय की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों में राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के संबंधित क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चीनी मूल के तस्करी किए गए माल का अभिग्रहण किया गया है। समाचार में दी गई सूचना के अनुसार, तस्करी में नागा उग्रवादियों के लिप्त होने का कोई मामला सीमा शुल्क विभाग के ध्यान में नहीं आया है। गत दो वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 2003 तक) के दौरान ऐसे अभिग्रहणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2000-2001	979	2.180	3
2001-2002	768	3.044	शून्य
2002-2003 (जनवरी, 2003 तक)	1053	5.802	1
कुल	2800	11.026	4

(ग) उपलब्ध सामान्य आसूचना और सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि चीन और कोरिया के वस्तुओं की उत्तर-पूर्वी राज्यों अर्थात, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा के साथ-साथ अवैध रास्तों के जरिए तस्करी की जा रही है और ये वस्तुएं उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रवेश पा रही हैं। तथापि, अभिग्रहणों की मात्रा से ऐसा नहीं लगता है कि यह समस्या गम्भीर है।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय चीन से देश में तस्करी को रोकने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं।

118-20

हस्तशिल्पों का निर्यात

2513. श्री शिवाजी माने:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री पी.आर. खूंटे:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नयी रणनीति अपनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान निर्यातित हस्तशिल्प उत्पादों का देशवार मूल्य क्या रहा और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(घ) क्या चालू वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राजस्थान के हस्तशिल्पों के निर्यात का मूल्य क्या रहा और राज्य में उनके प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी, हां। हाथ से बुनी हुई कालीन मदों को शामिल करते हुए हस्तशिल्पों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनाई गई नई रणनीति में ये शामिल हैं: विदेशों में व्यापक प्रचार प्रसार; अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/समारोहों एवं भारत तथा विदेशों में क्रेता विक्रेता बैठकों में बड़े पैमाने पर भाग लेना; विदेश में बिक्री-सह अध्ययन दलों को प्रायोजित करना; कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना; ग्रेटर नोएडा में इण्डियन एक्सपोर्टेशन मार्ट लि. की स्थापना और सहारनपुर तथा जोधपुर में राष्ट्रीय पिक्चर एवं फोटोफ्रेमिंग सेन्टर की स्थापना; पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आक्रामक अन्तर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम और भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना इत्यादि।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कालीन एवं फर्श बिछावन सहित हस्तशिल्प के निर्यात की देशवार राशि तथा इन निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। हाथ से बुने हुए कालीनों और फ्लोर कवरिंग सहित हस्तशिल्पों के निर्यात के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए 10.470 करोड़ रुपये की राशि का लक्ष्य रखा गया है।

(च) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, राजस्थान राज्य सहित देश में हाथ से बुने कालीनों और हस्तशिल्पों के निर्यात संवर्धन के लिए स्कीमें इस प्रकार से हैं:- क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; विदेशों में प्रचार-प्रसार; डिजाइन विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन, निर्यात विपणन और पैकेजिंग इत्यादि; विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना; विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना; नई दिल्ली में प्रति वर्ष भारतीय हस्तशिल्पों और उपहार मेलों (शरद एवं बसंत) और इण्डियन कारपेट एक्सपो का क्रमश: हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजन और ग्रेटर नोएडा में इण्डिया एक्सपोजिशन मार्ट की स्थापना आदि।

विवरण

2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्पों का देशवार निर्यात

(यूएस मिलियन डालर में)

क्र.सं.	देश का नाम	2000-01 @45.2143	2001-2002 @47.3900
1.	अस्ट्रेलिया	31.27	26.91
2.	कनाडा	61.30	56.07
3.	फ्रांस	85.96	78.06
4.	जर्मनी	289.25	280.86
5.	इटली	83.24	58.05
6.	जापान	68.60	61.49
7.	नीदरलैंड	47.97	43.15
8.	स्विटरजरलैंड	28.70	34.84
9.	यू.एस.ए.	700.48	672.11
10.	यू.के.	196.73	185.13
11.	अन्य देश	456.84	445.87
	कुल	2050.34	1942.54

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष

2514. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेकों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि में बैंकवार स्थिति क्या है; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए ऋण

2515. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री रघुनाथ झा:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री रामजी मांझी:
श्री अधीर चौधरी:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए हजारों आवेदन-पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीकृत बैंकों के पास लम्बित इस प्रकार के आवेदन-पत्रों की संख्या राज्यवार विशेषकर बिहार में कितनी है;

(ग) इन आवेदन-पत्रों की स्वीकृति में देरी के क्या कारण है; और

(घ) लम्बित आवेदन-पत्रों की स्वीकृति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27-28 जनवरी, 2003 को आयोजित ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं लोक निर्माण के राज्य मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में कुछ सहभागियों ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी में विलम्ब, ऋणों की मंजूरी के बाद संवितरण में विलम्ब एवं ऋण प्रस्तावों की नामंजूरी की उच्च दर के मामले उठाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 4,19,771 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2,22,542 आवेदन मंजूर किए गए थे और 57,218 आवेदन लंबित थे। अस्वीकृत दर 47% थी। एसजीएसवाई योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सितम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार प्राप्त 1,56,393 आवेदनों (स्वसहायता समूहों एवं अलग-अलग ग्राहकों दोनों को मिलाकर) मंजूर किए गए ऋणों की संख्या 81091 रही और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या 17582 थी जो 11.24% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत सूचना प्रणालियों से लंबित या अस्वीकृत आवेदनों के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। तथापि, स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लंबित आवेदनों से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है:-

योजना का नाम	लंबित आवेदनों की संख्या
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (31.12.2002 की स्थिति के अनुसार)	14979
स्कावेंजरों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (31.12.2002 की स्थिति के अनुसार)	616
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (30.11.2002 की स्थिति के अनुसार)	4958

(ग) और (घ) सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एसजीएसवाई योजना के अंतर्गत प्रगति की निरन्तर समीक्षा, निगरानी एवं मूल्यांकन करते हैं। एसजीएसवाई के तहत मंजूरी एवं संवितरण के संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की अलग-अलग मंचों यथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) आदि पर गहन समीक्षा भी की जाती है जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, कार्यान्वयनकर्ता बैंक, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक निगरानी कक्ष द्वारा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की जाती है। ऋणों की मंजूरी/संवितरण में विलम्ब के मुख्य कारक नीचे दिए गए हैं:-

(1) व्यवहार्य ऋण आवेदन प्रायोजित न करना;

(2) आवश्यक अवसंरचना और उत्पादित माल के विपणन आदि जैसी विनिर्माण एवं विपणन सुविधाओं (बैंक-वर्ड/फारवर्ड लिंकेज) की कमी;

(3) उधारकर्ताओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब;

(4) शेड, बिजली के कनेक्शन, जल आपूर्ति आदि के आबंटन में विलम्ब; और

(5) खराब वसूली स्थिति।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तपोषण को और कारगर बनाने के लिए बैंकों को आवधिक रूप से सलाह दे रहा है और इसने 4 जुलाई, 2002 के हाल के अपने परिपत्र में बैंकों को ऋण की मंजूरी एवं संवितरण के बीच अवधि को कम करने के लिए लंबित आवेदनों को 15 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने, बैंकरों एवं सरकारी कार्यकर्ताओं के मध्य ब्लाक स्तर पर कार्य का अधिक समन्वय सुनिश्चित करने, अल्प वित्तपोषण से बचने, ब्लाक एवं जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित करने और योजना के अधीन वसूलियां सुधारने के सभी प्रयास करने की सलाह दी है।

आदिम जनजातीय समूह

2516. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री एन.एन. कृष्णदास;
श्री बी. वेंकटेस्वलु:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के आदिम जनजातीय समूहों के रूप में श्रेणीकृत जनजातीय जनसंख्या का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वर्गों से संबंधित जनजातियों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) आदिम जनजातीय समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत जनजातियों की राज्यवार आबादी को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, आदिम जनजातीय समूह, देश की अनुसूचित जनजातियों की आबादी का 3.56% है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जहां आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं, से आधारभूत सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित सूचना शामिल होगी।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों की राज्यवार आबादी को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश	पीटीजी का नाम	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1. चेंचु	40869
		2. बोडो गड़वा	33127
		3. गुतोव गड़वा	
		4. डोनगरिया खोंड	66629
		5. कुटिया खोंड	
		6. कोलाम	
		7. कोंडारेड्डी	41254
		8. कोंडासवारा	76391
		9. बोंडो पोरजा	—
		10. खोंड पोरजा	24154
		11. पारेनगीपेरजा	
		12. थोटी	3654
		कुल	286078
2.	झारखण्ड समेत बिहार	13. असुर	9623
		14. बिरहौर	8083
		15. बिरजा	6194
		16. हिल खारिया	151634
		17. कोरवा	24871
		18. माल पहाड़िया	86790
		19. पढ़ैया	30421
		20. सौरिया पहाड़ियां	48761
		21. सवार	4264
		कुल	370638
3.	गुजरात	22. कोलघा	82679
		23. कथोडी	4773
		24. कोटवालिया	19569
		25. पधार	15896
		26. सीद्दी	6336
		कुल	129253
4.	कर्नाटक	27. जेनु कुरूबा	29371
		28. कोरगा	16322
		कुल	45693

1	2	3		4
5.	केरल	29.	चोलानैकायन	—
		30.	कुडार	2021
		31.	कत्तुनायकन	12155
		32.	कोरगा	1651
		33.	कुरूमबा	1820
			कुल	17647
6.	छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश	34.	अबुझ मारिया	—
		35.	बैगा	317549
		36.	भारिया	—
		37.	बिरहोर	2206
		38.	हिल कोरवा	—
		39.	कमार	20565
		40.	सहारिया	332748
			कुल	673068
7.	महाराष्ट्र	41.	कुटकारी/कथोड़ी	202203
		42.	कोलाम	147843
		43.	मारिया गोंड	—
			कुल	350046
8.	मणिपुर	44.	मारम नागा	9592
9.	उड़ीसा	45.	चुकतिया	—
		46.	बिरहोर	825
		47.	बोंडो	7315
		48.	दीदाई	5471
		49.	डोंगरिया-खोंड	—
		50.	जौंग	35665
		51.	खारिया	—
		52.	कुटिया खोंड	—
		53.	लानजिया सौरा	—
		54.	लोढ़ा	7458
		55.	मनकिरदीया	1491
		56.	पौड़ी भुमान	—
		57.	सौरा	—
			कुल	58225
10.	राजस्थान	58.	सेहारिया	59810
11.	तमिलनाडु	59.	इरूलार	138827
		60.	कुट्टुनायकन	42761
		61.	कोटा	752
		62.	कुरूमबा	4768
		63.	पनियान	7124
		64.	टोडा	1100
			कुल	195332
12.	त्रिपुरा	65.	रियांग	111606
13.	उत्तरांचल समेत उत्तर प्रदेश	66.	बुकसा	34621
		67.	राजी	1728
			कुल	36349
14.	पश्चिम बंगाल	68.	बिरहोर	855
		69.	लोढ़ा	68095
		70.	टोटों	—
			कुल	68950
15.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71.	ग्रेट अंडमानीज	32
		72.	जारवा	89
		73.	ओंग	101
		74.	सेंटोनेलेसे	24
		75.	सोमपेन	131
			कुल	377
	सम्पूर्ण भारत		सर्व योग	2412664

स्रोत: 1991 की भारत की जनगणना।

सर्वप्रिय योजना 1216

2517. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस राज्य में 'सर्वप्रिय योजना' प्रारंभ की गयी है और कब से;

(ख) विगत तीन वर्षों में इस केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या यह योजना सभी राज्यों में प्रारंभ नहीं की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ग) भारत सरकार ने जुलाई, 2000 में "सर्वप्रिय" नामक एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम में राज्यों में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुदरा दुकानों और राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों की खुदरा दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की ग्यारह चुनिन्दा वस्तुओं के वितरण की संकल्पना की गई है। प्रारंभ में महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पांडिचेरी राज्यों में स्कीम में भाग लिया। इस समय केवल तीन राज्य अर्थात् महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ही स्कीम का प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) स्कीम स्वैच्छिक है और इसमें कोई सब्सिडी शामिल नहीं है। इस कारण निधियों का राज्य-वार आबंटन करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अनुसार स्कीम के क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कुछ राज्यों की अपनी खुद की स्कीमें हैं।

(2) राज्य एजेंसियां/राज्य सरकारें अपनी निधि लगाने की इच्छुक नहीं हैं।

(3) चीनी और खाद्यान्न को लेने के लिए पात्र कार्ड धारकों की संख्या में कमी होने पर ग्राहकों के घटने के कारण उचित दर दुकानें स्टाक को उठाने में अभिरुचि नहीं दिखा रही हैं।

तथापि, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अभिनिर्धारित 11 मदों में आम उपयोग की और अधिक मदों को शामिल करने पर सहमत हो गया है बशर्ते राज्य सरकारें/राज्य एजेंसियां इन्हें अधिक मात्रा में लेने के लिए मांग भेजने पर सहमत हों। राज्य सरकारों से, जहां संभव हो, अपनी स्कीमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने और स्कीम के तहत उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी] 128-29

वस्त्र उद्योग में अप्रचलित तकनीकी

2518. श्री रामशकल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग अप्रचलित तकनीकी की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अप्रचलित तकनीकी को आधुनिक तकनीकी से बदलने के लिए कोई शोध या विकास कार्य किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत दो वर्षों में इस संबंध में मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा कितने देशों की यात्रा की गयी है और इस पर कितना खर्च आया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। वस्त्र उद्योग को प्राचीनतम उद्योगों में से एक उद्योग होने के कारण अपने अधिकांश खंडों में प्रौद्योगिकीय अप्रचलितता से हानि हो रही है।

(ग) और (घ) वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने वस्त्र और पटसन उद्योग के लिए 1.4.1999 से पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) आरंभ किया है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें इस योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की किसी परियोजना पर उधार देने वाली एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निधि प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है। 1 जनवरी, 2002 से लघु वस्त्र और पटसन उद्योगों को या तो 12% ऋण से संबद्ध पूंजी सब्सिडी (सीएलसीएस-टीयूएफएस) अथवा टीयूएफएस के अंतर्गत 5% ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के लिए विकल्प दिया गया है। 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 15810 करोड़ रु. की परियोजना लागत और 9095 करोड़ रु. की ऋण आवश्यकता के साथ 2023 आवेदन प्राप्त हुये हैं। 1982 आवेदनों को 6101 करोड़ रु. की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। 1430 आवेदनों के मामले में 4203 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं। स्वीकृत और संवितरित मामलों के संबंध में परियोजना लागत क्रमश: 12384 करोड़ रु. और 10340 करोड़ रु. है।

(ङ) आधुनिकीकरण की उपरोक्त योजना के प्रति उद्योग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये, अब तक पिछले दो वर्षों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से मंत्री अथवा अधिकारियों द्वारा कोई विदेश दौरा नहीं किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों का विकास

2519. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के विकास संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अब तक हुई प्रगति से केन्द्र सरकार संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करता है। पिछले तीन वर्षों (1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002) के दौरान इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार को निर्मुक्त राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार की गई प्रगति से सामान्यत: संतुष्ट है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002) के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2915.24	2915.24	3649.56
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	800.29	1700.00	2550.00
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास	319.20	–	–
4.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	24.49	30.21	28.23
5.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	1.70	11.03	4.53
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान	25.00	–	251.61
7.	जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	17.51	19.8	30.58
8.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	218.31	529.76	580.29
9.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	–	–	7.05
10.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना	–	–	6.00

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2520. **श्री चन्द्र विजय सिंह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी यू.पी. में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए "जसवंत सिंह कमीशन रिपोर्ट" का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस आयोग की सिफारिशों को किस सीमा तक लागू करना चाहती है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जसवंत सिंह आयोग ने तारीख 30 अप्रैल, 1985 की अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ संसदीय विधान के द्वारा आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ और नैनीताल तथा देहरादून में उसकी दो सर्किट न्यायपीठों की स्थापना करने की सिफारिश की थी। आयोग ने उच्च न्यायालयों की, उसके प्रधान स्थान से दूर किसी न्यायपीठ की स्थापना करने की समीचीनता और वांछनीयता का निर्धारण करने में अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंड तथा उक्त न्यायपीठ के स्थान के चयन करने में ध्यान रखने वाली बातों का सुझाव भी दिया है।

किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने पर तभी विचार किया जाता है जब राज्य सरकार से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होता है। सरकार ने इस विषय पर महान्यायवादी से भी परामर्श किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने तारीख 16 सितंबर, 2001 के पत्र द्वारा यह संसूचित किया था कि उन्होंने पश्चिमी यू.पी. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ के सृजन के विरुद्ध अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा अभिनिर्धारित की गई संगत रायों का समर्थन किया है। उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के रूप में दो राज्यों में विभाजन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिले उत्तरांचल उच्च न्यायालय की राजक्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन चले गए हैं। इन परिस्थितियों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ के सृजन का कोई औचित्य नहीं पाया है।

कृषि ऋण 131-32

2521. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यिक बैंकों से संवितरित किए जाने वाले 7,50,000 करोड़ रु. के कृषि ऋण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि मंत्रालय के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के लिए विस्तृत रणनीति और योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कृषि के लिए ऋण आवश्यकता का अनुमान 7,36,570 करोड़ रु. लगाया गया है जिसमें से 3,59,701 करोड़ रु. की राशि उत्पादन ऋण और 3,76,869 करोड़ रु. निवेश ऋण के रूप में प्राक्कलित है। ये अनुमान कृषि सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने की पृष्ठभूमि में सभी बैंकों अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण-प्रवाह के संबंध में लगाए गये हैं। 10वीं योजना में समाज के छोटे/सीमान्त किसानों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता देने के लिए प्रगामी संस्थाकरण पर भी जोर दिया गया है, ताकि वे बढ़ते हुए कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रथाओं को अपना सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वाणिज्यिक बैंकों को कृषि के लिए अपना प्रत्यक्ष ऋण बढ़ाने की सलाह देना, ताकि शुद्ध बैंक ऋण के 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके;

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कृषि के लिए ऋण-प्रवाह बढ़ाने हेतु विशेष कृषि ऋण योजनाएं (एसएसीपी) तैयार करने की सलाह देना;

(3) 31 मार्च, 2004 तक सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल करना; और

(4) बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित्त देना, ताकि वे कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ा सकें।

नागरिक मामलों के निपटान हेतु नए दिशानिर्देश 132-34

2522. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता हेतु नए दिशानिर्देश को कार्यान्वित किए जाने से नागरिक मामलों के तीव्र निपटान में काफी सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आपराधिक प्रक्रिया संहिता में सुधारों का सुझाव देने हेतु गठित न्यायमूर्ति मालिमथ समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) न्यायालयों में गवाहों के मुकर जाने के कारण ठप्प पड़े आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर मामलों में रिहाई हो जाती है, की ओर ध्यान देने हेतु सरकार द्वारा क्या संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता के ऐसे संशोधनों के प्रभाव के संबंध में जो 1.7.2002 से प्रभावी किए गए थे, कोई विनिर्दिष्ट निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा देश में दंड न्याय प्रणाली के सुधार के लिए न्यायमूर्ति डा. वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में गठित समिति के कार्यकाल को 31.3.2003 तक विस्तारित किया गया है। समिति से उस तारीख तक अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) भारत के विधि आयोग ने, साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने की समस्या को दूर करने के लिए, अपनी 178वीं रिपोर्ट, में अन्य बातों के साथ-साथ, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के पश्चात् धारा 164क अंत:स्थापित करने की सिफारिश की है। सुझाई गई नई धारा निम्नानुसार है:

"164क(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो दस वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से (जुर्माना सहित या रहित) दंडनीय किसी अपराध का, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई अपराध भी है जो मृत्युदंड से दंडनीय है, अन्वेषण कर रहा है, ऐसे अन्वेषण के दौरान ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके साक्ष्य मामले के निष्पक्ष विनिश्चय के लिए आवश्यक हों, उनके कथनों को लेखबद्ध करने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन उसके पास भेजे गए ऐसे व्यक्तियों के कथनों को शपथ पर लेखबद्ध करेगा और धारा 173 के अधीन आगे की पुलिस रिपोर्ट के आने तक ऐसे कथनों को अपने पास रखेगा।

(3) ऐसे कथनों की प्रतियां अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएंगी।

(4) यदि कथन को लेखबद्ध करने वाला मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त नहीं है तो वह इस प्रकार लेखबद्ध किए गए कथनों को मामले का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के साक्षी के रूप में सम्यक रूप से लेखबद्ध किए गए कथन को तब साक्ष्य समझा जा सकेगा, यदि ऐसे साक्षी को न्यायालय के विवेकानुसार और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों के अधीन न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और उसकी परीक्षा की जाती है।"

हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क

2523. डा. मंदा जगन्नाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से बुनकरों के कल्याण के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये जैसाकि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र को दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

2524. श्री महेश्वर सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने लबाना जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा किस समय तक किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में लबाना समुदाय को शामिल किए जाने की सिफारिश की है। इस प्रकार के दावों पर निर्णय के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुसार इस सिफारिश पर कार्रवाई की गई है। इस चरण पर कोई समय-सीमा बताई नहीं जा सकती है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने को केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से प्रभावी किया जा सकता है।

[अनुवाद]

निर्यात में राज्य सरकारों की भागीदारी

2525. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात के क्षेत्र में राज्य सरकारों की भागीदारी घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों से निर्यात प्रोत्साहन के लिए "स्पेक्ट्रोनेट" होने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या अन्य कदम उठाये हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) निर्यात संवर्धन में राज्य सरकार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) जिसमें भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे के गठन का सुझाव देकर इस पर पुन: बल दिया है। राज्य से निर्यात को प्रभावित करने वाली बुनियादी सुविधाओं में अंतरों को पाटने के लिए राज्य सरकार को निधियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात

2526. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र निर्यात बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए वस्त्र विकास और विनियमन आदेश, 2001 से वस्त्र निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौडा पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) सरकार वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय करती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेष अपैरल के डिजाइन के क्षेत्र में, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवाने के लिए पारि-अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने और निर्यात की गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) वस्त्र (विकास व विनियमन) आदेश, 2001 ने सरकारी तंत्र को उद्योग के अधिक अनुकूल और कम अवरोधी बना दिया है। नये आदेश की मुख्य विशेषताएं निम्न अनुसार हैं:

* सुगम अभिज्ञान के लिए सामग्री को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

* कताई, निटिंग और विद्युतकरघा क्षेत्रों का संयोजन करके इनके लिए मशीनों की स्थापना करने के संबंध में सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

* सूचना ज्ञापन के साथ शुल्क देने की आवश्यकता के उपबंध को समाप्त कर दिया गया है।

* सूचना ज्ञापन की पावती की आवश्यकता, जिसके फलस्वरूप अनावश्यक कार्य बढ़ जाता है और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, को समाप्त कर दिया गया है।

* वस्त्र आयुक्त की निर्देश जारी करने की कुछ शक्तियों को बनाए रखा गया है ताकि वह हैंक यार्न दायित्व आदेश, टिवस्ट आदेश में परिवर्तन करने, वस्त्रों पर जैतूनी हरी छाया और अंकन करने से संबंधित अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वस्त्र आयुक्त अब महत्वपूर्ण वस्त्र मदों पर चिह्न अंकित करने का भी आग्रह कर सकते हैं।

* वस्त्र आयुक्त के पास उपलब्ध अपर्याप्त विनियामक तंत्र को ध्यान में रखते हुए वस्त्र आयुक्त की उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रण करने की शक्तियों में कुल मिला कर परिवर्तन किया गया है। औद्योगिक एककों को निरीक्षकों द्वारा संभावित रूप से तंग करने को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि तलाशी और जब्त करने की शक्तियां कम से कम सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जाएं।

वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नये आदेश से अधिक अनुकूल वातावरण की व्यवस्था करके वस्त्र विनिर्माताओं को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

यूटीआई के लघु निवेशक

2527. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने कुछ समय पूर्व गत वर्ष जुलाई में सभी इकाइयों की 12 रु. की दर से पुनर्खरीद और न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से लाभांश देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कमी को पूरा करने का भी वायदा किया था;

(ग) यदि हां, तो यूटीआई द्वारा सभी लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सरकार ने मई, 2003 में और उसके पश्चात् यूएस-64 की 5000 यूनिटों तक 12 रुपए का पुनर्खरीद मूल्य सुनिश्चित किया है। यूटीआई ने जुलाई, 2002 में कम से कम 10 प्रतिशत के लाभांश के भुगतान का कोई आश्वासन नहीं दिया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यूएस-64 के निवेशकों को परिशोधन के समय नकद अदायगियों के बदले में पंचवर्षीय कर-मुक्त व्यापार योग्य बांडों का विकल्प दिया जाएगा। यूएस-64 की यूनिटों में द्वितीयक बाजार व्यापार भी शुरू हो गया है।

ऋण वसूली अधिकरण

2528. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने ऋण वसूली अधिकरण कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन अधिकरणों ने कंपनियों के लिए प्राप्तकर्ता नियुक्त किये हैं जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए पर्याप्त धन जुटाया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 100 करोड़ से ज्यादा जुटाए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऋण वसूली अधिकरणों ने जिन कंपनियों के लिए प्राप्तकर्त्ता नियुक्त किये हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन कंपनियों का ब्यौरा दें जिनकी परिसम्पत्तियां ऋण वसूली अधिकरणों के प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा बेच दी गयी हैं और प्रत्येक मामले में इन परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा कुल कितनी आय प्राप्त हुई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1529-40

उत्तर प्रदेश के गोदामों में चीनी

2529. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के गोदामों में आज की स्थिति के अनुसार न उठाये जाने के कारण बेकार पड़ी चीनी की मात्रा कितनी है;

(ख) राज्य में चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी की भरमार की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र से मदद मांगी है;

(घ) यदि हां, तो कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा चीनी उत्पादन में भरमार की समस्या से निपटने के लिए राज्य की मदद हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) 22.1.2003 को स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी फैक्ट्रियों के पास लगभग 23.30 लाख मी. टन चीनी का शेष स्टाक था। चीनी के स्टाक में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि गैर-लेवी चीनी और लेवी चीनी की बिक्री/प्रेषण तथा चीनी का निर्यात एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) अच्छी कृषि-जलवायु स्थितियों के कारण, चार चीनी मौसमों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी का काफी अधिक उत्पादन हुआ है। इसके फलस्वरूप राज्य की चीनी मिलों के पास अत्यधिक स्टाक है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 2002 मास में अग्रिम रूप से 55000 मी. टन गैर-लेवी चीनी रिलीज की है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं ताकि चीनी फैक्ट्रियां अपने स्टाक का निपटान कर सकें:-

(1) लेवी चीनी के स्टाक की न उठाई गई मात्रा के बराबर मात्रा को गैर-लेवी चीनी के रूप में खुले बाजार में बेचने की अनुमति देकर चीनी फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से राहत दी गई है।

(2) जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को गैर-लेवी चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की गई हैं ताकि वे किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान कर सकें तथा अपने स्टाक को कम कर सकें।

(3) चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा समाप्त कर दी गई है।

(4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 तथा चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संशोधन किया गया है ताकि आंतरिक ढुलाई लागतों तथा चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर होने वाली समुद्री भाड़े की हानि को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिपूर्ति की जा सके।

140

विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन

2530. श्री वी. एस. शिव कुमार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से नए स्वचालित और अर्द्ध स्वचालित करघों के लिए विद्युतकरघा क्षेत्र में विशेष योजना के रूप में पूंजीगत प्रोत्साहन शुरू करने का आशय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) सरकार ने आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2002 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत बेंच मार्क वाली प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाओं के लिए लिए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के स्थान पर विद्युतकरघा क्षेत्र सहित लघु वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग के लिए 12 प्रतिशत पूंजी ऋण से जुड़ी सब्सिडी का विकल्प प्रदान किया है। विद्युतकरघा क्षेत्र के उन्नयन को आगे और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, प्रौद्योगिकी के लिये बेंच मार्क किया पूंजी प्रोत्साहन, जो अनिवार्यत: ऋण से जुड़ा हुआ न हो, का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

140-41

भारतीय मानक ब्यूरो

2531. डा. अशोक पटेल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) किसी उत्पाद हेतु आईएसआई मार्क जारी करने में लम्बा समय लेता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो को निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस प्रदान करने के लिए मौजूदा समय-सीमा 120 दिन है। विनिर्माता से आवेदन प्राप्त होने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस बात पर संतुष्ट हो जाने पर कि आवेदक के पास अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित विनिर्माण और परीक्षण सुविधाएं और क्षमताएं हैं कि जिस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस मांगा गया है वह संबंधित भारतीय मानक में निर्धारित विनिर्देशनों का निरंतर अनुपालन करेगा, भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

विनिर्माण इकाई के प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान लिए गए उत्पाद के नमूने भी अनुमोदित स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण में पास होने चाहिए। लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में देरी तभी होती है जब आवेदक/विनिर्माता संबंधित भारतीय मानकों में विनिर्दिष्ट विनिर्देशनों के अनुपालन को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो समय-सीमा को अपने शाखा कार्यालयों को लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित आंतरिक उपायों के जरिए लाइसेंस प्रदान करने की 120 दिन की समय-सीमा को घटाकर 100 दिन करने का प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

नेदुनगडी बैंक (4)-VB

2532. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेदुनगडी बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलय संबंधी समझौते के निबंधन और शर्तें क्या हैं और इसे कब से प्रभावी किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे ही कुछ अन्य बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) नेदुनगड़ी बैंक लि. (एनबीएल) के पंजाब नैशनल बैंक पीएनबी के साथ समामेलन की योजना 1 फरवरी, 2003 से प्रभावी हुई। योजना की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) एनबीएल का कारबार, सम्पत्तियों, आस्तियां और देयताएं पीएनबी को आंतरित हो जाएंगी;

(2) समामेलन की तारीख से तुरंत पहले प्रभावी सभी संविदाएं, विलेख, बांड, करार, मुख्तारनामा आदि उसी प्रकार प्रभावी होंगे और उन पर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी मानों पीएनबी उनकी एक पार्टी हो या मानो वे एनबीएल के पक्ष में जारी किए गए हों;

(3) कोई मुकदमा, अपील, विधिक प्रक्रिया यदि अनिर्णीत हो, तो वह छोड़ी नहीं जाएगी, रोकी नहीं जाएगी या उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध निष्पादित और प्रवर्तित होगी;

(4) एनबीएल की बहियां बंद कर दी जाएगी और उनका तुलन किया जाएगा और अधिस्थगन लागू होने के ठीक पहले की तारीख पर कारबार बंद होने पर तुलन-पत्र तैयार किया जाएगा और तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा कराई जाएगी और उसे प्रमाणित कराया जाएगा;

(5) पीएनबी, एनबीएल के परामर्श से, योजना में निर्धारित तरीके के अनुसार एनबीएल की आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और एनबीएल की देयताओं की गणना करेगा। पीएनबी योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार एनबीएल के दायित्वों का निर्वहन करेगा और ऋणदाताओं एवं जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। जहां तक जमाकर्ताओं को भुगतान का संबंध है, योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत देय ब्याज सहित प्रत्येक बचत बैंक खाते, चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते के संबंध में अंतरिती बैंक अपने यहां तदनुरूप एवं इसी प्रकार का खाता खोलेगा और प्रत्येक खाते के संबंध में ब्याज सहित पूरी रकम जमा करेगा;

(ख) एनबीएल के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और उन्हीं परिलब्धियों एवं उन्हीं सेवा शर्तों पर पीएनबी में नियुक्त किए गए माने जाएंगे, जो समामेलन से पूर्व उन पर लागू थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी] 143-

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

2533. श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के संबंध में विनियमों में ढील देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विनियमों में ढील देने के पश्चात् अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों आईसीसी से संबंधित विनियमों को नियंत्रित करने में छूट एक निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार भारत में बैंकों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के संबंध में एनआरआई/पीआईओ को एफसीएनआर/एनआरई या एनआरओ खातों में से क्रेडिट कार्डों की देयराशियों के निपटान की अनुमति दी जाती है। यदि भारत से बाहर बैंकों द्वारा कार्ड जारी किए गए हैं तो उनकी देयराशियों का निपटान एफसीएनआर/एनआरई खातों में धारित शेष राशि में से ही किया जाएगा। निवासियों को कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कार्ड की सीमा तक भारत से बाहर दौरे पर होने के समय व्यय के पक्ष में भुगतान करने की अनुमति दी गई है। एफईएमए, 1999 के अंतर्गत आईसीसी के उपयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से कोई मौद्रिक/आईटम-वार अधिकतम सीमा लागू नहीं की गई है।

[अनुवाद] अमरीका 144-45

संभावित इराक-अमरिका युद्ध का प्रभाव

2534. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री महबूब जाहेदी:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने संभावित अमेरिका-इराक युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए और क्या टिप्पणियां की गईं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है और उनकी क्या रणनीति है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ (सी.आई.आई.) ने "दिसंबर, 2002 को समाप्त त्रैमास में अर्थव्यवस्था की स्थिति" पर अपनी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था पर ईराक युद्ध के संभावित प्रभाव के बारे में कुछ निष्कर्ष दिये हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तेल की आपूर्ति में कितना व्यवधान आता है इसी बात पर यह प्रभाव निर्भर करेगा। सीमित-व्यवधान (ईराक द्वारा उत्पादित प्रतिदिन केवल 2 मिलियन बैरल तक सीमित) के मामले में तेल की कीमतों में अधिक वृद्धि की पूर्व संभावना नहीं लगती। परन्तु अधिक पैमाने पर व्यवधान की स्थिति में तेल की कीमतों पर प्रभाव इस व्यवधान की मात्रा पर निर्भर करेगा और अर्थव्यवस्था पर इसका परिणामी प्रभाव जी.डी.पी. के प्रति डालर ऊर्जा उपयोग तथा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अंतर-संबंधों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में प्राथमिक और विनिर्मित उत्पादों पर तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव विश्वव्यापी अपस्फीतिकारक परिवेश और घरेलू अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए प्रतियोगी दबावों के कारण संभवत: सामान्य होगा। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि उच्च आयात बिलों की वित्त-व्यवस्था भारत के सुदृढ़ भुगतान संतुलन को देखते हुए कठिन नहीं होगी। परन्तु पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी की संभावित वृद्धि और मध्य-पूर्व में प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाली धनराशियों में कमी के कारण रिपोर्ट कुछ राजकोषीय दबावों के बारे में सावधान करती है।

(ग) विश्व तेल, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति में हमारा देश उच्चतर आयात बिलों की वित्त-व्यवस्था के लिये अच्छी तरह तैयार है। जहां खाड़ी को भारतीय निर्यातों की अस्थायी कमी हो सकती है, वहां समग्र निर्यातों पर अधिक समय तक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अलावा-खाड़ी से भेजी जाने वाली धनराशियों में अस्थाई रूप से कमी भी आती है तो भुगतान संतुलन में चालू खाता अधिशेष की प्रवृत्ति और विदेशी मुद्रा रिजर्व के संतोषजनक स्तर को देखते हुए ऐसे परिवर्तनों के प्रति भुगतान संतुलन की कमजोरी थोड़े समय के लिये सीमित रूप में दिखाई देती है।

[हिन्दी]

जाली स्टैम्प पेपर

2535. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चल रहे जाली नोटों की तरह जाली स्टैम्प पेपर भी चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मूल्य के स्टैम्प पेपर पकड़े गए;

(ग) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान अब तक इन जाली स्टैम्प पेपरों के कारण सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) इस संकट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और आशा की जाती है कि राज्य प्राधिकारीगण जाली स्टाप पेपर की जब्तियों के संबंध में सूचना रखेंगे। स्टाम्प पेपरों के माध्यम से राजस्व का संग्रहण चूंकि राज्य का विषय है इसलिए जब्त किए गए जाली स्टाम्प पेपर के मामलों की संख्या के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई केन्द्रीयकृत सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) गैर-अदालती स्टाम्प पेपर (एनजेएसपी) के प्रतिभूति गुणों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया गया। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और स्टाम्प पेपर में प्रतिभूति गुण लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाने की सिफारिश की है। यह महसूस किया गया है कि नए प्रतिभूति गुणों को लागू करने से जालसाजों के लिए गैर-अदालती स्टाम्प पेपर की जालसाजी कठिन हो जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

2536. श्री बसुदेव आचार्य: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक गठित किया जाएगा और इसके कारण क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समस्याएं और मामले अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं, सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को द्विभाजित करने के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक विधेयक नामत: संविधान (चौरानवेवां) संशोधन, विधेयक, 2002 लोक सभा में 20.12.2002 को प्रस्तुत किया गया जिसे जांच के लिए श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है।

[हिन्दी]

घरेलू निवेशकों को सुविधाएं

2537. श्री पदमसेन चौधरी: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू निवेशकों को विदेशी निवेशकों के समान सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने निवेशकों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो घरेलू निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि वे विदेशी निवेशकों से प्रतिस्पर्धा कर सकें?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके दिनांक 13 जनवरी, 2003 के परिपत्र के अनुसार, भा.रि.बैंक ने कारपोरेटों, व्यष्टियों तथा म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेशों पर निम्नलिखित छूटें प्रदान करने की अनुमति दी है:

(1) कारपोरेट:

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को उन विदेशी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है जो (क) किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और (ख) जिनकी भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत शेयर धारिता हो (निवेश के वर्ष की पहली जनवरी के अनुसार)। ऐसे निवेश अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार, भारतीय कंपनी के निवल मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

(2) व्यष्टि:

निवासी व्यक्तियों को बिना किसी मौद्रिक सीमा के ऊपर (1) में निर्दिष्ट कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

(3) म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेश:

इस समय म्यूचुल फंडों को 500 मिलि. अमरीकी डालर की समग्र सीमा के भीतर भारतीय कंपनियों के एडीआर/जीडीआर में और दरनिर्धारित ऋण लिखतों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। अब म्यूचुअल फंडों को उपर्युक्त (1) में विदेशी कंपनियों की इक्विटी में भी निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। समग्र सीमा को भी 1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

(घ) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

147-48

मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली
(करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसन सिस्टम)

2538. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के 18 शहरों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई प्रणाली से लोगों को किस तरह मदद मिलने की संभावना है; और

(घ) देश में मुद्रा के लेन-देन (करेंसी हैंडलिंग) में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद, बंगलौर, बेलापुर (नवी मुम्बई), भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, नागपुर नई दिल्ली, मुम्बई, पटना और तिरूअनन्तपुरम स्थित अपने 18 निर्गम कार्यालयों में 48 करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियां (सीवीपीएस) संस्थापित की हैं।

(ग) नई प्रणाली, जो नोटों को गिनने, जांच करने और जारी करने योग्य, जारी करने के अयोग्य, संदेहास्पद और अस्वीकृत के रूप में छंटाई करने का कार्य निष्पादित करती हैं और साथ-साथ जारी करने के अयोग्य नोटों को छोटे टुकड़ों में विखंडित करती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालयों की नोट प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की चालू आधार पर परिचालन से मैले और कटे-फटे नोटों को वापस लेने में सहायता करेगी और जनता को नए/साफ/अच्छे नोट उपलब्ध कराएगी।

(घ) देश में करेंसी प्रहस्तर में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं, जिसमें मैले और कटे-फटे नोटों के निपटान में तेजी लाने के लिए अपने 18 निर्गम कार्यालयों में उच्च गति वाले सीवीपीएस की संस्थापना, जाली नोटों का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलट लैम्पों की संस्थापना के लिए सभी बैंकों को सलाह देना, नोट के पैकेटों को स्टेपल करने की पद्धति समाप्त करने के लिए बैंकों से निवेदन करना, अपनी करेंसी चेस्ट शाखाओं में नोट गिनने की मशीनें और टेबल टाप नोट सार्टिंग मशीनों की व्यवस्था करना, मैले और कटे-फटे नोटों के लिए जनता को मुक्त विनिमय सुविधा प्रदान करना शामिल है।

148-52

टीसीओ और बिटको (बीआईटीसीओ) का पुनरुत्थान

2539. श्री रामविलास पासवान: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इडबी (आईडीबीआई) द्वारा संचालित टीसीओ और बिटको (बीआईटीसीओ) के पुनर्गठन/पुनरुत्थान पर इडबी (आईडीबीआई) द्वारा अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और टीसीओ के पुनर्गठन के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) लिटको (बीआईटीसीओ) के कर्मचारियों को वेतन और पीएफ जैसे अन्य विधिसम्मत राशि का लम्बे समय से भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इडबी (आईडीबीआई) को वित्तीय पैकेज देकर उसके पुनर्गठन पर विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने बीआईटीसीओ सहित आईडीबीआई संचालित पांच तकनीकी परामर्शदाता संगठनों (टीसीओ) की अर्थक्षमता संबंधी स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए मूर्स रो-लैंड कन्सलटिंग प्रा.लि. (एमआरसीएल) की नियुक्ति की थी।

(ख) आईडीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बीआईटीसीओ, जे एंड के आईटीसीओ, एनईआईटीसीओ और एनईसीओएन से संबंधित अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आईडीबीआई अन्य संस्थाओं के साथ बीआईटीसीओ सहित टीसीओ का एक शेयरधारक है और दिन-प्रतिदिन का प्रशासन एवं स्टाफ संबंधी अन्य मामले, जिनमें वेतन-भुगतान एवं भविष्य निधि देयक राशि शामिल हैं, प्रत्येक अलग-अलग टीसीओ की पूर्ण जिम्मेदारी हैं।

(ङ) सरकार आईडीबीआई अधिनियम, 1964 को निरस्त करने और आईडीबीआई को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी में बदलने पर विचार कर रही है। तदनुसार, सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निगमीकरण करने और इसे बैंकिंग लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रमों का अन्तरण एवं निरसन) विधेयक, 2002 नामक एक विधेयक दिसम्बर, 2002 में लोक सभा में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक को जांच के लिए स्थायी वित्त समिति को भेजा गया है।

(च) विधेयक पेश करते समय यह स्वीकार किया गया था कि आईडीबीआई के पूर्व के उधार और चालू उधार के बीच विभेदी ब्याज दर की दृष्टि से उसके ऊपर आने वाले दायित्व का समाधान सरकार द्वारा अलग से करना आवश्यक होगा। तदनुसार, आईडीबीआई के सभी शेयरधारकों की बैठकों में यह निर्णय लिया गया है कि आईडीबीआई नियत दिवस की स्थिति के अनुसार अपने मौजूदा ऋणों पर 8% की दर पर ब्याज देगा और शेष अर्थात संविदागत दर और 8% के बीच के अन्तर का भुगतान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय बजट 2003-04 में इस प्रयोजन के लिए 773.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

विवरण

इन तकनीकी परामर्शदाता संगठनों (टीसीओ) से संबंधित अध्ययन के संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

1. बीआईटीसीओ

बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन (बीआईटीसीओ) जो कि औद्योगिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े राज्यों में से एक में स्थित है, पिछले वर्षों में कार्यनिष्पादन में गिरावट का रुख दर्शाता रहा है जिसके परिणामस्वरूप इसकी वित्तीय स्थिति में गंभीर गिरावट आई है। यह गंभीर कर्मचारी समस्याओं का सामना कर रहा है जिसमें कर्मचारियों द्वारा टीसीओ तथा टीसीओ द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध दायर मुकदमें भी शामिल हैं। यहां स्टाफ की अधिकता है जिनके उत्पादकता का स्तर एवं मनोबल गिरा हुआ है। बीआईटीसीओ के पास अत्यल्प आस्तियों की तुलना बड़ी मात्रा में बकाया देयताएं भी हैं। इसके परिचालन को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों से यह पता चलता है कि भविष्य में सतत अर्थक्षमता प्राप्त कर पाना इसके लिए कठिन होगा। एमआरसीएल ने बीआईटीसीओ को गैर-अर्थक्षम टीसीओ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह बताया गया है कि इसे बन्द किया जा सकता है क्योंकि अपने प्रायोजक संस्थान द्वार बारंबार प्राप्त सहायता के बावजूद बीआईटीसीओ अपनी अर्क्षक्षमता स्थापित करने में असफल रहा है। चूंकि एमआरसीएल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बीआईटीसीओ सतत अर्थक्षमता संदिग्ध है, इसलिए आईडीबीआई ने स्वयं को बीआईटीसीओ से अलग करने का निर्णय लिया था।

2. जे एंड के आईटीसीओ

जम्मू और कश्मीर औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन (जे एंड के आईटीसीओ) आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है। तकनीकी परामर्शदाता संगठन (टीसीओ) के पास ऋणात्मक निवल क्षमता तथा बड़े आकार की बकाया देयताएं हैं जो उसकी आस्तियों से कहीं अधिक हैं। ऋणदाताओं द्वारा टीसीओ को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इन प्रतिकूल कारकों से सतत आधार पर टीसीओ के लिए अर्थक्षम परिचालन स्तर पर प्राप्त कर पाना कठिन होगा। जे एंड के आईटीसीओ के लिए समापन ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है।

3. एनईआईटीसीओ

पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदाता संगठन (एनईआईटीसीओ) कम उत्पादकता और अत्यधिक कर्मचारी की समस्या के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के अभाव और गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े परामर्शदाताओं के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा सहित गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करता रहा है। यदि इसके ऋणदाता अपनी देयराशियों का लगभग 80% माफ करने पर सर्वसम्मति होने पर एमईआईटीसीओ के लिए अगले पांच वर्ष में अपने भविष्य के परिचालनों में से शेष राशि की वापसी अदायगी करना और अर्थक्षम टीसीओ होना संभव हो सकता है। तथापि, अपने ऋणदाताओं से अपेक्षित समायोजन के अभाव में इसे बंद किया जाना ही अंतिम विल्प होगा।

4. ओआरआईटीसीओ

उड़ीसा औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन (ओआरआईटीसीओ) की निवल क्षमता का ह्रास हो गया है और बकाया देयताएं बढ़ गई हैं जो इसकी आस्तियों से कहीं अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण वसूली अधिकरण के माध्यम से अपनी सहायता वसूल करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रतिकूल बाह्य एवं आंतरिक कारकों से ओआरआईटीसीओ के भविष्य के परिचालनों के प्रतिकूलत: प्रभावित होने की संभाना है। इसलिए, ओआरआईटीसीओ के लिए भी समापन ही एक सुविचारित विकल्प प्रतीत होता है।

5. एनईसीओएन

पूर्वोत्तर परामर्शदाता संगठन (एनईसीओएन) पूर्व में लाभ कमाने में सफल रहा था और इसके परिणामस्वरूप बांडों में 20 लाख रु. के निवेश के साथ-साथ इसके पास धनात्मक निवल क्षमता है। इसने युवा एवं उत्साही व्यावसायिकों के टीम तैयार की है जिन्होंने अपने ग्राहकों की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यवहार्य कारोबार विकास क्रियाकलाप शुरू किया है। इससे पर्याप्त सदभाव पैदा हुआ है। इसलिए एनईसीओएन में पुनरुज्जीवन की संभावना प्रतीत होता है और बाह्य स्रोतों से पर्याप्त निधियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। अत: एनईसीओएन में पुनरुज्जीवन की संभावना है। 152-

केरल को विश्व बैंक से सहायता

2540. श्री के. मुरलीधरन: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने विश्व बैंक से मिलने वाली वित्तीय सहायता के अन्तर्गत सरकार को कोई परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) विगत दो वर्षों के दौरान केरल सरकार से तीन परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/समाप्ति की तारीख	सहायता राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)
केरल ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	4-01-2001/ 31-12-2006	65.5
केरल राज्य परिवहन परियोजना	6-5-2002/ 31-12-2007	255.0
केरल राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	यह परियोजना आर्थिक कार्य विभाग में दिसम्बर, 2002 में प्राप्त हुई। वर्तमान में इस परियोजना पर कार्रवाई की जा रही है।	162.0 (प्रस्तावित)

153-54

उच्च न्यायालय की नई खंडपीठों की स्थापना

2541. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने उच्च न्यायालय हैं;

(ख) उच्च न्यायालयवार कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों की और खंडपीठ गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य में चिह्नित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) इस समय देश में 21 उच्च न्यायालय हैं।

(ख) उच्च न्यायालयवार लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण दी गई है।

(ग) से (ङ) किसी उच्च न्यायालय की, उसके प्रधान स्थान से दूर कोई न्यायपीठ गठित करने पर केवल तब विचार किया जाता है, जब संबंधित राज्य सरकार से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होता है।

सरकार को क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठें गठित करने के संबंध में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, उन राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के समाधानप्रद रूप में न्यायालय भवनों, न्यायाधीशों के लिए आवास, आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के पश्चात् मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय और जलपाईगुडी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक-एक न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। चूंकि, इस प्रस्ताव में संसदीय विधान अंतर्वलित है, अत:, इस संबंध में कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.		लंबित मामलों की संख्या		निम्नलिखित
		दांडिक	सिविल	तारीख को
1	2	3	4	5
	उच्चतम न्यायालय	4747	19634	1.11.2002
उच्च न्यायालय				
1.	इलाहाबाद	149587	760054	31.3.2002
2.	आंध्र प्रदेश	10863	152649	31.3.2002
3.	बंबई	27936	265344	30.9.2001
4.	कलकत्ता	36433	190697	31.3.2002
5.	दिल्ली	17718	73414	31.12.2000
6.	गुवाहाटी	5629	39413	31.12.2000
7.	गुजरात	19526	120041	31.12.2000
8.	हिमाचल प्रदेश	4037	13910	31.3.2002
9.	जम्मू-कश्मीर	1740	31625	31.3.2002
10.	कर्नाटक	7417	87819	31.3.2002
11.	केरल	17107	393972	31.3.2002
12.	मध्य प्रदेश	46121	84530	31.3.2002
13.	मद्रास	33258	314562	31.12.2001
14.	उड़ीसा	10598	137168	31.3.2002
15.	पटना	17297	63942	31.3.2002
16.	पंजाब और हरियाणा	44487	188288	31.3.2002
17.	राजस्थान	27718	110406	31.12.2001
18.	सिक्किम	20	102	31.3.2002
19.	उत्तरांचल	5365	25479	31.8.2002
20.	झारखण्ड	5437	9028	31.12.2001
21.	छत्तीसगढ़	16948	22690	31.10.2002
	योग	488130	3062443	

अडोनी कॉटन मिल्स का बंद होना

2542. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाके रायलसीमा क्षेत्र में स्थित एनटीसी की इकाई अडोनी कॉटन मिल्स को गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं के कारण बंद किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों के हितों का ध्यान में रखते हुए इसके पुनरुत्थान के लिए कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से कोई अपील की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार, एन.टी.सी. (एपीकेकेएम) की एक एकक, अदोनी मिल गैर-अर्थक्षम योग्य पायी गयी थी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मिल को बंद कर दिया गया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत एकक के कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) बी.आई.एफ.आर. के आदेश के विरुद्ध किसी कर्मचारी संघ के द्वारा न तो कोई अपील दायर की गई और न ही मिल के पुनरुद्धार के लिए सरकार को कोई आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। 155-56

विश्व बैंक से ऋण

2543. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से भारत को कड़ी शर्तों पर दिए गए वित्त, ऋण के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई आपत्ति को ध्यान में लाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में विश्व बैंक का कितना ऋण बकाया है और उस पर कितना ब्याज देय है;

(घ) क्या घरेलू ऋण विदेश से लिए जाने वाले ऋण से सस्ता होता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी ऋणों को सस्ती दरों पर विनिमय करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों के साथ किए गए करारों से पारस्परिक स्वीकार्य कार्यक्रम तथा परियोजना की शर्तें प्रतिबिम्बित होती हैं। अत: जारी ऋणों पर किसी ''कठोर अथवा अस्वीकार्य'' शर्त का प्रश्न नहीं उठता। विश्व बैंक ऋण सरकारों द्वारा यथोचित अंतरमंत्रालयी परामर्शों के पश्चात् अनुमोदित और हस्ताक्षरित किए जाते हैं।

(ग) विश्व बैंक को देय वर्तमान बकाया ऋण की राशि 25 बिलियन अमरीकी डालर है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) से प्राप्त ऋणों पर 0.75% प्रति वर्ष की दर से सेवा प्रभार लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी) से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर परिवर्तनीय होती है। करेंसी पूल ऋणों पर वर्तमान ब्याज दर 4.87% है। एकल मुद्रा ऋणों पर वर्तमान ब्याज दर 1.55% (दिनांक 31.7.1998 के पूर्व के ऋणों पर) तथा उत्तरवर्ती ऋणों पर 1.79% है।

(घ) यह विदेशी ऋण के नियमों एवं शर्तों, घरेलू ब्याज दरों तथा ऋण की सम्पूर्ण अवधि में विनिमय दर के परिवर्तनों पर निर्भर करेगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता। 156-

विशेष आर्थिक जोन को समुद्री बंदरगाह के रूप में घोषित किया जाना

2544. श्री के. येरननायडू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों से व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत ऐसे सभी जोनों को समुद्री बंदरगाह घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोनों के भीतर विनिर्दिष्ट क्षेत्र को इनलैंड कंटेनर डिपों अथवा कंटेनर फ्रेट स्टेशन के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पत्तनों पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप विशेष आर्थिक जोनों में यूनिटों द्वारा आयात एवं निर्यात संबंधी प्रक्रिया सरल बन जाएगी।

156-57

व्यापार संतुलन पर अमेरिका-इराक युद्ध का प्रभाव

2545. श्री मोइनुल हसन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक पर अमेरिकी युद्ध के मंडराते बादल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे भारत के व्यापार के ऋणात्मक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ हाल में अमरीका तथा ईराक के बीच तनाव बढ़ने के कारण तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है। फरवरी 2002 से और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भारतीय हिस्से की कीमतों का एक विवरण संलग्न है। तेल की कीमतों में वृद्धि से हमारे व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 49,337.44 मिलियन अम.डा. के सकल आयात में से (अप्रैल-जनवरी) तेल का कुल आयात 14349.86 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ है जो सकल आयात का 29% है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 22.02% है। सरकार सतत रूप से स्थिति पर निगरानी रख रही है।

विवरण

क्रूड आयल
(भारतीय हिस्सा)

महीना	मूल्य (डालर/बैरल में)
फरवरी, 2002	19.54
मार्च, 2002	23.30
अप्रैल, 2002	25.02
मई, 2002	24.99
जून, 2002	24.05
जुलाई, 2002	25.17
अगस्त, 2002	25.84
सितम्बर, 2002	27.84
अक्तूबर, 2002	26.89
नवम्बर, 2002	23.68
दिसम्बर, 2002	27.08
जनवरी, 2003	29.56
फरवरी, 2003 (1-27 फरवरी, 03)	31.23

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा उड़ीसा के किसानों को भुगतान

2546. श्री परसुराम माझी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के किसानों का राइस मिल मालिकों द्वारा शोषण बढ़ता ही जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) उड़ीसा के किसानों से खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों का भुगतान भी विलंब से करता रहा है;

(ग) क्या मिल मालिकों और एफसीआई के इन कारनामों से उड़ीसा में किसानों को खाद्यान्नों को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने हेतु एफसीआई प्राधिकारियों द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (घ) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2002-2003 के दौरान उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप धान की मजबूरन बिक्री अथवा उड़ीसा में चावल मिल मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 4.3.2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में 3.24 लाख टन लेवी चावल की वसूली की गई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भुगतान जारी करने में कोई विलंब नहीं हुआ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और विशेष सूखा राहत मूल्य का लाभ हर हालत में किसानों को मिले, सरकार ने दिनांक 23.12.2002 के पत्र द्वारा इस प्रभाव के अनुदेश जारी किए हैं कि भारतीय खाद्य निगम उन क्षेत्रों के संबंध में लेवी चावल की सुपुर्दगी स्वीकार करेगा जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार प्रभावकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चला रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर उचित औसत किस्म की धान की मजबूरन बिक्री की कोई रिपोर्ट नहीं है, बशर्ते कि संबंधित जिले का जिला कलैक्टर इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों को दे। जिन मामलों में यह निर्दिष्ट करने का दस्तावेज नहीं है कि मिल मालिकों ने किसानों को विशेष सूखा राहत मूल्य का भुगतान कर दिया है, उन मामलों में समतुल्य 20 रुपये का विशेष सूखा राहत मूल्य काटकर दूसरे लेवी चावल मूल्य को अधिसूचित किया गया है।

आरबीआई को चुस्त-दुरुस्त किया जाना

2547. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक का पुनर्गठन और उसे चुस्त-दुरुस्त करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले विभिन्न घोटालों का शुरूआती दौर में पता लगाने में भारतीय रिजर्व बैंक की असफलता की निहित कमजोरियों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

साधारण बीमा निगम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छठे बैच को सेवा में शामिल किया जाना

2548. डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** 12 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7373 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छठे और आगे के बैच को सरकार के आश्वासन के मुताबिक सेवा में शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित छात्रों को जिनके पास सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की अपेक्षित योग्यताएं हैं, उनको दिए गए प्रशिक्षण के अधिकतम उपयोग के लिए कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत सीटें आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब के लिए चीनी का कोटा

2549. श्री जे.एस. बराड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब को खुले बाजार में मिलने वाली चीनी के पूरे कोटे की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खुले बाजार में मिलने वाली चीनी का मासिक कोटा कितना है और वर्ष 2002 के दौरान वास्तविक रूप में कितनी चीनी की आपूर्ति की गई; और

(घ) पंजाब के लिए खुले बाजार में मिलने वाली चीनी का कोटा कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) देश में चीनी के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और चीनी का राज्यवार कोई कोटा नहीं है। चीनी मिलें और अपने गैर-लेवी कोटों को देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

बिहार में आनलाइन बैंकिंग

2550. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बिहार के प्रमुख शहरों में स्थित अपनी शाखाओं को आनलाइन बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कितने शहर हैं जहां बैंकों को नेटवर्क से जोड़ दिया गया है/जिन्हें अभी जोड़ा जाना शेष है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे पटना को छोड़कर, बिहार में बैंक शाखाओं की संयोजकता से संबंधित सूचना एकत्र नहीं कर रहे हैं।

दिनांक 31.12.2002 की स्थिति में अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पटना में नेटवर्किंग के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारत में 21 वाणिज्यिक केन्द्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के नेटवर्किंग की समेकित स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

31.12.2002 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा नेटवर्किंग की स्थिति

क्र.सं.	बैंकों का नाम	शाखाओं की कुल संख्या	नेटवर्किंग के लिए पहचान की गई आयोजित शाखाएं	नेटवर्क शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	51	33	30
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4	4	—
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—	—	—
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	—	—	—
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	—	—	—
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	1	1
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	—	—
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	—	—	—
9.	इलाहाबाद बैंक	15	11	9
10.	आंध्रा बैंक	1	1	—
11.	बैंक आफ बड़ौदा	8	—	—
12.	बैंक आफ इंडिया	9	9	—
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1	1	—
14.	केनरा बैंक	10	10	1
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	18	1	1
16.	कारपोरेशन बैंक	2	2	2
17.	देना बैंक	1	—	—
18.	इंडियन बैंक	4	—	—
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2	—	—
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2	—	—
21.	पंजाब नेशनल बैंक	15	—	—
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2	—	—

1	2	3	4	5
23.	सिंडिकेट बैंक	2	1	—
24.	यूको बैंक	4	1	—
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5	5	—
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	7	5	1
27.	विजया बैंक	3	3	3
	कुल	167	88	48

विवरण II

31.12.2002 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 21 वाणिज्यिक केन्द्रों में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की शाखाओं की नेटवर्किंग की स्थिति

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	शाखाओं की कुल संख्या	कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या		लगाए गये वीएसएटी की संख्या	नेटवर्किंग के लिए पहचान की गई/ आयोजित	नेटवर्क शाखाओं की संख्या	योजना की तुलना में नेवटर्क शाखाओं का प्रतिशत
			पूर्णत:	अंशत:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अहमदाबाद	437	271	133	56	281	168	59.79
2.	बंगलोर	661	486	161	79	523	330	63.10
3.	भोपाल	154	106	40	19	95	144	151.58
4.	भुवनेश्वर	97	59	31	12	76	38	50.00
5.	कोलकत्ता	912	526	302	41	509	339	66.60
6.	चंडीगढ़	137	100	29	22	89	79	88.76
7.	चेन्नई	680	581	89	53	483	402	83.23
8.	गुवाहाटी	87	61	28	10	43	11	25.58
9.	हैदराबाद	550	399	147	69	435	304	69.89
10.	जयपुर	192	142	45	15	131	39	29.77
11.	जम्मू	64	24	23	5	8	16	200.00
12.	कानपुर	271	104	98	9	64	23	35.94
13.	कोच्ची	122	79	29	17	63	130	206.35
14.	लखनऊ	222	141	72	25	134	59	44.03
15.	मुम्बई	1200	987	201	99	856	724	84.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	नागपुर	152	101	44	18	116	45	38.79
17.	दिल्ली	1304	856	389	118	751	617	82.16
18.	पणजी	51	31	14	11	35	13	37.14
19.	पटना	167	102	41	17	88	48	54.55
20.	पुणे	279	213	55	18	190	115	60.53
21.	तिरुवन्तपुरम	122	88	23	15	52	38	73.08
	कुल	7850	5439	1991	689	5022	3682	73.32

[अनुवाद] 165

हथकरघा वस्त्र उद्योग में आया ठहराव

2551. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में पर्याप्त विपणन सुविधाओं के अभाव से हथकरघा वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर ठहराव आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग पर निर्भर परिवारों को अभूतपूर्व आर्थिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन लोगों के हालात में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, नहीं। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि वस्त्र बाजार में मंदी की वजह से राज्य में हथकरघा सामान का भंडार हो गया था। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि बुनकर सहकारी समिति तथा तमिलनाडु हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड (कोपटेक्स) ने काफी हद तक भण्डार का परिसमापन कर दिया है और 1.4.2002 को मौजूदा 452.75 करोड़ रुपये के भण्डार को कम करके 31.9.2003 तक 271.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) तमिलनाडु सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

शेयर बाजार में बदनाम प्रवर्तक 166 67

2552. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी का विचार पूंजी बाजार में बदनाम प्रवर्तकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो बदनाम प्रवर्तकों को बाजार से अलग-अलग करने के लिए सेबी द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सेबी की पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए प्रवर्ततकों द्वारा फाइल की गई निर्देशिकाओं के सत्यापन की क्या प्रक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सेबी (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से विवरणिका के जरिए किसी कम्पनी द्वारा प्रतिभूतियों के निर्गम का निषेध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सेबी को उक्त प्राधिकार को लागू करने के लिए रूपात्मकताएं तैयार करनी हैं जिस में, अन्य बातों के अलावा, निर्गम कार्य प्रणाली को निषिद्ध करने के लिए मानदंड और पीड़ित पक्ष के लिए समाधान निवारण तंत्र शामिल हैं।

(ग) वर्तमान में सेबी किसी विवरणिका की जांच नहीं करता है। यह पूर्ण और उचित प्रकटीकरण के सिद्धांत पर काम करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशक एक जानकारीपूर्ण निवेश निर्णय ले सकता है। जब भी कोई निर्गमकर्ता कम्पनी लीड मैनेजर नामक एक पंजीकृत मर्चेंट बैंकर के जरिए सेबी के पास प्रारूप विवरणिका दर्ज कराती है तो सेबी, (डीआईपी) दिशानिर्देश, 2000; कम्पनी अधिनियम, 1956 और सभी अन्य प्रयोज्य कानून/

अधिनियम/नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवरणिका की पुनरीक्षा करता है और प्रारूप विवरणिका पर अपने प्रेक्षण/सुझाव देता है। अंतिम विवरणिका को कम्पनी रजिस्ट्रार/स्टाक एक्सचेंज के पास दर्ज कराने और तदनंतर बाजार में प्रवेश करने से पूर्व उन प्रेक्षणों/सुझावों का निवारण लीड मैनेजर द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सेबी ने पूंजी बाजार में प्रवेश का इरादा रखने वाली कम्पनियों के लिए कुछ पात्रता अपेक्षाएं भी निर्धारित की हैं।

167-68

विदेशी नागरिकों द्वारा औषधियों की तस्करी

2553. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 2003 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में फारेन के स्मलिंग ड्रग्स हैज कस्टम्स वरीड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले राजनयिकों को दी जाने वाली प्रतिरक्षा की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली में 31.1.2003 को इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इथोपियाई एयर लाइन की उड़ान से प्रस्थान करने वाले चाइनेदयू हैरिसन नामक एक नाइजीरियाई नागरिक को रोका गया था और उसके सामान की जांच करने पर 1090 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई थी जो कि उसने अपने सूटकेस की लाइनिंग में छिपाई हुई थी। इससे पहले दिनांक 27.1.2003 को एक इथोपियाई एयर लाइन की उड़ान से नाइजीरिया से आने वाले एक अन्य नाइजीरियाई नागरिक ओलायांर्क सुलेमान हबीब को रोका गया था और उसके सामान की जांच करने के परिणामस्वरूप लगभग 500 ग्राम कोकीन की बरामदगी हुई थी। दोनों ही यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

(ग) विभाग सन्देहास्पद व्यक्तियों पर सतर्कता रख रहा है और सन्देहास्पद उड़ानों के संबंध में निगरानी रखने के लिए उपाय किए गए हैं।

(घ) और (ङ) राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मलन, 1961 के अनुसार उनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तताओं के पूर्वाग्रह के बिना सभी राजनयिकों का यह कर्तव्य है कि वे प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों और विनियमों के संबंध में ऐसे विशेषाधिकारों और उन्मुक्तताओं का उपभोग करें। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत प्राप्तकर्ता राज्य के अनुरोध पर भेजने वाले राज्यों द्वारा उन्मुक्ति को समाप्त किया जा सकता है। जब कभी ऐसे मामले आते हैं जहां पर राजनयिकों को राजनयिक विशेषाधिकारों/सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो संबंधित दूतावासों को सन्देहास्पद राजनयिक की उन्मुक्ति को समाप्त करने/संबंधित राजनयिक को वापस बुलाने की सलाह दी जाती है।

मुस्लिम स्वीय विधि

2554. डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड में कितने सदस्य हैं;

(ख) क्या इसे विधायी समर्थन प्राप्त है अथवा इसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि निकाय कहा जा सकता है;

(ग) क्या मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड ने मुस्लिम स्वीय विधि में परिवर्तन हेतु कोई सुझाव दिया है ताकि इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा किये गये परिवर्तनों के अनुरूप बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) अखिल भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड के प्रकाशनों से एकत्रित जानकारी के अनुसार इसका गठन वर्ष 1972 में बंबई में हुई एक विशाल शरीयत सभा में किया गया था और इसमें 201 सदस्य हैं।

(ख) बोर्ड को कोई विधायी समर्थन प्राप्त नहीं है। तथापि, यह भारतीय मुस्लिमों के एक प्रतिनिधि निकाय होने का दावा करता है जो 'मुस्लिम स्वीय विधि' के बैनर के अधीन भारत में यथाप्रवृत्त इस्लामी विधि के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है।

(ग) सरकार को बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे किन्हीं सुझावों की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

2555. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर इसके लिए वर्षवार कितनी निधियां प्रदान की गई हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कुल कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम से किसानों को राजसहायता और सहायता प्राप्त होगी और इसका उद्देश्य संवर्धित प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयोगों को अपनाये जाने को प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम हेतु समर्थन मूल्य लागू करने की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों ने रेशन उत्पादन में सुधार लाने हेतु राज्यवार किस सीमा तक इस धनराशि का उपयोग किया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) केंद्रीय रेशम बोर्ड (के.रे.बो.), रेशम उत्पादन के विकास के लिए, राज्य सरकार के सहयोग से उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह कार्यक्रम स्टेकहोल्डरों को शहतूती, तसर, एरी व मूगा रेशम के भोज्य-पौध उपजाने से लेकर उत्पादों के विपणन तक के प्रचालन में सहायता प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी को अपनाना, निवेश का सृजन, उत्पादकता में सुधार तथा रोजगार सृजन, इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य हैं।

दसवीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 52.88 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
परिव्यय	8.26	7.50	11.00	10.40	15.72	52.88

दसवीं योजना में सीडीपी के लिए कुल आवंटन 173.73 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) के अंतर्गत अधिकतर घटक लाभार्थियों को सब्सिडी/केंद्रीय रेशम बोर्ड तथा संबद्ध राज्य सरकारों दोनों की सहायता सहित वित्तीय सहायता का प्रस्ताव करते हैं। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य, रेशम की गुणवत्ता के उत्पादन व उत्पादकता तथा उन्नयन को बढ़ाने के लिए होस्ट पौधाकरण, बीज उत्पादन, रेशम कीट पालन, धागा बनाना तथा ट्विस्टिंग, बुनाई, छपाई व रंगाई जैसी विभिन्न गतिविधियों में उन्नत प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है। दसवीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी/सहायता प्रदान करने वाले घटकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) कुछ राज्यों ने अल्पकालीन बाजार अंतर्क्षेप उपाय के रूप में "कोयो के धागाकरण की कीमत संबंधी लाभ" नामक केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना तैयार की है, जिसके तहत अभी किसी प्रकार की केंद्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

विवरण

दसवीं योजना (वर्ष 2002-2007) के दौरान प्रोत्साहन/उत्प्रेरण विकास योजनाओं द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही सब्सिडी/सहायता की सूची

क्र.सं.	उप-घटक/गतिविधियां
1	2
I.	**शहतूती क्षेत्र/घटक**
1.	डॉस (द्विफसलीय के लिए) की सैंपलिंग की लागत की प्रतिपूर्ति
2.	किसानों को पालन संबंधी उपकरणों/खेती के उपकरणों की आपूर्ति
क.	नए शहतूती रेशम-उत्पादकों (सामान्य किसानों के लिए) को खेत में प्रशिक्षण प्रारंभिक उपकरणों की आपूर्ति
ख.	किसानों को पालन संबंधी उपकरणों/खेती के उपकरणों की आपूर्ति (द्विफसलीय के लिए)

1	2
3.	ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करना
4.	उच्चकोटि के संक्रमणरोधी सामग्री की आपूर्ति
5.	किसानों को पालन-गृहों के निर्माण हेतु सहायता
6.	उपज बीमा सहायता
II.	**तसर क्षेत्र/घटक**
1.	आवर्धन/व्यवस्थित तसर का रखरखाव/ओक तसर होस्ट पौधाकरण के लिए सहायता
2.	निजी तसर उत्पादकों को सहायता
3.	तसर के लिए उपज बीमा सहायता
III.	**एरी क्षेत्र/घटक**
1.	एरी भोज्य पौध के आवर्धन हेतु प्रशिक्षण व प्रारंभिक उपकरण
IV.	**मूगा क्षेत्र/घटक**
1.	मूगा भोज्य पौध का आवर्धन
2.	निजी मूगा उत्पादकों को सहायता
3.	मूगा के लिए उपज बीमा सहायता
V.	**कोया पश्चात क्षेत्र/घटक**
1.	बहुउपयोगी रेशम की धागा बनाने वाली मशीनों की आपूर्ति
2.	धागा बनाने वाले एककों को सहायता
क.	बैंक द्वारा धागा बनाने वाले एककों को स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज की सब्सिडी
ख.	बहु उपयोगी धागा बनाने वाली मशीनों पर द्विफसलीय रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
3.	सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना
4.	सुधरे हुए धागाकरण/कताई यंत्रों के उन्नयन व प्रसिद्धिकरण के लिए अभिकरणों (गैर-सरकारी संगठन/सहकारी समितियां) को सहायता

वस्त्र कोटा 171-72

2556. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका और यूरोपीय संघ ने भारत को वर्ष 2004 तक के अंत तक वस्त्र कोटे को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आश्वासन दिया है ताकि इसे बहुराष्ट्रीय व्यापार में शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत का विचार इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करने और विश्व व्यापार संगठन की आगामी बैठक में इस विषय को किस प्रकार उठाने का है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1994 तक, कुछ विकसित देशों (उदाहरण के लिए अमेरिका; यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश; कनाडा) को वस्त्र का निर्यात सामान्य शुल्क और व्यापार करार (गैट) के नियमों से बाहर बहु-फाईबर करार (एमएफए) के तत्वावधान में भारत और इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वस्त्र करारों से शासित किया गया था। 1 जनवरी, 1995 से, एमएफए के अंतर्गत द्विपक्षीय करारों में मात्रात्मक प्रतिबंधों (आयात कोटा) को गैट के उरूग्वे दौर के समझौतों के अंतिम अधिनियम में निहित वस्त्र और क्लोदिंग करार (एटीसी) द्वारा शासित किया जा रहा है। इस समय हमारी वस्त्र और क्लोदिंग मदें यूएसए, यूरोपीय यूनियन और कनाडा में प्रतिबंध का सामना करती है। एटीसी के अनुसार, वस्त्र कोटाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और वस्त्र क्षेत्र को 1 जनवरी, 2005 तक डब्ल्यू टी ओ में पूरी तरह से मिला दिया जाएगा।

अफ्रीका और लेटिन अमरीका को निर्यात 172-73

2557. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अफ्रीका और लेटिन अमरीका को होने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) वर्ष 2003-2004 के लिए इस संबंध में क्या प्रस्ताव प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गयी आगामी योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत का अफ्रीका को निर्यात वर्ष 1999-2000 में 1895.93 मिलियन अम. डालर से बढ़कर वर्ष 2001-2002 में 2860.84 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिसमें 50.89% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान भारत के लैटिन अमरीका को हुए निर्यात 1999-2000 में 652.46 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 1455.71 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिसमें 123% की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 के लिए फोकस अफ्रीका कार्यक्रम भारतीय राजनयिक मिशनों वाले उप सहारा अफ्रीका के शेष 11 देशों और उत्तरी अफ्रीका के छह देशों नामत: मिश्र, सूडान, अल्जीरिया, लीबिया मोरक्को और ट्यूनिशिया के लिए भी लागू कर दिया गया है। सरकार ने दिनांक 31.3.2003 को समाप्त होने वाले फोकस लैटिन अमरीका कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी शुरू किया है। लैटिन अमरीका और अफ्रीका के लिए इन फोकस कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनागत मुख्य निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ उन देशों में उत्पादों की निर्यात संभावना से संबंधित सूचना का प्रसारण, व्यापार शिष्टमंडल भेजना, विशिष्ट प्रदर्शनियां आयोजित करना, बड़े मेलों प्रदर्शनियों में भाग लेना और अलग-अलग निर्यातकों के पात्र-विपणन संवर्धन कार्यकलापों के लिए आंशिक रूप से सब्सिडी देना और लैटिन अमरीका और अफ्रीका में कार्यालय तथा वेयरहाउस स्थापित करना शामिल है।

[हिन्दी]

उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस 174

2558. श्री रामरती बिन्द: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य-वार कौन-कौन सी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) मंत्रालय कौन-कौन से उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) विगत तीन वर्षों (जनवरी 2000 से दिसंबर 2002 तक) के दौरान जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की सूची को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) यह मंत्रालय निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करता है:-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग;

(2) अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत रखे गये उद्योग;

(3) लघु क्षेत्र में अनन्य रूप से विनिर्माण के लिए आरक्षित मदें;

(4) यदि प्रस्ताव पर स्थापना संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं।

विवरण

ऐसे उद्योगों की राज्यवार सूची जिन्हें जनवरी, 2000 से दिसंबर, 2002 के बीच औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं

क्र. सं.	राज्य का नाम	कंपनी का नाम (मैसर्स)	विनिर्माण की मद का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	विष्णु केमिकल्स प्रा.लि.	बेरियम कार्बोनेट
2.		आईबीपी कं. लि. (पीएसयू)	साइट मिक्स्ड इंडस्ट्रीयल एक्सप्लोसिव
3.		ट्रांसजीन वैक्सिन लि.	हेपेटाइटिस-बी वैक्सिन
4.		भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि.	यूरोकिनेस
5.		ग्लैंड फार्मा लि.	ड्रग्स फामूर्लेशन्स एक्सक्लूसिवली पेरेन्ट्रल्स (इंजेक्शन)
6.		भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि.	रिकंबिनेन्ट हैपेटाइटिस-बी वैक्सिन

1	2	3	4
7.		सूर्यवंशी स्पाइनिंग मिल्स लि.	टी शर्ट्स बेबीज गार्मेन्टस, ब्लाउज, आदि
8.		श्रीराम स्पाइनिंग मिल्स लि.	काटन यार्न
9.		कन्सेप्ट फूड प्रा. लि.	फ्रूट बार्स
10.		परफेक्ट निटर्स लि.	बुने हुए वस्त्र
11.		डा. रेड्डीस लेबोरेटरिज	रिकंबिनेन्ट प्रोटीन्स इत्यादि
12.		आइडियल इंडस्ट्रीयल एक्सप्लोसिव्स लि.	स्लरी एक्सप्लोसिव
13.		भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि.	सच्छारोमासिस बोलारडी
14.		जीटीएन टेक्सटाइल्स लि.	ट्यूस्टेड एंड डबल्ड काटन यार्न
15.		डा. रेड्डीस लेबोरेटरिज	डागनोस्टिक किट्स
16.		हार्टेक्स रबड़ लि.	साइकिल टायर
17.		स्रव्य टेक्सटाइल्स लि.	काटन केनवास टारपोलिन्स आदि
18.		सूर्यवंशी स्पाइनिंग मिल्स लि.	काटन यार्न, ब्लेन्डेड यार्न इत्यादि
19.		सेंट गोबेन वेटरोटेक्स (इंडिया) लि.	फायबर ग्लास एवं वस्तुएं
20.		आइडियल इंडस्ट्रीज लि.	इंडस्ट्रीयल एक्सप्लोसिव्स
21.		जीटीएन टेक्सटाइल्स लि.	काटन यार्न
22.		सालवेय विष्णु बेरियम प्रा.लि.	बेरियम कार्बोनेट
23.	असम	हिन्दुस्तान लिवर लि.	ओरल/डेन्टल हायजीन उत्पाद
24.	बिहार	आइडियल इंडस्ट्रीज लि.	इंडस्ट्रीयल एक्सप्लोसिव्स
25.	गुजरात	मेघमनी आर्गेनिक्स	पथालो साइनिन ब्लू
26.		नचमो टेक्सटाइल्स	निटिड फेबरिक्स
27.		अशिमा डाईकोट लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
28.		इसजे इंटरनेशनल प्रा. लि.	रेडिमेट गार्मेन्ट्स
29.		इंडक्टो थर्म (इंडिया) लि.	इंडक्शन मेलटिंग उपस्कर
30.		सर्च केम इंडस्ट्री लि.	कास्टिक सोडा
31.		कोरोनेट प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	प्लास्टिक उत्पाद
32.		विक्रांत आटो सस्पेन्शंस	लेमिनेटेड लीफ स्प्रिंग्स
33.		ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि.	ग्लास फाइबर रिइन्फोर्स्ड सीमेंट
34.	हरियाणा	नीरज इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	सर्जिकल ब्लेड्स

1	2	3	4
35.		बिरला वी एक्स एल लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
36.		ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचूरी टेक्सटाइल प्रा. लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
37.		विनायक फेबरिक्स प्रा. लि.	निटिड गार्मेन्ट्स
38.		ऊषा फेब्स प्रा. लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
39.		ओरिएन्ट क्लोथिंग कं. प्रा. लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
40.		एसपीएल इंडस्ट्री लि.	निटिड गार्मेन्ट्स
41.		गोवर इंटरनेशनल	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
42.		आर एल एफ लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
43.		के.के. कोहली एंड ब्रदर्स प्रा. लि.	टेक्सटाइल्स गार्मेन्ट्स
44.		मेट्रिक्स क्लोथिंग (प्रा.) लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
45.		लिबर्टी ग्रुप (मार्केटिंग डिविजन)	चमड़े के जूते
46.		शिवालिक प्रिन्ट्स लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
47.		गुप्ता एक्जिम (इंडिया) प्रा. लि.	निटिड गार्मेन्ट्स
48.		सेग मेटल्स लि.	इलैक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरिज आदि
49.		पर्ल स्टाइल लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
50.		निट क्राफ्ट एपेरल्स इंटरनेशनल	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
51.		वी एंड एस टेक्सनिट्स प्रा. लि.	निटिड आफ यार्न
52.		कौटिल्य इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	निटिड फेबरिक्स
53.		श्याम टेक्स इंटरनेशनल लि.	निटिड फेबरिक्स
54.		ड्रिस शूज लि.	चमड़े के जूते
55.		वर्ल्ड वाइड लेदर एक्सपोर्ट्स लि.	चमड़े के जूते
56.		टेक्सपोर्ट्स फैशन	निटिड गार्मेन्टस
57.		चून्नू इंटरनेशनल	निटिड रेडिमेड गार्मेन्ट्स
58.		ध्रुव ग्लोबल्स लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
59.	कर्नाटक	अमृतसर स्वदेशी वूलन मिल्स	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
60.		दि बेस्ट सेलर्स	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
61.		के. मोहन एंड कं. एक्सपोर्ट्स (रजिस्टर्ड)	रेडिमेड गार्मेन्ट्स

1	2	3	4
62.		अरबिन्द प्रोडक्ट्स लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
63.		दि अरबिन्द प्रोडक्स लि.	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
64.		मणिपाल एपेरल्स	रेडिमेड गार्मेन्ट्स
65.		के. मोहन एंड कं. एक्सपोर्ट्स	गार्मेन्टस
66.		केलटेक इनर्जीस लि.	इंडस्ट्रीयल एक्सप्लोसिव
67.		जगदाले इंडस्ट्रीज लि.	फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स
68.		के. मोहन एंड कं. एक्सपोर्ट्स रजिस्टर्ड	गार्मेन्टस
69.	केरल	कोच्ची रिफाइनरी लि. (पी.एस.यू.)	इसो ब्यूटेन
70.	मध्य प्रदेश	बल्क एक्सप्लोसिव प्रा. लि.	एस एम ई/बल्क एक्सप्लोसिव
71.	महाराष्ट्र	किरलोस्कर एमक्वे लि.	कम्प्रेशर्स वाटर चिलर्स आदि
72.		इकानामिक्स एक्सप्लोसिव लि.	डेटोनेटर्स
73.		सोलार एक्सप्लोसिव्स लि.	स्लरी एमल्सन एक्सप्लोसिव्स
74.		सुदर्शन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि.	पिगमेंट ब्ल्यू
75.		डिफाइन्स क्लोथिंग कं.	सिलेसिलाए परिधान
76.		पूना बाटलिंग कं. लि.	विवरेज
77.		एडीएफ फूड्स लि.	पिकल आदि
78.		ग्रीब्स मोर्गानाइट्स क्रू सिबल लि.	ग्रेफाइट क्रूसिबल
79.		उपासना सिल्क मिल प्रा. लि.	निटेड फैब्रिक्स
80.		डाटा एस. एस. एल. लि.	एस डब्ल्यू. जी और थिकर प्लेटिड/कोटेड जिंक कार्बन सहित
81.		भारत फोर्ज लि.	स्टील फोर्जिंग्स
82.		फिएट इंडिया प्रा. लि.	मोटर कार
83.		हसिया रेडाट्राइन पैकिंग मशीनरी प्रा.लि.	पैकिंग मशीनरी
84.		नवनीत पब्लिकेशन्स	अभ्यास पुस्तिका आदि
85.		गरवारे वाल रोप्स लि.	स्पोर्ट्स नेट्स
86.		भारत फोर्ज लि.	फ्रोंट एक्सले एसम्बलीज
87.		बलकान टेक्नोलाजी प्रा. लि.	हाई फ्लेक्सिबल कपलिंग्स
88.		सोमा पेपर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	स्टापों के लिए गोंद लगा कागज

1	2	3	4
89.		फिएट इंडिया प्रा. लि.	मोटर कार
90.	पंजाब	फ्रीमैनस मेजर्स लि.	स्टील टेप्स
91.		बल्लभ फैब्रिक्स लि.	हौजरी निटेड वस्त्र
92.		बल्लभ निट्स लि.	हौजरी निटेड वस्त्र
93.		डीके निट वियर	सिले सिलाए परिधान
94.		ओसवाल गारमेंट्स	हाजरी निट वियर्स
95.		पंजाब अलकली एण्ड कैमिकल्स लि.	कास्टिक सोडा
96.		गर्ग फरनेस लि.	स्टील इनगाट्स
97.		नाहर स्पिनिंग मिल्स लि.	पुलओवर्स आदि
98.		कंगारो इण्डस्ट्रीज लि.	स्ट्रिपों में स्टेपल्स
99.		गर्ग एकरिलिक्स लि.	एक्रिलिक यार्न
100.		मंगला कोटेक्स लि.	हाजरी निटेड वस्त्र
101.		रेडा एसोसिएट्स लि.	गैर-वर्स्टेड यार्न
102.		नाहर एक्सपोर्टस लि.	काटन यार्न
103.	राजस्थान	इसुजू गारमेंट्स (सुजूकी टेक्सटाइल्स लि. की एक इकाई)	सिले-सिलाए परिधान
104.		आई डी एल इंडस्ट्रीज लि.	बल्क एक्सप्लोसिव्स
105.	तमिलनाडु	एक्वासब इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रीकल स्टाम्पिंग्स
106.		एक्वासब इंजीनियरिंग	सबमर्सीबल मोटर
107.		लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि.	प्रेस टूल्स आदि
108.		टीटीके फार्मा लि.	कृत्रिम हृदय वाल्व्स
109.		श्री रंगानाथार वाल्व्स प्रा. लि.	औद्योगिक वाल्व्स
110.		रोजिनी गारमेंट्स	निटेड परिधान
111.		सेलीब्रिटी फैशन्स प्रा. लि.	सिले-सिलाए परिधान
112.		काटन कैण्डी	सिले-सिलाए परिधान
113.		इंडिया डाईंग मिल प्रा. लि.	सिले-सिलाए परिधान
114.		ईस्टमैन एप्पेरल	सिले-सिलाए परिधान
115.		सुराना टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लि.	पोलीस्टर यार्न

1	2	3	4
116.		श्री के.एन.एम. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
117.		टुगेदर टेक्सटाइल्स मिल्स	परिधान
118.		सोलो एक्सपोर्ट्स	सिले-सिलाए परिधान
119.		स्टालियन गारमेंट्स	निटेड परिधान
120.		श्री कटेरी टेक्सटाइल्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
121.		राजश्री स्पिनिगं मिल्स	कॉटन यार्न
122.		विजय सिंटेक्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
123.		डी वी बी काटन मिल्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
124.		हिन्दुस्तान स्पिनर्स	कॉटन यार्न
125.		हिन्दुस्तान टेक्सटाइल	कॉटन यार्न
126.		बालू एक्सपोर्ट्स	सिले-सिलाए परिधान
127.		डी वी बी काटन मिल्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
128.		बीचिंस क्रिएशन प्रा. लि.	कॉटन निटेड परिधान
129.		विजय टेरी प्रोडक्ट्स लि.	कॉटन यार्न
130.		के एन एम टेक्सटाइल	कॉटन यार्न
131.		चेन्नई बाटलिंग कं. लि.	मृदु पेय
132.		फार्वार्ड लेदर कं. लि.	लेदर सू अपर्स
133.		बाटा इंडिया लि.	चमड़े की पादुकाएं
134.		विक्टस डाईंग	परिधानों को रंगना
135.		येलो जर्सी	हौजरी फैब्रिक्स
136.		ग्रीव्स लि.	पिस्टन इंजिन्स
137.		नेटवर्क क्लोथिंग कं. लि.	हौजरी गारमेंट्स
138.		पंडित हौजरी मिल्स	सिले-सिलाए परिधान
139.		कैमटेक प्रासेसर	हौजरी फैब्रिक्स
140.		टामारी मिल्स लि.	कॉटन यार्न
141.		सीबी टेक्स	हौजरी फैब्रिक्स
142.		श्रीकृष्णा टेक्सटाइल्स	कॉटन यार्न
143.		बेसलाइन गार्मेन्ट प्रा. लि.	हौजरी गार्मेन्ट

1	2	3	4
144.		स्टेटेक्स मिल्स	कॉटन यार्न
145.		टेक्सटूल कं. लि.	टेक्सटाइल मशीनरी
146.		विजय टेरी प्रोडक्ट्स लि.	कॉटन यार्न
147.		लक्ष्मी नरसिम्हा टेक्सटाइल्स	कॉटन यार्न
148.		हिन्दुस्तान टेक्सटाइल्स 'बी' यूनिट	कॉटन यार्न
149.		ट्यूबेनिट फेशन लि.	होजरी गार्मेन्ट्स
150.		फैशन साइनोकोटेक्स प्रा. लि.	बुने हुए वस्त्रों का निर्माण
151.		टेक्सटूल कं. लि.	कॉटन यार्न
152.		सुपर सेल्स एजेंसी लि.	कॉटन यार्न
153.		राजावे टेक्सटाइल्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
154.		आर.के. टेक्सटाइल्स	फेबरिक्स
155.		श्री मांगेयारकारासी मिल्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
156.		दिनेश टेक्सटाइल्स	कॉटन यार्न
157.		लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लि.	निटिड फेबरिक्स
158.		दि सुगुना मिल्स लि.	कॉटन यार्न
159.		के एन एम मिल्स प्रा. लि.	गार्मेन्ट्स
160.		फाइन फिट निटिंग एंड कं.	निटिड होजरी गार्मेन्ट
161.		देवी करूनाम्बीगई टेक्सटाइल्स मिल्स लि.	कॉटन यार्न
162.		श्री पालानी मुरूगन इंटरप्राइजेज लि.	कॉटन यार्न
163.		श्री वासुदेव टैक्सटाइल्स लि.	कॉटन यार्न
164.		सुआ एक्सप्लोसिव एंड एसेसरिज लि.	पी ई टी एन (एक्सप्लोसिव) आदि
165.		अश्विनराम स्पाइनिंग मिल्स प्रा. लि.	कॉटन यार्न
166.		शक्ति निटिंग लि.	निटिड फैबरिक्स
167.	उत्तर प्रदेश	बेलिश हार्डवेयर प्रा. लि.	बिल्डर्स हार्डवेयर
168.		इन्जेक्टो प्लास्ट् प्रा. लि.	इन्जेक्शन प्लास्टिक पुर्जे
169.		लोहिया पैकेजिंग मशीन	मोल्डिंग मशीन
170.		टीसीएनएस लि.	रेडिमेड गारमेन्ट्स
171.		एच ओ टी जेड इन्डस्ट्रीज लि.	रेडिमेड गारमेन्ट्स

1	2	3	4
172.		एस. के. एम्ब्रोयडरी प्रा. लि.	रेडिमेड गारमेन्ट्स
173.		जे पी सी	रेडिमेड गारमेन्ट्स
174.		डाबर इंडिया लि.	बालों का तेल
175.		सुपर हाउस लैदर लि.	लैदर फुटवेयर
176.		मिर्जा टेनर्स लि.	चमड़े के जूते
177.		सुपर हाउस लैदर्स लि.	चमड़े के जूते
178.		सुपर हाउस लैदर्स लि.	लैदर गारमेन्ट्स
179.		सुपर हाउस लैदर्स लि.	रेडिमेड गारमेन्ट्स
180.		सुपर हाउस लैदर्स लि.	चमड़े के जूते
181.		प्रिसाइज बैलोरेट्रीज लि.	बालों का तेल
182.	दादर और नगर हवेली	टुडेज् राइटिंग प्रोडेक्ट्स लि.	बाल पैन
183.		नूफेब इंडिया लि.	कैजूअल वेयर
184.		हिन्दुस्तान लीवर लि.	ओरल/डेन्टल हाइजिन प्रोडेक्ट्स
185.	पश्चिम बंगाल	हिन्दुस्तान हैवी कैमिकल्स लि.	फैरिक एल्यूम
186.		मालकम (इ.) लि.	हैन्ड ग्लब्स
187.		आर. जी. सागा एक्सपोर्ट प्रा. लि.	हैकल प्लैयर्स आदि
188.		रूपा एन्ड क. लि.	गारमेन्ट्स
189.	छत्तीसगढ़	नव भारत एक्सप्लोसिव्स कं. प्रा. लि.	एक्सप्लोसिव
190.	दिल्ली	कौरनील ओवरसीज लि.	रेडिमेड गारमेन्ट्स
191.		निटक्राफ्ट्स ओवरसीज	रेडिमेड गारमेन्ट्स
192.	पांडिचेरी	कौफमान लैदर वर्क प्रा. लि.	ट्रंक, सूटकेस आदि
193.	झारखण्ड	आईबीपी कं. लि.	इन्डस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स
194.	एक राज्य से अधिक राज्यों में स्थान	प्रिमियर एक्सप्लोसिव्स लि.	इन्डस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स
195.		दिल्ली आयरन एण्ड मैटल वर्क्स लि.	रेडिमेड गारमेन्ट्स
196.		सरला फैशन गारमेंट्स	रेडिमेड गारमेन्ट्स
197.		इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि.	बल्क एक्सप्लोसिव्स
198.		इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि.	बल्क एक्सप्लोसिव्स

पीएसयू: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

[अनुवाद]

आयात के लिए लहसुन का कोटा

2559. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से जुलाई, 2002 में आयात के लिए लहसुन का पर्याप्त कोटा प्राप्त हो चुका है;

(ख) क्या सरकार ने लहसुन कोटे का आयात करने के स्थान पर उसे कतिपय सहकारी समितियों को आबंटित कर दिया जिन्होंने उसका आयात रकने के स्थान पर अंतत: उसे घरेलू बाजार में ऊंचे लाभ पर बेच दिया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की किसी जांच का आदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है कि आयात कोटे का दुरुपयोग न हो?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) ताजे लहसुन के आयात हेतु लाइसेंस कृषि मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित की गई अधिकतम सीमा के भीतर जारी किए जाते हैं। कृषि मंत्रालय ने जुलाई, 2002 में निम्नलिखित चार संगठनों के जरिए ताजे लहसुन की 15 हजार मी. टन की मात्रा के आयात की सिफारिश की थी:

क्र.सं.	नाम	मात्रा (मी.टन)
1.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ	5,000
2.	एनसीसीएफ	5,000
3.	नैफेड	2,500
4.	कर्नाटक स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन आफ इंडिया लि., बंगलौर	2,500

इन संगठनों को स्टाक एवं बिक्री के प्रयोजनार्थ तदनुसार लाइसेंस जारी किए गए थे। सरकार ताजे लहसुन का सीधा आयात नहीं करती है।

(घ) से (च) ये आयात लाइसेंस अहस्तांतरणीय हैं। किसी लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई केवल उक्त लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार की जा सकती है। इस मामले में सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि बाजारी शक्तियों को मुक्त रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए ताजे लहसुन की मद को 17.01.2003 से प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर मुक्त श्रेणी में लाया गया है। इसके अलावा घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए इस मद पर आयात शुल्क 15.01.2003 से अर्थात आयात हेतु इस मद को मुक्त श्रेणी में लाने से पूर्व 30% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ये कार्रवाइयां कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के परामर्श से की गई हैं।

तस्करी की सिगरेटें जब्त किया जाना

2560. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कस्टम अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में तस्करी की सिगरेट जब्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान कितने मूल्य की सिगरेट जब्त की गयी; और

(ग) अब तक जब्त किए गये सिगरेट ब्रांडों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन महीनों में प्रत्येक माह के दौरान जब्त किए गए सिगरेटों का मूल्य और उनके ब्रांडों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:

विवरण

माह	सिगरेट की तस्करी के दर्ज मामलों की संख्या	स्थान, जहां जब्त किया गया	जब्त सिगरेट का ब्रांड नाम	जब्त सिगरेटों का मूल्य (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
नवम्बर	1	कोचीन	555	–
2002	1	विजाम सिटी	मार्लबोरो	.009
	10	सूमेर पानीसागर आइजोल, पल्लेल	पी.काक, गेट गोल्डन, ट्राइएंगल फार स्टार, फाइन	1.630
	1	सिमराहा रेलवे स्टेशन	विनर	.015
	2	महादीपुर रोड	गोल्ड लीफ/राइडर	.610
	1	होटल पार्क चेन्नई	सिगरेट बेनसन एंड हेजेज मार्लबोरो लाइट दावखोफ	.200
	4	चेन्नई रेलवे स्टेशन अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट	555 स्टेट एक्सप्रेस फिल्टर बेन्सन एंड हेजेज मार्लबोरो लाइट	.570
	20	सीएसआई एयरपोर्ट	मार्लबोरो, 555 स्टेट एक्सप्रेस	2.120
	4	आईजीआई एयरपोर्ट	डनहिल, मिल्डसेवेन	.670
दिसम्बर, 2002	8	दावकी नुमालीगढ़ आइजोल	पीकाक, गेट गोल्डन ट्राइएंगल फाइन, विनबोंडी गोल्डन, टाइमर सनमून, सुरमा	1.280
	5	बागदल/इंडो-नेपाल बोर्डर/कोलकाता	गुडलीफ/शिकार/ खुकरी/राइडर बेन्सन एंड हेजेज	3.770
	7	अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट	मार्लबोरो 555	.600

1	2	3	4	5
	11	सीएसआई एयरपोर्ट	मार्लबोरो, 555 स्टेट एक्सप्रेस	.990
	4	आईजीआई एयरपोर्ट	डनहील मिल्डसेवेन	.490
जनवरी, 2003	1	विजाग पोर्ट	मार्लबोरो	.005
	12	पिनर्सिया बालाट रामिया लम्बडिंग दीमापुर मोरे पल्लेल इम्फाल	पीका, गेट गोल्डन, टाइगर फाइन, विल गोल्ड टाइगर, रेनबो टाइगर गोल्ड लीफ बासेर गोल्ड	1.510
	2	राणाघाट/बगदा	राइडर/गोल्ड किंग	.090
	4	अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट	555, मार्लबोरो	.500
	24	सीएसआई एयरपोर्ट	मार्लबोरो, 555	5.070
	1	सीएफएस मुलुंड	स्टेट एक्सप्रेस मार्लबोरो, 555	104.770
	1	पुणे	स्टेट एक्सप्रेस मार्लबोरो, डेविड आफ मोर, मुडुंग मरम, पाइन लाइट किंग एडवर्ड	.180
	8	आईजीआई एयरपोर्ट	डनहिल/मिल्डसेवेन	1.170
कुल	132			127.764

गोदामों का निर्माण

2561. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्र प्रायोजित एक योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्त सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के मानदंड क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने गोदामों का निर्माण किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) योजना को 1.4.2002 से बंद कर दिया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान "गोदामों का निर्माण" योजना के अधीन दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई राशि (लाख रुपये में)	गोदामों के निर्माण के लिए	कुल क्षमता (टन में)
1999-2000	केरल	207.50	5	10000
	उड़ीसा	1540.38	96	58500
	उत्तर प्रदेश	668.40	12	24000
2000-2001	मिजोरम	83.48	4	2504
	राजस्थान	120.82	7	11400
	उत्तर प्रदेश	248.40	8	15700
2001-2002	छत्तीसगढ़	169.94	6	10600
	गुजरात	43.09	5	3000
	हिमाचल प्रदेश	70.78	3	1500
	केरल	179.75	4	8000
	मध्य प्रदेश	274.61	16	21900
	मणिपुर	56.88	1	1250
	सिक्किम	8.05	1	300
	त्रिपुरा	35.07	7	500
	पांडिचेरी	15.06	1	500

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की जनजातियों के लिए सुविधाएं

2562. **श्री ए.सी. जोस:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार की जनजातियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां की पिछड़ी जनसंख्या की पहचान की गई है तथा उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में है। इन योजनाओं में अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था नहीं है।

(ग) से (ङ) संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 के अनुसार, निम्नलिखित समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है:-

1. अंडमानी, चरियर, चारी कारो, ताबो, बो, येरे, केड़े, बी, बालवा, बोजिगियाब, जुवाई, कोल।
2. जारवा

3. निकोबारी

4. ओंगेस

5. संथाली

6. शोम्पेन

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान

3. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास

4. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास

5. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

6. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

7. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

8. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगमों को सहायता अनुदान

9. जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर

10. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

11. ग्राम अन्न बैंक योजना

12. आदिम जनजातीय समूहों का विकास

13. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

14. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

15. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

16. अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन

17. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना

18. राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम

19. जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान।

198

व्यापार मेलों के लिए नए स्थान

2563. श्री टी. गोविन्दन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नयी दिल्ली में प्रगति मैदान में नियमित रूप से आयोजित होने वाले भारत अंतर-राष्ट्रीय व्यापार मेले, जैसे व्यापार मेलों को आयोजित करने के लिए कतिपय अन्य स्थानों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 198-

औषधों पर आयात प्रतिबंध

2564. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ आयोग (ई.यू.सी.) ने सरकार से निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत कतिपय औषधों पर आयात प्रतिबंध लगाने के औचित्य पर परामर्श करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध किसी भी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यु.टी.ओ.) का उल्लंघन करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने कौन-कौन सी दवाइयों पर आयात प्रतिबंध लगाये हैं;

(ङ) क्या यूरोपीय संघ आयोग (ई.यू.सी.) द्वारा किये गये अनुरोध अनुसार कोई परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (च) यूरोपीय समुदायों ने भारतीय निर्यात और आयात नीति 2002-2007 के अंतर्गत कुछ दवाइयों सहित 100 से अधिक उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए आयात प्रतिबंधों के बारे में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के अधीन

भारत के साथ परामर्श करने के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 को अनुरोध किया था। आयात के लिए प्रतिबंधित दवाइयों में पेनसीलिन और इसके साल्ट, 6-एपीए, रिफेम्पिसीन, 3 फोर्माइल रिफा एस वी (रिफा इन्ट), रिफा एस/रिफा एस सोडियम (रिफा इंट), 1-एमिनो-4 मिथाइल पिप्राजिन, पेनसीलिन वाली औषधियों अथवा इसके व्युत्पाद शामिल हैं।

यह आयात प्रतिबंध भारत द्वारा गैट 1994 के अनुच्छेद XX और XXI के अधीन लगाए गए हैं। कुछ शर्तों के अध्यधीन गैट 1994 के अनुच्छेद XX के अधीन लगाए गए प्रतिबंधों की सामान्यत: विशेष प्रयोजनों के लिए अनुमति है जिनमें (1) जनता के मनोबल की सुरक्षा करना (2) मानव, पशु और वनस्पति जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण करना (3) स्वर्ण अथवा चांदी के आयात अथवा निर्यात से संबंधित (4) घरेलू कानूनों अथवा विनियमों का अनुपालन करने के लिए (5) कला, इतिहास अथवा पुरातत्व महत्व की राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण, और (6) सामाप्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि शामिल हैं। गैट 1994 के अनुच्छेद XXI के अंतर्गत आयात प्रतिबंधों की अनिवार्य सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए अनुमति है।

भारत और यूरोपीय समुदायों ने इस मामले में डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत 17 फरवरी, 2003 को विचार-विमर्श किए हैं जिसके दौरान यूरोपीय समुदायों द्वारा इन आयात प्रतिबंधों के संबंध में मांगे गये कुछ स्पष्टीकरण भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

[हिन्दी]

राज्यों से राजस्व

2565. श्री मानसिंह पटेल: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से राज्यों में राज्यवार कितने राजस्व का संग्रहण किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को राज्यवार कितना हिस्सा प्रदान किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कर राजस्व के राज्यवार संग्रहण का ब्यौरा इस उत्तर में विवरण-I के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से शुल्क के राज्यवार संग्रहण के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों से एकत्रित राजस्व के ब्यौरे इस उत्तर में विवरण-II के रूप में संलग्न है।

प्रत्येक राज्य से सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व के संग्रहण को बताना संभव नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा शुल्कों का भाग दर्शाने वाला ब्यौरा इस उत्तर में विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण I

1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान प्रत्यक्ष करों का राज्यवार संग्रहण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1807.74	2481.07	2584.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.08	5.01	2.84
3.	असम	360.52	681.13	508.70
4.	बिहार	439.64	606.32	348.31
5.	छत्तीसगढ़	—	—	591.20
6.	गोवा	146.57	208.72	180.27

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	2388.77	2714.28	2640.99
8.	हरियाणा	409.47	569.48	712.77
9.	हिमाचल प्रदेश	122.72	203.99	160.00
10.	झारखण्ड	—	—	400.10
11.	जम्मू एवं कश्मीर	112.82	162.80	215.90
12.	कर्नाटक	2854.05	3564.97	4027.53
13.	केरल	857.26	1017.09	1101.92
14.	मध्य प्रदेश	1294.24	1630.29	1236.61
15.	महाराष्ट्र	23442.39	26501.28	25745.16
16.	मणिपुर	4.66	13.43	10.75
17.	मेघालय	20.21	24.06	44.93
18.	मिजोरम	0.47	0.31	0.21
19.	नागालैंड	7.59	3.55	4.48
20.	नई दिल्ली	9427.79	10165.74	11141.27
21.	उड़ीसा	705.64	807.88	801.54
22.	पंजाब	927.56	1098.28	1051.73
23.	राजस्थान	730.06	766.15	847.79
24.	सिक्किम	0.31	1.00	2.87
25.	तमिलनाडु	3747.04	4493.71	4496.53
26.	त्रिपुरा	16.25	22.28	26.19
27.	उत्तर प्रदेश	4028.36	5894.51	1569.56
28.	उत्तरांचल	—	—	4000.49
29.	पश्चिम बंगाल	2770.87	3301.11	3386.79

विवरण II

1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यों के अंतर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण

(अनंतिम करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4628	5161	5706
2.	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश	1081	1499	1220

1	2	3	4	5
3.	बिहार	1159	1126	1254
4.	झारखण्ड	1608	1827	1631
5.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	2416	2797	3124
6.	हरियाणा और संघ शासित प्रदेश दिल्ली	5250	6117	6363
7.	गोवा	521	627	744
8.	गुजरात और संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9212	10194	11394
9.	कर्नाटक	4255	4842	5495
10.	केरल और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप	1983	2100	2256
11.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	2880	3029	2969
12.	महाराष्ट्र	13034	13127	13599
13.	उड़ीसा	812	924	842
14.	राजस्थान	1644	1842	1921
15.	तमिलनाडु और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी	5749	6749	6728
16.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	5192	5759	6153
17.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार	2981	3435	3503

विवरण III

1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यों को जारी की जाने वाली धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3343.30	3996.31	4061.50
अरुणाचल प्रदेश	318.08	115.67	113.61
असम	1448.78	1682.93	1705.88
बिहार	4962.59	6937.36	6176.67
छत्तीसगढ़	—	509.94	1271.15
गोवा	95.92	105.34	107.82
गुजरात	1665.04	1587.80	1503.53

1	2	3	4
हरियाणा	525.27	563.35	503.13
हिमाचल प्रदेश	819.45	330.54	325.07
जम्मू एवं कश्मीर	1326.24	619.31	609.60
झारखण्ड	—	579.26	1603.19
कर्नाटक	2132.78	2573.83	2623.40
केरल	1535.22	1594.13	1614.26
मध्य प्रदेश	3261.64	4075.31	3439.30
महाराष्ट्र	2608.66	2796.51	2468.75
मणिपुर	387.80	177.56	176.04
मेघालय	341.76	166.46	164.83
मिजोरम	325.04	91.23	88.04
नागालैंड	526.04	96.78	90.80
नई दिल्ली	295.55	330.00	325.00
उड़ीसा	1777.10	2603.97	2638.61
पंजाब	638.59	725.98	611.32
राजस्थान	2184.82	2836.61	2882.36
सिक्किम	125.71	90.69	91.04
तमिलनाडु	2667.00	2852.45	2870.07
त्रिपुरा	529.55	236.32	233.63
उत्तर प्रदेश	6978.71	10104.17	10199.58
उत्तरांचल	—	132.90	352.29
पश्चिम बंगाल	2984.41	4235.59	4318.72

पोषक भोजन के लिए योजना

2566. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए पोषक भोजन की आपूर्ति करने के लिए कतिपय योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए कौन-कौन से राज्यों की पहचान की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के बड़ी संख्या में होने पर इन्हें समन्वित करके एकल योजना में कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) पौषणिक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने की कोई स्कीम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद] 207-10

खाद्यान्न का उठाया जाना

2567. श्री वाई.वी. राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के उठाव में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना खाद्यान्न उठाया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कई उपाय किए हैं।

(ग) पिछले 3 वर्षों अर्थात 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हुआ खाद्यान्नों का उठान संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1999-2000 से 2001-2002 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उठान को दर्शाने वाला ब्यौरा

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03 (जनवरी, 03 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19.86	17.35	16.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.31	0.51	0.64
3.	असम	3.80	5.74	8.59
4.	बिहार	6.05	4.88	5.89
5.	छत्तीसगढ़	0.79	2.68	0.75
6.	दिल्ली	0.13	1.14	2.24
7.	गोवा	0.10	0.10	0.13
8.	गुजरात	4.08	5.05	4.32
9.	हरियाणा	0.45	0.94	2.05
10.	हिमाचल प्रदेश	0.57	1.66	1.54
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1.15	3.45	4.32
12.	झारखण्ड	0.87	2.98	2.83
13.	कर्नाटक	11.97	13.30	14.96
14.	केरल	5.14	5.53	4.93
15.	मध्य प्रदेश	6.57	7.63	9.01
16.	महाराष्ट्र	10.20	14.01	14.43
17.	मणिपुर	0.21	0.26	0.48

1	2	3	4	5
18.	मेघालय	0.32	0.57	0.70
19.	मिजोरम	0.46	0.47	0.63
20.	नागालैंड	0.23	0.48	0.62
21.	उड़ीसा	6.64	5.88	4.83
22.	पंजाब	0.13	0.54	0.91
23.	राजस्थान	3.34	6.73	7.70
24.	सिक्किम	0.08	0.19	0.23
25.	तमिलनाडु	12.04	10.66	12.43
26.	त्रिपुरा	0.60	0.86	1.23
27.	उत्तर प्रदेश	12.10	14.04	14.00
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.69
29.	पश्चिम बंगाल	9.33	7.68	9.86
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.20	0.17	0.19
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.02
32.	दादरा नगर हवेली	0.04	0.05	0.04
33.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.04	0.03	0.01
35.	पांडिचेरी	0.12	0.10	0.11
	जोड़	117.81	135.67	148.12

(अ.) अनन्तिम

[हिन्दी]

लहसुन का आयात

2568. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशवार और मूल्यवार लहसुन का कितना आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने लहसुन पर आयात शुल्क लगाया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शुल्क मुक्त श्रेणी के अन्तर्गत लहसुन को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित लहसुन की मात्रा एवं मूल्य के वर्ष-वार तथा देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े: खंड 2 (आयात)-वार्षिक अंक" प्रकाशन में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) आयातित परेषणों की निकासी की सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आयात शुल्कों का लागू दरों पर भुगतान करने के पश्चात ही अनुमति है।

(घ) और (ङ) लहसुन के शुल्क मुक्त आयात की निर्यात प्रयोजनों के लिए सरकार की एग्जिम नीति की शुल्क छूट स्कीम के अधीन जारी लाइसेंस पर अनुमति है।

[अनुवाद]

आर.आर.बी. का पुनर्गठन

2569. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आरआरबी के कार्यकरण में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन का सुझाव देने के लिए जुलाई, 2001 में एक कार्य दल का गठन किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और प्रयोजक बैंकों और राज्य सरकारों के परामर्श से उनकी जांच की जा रही है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

2570. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार, प्रत्येक तालुका के लिए 20 लाख रुपये जारी करके काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु अपने तंत्र को सुचारू बनाने के लिए सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने सूखा राहत कार्यों के लिए 171 करोड़ रुपये जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार को अब तक कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है;

(घ) राज्य में काम के बदले अनाज से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ राज्य को नियमित रूप से खाद्यान्न जारी कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 1.4.2002 से बंद कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार को सूखा राहत के लिए अभी तक 189.18 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन 2 करोड़ मानव-कार्य दिवस रोजगार का सृजन किया गया।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा जब कभी सहायता के लिये अनुरोध किया जाता है, उन्हें सूखा राहत के लिए खाद्यान्न जारी किए जाते हैं।

(च) राज्य सरकार को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन 3.65 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

रबर को एक कृषि उत्पाद के रूप में घोषित किया जाना

2571. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबर को एक कृषि उत्पाद के रूप में पुन: श्रेणीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सरकार द्वारा कृषि करार में उत्पाद कवरेज को युक्तिसंगत बनाने में रबड़ को शामिल करने के लिए डब्ल्यू टी ओ में अपने वार्ताकारी प्रस्ताव दायर किया जा चुके हैं। वार्ताओं का 1 जनवरी, 2005 तक समाप्त होने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा बनायी गयी बीमा कंपनी

2572. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया ने अपनी बीमा गतिविधियों के लिए एक नयी कंपनी बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नयी कंपनी जीवन बीमा कंपनियों की जीवन बीमा, पेंशन तथा सामान्य बीमा पालिसियों का विपणन भी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी जीवन बीमा कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) यूनियन बैंक आफ इंडिया ने बीमा कार्य शुरू करने के लिए कोई नई कंपनी स्थापित नहीं की है। बैंक ने क्रमश: अपने जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा उत्पादों के विपणन के लिए क्रमश: एचडीएफसी स्टैंडर्ड इन्श्योरेंस कं. लि. की कार्पोरेट एजेंसी तथा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. की सेवाएं ली हैं।

[अनुवाद]

गेहूं का मूल्य

2573. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के खुले बाजार में गेहूं के बिक्री मूल्य और मंडी मूल्य में प्रति क्विंटल 120 रुपये तक के अंतर के कारण गेहूं का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय खाद्य निगम के गेहूं की आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम गेहूं का उत्पादन न करने वाले राज्यों अथवा निर्यात पत्तनों पर गेहूं का भंडारण नहीं करता; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम विभिन्न स्कीमों के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गेहूं पैदा न करने वाले राज्यों/संघ क्षेत्रों सहित सभी में पर्याप्त स्टाक रखता है। इसके अलावा, गेहूं पैदा न करने वाले राज्यों में घरेलू उद्योगों के लिए गेहूं की आवश्यकता की पूर्ति भी खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है, जिसके लिए चमकहीन गेहूं और फसल वर्ष 1999-2000 और उससे पूर्व के गेहूं का कुछ स्टाक विशिष्ट रूप से आरक्षित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्राइवेट पार्टियों को वसूली राज्यों तथा गेहूं पैदा न करने वाले राज्यों के अधिशेष स्टाक, यदि कोई उपलब्ध हो, से निर्यात के लिए गेहूं की आपूर्ति प्राप्त होती है।

बिहार हस्तशिल्प निगम को सहायता

2574. **श्रीमती कान्ति सिंह:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिए हस्तशिल्प निगम और अन्य संगठनों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में शिल्पकारों को विशेष राहत उपलब्ध कराने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प के संवर्धन और विकास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बिहार राज्य में राज्य हस्तशिल्प निगम सहित विभिन्न संगठनों को संघीय सरकार द्वारा जारी की गई वित्तीय सहायता की जानकारी इस प्रकार से है:-

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई राशि
1.	1999-2000	रुपये 66.55 लाख
2.	2000-2001	रुपये 15.73 लाख
3.	2001-2002	रुपये 82.31 लाख

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, बिहार राज्य सहित देश में शिल्पकार हस्तशिल्प के संवर्धन और विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राहत/लाभ प्राप्त करते हैं।

ये योजनाएं इस प्रकार से हैं: अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन, विपणन सहायता एवं सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/एपैक्स सोसाइटीज को वित्तीय सहायता एवं निर्यात संवर्धन आदि। हाल ही में प्रारम्भ की गई ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना'' (एएचवीवाई) का उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों पर चुनिंदा कारीगर समूहों को व्यवसायिक रूप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर समुदाय उद्यमियों के रूप में विकसित करते हुए कारीगर समूहों का सतत विकास करना है।

गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए रिपो बाजार

2575. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए रिपो बाजार खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों के लिए भी कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पहले केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सहायक सामान्य खाता (एसजीएल) लेखा नामक पृथक स्क्रिपरहित/अभौतिकीकृत खाते का अनुरक्षण करने वाले बैंकों, प्राथमिक डीलरों तथा कतिपय वित्तीय संस्थाओं को ही सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी।

दिनांक 22 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार वायदा संविदाओं की पात्रता कतिपय श्रेणी के निकायों को भी प्रदान कर दी है यथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राथमिक डीलर; भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां; सेबी के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड तथा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमा कंपनियां।

ऐसा बाजार प्रतिभूतियों के लिए बाजार को गहन बनाने तथा बाजार में भागीदारों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है; इन भागीदारियों का एसजीएल खाता नहीं है किन्तु फिर भी इनका ऐसे बैंक या संस्था (अभिरक्षक) में 'गिल्ट खाता' है जिनका अपने संघटकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के प्रयोजनार्थ भारतीय रिजर्व बैंक के पास 'संघटक एसजीएल खाता' नामक एक पृथक एसजीएल खाता है।

(ग) और (घ) रिपो बाजार में लेनदेन करने के प्रयोजनार्थ इन नए भागीदारों के लिए कतिपय शर्तें तथा निबंधन निर्धारित किए गए हैं। ये हैं:-

(1) अभिरक्षक के रूप में कार्य करने वाला बैंक या संस्था अपने गिल्ट खाता धारक के साथ रिपो लेनदेन नहीं कर सकते;

(2) एक ही अभिरक्षक के पास गिल्ट खाता रखने वाली कोई दो संस्थाएं रिपो संविदा नहीं कर सकतीं; और

(3) कोई सहकारी बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ रिपो लेनदेन नहीं कर सकता।

अन्य शर्तें तथा निबंधन, जिनके अध्यधीन रिपो किए जा सकते हैं, निम्न हैं:-

1. सभी रिपो संविदाएं वार्ताकारी सौदा प्रणाली को सूचित की जाएंगी। तैयार वायदा संविदाओं, जिनमें गिल्ट खाता धारक; शामिल हैं जिनके पास खातों का अनुरक्षण किया गया है, के संबंध में अभिरक्षक (अर्थात सीएसजीएल खाताधरक) संघटकों) संघटकों (अर्थात गिल्ट खाता धारकों) की ओर से एनडीएस को सौदों की सूचना देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. अभिरक्षक आंतरिक नियंत्रण तथा समवर्ती लेखापरीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली की व्यवस्था करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (1) तैयार वायदा लेनदेन गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों के स्पष्ट अधिशेष के प्रति ही किए जाते हैं; (2) ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना एनडीएस को तत्काल दी जाती है; तथा (3) उपर्युक्त सभी शर्तों तथा निबंधनों का अनुपालन किया गया है।

3. बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित निकाय केवल निर्धारित सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं से अधिक धारित प्रतिभूतियों में ही तैयार वायदा लेनदेन कर सकते हैं।

आयकर की ''वन-बॉय सिक्स'' योजना

2576. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितने नगरों/शहरों में कर आधार को विस्तृत करने के लिए "वन-बाय-सिक्स" योजना चल रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में इस योजना का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2002 तक इस योजना के अंतर्गत कर-ढांचे के अंतर्गत कुल कितने निर्धारितियों को लाया गया; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार कुल कितना कर राजस्व वसूल किया गया/एकत्र किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) इस समय 'छः में से एक' स्कीम देश के 4989 शहरों/कस्बों में चल रही है।

(ख) जी, नहीं। तथापि उल्लेख किया जाता है कि छः में से एक स्कीम के अंतर्गत देश के सभी शहरी क्षेत्रों जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक है, को पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) कर निर्धारितियों जिन्होंने 1 अप्रैल, 2002 और 31 दिसम्बर, 2002 के बीच 'छः में से एक' स्कीम के अंतर्गत अपनी विवरणियां दायर की हैं, की कुल संख्या 16.86 लाख है।

(ङ) 'छः में से एक' स्कीम में वे सभी कर निर्धारिती शामिल हैं जिनकी आय कराधेय सीमा से कम है और जो इसलिए अपनी आयकर विवरणियां दायर करने के लिए अन्यथा उत्तरदायी नहीं हैं। अतः वसूली के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रख जाते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा फेरा का उल्लंघन

2577. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में 18 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत यह पाया गया है कि अट्ठारह बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना भारत में कार्यरत अपने कर्मचारियों (विदेशी नागरिकों को विदेश में वेतन/अधिलब्धियों का भुगतान किया गया है।

(ख) मामले के ब्यौरे इसके उत्तर के संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है और तदनुसार न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं।

विवरण

उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए हैं

क्र.सं.	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	मै. जापान एयरलाइन्स, नई दिल्ली	103.47
2.	मै. हुन्डई मोटर (इंडिया) लि., नई दिल्ली	804.50
3.	मै. सैमसंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2403.93
4.	मै. मेरूबेनी (इंडिया) प्रा.लि., नई दिल्ली	983.72
5.	मै. बैंक आफ टोकियो मित्सुबिशी लि., नई दिल्ली	2043.19
6.	मै. मोटरोला (इंडिया) लि., गुड़गांव	557.67
7.	मै. मित्सुबिशी कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2052.92
8.	मै. सनवा बैंक लि. (यू.एफ.जे. बैंक लि.) नई दिल्ली	260.04
9.	मै. बैंक आफ नोवा स्कोटिया, नई दिल्ली	42.31
10.	मै. एल.जी. इलैक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली	80.63
11.	मै. सोनी (इंडिया) लि., नई दिल्ली	574963183-जापानी येन
12.	मै. ड्यूश बैंक, नई दिल्ली	1343.42

1	2	3
13.	मै. मकुरा बैंक, नई दिल्ली	40978509-जापानी येन
14.	मै. आल निप्पन एयरवेज, नई दिल्ली	147.33
15.	मै. नोकिया टेलीकम्युनिकेशन्स, नई दिल्ली	1086.02
16.	मै. एरिक्सन (इंडिया) प्रा. लि., नई दिल्ली	3546.05
17.	मै. टोयो मोटर्स, नई दिल्ली	266.68
18.	मै. फुजी बैंक लि., नई दिल्ली	280.88

जापान द्वारा अस्पतालों को सहायता-अनुदान

2578. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई, कोल्हापुर, लातुर, चंद्रपुर, गडचिरोली एवं अमरावती के कुछ अस्पतालों के उन्नयन हेतु जापान के सहायता-अनुदान कार्यक्रम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के किसी प्रस्ताव की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) जापान सरकार ने सर जे.जे. अस्पताल और कामा व एल्ब्लेस अस्पताल, मुंबई के लिए चिकित्सा सेवाओं में सुधार हेतु वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को छांटा है। परियोजना के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोल्हापुर, लातुर, चन्द्रपुर, गडचिरोली एवं अमरावती में सिविल अस्पतालों और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन का प्रस्ताव जापान सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले

2579. श्रीमती निवेदिता माने:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाइडे:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले के बारे में 3 मई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5795 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) अतारांकित प्रश्न संख्या 5795 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए अब सूचना एकत्र कर ली गयी है।

जरवा जनजाति पर दुष्प्रभाव

2580. श्री अमर रायप्रधान: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सोसायटी फार अंडमान एंड निकोबार इकालाजी (एसएएनई) ने यह आरोप लगाया है कि द्वीपों को जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई एक बृहत परियोजना, अंडमान ट्रंक रोड जरवा जनजाति को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन जनजातियों को किसी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मामला कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय में सुश्री श्यामला गांगुली, अधिवक्ता, पोर्ट ब्लेयर द्वारा दायर एक जनहित वाद (पीआईएल) में निर्णायाधीन है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क

2581. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण घरेलू खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है अथवा लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) सरकार को बटर आयल के मामले को छोड़कर ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। न्यूजीलैंड से बटर आयल के पाटन का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग व्यापार केन्द्र द्वारा दायर की गई एक याचिका के आधार पर डीजीएडी ने दिनांक 26.11.2002 की अधिसूचना के तहत इस मामले में जांच शुरू की है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग द्वारा संवेदनशील मदों, जिनमें से कुछ मदें प्रसंस्कृत खाद्य मदें हैं, के आयात की समय समय पर निगरानी की जा रही है।

221-23

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2582. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, जूट, प्याज, पशु आहार जैसे कृषि उत्पादों एवं इसके प्रसंस्कृत उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने प्रतिशत कृषि उत्पाद एवं इसके प्रसंस्कृत उत्पाद को अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत बड़ी संख्या में कृषि उत्पादों को शामिल करने के फलस्वरूप किसान खुले बाजार और मांग एवं पूर्ति आधार पर निर्धारित किए जा रहे मूल्यों के लाभ लेने के वंचित हैं;

(घ) क्या इस अधिनियम, के अंतर्गत इन उत्पादों को शामिल करना सुधार, उदारीकरण, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था, अग्रिम विपणन संबंधी नीतियों एवं विश्व व्यापार संगठन के प्रति बाध्यता इत्यादि के विरुद्ध नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इनमें से कुछ वस्तुओं को इस अधिनियम के दायरे से हटाने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। खाद्य पदार्थ जिनमें खाद्य तिलहन तथा तेल, प्याज, तेल की खली तथा अन्य सांद्रों सहित पशु चारा शामिल हैं, सूती कपड़े, पूर्णत: कपास से बनाया धागा, कच्चा कपास ओटा हुआ या बिना ओटा हुआ और बिनौले, कच्चा जूट और जूट के कपड़े आवश्यक वस्तुओं की उन 18 श्रेणियों में से हैं जिनको आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ''आवश्यक'' घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनिय, 1955 में जन साधारण के हित में उन कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण और उनके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने की व्यवस्था की गई है जिनको अधिनियम के तहत ''आवश्यक'' घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें ''आवश्यक'' घोषित किया गया था। तथापि, आवश्यक वस्तुओं की सूची, जिसमें वर्ष 1989 में 70 मदें शामिल थीं, घटकर वर्तमान में 18 मदों तक सीमित रह गई हैं। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में और खाद्यान्नों के स्वतंत्र व्यापार और संचलन को सुकर बनाने तथा कृषकों को उनके उत्पादों का सर्वाधिक मूल्य दिलाने, मूल्यों में स्थिरता लाने और अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 15.2.2003 को एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा विशिष्टि खाद्य पदार्थों नामत: गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेलों के लिए लाइसेंसिंग अपेक्षाओं, स्टाक सीमाओं तथा उनके संचलन पर से प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।

(ङ) और (च) आर्थिक परिदृश्य तथा विशेष रूप से वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा की जाती है। अर्थव्यवस्था के और अधिक उदारीकरण, मुक्त व्यापार, सहज उपलब्धता तथा मूल्यों के स्थिरीकरण को सुकर बनाते हुए केंद्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पहले ''आवश्यक'' घोषित 29 मदों, जिन पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाए गए थे, में से निम्नलिखित वस्तुओं को दिनांक 15.2.2002 की अधिसूचना द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से हटा दिया है:-

1. सीमेंट

2. टैक्सटाइल मशीनरी

(क) बुनाई मशीन

(ख) कताई मशीन

(ग) फीते बनाने की मशीन

(घ) विद्युतकरघा (पावरलूम), और

(ङ) प्रसंस्करण मशीनरी।

3. रेशमी कपड़े।

4. मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और नान सेल्यूलोजिक स्पन फाइबर से पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से बने कपड़े।

5. मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और नॉन सेल्यूलोजिक फिलामेंट यार्न से पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से बने कपड़े।

6. जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प्स।

7. इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर जैसे तथा उसी प्रकार के घरेलू उपकरण।

8. इलेक्ट्रिक केबिल और तारें।

9. मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और नॉन सेल्यूलोजिक कच्चा रेशा (स्टेपल फाइबर)।

10. निम्नलिखित सामग्रियों से पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाये गए धागे, अर्थात:-

(क) ऊन

(ख) मानव निर्मित सेल्यूलोजिक स्पन फाइबर

(ग) मानव निर्मित गैर-सेल्यूलोजिक काता रेशा (स्पन फाइबर)

(घ) रेशम।

11. (क) मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और गैर-सेल्यूलोजिक फिलामेंट यार्न।

(ख) नायलॉन टायर, यार्न/कोर्ड/फैब्रिक।

12. (क) घरेलू और सदृश प्रयोजनों के लिए स्विच

(ख) 2 ए एम पी स्विच

(ग) 3 पिन प्लग और सॉकिट आउटलेट्स।

[हिन्दी]

चीन के साथ व्यापार संबंध

2583. श्री सुबोध राय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीन के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) यद्यपि, वर्ष 2003-04 के लिए भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु सरकार का सतत प्रयास है कि चीन के साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। निर्यात हित के विभिन्न क्षेत्रों में अयस्क, काटन यार्न, तथा फेब्रिक्स, प्लास्टिक, कार्बनिक रसायन, पत्थर, (ग्रेनाइट, संगमरमर आदि), कीमती पत्थर, मछली तथा समुद्री खाद्य, लोहा एवं इस्पात, खालें और चर्म, अकार्बनिक रसायन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका को इस्पात के निर्यात पर पाबंदियां

2584. श्री अनन्त नायक:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान इस्पात उद्योग ने संयुक्त राज्य अमरीका को दिए जाने वाले इस्पात के निर्यात को सीमित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्ष की तुलना में उक्त अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा और उसका मूल्य कितना है; और

(घ) किन देशों में इस्पात के निर्यात को कम किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस हद तक?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2000-01, 2001-02 और अप्रैल 2002 से सितम्बर 2002 तक के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को आई टी सी कोड: 7201, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229 और 7302 के अंतर्गत आने वाले इस्पात के निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं:-

2000-01		2001-02		अप्रैल-सितम्बर, 2002*	
मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु. में)
484193	96607.8	201653	56486.9	272772	63462.7

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

*अनंतिम

(घ) यू एस ए के अलावा ई यू और कनाडा जैसे कुछ अन्य विकसित देशों ने भारत से इस्पात के निर्यात के खिलाफ कुछ व्यापार उपाय शुरू किए हैं/लागू किए हैं। तथापि, अप्रैल 2002 से जनवरी 2003 तक की अवधि के दौरान मुख्य एवं गौण उत्पादकों द्वारा प्रसंस्कृत तथा अर्द्धप्रसंस्कृत इस्पात के निर्यातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के निष्पादन की तुलना में क्रमश: 30% और 55% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल की आपूर्ति

2585. **श्री पी. राजेन्द्रन:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सहित कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से मानव खपत के लिए अनुपयुक्त चावल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य केरल के खुले बाजार में विद्यमान दरों से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। केरल सहित कुछेक राज्यों ने विगत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन घटिया गुणवत्ता वाले चावल जारी किये जाने के बारे में शिकायत की थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं की आपूर्ति के बारे में हाल ही की अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्न अच्छी गुणवत्ता के हैं, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व स्टाक का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(2) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षक से कम पद का अधिकारी नियुक्त न करें।

(3) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाद्यान्नों के नमूने लिए जाने और सील किए जाने होते हैं ताकि उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इनका प्रदर्शन उचित दर दुकानों के काऊंटरों पर किया जा सके।

(4) राज्य सरकारों और मंत्रालय के अधिकारी उचित दर दुकानों की औचिक जांच करते हैं ताकि वे यह देख सकें कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है।

(5) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की मानीटरिंग करने के लिए 'क्षेत्राधिकारी' के रूप में नामित विभाग के अधिकारी संबंधित राज्य में जारी किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य में अपने दौरे के दौरान डिपुओं और उचित दर दुकानों का दौरा भी करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 227-28

गुजरात में खाद्य तेल

2586. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर गुजरात में वनस्पति तेल एवं अन्य खाद्य तेलों का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) गुजरात में तेल की उपरोक्त वर्णित किस्मों की मांग कितनी है;

(ग) क्या खाद्य तेल की आपूर्ति मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) विगत 3 वर्षों के दौरान देश में खाद्य वनस्पति तेलों और खाना बनाने के अन्य तेलों जैसे हाइड्रोजनीकृत तेल (वनस्पति) का कुल उत्पादन निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्य वनस्पति तेलों का उत्पादन	वनस्पति का उत्पादन
1999-2000	6014	11.90
2000-2001	55.04	13.60
2001-2002	61.33	13.80

चूंकि तिलहनों/तेलों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए खाद्य तेलों के वार्षिक उत्पादन के (राज्यवार) आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान देश में 103 लाख टन वनस्पति की मांग होने का अनुमान है। चूंकि तिलहनों/तेलों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए खाद्य तेलों के वार्षिक उत्पादन के (राज्यवार) आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में खाद्य तेलों की आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में कमी को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन खाद्य तेलों के आयात के जरिए पूरा किया जाता है। तिलहनों और खाद्य तेलों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपचारात्मक उपायों और प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 395 चुनिंदा जिलों को कवर करते हुए 25 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(2) बेहतर उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए तिलहन संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है।

(3) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयास तेज करना।

(4) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी अपारम्परिक तिलहनों की खेती के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्ष और वन मूल के बीजों, चावल की भूसी का उपयोग करना।

(5) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं स्थापित करना।

(6) पाम तेल विकास के लिए सहायता।

(7) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(8) वनस्पति के उत्पादन में मासिक आधार पर उत्पादन के कम से कम 25% में स्वदेशी तेलों के उपयोग को फिलहाल अनिवार्य बना दिया गया है। वनस्पति के उत्पादन में एक्सपैलर सरसों के तेल को 30% तक इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है। इसका

उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य देकर प्रोत्साहन देना है।

(9) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों में तालमेल बैठाने और संभव सीमा तक बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेल संबंधी शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

चीनी सामानों का आयात

2587. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री श्रीनिवास पाटील: 229-30

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाटन-रोधी कार्रवाई सहित शुल्क एवं अन्य क्रिया विधियों के समुचित उपयोग के बावजूद सस्ते चीनी उत्पादों के भारी मात्रा में आयात किए जाने के कारण घरेलू उद्योग गंभीर क्षति एवं नुकसान का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत भारतीय बाजार चीनी समान से अटे पड़े हैं;

(ग) वे चीनी सामान कौन से हैं जिनके विरुद्ध प्रशुल्क आयोग द्वारा पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है;

(घ) गत छह माह के दौरान कितने चीनी सामान का आयात किया गया है; और

(ङ) घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा पाटनरोधी जांच सामान्यत: घरेलू उद्योग की ओर से पाटन, क्षति एवं पाटित वस्तु तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ पूर्णत: प्रलेखित याचिका के प्राप्त होने पर शुरू की जाती है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन द्वारा उत्पन्न की गई व्यापार विकृति और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन द्वारा उत्पन्न की गई व्यापार विकृति और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को समाप्त करना होता है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से होने वाले आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं।

अप्रैल-सितम्बर, 2002 की अवधि के दौरान चीन से हुए आयातों का कुल मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4419.28 करोड़ रुपए के मूल्य की तुलना में 5953.63 करोड़ रुपए का रहा था।

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने अब तक चीन से हुए आयातों की अंतर्ग्रस्तता वाले 66 मामलों में जांच शुरू की है। इन मामलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

ऐसे मामले जिनमें अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं	-	49
ऐसे मामले जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम प्रकाशित किए गए हैं तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है	-	8
प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए जांचाधीन मामले	-	6
शुरू किए गए किन्तु बंद किए गए मामले	-	3
कुल	-	66

चीन से हुए आयातों में शामिल उत्पाद, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और जो इस समय लागू हैं, ये हैं- ट्रायमेथाक्सी बेंजाल्डीहाईड, थियोफाइलिन एवं कैफीन, सोडियमन फैरो सायनाइड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, विटामिन-सी मैगनिशियम, मेटकोक, लोवास्टाटिन, आर्थोक्लोरो बेंजाल्डीहाईड, कैल्शियम कार्बाइड, फ्यूजड मैग्नीशिया, सिट्रिक एसिड, हार्ड फैरिट रिंग मैगनेटस, लो कार्बन फैरो क्रोम, पोलिस्टाइरीन, बेरियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, मेट्रोनिडाजोल, सोडियमन नाइट्राईट, ट्रिमेथोप्रिम, फैरो सिलिकान, सीमलेसग्रेड, अलाएस इत्यादि स्ट्रानशियम कार्बोनेट, ड्राय सेल बैटरीज, फास्फोरिक एसिड, स्पोर्टस शूज, सोडियम हाइड्रो सल्फाइट, एनालजिन, जिंक आक्साइड, कोलिन क्लोराइड, लैड एसिड बैटरी, पैरासिटामूल, 2-मिथाइल नाइट्रो इमिडाजोल, थरमल सैंसटिव पैपर्स, डाइक्लोफैनाक सोडियम, डी(-) पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस, काम्पैक्ट फ्लूरेसैंट लैंप, विटामिन-ए डी3, हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, विट्रीफाइड/प्रोसिलेन टाइल्स, सोडियम ट्राईपोलीफास्फेट, डी(-) पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटाशियमन डेन साल्ट, कास्टिक सोडा, मलबरी रासिल्क और फ्लोट ग्लास।

पोटाशियम परमैगनेट, आयसोबुटाइल बैनजिन डैड बंट मैग्नेसाइट, इंडस्ट्रियल सिविंग मशीन नीडल्स, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल तथा 8-हाइड्रोक्सी क्विनोलीन पर पाटनरोधी शुल्क कालातीत हो गया है। समीक्षाओं के बाद वापस ले लिया गया है।

पाटनरोधी जांच के अलावा महानिदेशालय (रक्षोपाय) ने भी चीन से भारत में इंडस्ट्रियल सिविंग मशीन नीडल के आयातों पर विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए एक मामला शुरू किया है।

231-33

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान

2588. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्य कर रही गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के दैनिक कार्यों की निगरानी करने और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में अनियमितताओं को रोकने हेतु उच्चाधिकार समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.2003 को देश में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे सार्वजनिक जमाराशियों के पुनर्भुगतान में गैर-अदायगी/विलम्ब के कतिपय मामले प्राप्त हुए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के विरुद्ध समापन याचिकाओं और अभियोजन कार्यवाहियों को दायर किया है।

राज्य-वार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, व्यापक विनियामक ढांचा लागू किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ठीक ढंग से कार्य करें। विनियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियां रखना, निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षित निधि में अंतरण और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी करने की भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना शामिल है। विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक कई प्रकार की कार्रवाई करता है। सरकार ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

विवरण

राज्य	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	388
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	142
बिहार	32
चंडीगढ़	97
छत्तीसगढ़	17
गोवा	14
गुजरात	410
हरियाणा	82
हिमाचल प्रदेश	22
जम्मू एवं कश्मीर	72
झारखण्ड	18
कर्नाटक	201
केरल	174
मध्य प्रदेश	132
महाराष्ट्र	1721
मणिपुर	—
मेघालय	03
मिजोरम	—
नागालैंड	02
नई दिल्ली	2403

1	2
उड़ीसा	20
पांडिचेरी	09
पंजाब	434
राजस्थान	175
तमिलनाडु	624
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	340
उत्तरांचल	22
पश्चिम बंगाल	6319
जोड़	13,873

बांग्लादेश व्यापार शिष्टमंडल का दौरा

2589. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश के एक उच्चधिकार प्राप्त व्यापार शिष्टमंडल ने बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार में वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान बांग्लादेश से कितना निर्यात/आयात किया गया; और

(च) वर्ष 2003-04 में बांग्लादेश के साथ कितना व्यापार किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) बंगलादेश के साथ भारत के व्यापार के बारे में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बंगलादेश को निर्यात	बंगलादेश से आयात
2000-2001	3988.11	337.49
2001-2002	4494.07	281.94
2002-2003 (अप्रैल-नवम्बर)	2914.99	157.87
2001-2002 (अप्रैल-नवम्बर)	3239.72	193.61

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

लंबित उत्पाद शुल्क विवाद

2590. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित कितने मुकदमे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं अन्य न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित है;

(ख) ये मामले किस तिथि से लंबित पड़े हैं;

(ग) इन समझौतों में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाये गए है; और

(घ) दिनांक 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार इन मामलों में राज्यवार कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) 28.2.2003 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों के समक्ष लंबित पड़े केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुकद्दमों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

	मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	1426
उच्च न्यायालय	3874
ट्रिब्यूनल	11346

(ख) मामलों का अवधि-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

लंबित मामले	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	ट्रिब्यूनल
6 माह से कम	115	367	1106
6-12 महीने	161	403	1591
1-3 वर्ष	482	985	3940
3 वर्ष से अधिक	668	2119	4709

(ग) मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामले-वार मामलों को एकत्र करना और स्थगन रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और सीगेट में तत्काल याचिका दायर करना अथवा प्राथमिकता आधार पर मामलों का निर्णयन करना शामिल है। इन मामलों की आयुक्तालयों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पुनरीक्षा/विधायी सेल के लिए विधायी सेलों द्वारा गहनता से मानीटर भी किया जाता है।

(छ) इन मामलों में अंतर्ग्रस्त कुल राशि लगभग 9568 करोड़ रुपए है। मुख्य आयुक्तालय/जोन-वार आंकड़े रखे जाते हैं और सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और ट्रिब्यूनल के पास लम्बित पड़े मुकद्दमों में अंतर्ग्रस्त राशि के मुख्य आयुक्तालय/क्षेत्र-वार ब्यौरे (28.2.2003 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल राशि
1	2	3
1.	अहमदाबाद	169.96
2.	बंगलौर	149.57
3.	भोपाल	634.61
4.	भुवनेश्वर	53.10
5.	चंडीगढ़	133.98
6.	चेन्नई	238.41
7.	कोचीन	78.35
8.	कोयम्बटूर	198.21
9.	दिल्ली	855.28
10.	हैदराबाद	462.16
11.	जयपुर	149.10
12.	कोलकाता	476.73
13.	लखनऊ	401.75
14.	मंगलौर	3.22
15.	मेरठ	467.08
16.	मुम्बई-1	678.34
17.	मुम्बई-2	1553.81
18.	नागपुर	536.77
19.	पुणे	679.51
20.	रांची	755.62
21.	शिलांग	79.07
22.	बडोदरा	597.81
23.	विशाखापत्तनम	215.57
	कुल	9568.04

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. की रिक्तियां

2591. श्री रामदास आठवले:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अन्तर्गत इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और नई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान और चालू वर्ष में आज तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्ती का वर्षवार और श्रेणिवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अधिक मूल्य निर्यात हेतु वित्तीय पैकेज

2592. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुने हुए उत्पादों का 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के निर्यात हेतु विशेष वित्तीय पैकेज लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को कुछ और उत्पादों पर भी लागू किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हैंक यार्न का उत्पादन

2593. डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में हैंक यार्न का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) आज तक की तिथि के अनुसार हैंक यार्न की कुल घरेलू आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या यार्न उत्पादक मिलों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में से एक निश्चित हिस्सा हैंक यार्न के रूप में उत्पादित करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार हैंक यार्न उत्पादन की बाध्यता सीमा को 50% से 40% तक कम करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि वर्ष 2002 के दौरान कई यार्न उत्पादक मिलों ने हैंक यार्न का अपेक्षित उत्पादन न कर कम उत्पादन किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी मिल-वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) उक्त मिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में हैंक यार्न का कुल उत्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन कि.ग्रा. में)

क्र.सं.	वर्ष	कुल वास्तविक हैंक यार्न पैकिंग
1.	1999-2000	533.51
2.	2000-2001	559.78
3.	2001-2002	577.57

देश के किसी भी भाग से हैंक यार्न की कमी के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) यार्न के प्रत्येक विनिर्माता जो नागरिक उपभोग के लिए यार्न को पैक करते हैं, के लिए यह अनिवार्य है कि वे पैक किये गये कुल यार्न का कम से कम 50% के अनुपात में अप्रैल/जून से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही अवधि में और वर्ष के प्रत्येक परवर्ती तिमाही में हैंक यार्न में इसे पैक करें। अधिकांश वस्त्र मिलों, उनके संघों से प्राप्त अनुरोध, वस्त्र मिलों के साथ यार्न के अधिकांश सामान सूची और हथकरघा क्षेत्र के उपभोग के लिए

हैंक यार्न की समुचित आपूर्ति के आधार पर, सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 के पैरा 18 के प्रावधानों के अनुरूप हैंक यार्न दायित्व आदेश की समीक्षा की तथा 1.1.2003 से प्रत्येक तिमाही और प्रत्येक परवर्ती तिमाही के दौरान नागरिक उपभोग के लिए पैक किये गये कुल यार्न के मौजूदा 50% के स्तर से हैंक यार्न दायित्व को घटाकर 40% तक करने का निर्णय लिया है।

(छ) से (झ) ऐसी मिलें जिन्होंने वर्ष 2002 के दौरान अपने 50% हैंक यार्न दायित्व को पूरा नहीं किया है के साथ-साथ ऐसी प्रत्येक मिल के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का मिलवार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

[अनुवाद]

2594

फास्ट ट्रैक न्यायालय

2594. श्री जी.जे. जावीया: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कार्य कर रहे फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2001 के दौरान गुजरात में उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित पड़े कितने मामलों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों को सौंपा गया है और कितने मामलों में इन न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 28 फरवरी, 2003 को उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार गुजरात में 36 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार त्वरित निपटान न्यायालयों में 937 मामले अंतरित किए गए हैं, जिनमें से 31.01.2002 तक इन त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा 4 मामले निपटाए गए हैं।

[हिन्दी]

2595-40

मूल्य वर्धित कर को लागू करना

2595. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों एवं फेडरेशन आफ दी आल इंडिया ट्रेडर्स ने वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर सरकार को मूल्य वर्धित कर को अप्रैल, 2003 से लागू करने के बजाय अप्रैल 2004 से लागू करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

2596-41

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2596. श्री बीर सिंह महतो:
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निरीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न एवं चीनी का पुराना स्टाक पाया गया है, जोकि उपभोग के उपयुक्त नहीं था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मामले की छानबीन की है जिससे कि महत्वपूर्ण खाद्यान्न के नुकसान के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों का पता लगाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। गुण नियंत्रण कक्ष ने जनवरी, 2003 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के 231 गोदामों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जहां भी गुण नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों द्वारा जांच की गई वहां कहीं भी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न नहीं पाया गया।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता। तथापि, खाद्यान्नों के रखरखाव और संरक्षण के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों के बावजूद भंडारण की लंबी अवधि के साथ-साथ बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी खाद्यान्न के स्टाक को कुछ क्षति पहुंचती है। ऐसे मामलों में स्टाक की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यदि स्टाक को मानव लापरवाही के कारण क्षति पहुंचती है तो भारतीय खाद्य निगम अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

चूना

स्टील ग्रेड चूने का आयात

2597. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष के दौरान सामान्य मुक्त लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित किए गए और वर्ष 2003-04 के दौरान आयातित किए जाने वाले स्टील ग्रेड चूने का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू उत्पादकों, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में इस आयात के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के पिछड़े थार मरूस्थल के घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए स्टील ग्रेड चूने का आयात रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) लाइमस्टोन फ्लक्स (एल डी 1% एस आई ओ2 से कम) निर्यात एवं आयात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2002-2007 के आई टी सी (एच एस) कोड संख्या 25210010 के अंतर्गत आता है और यह मुक्त रूप से आयात योग्य है। किए गए आयातों के वर्षवार और देशवार ब्यौरे (मात्रा और मूल्य) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) द्वारा प्रकाशित भारत के विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी: खंड-2 (आयात) वार्षिक अंक प्रकाशन में निहित हैं। इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) गैट करार के प्रति हमारी वचनबद्धता के अनुसार विभिन्न मदों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद आयात सामान्यत: बाजारी शक्तियों द्वारा तय किए जाते हैं। इन मदों के आयात हेतु टैरिफ स्तरों से घरेलू उद्योग को संरक्षण उपलब्ध होता है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए पारिश्रमिक 21,2

2598. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों हेतु पारिश्रमिक की सीमा में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्व की सीमाओं को हटाये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पेटेंट संबंधी नीति 242-43

2599. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय उत्पादों को पेटेंट कराने हेतु सरकार की नीति क्या है;

(ख) अमेरिका द्वारा अब तक कितने भारतीय उत्पादों का पेटेंट कराया गया है;

(ग) अमेरिका द्वारा भारत से पहले उत्पादों के पेटेन्ट कराये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय उत्पादों के अपने अधिकार में लेने और उनका पेटेन्ट कराने हेतु अमेरिका की नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार की भावी कार्रवाई/नीति क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) आविष्कारक अपनी पंसद के देशों में पेटेंट प्राप्त करते हैं ताकि अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके आविष्कारों का अप्राधिकृत दोहन होने से रोका जा सके। भारत सहित सभी देश आविष्कारकों को अपने आविष्कारों, जो पेटेंट कानून के अनुसार पेटेंटनीयता के मानदंड को पूरा करते हैं, के लिए पेटेंट प्राप्त करने में सुविधा हेतु एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था करते हैं। चूंकि पेटेंटों को विभिन्न देशों के

संप्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत उनके अपने-अपने पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रदान किया जाता है, और इनका प्रभाव उनके क्षेत्राधिकार तक सीमित होता है, इसलिए ये पेटेंट केवल उसी देश में प्रभावी होते हैं जहां उन्हें प्रदान किया जाता है।

आविष्कार, चाहे वह प्रक्रिया अथवा उत्पाद का है, के लिए किसी भी देश में पेटेंट प्रदान करने की पात्रता हेतु उसे पेटेंटनीयता के मानदण्डों को पूरा करना पड़ेगा अर्थात् उसमें नवीनता, मौलिकता और औद्योगिक व्यवहार्यता के गुण मौजूद हों। भारतीय प्रक्रियाएं एवं उत्पाद, जिनका लोगों को पहले से ही ज्ञान है उनका सरकारों अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा पेटेंट नहीं किया जा सकता है। पेटेंटीकृत उत्पादों के उद्भव के देश से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

जब कभी भी किसी ऐसी मद के बारे में पेटेंट प्राप्त करने संबंधी सूचना मिलती है, जिन्हें पेटेंटनीय नहीं समझा जाता और जिनसे भारतीय हितों पर प्रभाव पड़ता है, तो यह निर्धारित करने के लिए कदम उठाये जाते हैं कि क्या संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत इस प्रकार के पेटेंट को चुनौती दी जा सकती है। घाव भरने के लिए हल्दी के उपयोग पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटेंट पहले प्रदान किया गया था, जिसे सफलतापूर्वक चुनौती दी गयी तथा इसे संबद्ध देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा रद्द भी कर दिया गया। इसी प्रकार, यूरोप में नीम के फफूंदनाशक गुण पर प्रदान किये गये एक पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती दी गयी थी। बासमती राइसलाइन और अनाज पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किये गये पेटेंट के दावों को भी चुनौती दी गयी, क्योंकि इनसे भारत के वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने की संभावना थी। तत्पश्चात् यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आफिस द्वारा उक्त दावे रद्द कर दिये गये थे और पेटेंट के शीर्षक में भी संशोधन किया गया। सामान्यत: किसी पेटेंट को ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चुनौती दी जाती है जिनके हित प्रभावित होते हैं/खतरे में पड़ जाते हैं।

[अनुवाद]

2607-44

मृत्यु दंड

2600. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि मृत्यु दंड की सजा को यथा फांसी पर लटकाने की बजाए "जहरीले इन्जेक्शन" के माध्यम से मृत्यु की सदा दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण बताएं गए हैं; और

(ग) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधानों में संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) विधि आयोग ने यह सूचित किया है कि इसने हाल ही में मृत्यु-दंड देने के तरीके का अध्ययन आरंभ किया है। यह अध्ययन अभी चल रहा है। जैसे ही परामर्श पत्र को अंतिम रूप दिया जाता है, इसे सभी संबंधित व्यक्तियों, विधिज्ञ परिषदों, मुख्य वकीलों को, इस पर उनकी राय आमंत्रित करने के लिए, परिचालित किया जाएगा।

[हिन्दी]

2445

उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराधियों की रिहाई

2601. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री जी.जे. जावीया:
श्री आदि शंकर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में न्यायालयों ने हाल ही में एक नया प्रयोग किया है जिसके अन्तर्गत आपराधियों को विधि की लम्बी प्रक्रिया में जाए बिना ही रिहा किया गया;

(ख) क्या इस नवीनतम प्रयोग को विश्व में अपनी ही तरह के पहले प्रयोग के रूप में माना गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अधिकारियों, लोगों, न्यायालयों, वकीलों और केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस प्रयोग के अन्तर्गत कितने व्यक्ति और अपराधी रिहा किए गए हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोग को पूरे देश में कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

2602. श्री शिवाजी माने:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोटरी पब्लिक की नियुक्ति हेतु आवेदनों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई में असाधारण विलंब किए जाने के परिणामस्वरूप कई आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नोटरी के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) नोटरी पब्लिक की नियुक्ति से संबंधित आवेदनों पर कार्यवाही करने में कोई असाधारण विलंब नहीं किया जा रहा है। नोटरी की नियुक्ति एक कानूनी नियुक्ति है जिसे नोटरी अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किया जाता है, जिनमें नोटरी की नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया विहित की गई है।

(ग) और (घ) नोटरियों की नियुक्ति संबंधी आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए पहले ही एक पृथक नोटरी प्रकोष्ठ स्थापित किया जा चुका है।

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा नोटरियों की नियुक्ति करने संबंधी मानदंडों के बारे में यह उल्लेखनीय है कि नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के अधीन कोई व्यक्ति नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है यदि वह दस वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा है। यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का व्यक्ति है या कोई महिला है तो नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त 7 वर्ष का विधि व्यवसाय है। सक्षम प्राधिकारी प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करता है, उनकी जांच-पड़ताल करता है और सिफारिशें करते समय नोटरी नियमों के नियम 7(3) में विहित विषयों को ध्यान में रखता है, जो निम्नानुसार है:-

(1) क्या आवेदक मामूली तौर पर उस क्षेत्र में निवासी है, जिसमें वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है;

(2) क्या उस क्षेत्र के, जिसमें आवेदक व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है, वाणिज्यिक महत्व और उस क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे विद्यमान नोटरियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, उस क्षेत्र के लिए किन्हीं अतिरिक्त नोटरियों की नियुक्ति करना आवश्यकता है;

(3) क्या वाणिज्यिक विधि में उसके ज्ञान और अनुभव तथा नोटरी के रूप में उसकी नियुक्ति की बाबत उठाये गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की प्रकृति को और विधि व्यवसायी की दशा में उसके व्यवसाय के विस्तार को भी ध्यान में रखते हुए आवेदक नोटरी के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए उपयुक्त है;

(4) जहां आवेदक का संबंध विधि व्यवसायियों की किसी फर्म से है वहां उस फर्म में विद्यमान नोटरियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या उस फर्म से किसी अतिरिक्त नोटरी की नियुक्ति करना उचित और आवश्यक है; और

(5) जहां उस क्षेत्र की बाबत अन्य आवेदकों के आवेदन लंबित हैं वहां क्या आवेदक ऐसे अन्य आवेदकों से अधिक उपयुक्त हैं।

सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार उस पर विचार करने के पश्चात् कोई समुचित विनिश्चय करती है।

[अनुवाद]

बैंकिंग सेवाएं

2603. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में बैंकिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के क्या निदेश हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने संसाधनों एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कम्प्यूटरीकरण योजनाएं बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गये आंकड़ों के अनुसार 30 सितम्बर, 2002 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

30 सितम्बर, 2002 को समाप्त छमाही अवधि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की बैंक-वार स्थिति

क्र.सं.	बैंक	शाखाओं की कुल सं. (चाहे कम्प्यूटरीकृत हैं अथवा नहीं) अर्थात् शाखा नेटवर्क	अंशत: कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या	पहले से ही पूर्णत: कम्प्यू-टरीकृत शाखाएं	कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से किए गए कारबार का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	9038	3870	3177	80.50
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	802	5	346	77.08
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	887	337	156	77.71
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	423	130	104	78.14
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	604	157	145	80.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	725	4	574	93.55
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	410	39	140	78.47
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	674	339	217	72.40
9.	इलाहाबाद बैंक	2056	340	399	72.96
10.	आंध्रा बैंक	1077	26	731	88.89
11.	बैंक आफ बड़ौदा	2735	1204	563	79.46
12.	बैंक आफ इंडिया	2531	1094	976	90.43
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1229	—	543	77.74
14.	केनरा बैंक	2415	863	760	81.56
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3114	238	983	78.00
16.	कारपोरेशन बैंक	663	—	423	90.75
17.	देना बैंक	1135	280	469	82.10
18.	इंडियन बैंक	1381	47	473	73.85
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1432	699	460	80.80
20.	ओरियंलटल बैंक आफ कामर्स	977	716	172	90.60
21.	पंजाब नैशनल बैंक	3864	2409	268	79.46
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	753	566	37	83.66
23.	सिंडिकेट बैंक	1742	1080	235	71.09

1	2	3	4	5	6
24.	यूको बैंक	1710	444	41	73.57
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2021	1270	113	79.75
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1301	361	240	73.90
27.	विजया बैंक	829	8	333	77.50
	कुल	46528	16526	13078	80.15

कर्नाटक में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

2604. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु पहल की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बिक्री केन्द्र

2605. डा. बलिराम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कितने बिक्री केन्द्र हैं और तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ऐसे और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) 31.1.2003 तक की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी के 277 शो रूप की अवस्थिति को दशाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अवस्थिति	शोरूम की संख्या
1	2	3
मध्य प्रदेश	इन्दौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, बुरहानपुर, रतलाम	6
झारखण्ड	रांची, जमशेदपुर, चास, रामगढ़	4
बिहार	पटना, पटना सिटी, दानापुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, बेगुसराय, नवादा, मुंगेर, बिहारशरीफ, सासाराम, सीतामढ़ी, मधुबनी, जाहानाबाद, गया	16
उड़ीसा	अंगुल, भुवनेश्वर, बालासोर, कटक, धेनकनाल, जोयपोर, बेहरामपुर	7
असम	गुवाहाटी, शिलांग, डिब्रूगढ़, पांडु	14
पश्चिम बंगाल	आसनसोल, आरामबाग, बेलघारिया, बुज-बुज, बेलिया घाट, बर्दवान, बोलपुर, बोनगांव, बरसाट, बिहाल, बंकारू, चंदन नगर, पार्क स्ट्रीट, दुर्गापुर, डायमंड हार्बर, दनाईखाली, गरीयाहाट, ग्रे स्ट्रीट, ईचापुर, कू नगर, कल्याणी कलां, कालन, खगर, कृष्ण नगर, कंगारूची, काडामोटला, लेक टाउन, मिदनापुर, महेश, नगर बाजार, फाल्टा, रासबिहारी,	

1	2	3
	रिसारा, रानीगंज, सिलीगुडी, श्यामबाजार, शिंगुर, सिरामपोर, श्यामबाजार, टालीगंज, तुमलुक, साल्ट लेक	42
तमिलनाडु	अत्तुर, भवानी, कोयम्बत्तूर (6), कुन्नूर, गोबीचेट्टीपलयम, नाम्मकल, ऊटाकमंड, सलेम, मेटट्‌पलयम, चेन्नई (4) चेगगाम, कुड्लर, कालापक्कम, कांचीपुरम, त्रिरुपाथर, त्रिची, कोईबकनाम, मदुरई, नागरकोली, पटुकोटल, परमकड्डी, मलाईदुतरई, शिवगंगा, त्रिचुरपांडी, थिरूमंगलम, तिरूनेलवेलां, तेनाकसी, त्रिकुलरी, नेवेली, फिनले चैन्नई	38
पांडिचेरी	पांडिचेरी	1
दिल्ली	आर्य समाज रोड, एन.डी.एस.ई., शंकर रोड, टैगोर गार्डन, ग्रेटर कैलाश, तिलक नगर, खान मार्किट, पहाड़ गंज, दिल्ली कैंट, ईस्ट आफ कैलाश, ए.टी.एम., लक्ष्मी नगर, मोती नगर	13
हरियाणा	सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, अम्बाला, करनाल	5
पंजाब	अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, खरड़	4
जम्मू और कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर	2
चंडीगढ़	सैक्टर 17, मध्य मार्ग, शिमला	3
राजस्थान	अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, ब्यावर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर, उदयपुर	10
महाराष्ट्र	मुम्बई (13), नागपुर (2), हिंगानघाट, अचलपुर, पुणे, भारत परेल (3), चौपाटी, नांदेड, चालीसगांव	25
गुजरात	अहमदाबाद (2), बड़ौदा, गौधरा, जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, सूरत	8
दमन	दमन	1
उत्तर प्रदेश	कानपुर (6), लखनऊ (2), इलाहाबाद (4), झांसी, बरेली, राय बरेली, अकबर पुर, बलिया, चौकाघाट, देवरिया, गोलधर, गाजीपुर, ज्ञानवापी, लाहोरावीर, मऊनाथभंजन, शक्ति नगर, सुलतान पुर, आगरा, गाजियाबाद, मोदी नगर, मुरादाबाद, नरोरा, रूड़की	32
उत्तरांचल	देहरादून, हल्द्वानी	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (4), अनंतपुर, कुडप्पा, ईलुनी, गंटूर, हनुमानकोंडा, विशाखापटनम्, काकीनाडा, करीमनगर, करनूल, मछलीपटनम, नेलौर, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापटनम्	18
केरल	एलवैल, क्वीलोन, कंगरू, कालीकाट, चिटूरू, चांगा, चैरी, एर्नाकुलम, (2), कासरागोड, कुन्नुमुकुलम, पाली, पालघाट, त्रिचुर, तेलीचेरी, त्रिवेन्द्रम	15
कर्नाटक	बंगलौर (8), मैसूर, ईलगाम, चिकमगलूर, दावनगेरे, धारवार, हासन, मैसूर, मान्डया, मंगलौर, तुमकर, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर	21

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र को संरक्षण

2606. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैंडलूम (रिजर्वेशन आफ आर्टिकल्स फार प्रोडक्शन) एक्ट, 1985 का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका पर विद्युत करघों के अतिक्रमण को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इससे राज्यवार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विद्युत करघा मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 को 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में लागू किया गया

था जिसका उद्देश्य लाखों हथकरघा बुनकरों की आजीविका में विद्युतकरघा तथा संगठित मिल क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से उनके हितों की बचाना है। वर्तमान में वस्त्र मदों की 11 श्रेणियों को केवल हथकरघा क्षेत्रों द्वारा उत्पादनार्थ आरक्षित किया गया है। इस अधिनियम का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्र तथा राज्य प्रवर्तन तंत्र में अधिकृत किए गए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को अधिकार प्रत्यायोजित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों में प्रवर्तन तंत्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग देने के लिए निधियों को हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन संबंधी योजना के अंतर्गत जारी किया जाता है। योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार 14 राज्य सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं किंतु केवल 12 राज्य, केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब राज्य ने अपने निजी प्रवर्तन तंत्र स्थापित कर लिए हैं और अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) का अधिनियम, 1985 और इसके पश्चात जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तन तंत्रों ने अभी तक 156 एफआईआर दर्ज की हैं जिसमें से 114 मामलों में सजा दी गई है और 42 मामले देश में विभिन्न भागों में स्थित निचली अदालतों में लंबित हैं।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

2607. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने न्यायापालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है और ऐसा कारगर विधिक तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे कि न्यायाधीशों की जवाबदेही तय की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भारतीय न्यायापालिका से भ्रष्टाचार तुरंत समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने के लिए भी सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श किया। न्यायालय ने निम्नानुसार सूचित किया है:

"तारीख 23 दिसंबर, 2002 के द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में रिपोर्ट किए गए अनुसार भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा ने न्यायापालिका में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाने के लिए एक प्रभावी विधिक तंत्र का समर्थन किया था।"

(ख) भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 23 दिसंबर, 2001 को भारतीय विधिज्ञ परिषद् और केरल राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कथन किया था:

".....मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कहूंगा: मेरी राय में इस देश के 80% न्यायाधीश कुल मिलाकर ईमानदार हैं और उन्हें भ्रष्ट नहीं बनाया जा सकता। इस बात को ज्ञात कराने के लिए कि न्यायपालिका अपने सदस्यों के बीच भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती, यह आवश्यक है कि भ्रष्ट न्यायाधीशों की जांच की जानी चाहिए और उन्हें सेवा में बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यह अधीनस्थ न्यायपालिका की दशा में बहुत हद तक संभव है क्योंकि उसका अनुशासिक नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है। उच्चतर न्यायपालिका की दशा में यह कठिन है क्योंकि विधि के अधीन एक ही उपाय है और वह है महाअभियोग जो बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है जिससे, जैसा कि हाल के एक दृष्टांत से पता चलता है, वांछित परिणाम मिलने की संभावना कम है और उसके कारण राजनैतिक हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने इस समस्या के समाधन के लिए अनौपचारिक प्रक्रिया विकसित करने के प्रयास किए हैं किन्तु इसका अभी परीक्षण होना है।"

(ग) सरकार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता तैयार करेगा।

राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने सिफारिश की है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों को समाविष्ट करने वाली एक स्थायी समिति को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, सभी प्रकार के पथभ्रष्ट व्यवहार तथा दुर्व्यवहार और अक्षमता की शिकायतों की जांच करने के लिए सशक्त किया जाए। सिफारिशों पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करते समय विचार किया जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके नियम और विनियम बनाती है। राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य, इन्हीं नियमों और विनियमों से शासित होते हैं।

उचित प्राधिकरणों द्वारा सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को भर्ती/प्रोन्नत करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का ध्यान रखा जाता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के संवर्धन के लिए न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विश्व बैंक निदेशक की यात्रा

2608. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के निदेशक ने हाल में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के निदेशक के साथ चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका इरादा स्वास्थ्य देख-रेख, प्राथमिक शिक्षा और विद्युत क्षेत्र में सुधारों आदि जैसी कुछ और परियोजनाओं को धनराशि प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की स्थापना किन-किन राज्यों में किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) विश्व बैंक के प्रधान को "अध्यक्ष" के रूप में पदनामित किया जाता है, न कि "निदेशक" के रूप में। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने हाल में भारत का दौरा नहीं किया है (उनकी पिछली यात्रा नवम्बर, 2000 में हुई थी)।

(ख) से (ङ) चूंकि हाल ही में कोई दौरा नहीं हुआ है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल व्यापार

2609. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयास में सरकार ने हाल में देश से कोटा उत्पादों के आयात हेतु प्रक्रिया में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्च, 2002 में हुई भारत-नेपाल व्यापार संधि में भी उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) फरवरी, 2003 को सरकार ने नेपाल से आयात हेतु 2 मार्च 2002 को टैरिफ दर कोटा (टी आर क्यू) के अंतर्गत लाए गए एक्रिलिक यार्न, तांबा उत्पादों तथा जिंक आक्साइड के आयात संबंधी प्रक्रिया को संशोधित किया। वस्त्र समिति द्वारा अब एक्रिलिक यार्न के आयात की निगरानी की जाएगी और खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) तांबा उत्पादों तथा जिंक आक्साइड के आयातों की निगरानी करेगा।

महामहिम नेपाल की सरकार द्वारा टी आर क्यू मदों की आवंटित मात्राओं के निर्यात हेतु भारतीय भू-सीमा शुल्क स्टेशन (एल सी एस) को विनिर्दिष्ट करते हुए नेपाली निर्यातकों को एक्रिलिक यार्न, तांबा उत्पादों एवं जिंक आक्साइड की मात्राएं वितरित की जाएंगी। निर्यातक अपने आवंटनों के पंजीकरण तथा पास बुकें जारी करने के लिए संबंधित मानीटरिंग एजेंसी से संपर्क करेंगे। मानिटरिंग एजेंसियों द्वारा माल की निकासी हेतु विनिर्दिष्ट एल सी एस को पत्र लिखा जाएगा। भारतीय भू सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा माल की निकासी की जाएगी और निर्यात की प्रत्येक खेप के सामने पास बुक में प्रविष्टि की जाएगी। महामहिम नेपाल की सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा संबंधित एल सी एस को संशोधन पत्र जारी करने हेतु मानीटरिंग एजेंसी को सूचित करते हुए उसी निर्यातक को नए कोटे के आबंटन का पृष्ठांकन भी किया जाएगा। आबंटित कोटे को सुपुर्द करने के बाद महामहिम नेपाल की सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा संबंधित मानीटरिंग एजेंसी को सूचित करते हुए पासबुक में उसके बारे में डेबिट प्रविष्टि की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नेपाल के साथ भारत के व्यापार के संबंध में उपलब्ध आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

करोड़ रुपए

वर्ष	नेपाल को निर्यात	नेपाल से आयात
2000-2001	643.40	1053.97
2001-2002	1021.79	1698.63
2002-2003 (अप्रैल नवम्बर)	888.79	862.78
2001-2002 (अप्रैल-नवम्बर)	677.91	1171.74

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता।

राज्य वित्त निगम

257-58

2610. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य वित्त निगम सांविधिक नकदी अनुपात तथा लघु उद्योग बांड्स के माध्यम से संसाधन जुटा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें इस प्रकार से ली गई धनराशियों की अदायगी हेतु गारंटी देने के लिए कमीशन लेती हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) राज्य वित्तीय निगम एसएलआर बांडों के माध्यम से संसाधन जुटा रहे हैं जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार के बाजार से उधार लेने संबंधी कार्यक्रम में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित किया जाता है। एसआईडीबीआई राज्य वित्तीय निगम-वार उप-आबंटन करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य वित्तीय निगम राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित प्राथमिकता क्षेत्रों बांडों को भी जुटा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 16 राज्य वित्तीय निगमों द्वारा आबंटित एवं जुटाई गई एसएलआर बांड कोटा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रुपए)

वर्ष	आबंटित बांड	जुटाए गए बांड
वित्तीय वर्ष 2001	33497.50	18694.91
वित्तीय वर्ष 2002	49081.50	43589.50
वित्तीय वर्ष 2003	53475.00	17357.00

(ग) एसआईडीबीआई के अनुसार, अलग-अलग राज्य सरकार 25% से 0.60% तक प्रतिवर्ष की अलग-अलग शुल्क दर वसूल रही है। जबकि कुछ राज्य सरकार 1% से 2% की एकबारगी गारंटी शुल्क वसूलती हैं वहीं अन्य राज्य सरकार कोई गारंटी शुल्क नहीं लेती हैं।

(घ) एसआईडीबीआई राज्य सरकारों को न्यूनतम गारंटी शुल्क लेने पर दबाव डालता रहा है जिससे कि राज्य वित्त निगम अपेक्षाकृत सस्ती दर पर एसएलआर बांड जुटा सकें।

सरकारी कार्यालयों को सामानों की आपूर्ति

358

2611. श्री रामजी मांझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियां सरकारी कार्यालयों को सामानों की आपूर्ति डी.जी.एस.एंड.डी. की जाली मूल्य सूची पर कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पहचान की गई कम्पनियों और सरकारी विभागों का ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) डी जी एस एंड डी द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों जिनमें उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं, तथा संघ शासित राज्यों द्वारा अपेक्षित सामान्य उपयोग की मदों के लिए दर संविधाएं निष्पादित की जाती हैं। तथापि राज्य सरकारों द्वारा भी अनौपचारिक रूप से डी जी एस एंड डी की दर संविदा का उपयोग किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न मदों के लिए भिन्न-भिन्न फर्मों के साथ निष्पादित दर संविदाओं के बारे में आवश्यक ब्यौरे/विवरण डी जी एस एंड डी की वेब साइट पर उपलब्ध हैं। इन्हें डी जी एस एंड डी की वार्षिक/मासिक बुलेटिनों में भी प्रकाशित किया जाता है।

महानिदेशक (डीजी) कारागर, उत्तर प्रदेश द्वारा अक्तूबर 2002 में डीजीएसएंडडी को यह सूचित किया गया था कि जेलों द्वारा इस विचार से कुछ फर्मों से दवाईयों की खरीद की गई थी कि

उक्त फर्मों के पास डीजीएसएंडडी की वैध दर संविदा है जबकि उक्त फर्मों के पास दर संविदा नहीं थी। सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि डीजीएसएंडडी ने संदर्भाधीन फर्म को कोई दर संविदा जारी नहीं की थी, डीजी (कारागार), उत्तर प्रदेश को तदनुसार सूचित कर दिया गया था। इस मामले में जालसाजी, यदि कोई है, के ऐसे कार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है। तथापि अतिशय सावधानी के एक मामले में रूप में डीजीएसएंडडी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विभागों को सावधान करने हेतु अखबारों में सामान्य सूचना जारी की थी कि वे तथ्यों का सत्यापन डीजीएसएंडडी की वेबसाईट अथवा वार्षिक/मासिक बुलेटिन से करें।

59-60

उत्तर प्रदेश सर्किल में आयकर निर्धारिती

2612. श्रीमती रीना चौधरी: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सर्किल में कुल कितने आय कर निर्धारिती हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश सर्किल में वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रतिदेय हेतु कितने निर्धारितियों ने आवेदन किए हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में 2001-2002 के दौरान कितनी धनराशि के प्रतिदेय संवितरित किए हैं;

(घ) क्या प्रतिदेय में विलम्ब से बचने के लिए इलैक्ट्रानिक्स क्लिअरेंस सिस्टम को पुन: आरम्भ किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्तों के अन्तर्गत आयकर कर निर्धारितियों की कुल संख्या 22.48 लाख है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में कर निर्धारितियों जिन्होंने वापसियों के लिए आवेदन किया है, की संख्या लगभग 2,77,258 है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में वापसियों के रूप में 454.04 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की गई थी।

(घ) और (ङ) जी, हां। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रमुख प्रशासनिक सुधार के रूप में करदाताओं के बैंक खातों में वापसियों की प्रत्यक्ष क्रेडिट के लिए इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन के लिए करदाताओं के अपने बैंक खातों के आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करने पड़ेंगे।

[हिन्दी] 260-61

वस्त्र उद्योग को रियायतें

2613. डा. अशोक पटेल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने की दृष्टि से विशेष रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) वर्ष 2004 के अंत तक विश्व वस्त्र और क्लोदिंग बाजारों के एकीकरण सहित बदलते हुए वैश्विक पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत नयी चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक मजबूत और गतिशील वस्त्र उद्योग, जो विश्व बाजार में बढ़ते हुए भाग के लिए स्वीकार्य कीमतों पर अच्छी कोटि के कपड़े का उत्पादन करने और अन्य वस्त्र उत्पादक देशों से विश्वास के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो, को विकसित करने के लिए नवंबर 2000 में राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 की घोषणा की है। नीति के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को दी गई कुछ प्रमुख रियायतें निम्नानुसार हैं:

(1) लघु उद्योग से बुने हुए सिले-सिलाये परिधान को अनारक्षित करना।

(2) तीन लगातार बजटों में घोषणा जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र में शुल्क ढांचे को और अधिक तर्कसंगत बनाना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल और मशीनरी की लागत कम करना।

(3) महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों पर ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना और वस्त्र केन्द्र ढांचागत विकास योजना शुरू करना।

(4) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना और कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संगठित प्रयास।

(5) कुछ अपवाद के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति देना।

(6) बुनकर सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के भाग के रूप में कार्यक्रम शुरू करना।

[अनुवाद]

261-62

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

2614. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र और जूट उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु 1 अप्रैल 1999 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना चलाई है;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जनवरी, 2003 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई है, कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं और स्वीकृति हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में आवेदकों को भारी कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवेदनों को शीघ्रता से स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) 31 दिसंबर, 2002 तक की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत 2023 आवेदनपत्र प्राप्त हुए जिनकी परियोजना लागत 15810 करोड़ रु. है और ऋण की आवश्यकता 9095 करोड़ रु. है। 1782 आवेदनों हेतु 6101 करोड़ रु. की ऋण की राशि स्वीकृत की गई है। 1430 आवेदनों के संबंध में 4203 करोड़ रु. वितरित किये गये हैं।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) की पुनरीक्षा और मानीटरिंग करने के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति का गठन किया गया है जिसमें व्यय विभाग, वाणिज्य उद्योग, बैंकिंग और योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त योजना को मानीटर करने और उसकी प्रगति की पुनरीक्षा करने, इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ समिति के तकनीकी/वित्तीय मानदण्डों और उसके सुचारू प्रचालन के लिए अन्य पहलुओं में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार और मानीटरिंग समिति (टीएएमसी) का भी गठन किया गया है। सरकार इस योजना के अंतर्गत तीन नौडीय एजेंसियों (एनए)-गैर-लघु उद्योग (एसएसआई) वस्त्र क्षेत्र के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), ए-लघु उद्योग (एसएसआई) वस्त्र क्षेत्र के लिए भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) और पटसन क्षेत्र के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) के माध्यम से 5 प्रतिशत की ब्याज की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त आईडीबीआई ने 89 बैंकों/वित्तीय संस्थानों, सिडबी ने 142 बैंकों/वित्तीय संस्थानों और आईएफसीआई ने 14 बैंकों/वित्तीय संस्थानों को सहयोजित किया है। विलंब के मामले और आवेदकों के सामने पेश आ रही अन्य कठिनाईयों को संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ उठाया जाता है ताकि उनका शीघ्र समाधान हो सके। इस संबंध में उद्योग के सामने पेश आ रही सामान्य समस्याओं को टीयूएफएस की तकनीकी-परामर्श-सह-मानीटरिंग समिति (टीएएमसी) की बैठकों में उठाया जाता है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उपयुक्त निर्णय लिये जाते हैं। सभी नौडीय एजेंसियां और प्रमुख बैंक टीएएमसी के सदस्य हैं। नौडीय एजेंसियों और सहयोजित प्रमुख ऋणदात्री संस्थानों द्वारा समय-समय पर बैठकें बुलाई जाती हैं और उन्हें टीयूएफएस के अंतर्गत आवेदनपत्रों का तेजी से निपटान करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना में संशोधन कर रही है ताकि इसे अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जा सके। इन प्रयासों के फलस्वरूप मामलों की कठिनाईयों में पर्याप्त रूप से कमी आई है।

न्यायिक प्रणाली में सुधार 262-64

2615. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु आधुनिक प्रौद्योगिक के कारगर उपयोग के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण और नीति विकसित करने हेतु एक सलाहकार निकाय का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निकाय को क्या विचारार्थ विषय दिए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और माननीय संचार तथा सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से एक सलाहकार निकाय का गठन किया है।

(ख) सलाहकार निकाय के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

1. न्यायाधीशों, वादकारियों, अधिवक्ताओं, सरकार, विधि प्रवर्तन तंत्र, न्यायालय के कर्मचारियों, मीडिया, जनसाधारण और देश की न्यायिक प्रणाली के अन्य संबंधित पक्षों सहित विभिन्न पणधारियों की अपेक्षाओं पर विचार करना और उस रीति की जांच करना, जिनमें आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उनको प्राप्त करने में सहायता कर सके।

2. विभिन्न पणधारियों की उपरोक्त अपेक्षाओं पर ध्यान देते हुए सुविधा, पारदर्शिता, पहुंच की सुगमता, विश्वसनीयता और गतिशीलता के अनुसार देशभर के न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए पूर्ण दृष्टिकोण का सुझाव देना। इस दृष्टिकोण में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और भारतीय हालातों एवं आवश्यकताओं दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।

3. पूर्णरूप से अवलोकन के संबंध में ऐसे विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की पहचान करना, जिन्हें कम और मध्यम अवधि (अर्थात् 2-4 वर्ष) के भीतर प्राप्त किया जा सकता है।

4. निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक कार्यान्वयन की सफलता का मूल्यांकन और मानिटर करने के लिए व्यापक मानदंड अवधारित करना।

5. विशेषज्ञों/परामर्शियों से, ऐसे अंत: निवेशों पर, जो आवश्यक समझे जाएं, विचार करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों सहित न्यायिक प्रणाली में प्रगामी कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना की सिफारिश करना।

6. सेवा की कायमता, परिपूर्णता और संगत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के निधियन की सर्वाधिक समुचित रीति का सुझाव देना।

7. परिवर्तनों से संभवत: प्रभावित होने वाले समाज के सभी वर्गों में दृष्टिकोण को संसूचित और प्रचालित करना।

8. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से विशेष रूप से भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से फायदों से वंचित समाज के वर्गों की न्यायिक प्रणाली तक पहुंच को बढ़ाने के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश करना।

9. समुचित अंतरालों पर और जब कभी आवश्यक हो, निर्धारित लक्ष्यों और समय-समय पर दृष्टिकोण और निर्धारित लक्ष्यों का संशोधन करने, उन्हें बदलने या बढ़ाने के प्रति निर्देश से कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना।

10. पूर्णरूप से वांछित उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझी गई सीमा तक विचारार्थ विषयों की परिधि में परिवर्तन करना।

11. उपरोक्त सभी मुद्दों पर न्यायाधीशों की समिति को सलाह देना।

[हिन्दी] 264-

सिले-सिलाए वस्त्रों हेतु निर्यात कोटा

2616. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात कोटे में वृद्धि को भारत में अमरीकी वस्त्र उद्योग हेतु विपणन सुविधा के समानुपातिक बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 264-65

भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी

2617. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों को दिए जा रहे अनुचित कमीशन के कारण हुए भारी घाटे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अधिनिर्णय, में विकास अधिकारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार कामगार कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) विकास अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के श्रेणी-2 कर्मचारी होते हैं और एलआईसी द्वारा उन्हें किसी कमीशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते। 265-66

भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रीमियम

2618. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रीमियम के संग्रहण में भारी अंतर की ओर भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने जनवरी, 2003 माह में कितना अन्तर पाया है;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कम प्रीमियम संग्रहण किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रीमियम संग्रहण में इस अंतर को दूर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि जनवरी, 2003 तक प्रथम प्रीमियम आय (एफपीआई) 5788.24 करोड़ रु. रही है जबकि जनवरी, 2002 तक एफपीआई 11834.88 करोड़ रु. थी। गत वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम ने अनुकूल बाजार स्थितियों तथा अधिक लाभ वाली योजनाओं की अत्यधिक बिक्री के कारण असाधारण वृद्धि दिखाई है। ब्याज दर में कमी होने पर जीवन बीमा निगम द्वारा अधिक लाभ वाली योजनाएं हटा ली गई हैं, अत: इस वर्ष कारोबार में तुलनात्मक वृद्धि गत वर्ष की अपेक्षा कम रही है।

(घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे प्रथम प्रीमियम आय की कारोबार वृद्धि के लिए प्रबल प्रचार अभियान करते आ रहे हैं। कारोबार वृद्धि के उपायों में फील्ड कर्मचारियों के ज्ञान तथा बिक्री करने की कुशलता में सुधार हेतु प्रशिक्षण, प्रथम प्रीमियम आय में वृद्धि हेतु उच्च मूल्य की बिक्री को बढ़ाना आदि शामिल हैं। Q66

शहरी बैंकों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम के दायरे में लाना

2619. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी सहकारी शहरी बैंकों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आशय की कोई अधिसूचना जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) जी, हां। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) की मद (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने "बी आर अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (सीसीआई) में यथा परिभाषित सहकारी बैंकों को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन से "बैंक" के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। सरकार ने 28 जनवरी, 2003 को इस आशय की एक असिूचना जारी की है। अधिसूचना की प्रति संसद के दोनों सदन पटलों पर पहले ही रखी जा चुकी है। 266-67

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

2620. श्री अबुल हसनत खां: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31 जनवरी, 2001 और 7 मार्च, 2002 के निर्णय जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि "भुगतान क्षमता" "वेतन ढांचे की समानता" के बाधक नहीं होगी के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वैकल्पिक पेंशन योजना और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) दिनांक 31 जनवरी, 2001 और 7 मार्च, 2002 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में प्रायोजक बैंकों के कर्मचारियों के साथ वेतन ढांचे की समानता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को पहले ही कर दी गई है। इस संबंध में एक अनुपालन हलफनामा सरकार द्वारा 30 मई, 2002 को उच्चतम न्यायालय में फाइल कर दिया गया था।

267-68

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के चूककर्ता

2621. श्री के. येरननायडू:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चूककर्ताओं को कितने नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन चूककर्ताओं के मामलों में कितनी धनराशि संलिप्त है जिन्हें नोटिस दिए गए हैं; और

(ग) चूककर्ता द्वारा नोटिस में दी गई अंतिम तिथि के पश्चात भी धनराशि की अदायगी नहीं करने की स्थिति में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) आईएफसीआई लि. ने सूचित किया है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उन्होंने 41 कंपनियों को नोटिस भेजा है जिनमें 31 जनवरी, 2003 तक 2329.62 करोड़ रुपए की बकाया राशि अंतर्ग्रस्त है। आईएफसीआई ने 3094.96 करोड़ रुपये की कुल बकाया देयराशियों वाले 34 मामलों में ऋणदाताओं को सहमति-पत्र भी भेजे हैं।

(ग) इसके अतिरिक्त, आईएफसीआई ने सूचित किया है कि इस अधिनियम के अधीन आईएफसीआई लि. द्वारा जारी नोटिसों से स्वीकार्य पुनर्गठन पैकेजों की तैयारी या देयराशियों की समझौता वार्ता द्वारा निपटान के माध्यम से अप सामान्य/प्रतिबलित आस्तियों के समाधान संबंधी प्रस्ताव के साथ आईएफसीआई लि. से सम्पर्क करने के लिए अन्यथा कुछ उदासीन उधारकर्ताओं पर दबाव पड़ा है। वैसे मामलों में जहां उधारकर्ताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, वहां उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों के साथ-साथ मैसर्स मीडिया केमिकल्स लि. के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामलों के आधार पर उपयुक्त रणनीति तैयार की जा रही है।

268

महाजन समिति की सिफारिशें

2622. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 1999 से लेवी चीनी का कोटा कम किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या क्या है और प्रत्येक अवसर पर कमी का प्रतिशत कितना था;

(ख) लेवी चीनी का कोटा कम करके चीनी मिल मालिकों को राहत प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) चीनी उद्योग पर महाजन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक पूरी तरह लागू किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) चीनी मिलों का लेवी दायित्व मार्च, 1999 से कम कर दिया गया है जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

1.1.2000 से 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक

1.2.2001 से 30 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक

1.3.2002 से 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक

लेवी दायित्व इसलिए कम किया गया है ताकि चीनी मिलें लेवी मुक्त चीनी की अधिक मात्रा बाजार में बेच सकें और गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य समय पर दे सकें।

(ग) और (घ) महाजन समिति की अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। शेष सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

268-69

उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2623. श्री परसुराम माझी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नवरंगपुर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की अलग खंड पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नवरंगपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 269 -70

खुले बाजार से धन जुटाने की अनुमति

2624. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र ने केन्द्र सरकार से अभूतपूर्व वित्तीय संकट से निपटने हेतु खुले बाजार से धन जुटाने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों ने खुले बाजार से धन लेने हेतु एक बार वित्तीय सहायता/अनुमति देने का अनुरोध किया है ताकि राज्यों द्वारा सामना की की जा रही नकदी की समस्या से निपटा जा सके।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पटबन्धारे विट्रिटया कम्पनी लिमिटेड (एम.पी.वी.सी.) के माध्यम से राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में वितरित करने के लिए निजी व्यवस्था के जरिए 150 करोड़ रुपए का अभिदान अपने पास रखने के अधिकार के साथ 350 करोड़ रुपए की राशि बांड/ऋण के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव रखा था।

(ग) राज्य की अर्थोपाय-स्थिति को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम, जिस पर भारत सरकार की राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा 2000-01 से 2004-05 के तहत राज्य की सहमति हो, के अनुरूप होनी चाहिए।

उन प्रस्तावों, जो राज्य सरकारों के ब्याज के वर्तमान कम दरों पर नए ऋणों के माध्यम से एस.पी.वी. ऋणों के लिए महंगे कूपनों की पूर्वअदायगी में समर्थ बनाते हैं, पर सिद्धान्त: सहमति हो गई है क्योंकि यह बकाया एस.पी.वी. ऋण या राज्य गारन्टियों के स्टाक में जोड़े नहीं जाते हैं। तथापि, शर्त यह है कि ऐसे पुन: वित्तपोषित प्रस्तावों पर भारत सरकार के संविधान की धारा 293 (3) के तहत राज्य सरकारों ने सहमति ले रखी हो।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण 270 -

2625. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण की गई वस्त्र मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजना के दौरान आधुनिक बनाई जाने वाली ऐसी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने वस्त्र व पटसन उद्योग के लिए, दिनांक 1.4.1999 से 5 वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च, 2004 तक के लिए एक प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) आरंभ की। इस योजना की मुख्य विशेषता है कि इसमें, ऋणदात्री एजेंसी द्वारा योजना के अनुपालन की पुष्टि पर आधारित प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना पर प्रभारित ब्याज के 5% तक की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के तहत वित्त-पोषण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दिनांक 1 जनवरी, 2002 से लघु वस्त्र उद्योग व पटसन उद्योग को 12 प्रतिशत ऋण संबंधी पूंजीगत सब्सिडी (सीएलसीएस-टीयूएफएस) अथवा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के विकल्प का प्रावधान किया गया है। योजना के आरंभ से अर्थात दिनांक 1.4.1999 से 31.12.2002 तक उन मिलों, जिन्होंने योजना के तहत सहायतार्थ आवेदन किया है, जिन्हें ऋण संस्वीकृत किए गए तथा राशि संवितरित की गई है, के राज्यवार ब्यौरे, संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

विवरण

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की दिनांक 31.12.2002 (अनंतिम) के अनुसार प्रगति (राज्यवार)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्त			संस्वीकृत			संवितरित			
		आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	अपेक्षित ऋण की राशि	आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	राशि	आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	संस्वीकृत राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	तमिल नाडु	584	3207.13	2072.04	523	2732.54	1621.24	415	2217.52	1386.50	1049.54
2.	पंजाब	262	2364.09	1123.82	240	2118.37	925.99	175	1744.39	754.59	624.40
3.	महाराष्ट्र	167	2499.47	1441.73	143	1673.43	745.85	103	1524.14	646.56	486.11
4.	गुजरात	413	1815.18	923.44	367	1242.09	619.82	327	1129.30	559.12	481.25
5.	राजस्थान	191	1354.81	786.96	156	963.48	464.35	140	921.62	443.89	369.54
6.	उत्तर प्रदेश	35	934.59	497.00	28	864.40	346.87	22	323.95	225.86	159.59
7.	कर्नाटक	73	633.86	381.29	66	480.41	261.71	53	428.55	233.60	160.13
8.	दादरा व नगर हवेली	30	1022.38	585.37	25	735.38	259.19	23	657.28	234.19	224.59
9.	आंध्र प्रदेश	39	603.21	352.59	30	417.42	220.59	25	397.42	209.76	165.10
10.	हिमाचल प्रदेश	7	316.52	238.25	6	308.27	172.65	6	308.27	172.65	169.65
11.	मध्य प्रदेश	14	329.94	240.88	14	329.94	135.60	11	315.76	129.74	127.59
12.	हरियाणा	123	335.83	181.99	109	232.94	124.02	75	194.57	106.61	75.17
13.	पश्चिम बंगाल	29	144.52	88.91	26	119.28	76.09	20	69.51	48.27	37.09
14.	केरल	10	121.90	102.54	7	51.66	58.10	6	44.66	54.10	44.69
15.	दिल्ली	33	82.60	51.99	29	70.93	42.73	19	32.36	19.98	17.49
16.	दमन और दीव	9	19.00	13.91	9	19.00	13.56	7	17.80	12.64	7.37
17.	चंडीगढ़	2	21.28	9.37	2	21.28	9.37	1	6.36	2.07	2.07
18.	उड़ीसा	1	1.90	1.66	1	1.90	1.66	1	1.90	1.65	0.81
19.	नागालैंड	1	1.57	1.41	1	1.57	1.41	1	1.57	1.41	0.43
	कुल	2023	15809.78	9095.17	1782	12384.30	6100.82	1430	10339.91	5243.22	4202.60

[हिन्दी]

271-73

सहकारी क्षेत्र हेतु पैकेज

2626. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु पुनर्वास पैकेज की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार से राज्य के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को 426.57 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए मार्च, 1999 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सहकारी ऋण ढांचे की पुनर्व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता देने संबंधी मामले की जांच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उपगवर्नर, श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता वाली कृतिक बल द्वारा की गई थी। उपर्युक्त समिति तथा वित्त मंत्रालय में पूर्व वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सहकारी ऋण ढांचे की पुनर्व्यवस्था के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

274-75

वस्त्र उद्योग में प्रवृत्ति

2627. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति सिंथेटिक, ऊनी और ब्लेंड्स की ओर शिफ्ट हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा हमारे उत्पादों को उस प्रवृत्ति के अनुसार ढालने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) सूती फाईबर सिंथेटिक और ऊनी फाईबर की खपत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति नीचे तालिका में दी गई है:-

प्रमुख वस्त्र फाईबर की वैश्विक खपत

(मिलियन कि.ग्रा. में)

वर्ष	सिंथेटिक/ऊन					
	कपास	सेल्यूलोसिक	गैर-सेल्यूलोसिक	ऊन	कुल	कुल योग
1997	19318 (42.4%)	2314	22399	1497	26210 (57.6%)	45528 (100%)
1998	19113 (41.4%)	2182	23398	1478	27058 (58.5%)	46171 (100%)
1999	19428 (40.9%)	2118	24554	1458	28130 (59.1%)	47558 (100%)
2000	19950 (40.7%)	2139	25490	1450	29079 (59.3%)	49029 (100%)
2001	20306 (40.6%)	2132	26122	1440	29694 (59.4%)	50000 (100%)

स्रोत: (आईसीएसी, कामनवेल्थ सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय और फाईबर अर्थशास्त्र ब्यूरो)

(ख) फाईबर की घरेलू खपत में प्रवृत्ति उसी प्रकार से सिंथेटिक की ओर जा रही है। उद्योग का सिंथेटिक और ऊनी क्षेत्र अन्य के साथ-साथ वस्त्र उद्योग के विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं और रियायतों का लाभ उठा रही है:-

(1) लघु उद्योग से चुने हुए सिले-सिलाये परिधान को अनारक्षित करना।

(2) तीन लगातार बजटों में घोषणा जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र में शुल्क ढांचे को और अधिक तर्कसंगत बनाना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल और मशीनरी की लागत कम करना।

(3) महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों पर ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना और वस्त्र केन्द्र ढांचागत विकास योजना शुरू करना।

(4) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना और कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु संगठित प्रयास।

(5) कुछ अपवाद के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति देना।

(6) बुनकर सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के भाग के रूप में कार्यक्रम शुरू करना।

इससे अतिरिक्त, अन्य सभी फिलामेंट यार्न, पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पोलिस्टर सूत, सूती विस्कोस और सभी स्पन यार्नों पर उत्पाद शुल्क और अपैरल श्रेणी के अपरिष्कृत ऊन पर आयात शुल्क में कमी की घोषणा बजट अभिभाषण 2003-04 में की गयी है।

[हिन्दी]

चीन में व्यापार मेला

2628. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीन में भारतीय उद्योग की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितने स्टाल स्थापित किए जाएंगे और कौन-कौन से विभाग इसमें भाग ले रहे हैं तथा ऐसी प्रदर्शनी की अवधि कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

2629. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** मंत्रालय में अ.जा./अ.ज.जा. के प्रतिनिधित्व के बारे में 19 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 933 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) मंत्रालय में अनु.जा./अनु.ज.जा. के प्रतिनिधित्व के बारे में 19 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 933 के उत्तर में सभी संबंधित कार्यालयों से पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने के कारण एक आश्वासन दिया गया था।

बाद में इस विभाग ने अपेक्षित/पूर्ण सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय के अधीन संबंधित कार्यालयों के साथ उचित स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई की थी। यह सभी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त हो गई है किन्तु एक मामले में प्रस्तुत की गई सूचना पूर्ण नहीं थी। अतः यह मामला उनके साथ पुनः उठाया गया है। जैसे ही पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाएगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उपभोक्ता मंच

2630. डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई स्थानों पर उपभोक्ता मंच गलती से कंपनी जमाओं की गैर-अदायगी की शिकायतों पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह यह कंपनी लॉ बोर्ड के क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं कर रहा है जो कि कंपनी जमाओं की शिकायतों पर विचार करने हेतु एक वैद्य और उचित एजेंसी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ता मंच को कंपनी जमाओं से संबंधित विवादों में न पड़ने हेतु आदेश जारी करेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के उपबंधों के अतिरिक्त हैं न कि उनको काट-छांटकर बनाए गए उपबंध। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत स्थापित उपभोक्ता मंचों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वित्तीय सेवाओं में कमी से संबंधित मामले सहित मामलों का न्याय निर्णय करने की शक्तियां प्राप्त हैं। पीड़ित पक्ष यदि आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह उपयुक्त मंचों में अपील कर सकता है। इसलिए सरकार उपभोक्ता मंचों के न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होगी।

277

वस्त्र निर्यात संवर्धन योजना

2631. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र निर्यातक सरकार से विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं को जारी रखने का अनुरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्री से निर्यात संवर्धन योजना को समाप्त करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसका देश के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) सरकार का विचार है कि निर्यात संवर्द्धन योजनाएं, निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त अंतर्निवेशों पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने पर छूट देने के आधारभूत सिद्धांत पर कार्य करती हैं और इसलिए भारतीय निर्यात की लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

277-18

भारत-थाईलैंड व्यापार समझौता

2632. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और थाईलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की और तेजी से बढ़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुक्त व्यापार समझौता करने हेतु दोनों देशों द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं अथवा पेशकश की गई है; और

(घ) एफटीए पर किस तरह हस्ताक्षर किए जाएंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ टी ए) पर ढांचागत करार का मसौदा तैयार करने के लिए एक संयुक्त वार्ताकारी दल (जे एन जी) का गठन किया गया है। संयुक्त वार्ताकारी दल की पहली बैठक 23-24 दिसम्बर, 2002 को बैंकाक में हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने विचारार्थ विषयों तथा सितम्बर, 2003 तक भारत-थाईलैंड एफ टी ए पर ढांचागत करार को निष्पादित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बैठकों के कार्यक्रम को पारित किया था। जे एन जी की दूसरी बैठक 10-12 मार्च 2003 को आयोजित करने का कार्यक्रम है।

निवेश सुविधा कोष

278

2633. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु निवेश सुविधा कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है जिन्हें विदेशी तथा घरेलू निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीतियों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए सहायता की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी संचालन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि उन राज्यों को, जिन्हें विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने हेतु सहायता की जरूरत है, को सहायता प्रदान करने के लिए निवेश सुविधा कोष स्थापित किया जा सकता है। संचालन समिति ने यह महसूस किया कि प्रस्तावित कोष के दो घटक हो सकते हैं: तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता, बाद का घटक राज्य विशिष्ट सुधारों के प्रसंग में है। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

278-80

राज्यों पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव

2634. श्री राजोसिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों, जिन्हें देश के बीमारू राज्यों के रूप में जाना जाता है, की वित्तीय दशा पर आर्थिक उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उनकी स्थिति बारह वर्ष पूर्व अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण बद से बदतर हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु राज्य-वार क्या आर्थिक पैकेज दिए गए हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) आर्थिक उदारीकरण अर्थव्यवस्था की दक्षता और विकास की क्षमता सुधारता है और इसका राज्यों की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ना प्रत्याशित है।

बीआईएमएआरयू'' राज्यों सहित अधिकांश राज्य सरकारें विशेषकर 1990 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान वृहद और बढ़ते हुए राजकोषीय और राजस्व घाटे का अनुभव कर रही हैं। राज्यों की वित्तीय स्थिति में गिरावट मुख्यत: वेतन और मजदूरियों, पेंशन तथा ब्याज संदाय पर बढ़ते हुए व्यय और व्यय की वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में निम्नतर वृद्धि है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उनकी राजकोषीय स्थिति सुधारने के लिए लक्षित मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-2001 से 2004-2005 तक) नामक एक योजना तैयार की है। इसके लिए राज्यों को अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधार कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पांच वर्षों की अवधि में 10,607 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन निधि निर्धारित की गई है। भारत सरकार ने राज्यों को अपने केन्द्रीय सरकार के मंहगे ऋणों और अग्रिमों को समाप्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक ऋण विनिमय तंत्र का भी प्रस्ताव किया है। इन पहलों से ''बीआईएमएआरयू'' राज्यों सहित राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारना प्रत्याशित है।

[अनुवाद]

280-94

जापान द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2635. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने देश में कुछ गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन गैर-सरकारी संगठनों की कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है और किस प्रयोजन हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां।

गैर-सरकारी संगठनों के नाम, स्वीकृत राशियां और अनुदान का प्रयोजन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान सरकार द्वारा भारत में गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत अनुदानों के ब्यौरे

क्रमांक	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राशि (अमरीकी डालर में)	प्रयोजन
1	2	3	4
वित्तीय वर्ष 1999-2000			
1.	जनमानस विकास संस्थान	67,581	पेय जल परियोजना
2.	देवी संस्थान	35,034	प्राथमिक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सहभागिता संसाधन परियोजना
3.	विकास अनुसंधान तथा कार्य दल	55,813	मोहन गार्डन विद्यालय भवन परियोजना
4.	ग्रामीण विकास समिति	44,651	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं सफाई सेवा परियोजना
5.	आपदा राहत—भारत हेतु विश्व स्मारक कोष	73,244	टी.बी. परियोजना

1	2	3	4
6.	चीन तथा जापानी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	1865	एन एच के विश्व दूरदर्शन प्रसारण प्राप्त करने हेतु उपकरण की संस्थापना
7.	इलाहाबाद कृषिय संस्थान, जारी एवं अनौपचारिक शिक्षा महाविद्यालय	64,186	स्वच्छ ग्राम पहल परियोजना
8.	लोक सेवा समिति	76,266	स्वच्छ पेयजल
9.	पी एच डी ग्रामीण विकास फाउंडेशन	49,533	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुफरी
10.	विद्यासागर इंस्टीट्यूट आफ मेंटर हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंस	79,344	फील्ड आउटरीज हेल्थ केयर सेंटर
11.	जापानी तथा पूर्वोत्तर एशियाई अध्ययन, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	7963	एनएच के विश्व दूरदर्शन प्रसारण प्राप्त करने हेतु उपकरण की संस्थापना
12.	ग्रामीण पहल तथा समुन्नति सामाजिक केन्द्र (खोरी केन्द्र)	74,145	रेगिस्तानी क्षेत्र में पेय एवं अन्य प्रयोजनार्थ जल की उपलब्धता बढ़ाना
13.	मानसिक विक्लांगता वाले बच्चों के कल्याण के लिए अभिभावक संघ/मुस्कान	81,395	मुस्कान वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड वर्क सेंटर डायगनोस्टिक कांउसलिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर के लिए भवन निर्माण
14.	एंटो मोलोजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सोसायटी आफ लोयला कालेज	82716	निर्धन किसानों को पर्यावरण अनुकूल जैव कीटनाशक निःशुल्क वितरित करना और उन्हें प्रशिक्षण देना।
15.	बनियान, चैन्नई	81385	निराश्रित मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के आवास, चिकित्सा देखभाल तथा पुनर्वास के लिए भवन का निर्माण करना
16.	सेकर्ड हार्ट लेप्रोसी सेंटर, कुम्बाकोनम	83,114	अंतिम अवस्था के कुष्ठ रोगियों के लिए ब्लाक का निर्माण
17.	भारत-चटनाथ धर्रा के एस ओ एस बाल ग्राम, चैन्नई	54,573	अनाथ और गरीब घरों के परिवारों के लिए प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण
18.	सेवई सोसायटी, मुदरई	80,831	अनाथ तथा ग्रामीण बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण
19.	वेमर वार्क फाउंडेशन फार रिहैबिलिटेशन फार दि मेंटली डिसेबल्ड, त्रिचुरापल्ली	79,150	मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आवास शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं स्थापित करना
20.	मदुरई जेसुट डाऊन ट्रोडन पीपल वेल्फेयर ट्रस्ट, मदुरई	79,020	अत्यधिक पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए उनकी शिक्षा हेतु गृह की स्थापना करना

1	2	3	4
21.	चाईल्ड जीसस अस्पताल, तिरूचिरापल्ली	81,514	ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित तथा वर्धित स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा सेवा परियोजना
22.	स्पास्टोक्स सोसायटी फार तमिलनाडु, चैन्नई	78,610	गंभीर अक्षमताओं वाले युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना
23.	भारत में शारीरिक रूप से विक्लांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवा हेतु सोसायटी	25,000	उड़ीसा सोशल रेस्टोरेशन परियोजना
24.	मोबिलिटी इण्डिया	83,165	कलकत्ता परियोजना में प्रशिक्षण कार्यशाला की स्थापना
25.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कोलेरा एण्ड एंटेरिक डिजीज	79,961	उभरते अतिसार रोग निवारण परियोजना
26.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, विद्या भवन, जापानी अध्ययन विभाग	2,068	एन एच के विश्व दूरदर्शन प्रसारण प्राप्त करने हेतु उपकरण की संस्थापना
27.	भारतीय शिल्पकार परिषद	82,211	प्रशिक्षण केन्द्र के पास अध्ययन, श्री पेरूम्बुदूर
28.	स्टेला मेरिस महाविद्यालय	83,303	कार्यात्मक साक्षरता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण
29.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए सोसायटी आफ होम	33,677	वृद्ध व्यक्तियों के लिए गृह हेतु सुविधाओं एवं उपस्कर का विस्तार
30.	एंकरेज	82,500	एंकरेज का विस्तार
31.	बाम्बे सोसायटी आफ दी फ्रांसिसियन सिस्टर्स आफ मेरी	82,500	ग्राम थेरेसा हाई स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करना
32.	विकास कार्य हेतु व्यावसायिक सहायता	91,621	जनजातीय लोगों के लिए स्थायी प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका का सृजन
33.	सोसायटी फार सिविक राइटस	34,469	पर्यावरणीय मुद्दों तथा जन सहभागिता एवं एचआईवी/एडस निवारण पर समुदाय आधारित कार्यशाला/सेमीनार
34.	ग्रामीण मुकदमा तथा हकदारिता केन्द्र	69,622	बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा सहित बुनियादी शिक्षा हेतु अवसंरचना विकास
35.	पी एस यू फाउंडेशन	89,070	स्वच्छ पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता
36.	वेनू धमार्थ सोसायटी	92,917	आवश्यक ओपथेल्मिक उपस्कर
37.	जन जागृति शैक्षिणिक समिति	92,330	कठिन परिस्थितियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए औपचारिक शिक्षा हेतु अवसंरचना का विस्तार
38.	स्थायी विकास हेतु प्रौद्योगिकी एवं कार्रवाई	32,559	अलवर जिले की 5 तहसीलों में राजस्थान सेडेवन ''तुरंत राहत'' के लिए सूखा राहत

1	2	3	4
39.	अर्पणा ट्रस्ट	94126	अर्पणा दिल्ली केन्द्र के लिए उपस्कर
40.	दीपालय	95,053	गुसबेठी हरियाणा में गली के तथा कामकाजी बच्चों की पुनर्वास परियोजना
41.	वर्ल्ड विजन आफ इण्डिया	94,509	निर्मल जल
42.	हेल्पेज इण्डिया	91,698	गुजरात भूकम्प के लिए
43.	फ्रेंड्स आफ आल	72,730	गुजरात भूकम्प के लिए
44.	जे ई एन (जापानी एन जी ओ)	76,321	गुजरात भूकम्प के लिए
45.	वर्ल्ड विजन इण्डिया, चैन्नई	52,859	पुनर्वास गंदी बस्ती समुदाय के लिए पुनर्वास कार्यक्रम
46.	सेंट जोसेफ पहाड़ी जनजाति विकास समाज सेवा तथा अनाथ समिति, अथिपेट	80,151	जा वाधु पहाड़ी के गरीब जनजातीय तथा दलित बच्चों के लिए गृह की व्यवस्था
47.	आपरच्यूनिटी स्कूल, चैन्नई	70,818	मानसिक रूप से मंद प्रौढ़ महिलाओं को आवासित करने के लिए सुविधा निर्माण परियोजना
48.	सेवालय, चैन्नई	65,053	वृद्धावस्था गृह निर्माण
49.	हिन्दू मिशन अस्पताल, चैन्नई	76,024	गेरिएट्रिक ब्लाक में कुशल उपचार हेतु चिकित्सा उपकरण की व्यवस्था
50.	इण्डियन इंस्टीटयूट आफ सेरीब्रल पालसी	47,092	बहु अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता सेवाएं
51.	ग्रामीण आर्थिक एवं कृषि विकास	13,174	ग्रामीण निर्धन महिलाओं के लिए आय सृजन परियोजना
52.	एकीकृत विकास निधि	16,073	स्वच्छ पेयजल परियोजना
53.	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी	55,245	पश्चिम बंगाल बाढ़ राहत
54.	मणिकजोर सेवा संघ	4,023	आय सृजन गतिविधियों द्वारा ग्रामीण गरीब महिलाओं का प्रास्थिति विकास
55.	विवेकानन्द जन सेवा केन्द्र	17,339	सिंचाई के लिए व्यवस्था सहित पेयजलापूर्ति प्रणाली
56.	उद्यान	63,592	कुष्ठों के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण
57.	हेल्पेज इण्डिया	85,372	निर्धन तथा निराश्रय वृद्धों के घर पर मोबाइल चिकित्सा देखभाल
58.	मा निकेतन सोसायटी	80,041	मा निकेतन सोसायटी के अनाथ बच्चों के लिए गृह का पुनर्निमाण

1	2	3	4
59.	जनसेवा फाउंडेशन	93,126	पुणे में निराश्रितों के लिए केन्द्र का निर्माण
60.	बम्बई कुष्ठ परियोजना	3,836	कुष्ठ, अक्षम तथा विक्लागों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण
61.	बम्बई जेवरियन कार्पो. मुम्बई	8,315	निर्धन ग्रामों के लिए मोबाईल क्लिनिक तथा औषधालय
62.	जनाना प्रबोधिनी, सोलापुर	92,976	ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्प प्रभावित बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल का निर्माण
63.	राष्ट्रीय विकास हेतु विद्यार्थी प्रशिक्षण तथा कार्रवाई	78,555	वंचित विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण
64.	राष्ट्र सेवा दल	68,897	भूकम्प प्रभावित बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल अपने घर को सुविधाओं का विस्तार
65.	केरियटस, गेवा	16,044	विक्लांगों के लिए सुविधा उन्नयन हेतु प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र
66.	लातुर सेंट जोसेफ फ्रांस से लिटल सिस्टर्स आफ दि पुअर	14,476	वृद्धों के लिए घर हेतु सुविधाएं तथा उपस्कर स्थापित करना
वर्ष 2001-02 के लिए			
67.	अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण एवं शिक्षा समिति	65,473	गंदी बस्तियों में वंचित बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण
68.	अंचल धर्मार्थ न्यास	23,681	अंचल समुदाय आउटरीच कार्यक्रम
69.	आंध्र महिला सभा	92,449	दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विद्यमान परिसर में नया भवन
70.	अरावली एजूकेशन सोसाइटी	90,172	अरावली पब्लिक स्कूल का विस्तार
71.	अरुणादेय चैरिटैबल ट्रस्ट	56,916	आई केयर परियोजना
72.	एशिया क्राईम प्रिवेंशन फाउंडेशन	44,268	एशियाई क्राईम प्रिवेंशन फाउंडेशन के कार्य समूह की बैठक
73.	क्रिश्चयन मेडिकल कालेज	88,658	चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रस्ताव
74.	दिशा	33,806	रचना, प्रशिक्षण और उन्नयन के माध्यम से दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं का विकास
75.	हेल्पेज इंडिया	78,721	आप्थैल्मिक उपस्कर और आधारभूत ढांचे का उन्नयन
76.	जनमानस विकास संस्थान	92,357	पेयजल आपूर्ति परियोजना

1	2	3	4
77.	नेशनल एसोसिएशन आफ ब्लांइड	7093	नेत्रहीनों के लिए बोलने वाला पुस्तकालय
78.	सुधार नशा रोध और पुनर्वास हेतु नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन	90197	नशे की गोलियों की मांग घटाने, सुधार, नशा रोधी व पुनर्वास हेतु संस्था की स्थापना
79.	पैरोकार विकास समिति	12,450	जयपुर शहर के भीतरी वंचित क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट।
80.	मानव हितों का ग्रामीण केंद्र (रुचि)	48,682	प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार
81.	रूरल मेडिकेयर सोसायटी	72,504	कमजोर वर्गों को कम लागत पर चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार
82.	सांसाइटी फार सोशल सर्विसिज	38153	लक्षित क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन का व्यापक अभियान
83.	सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकालाजीकल डेवलेपमेंट सोसाईटी	56813	महिलाओं को पुनर्वास व जारी रखे जा सकने वाले सामुदायिक ढांचे का निर्माण करते हुए जारी रखा जा सकने वाली आजीविका
84.	दी लखनऊ लोरेटो एजूकेशन सोसाईटी	92989	उपेक्षित लड़कियों के लिए शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण
85.	दी सोसाईटी फार डिसेबल्ड विमेन	73,993	कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम
86.	उड़यन केयर--2	90,572	लाईफ उडयन घर
87.	उमीद खन्ना फाउंडेशन	62,904	मच्छरों वाली घर की बिमारियों का उन्मूलन
88.	वाकाचाई प्रोजेक्ट	68,286	भूकंपग्रस्त गांवों में विद्यालय पुनर्निर्माण परियोजना
89.	कंप्रिहेंसिव सोशल सर्विस सोसाईटी	91,666	ग्रामीण व्यक्तियों के लिए सूक्ष्म जलसंभर के माध्यम से जारी रखी जा सकने वाली जीविका
90.	इंडियन मेडिकल सेंटर	48,270	कन्याकुमारी जिले के अगाथीशवरम ब्लाक में ग्रामीण वृद्धों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
91.	रूरल आईडेंटिडी एंड कल्चरल एजुकेशन	40,498	महिलाओं व विक्लांगों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा संबंधी व्यावसायिक प्रशिक्षण
92.	कम्यूनिटी डेवलेपमेंट सेंटर	72,963	स्थायी आवासों वाली पारिस्थितिकी सहायक प्राकृतिक वास का विकास
93.	श्री शक्ति एसोसिएशन	74,643	हरिहर में नशामुक्ति अस्पताल
94.	महाराष्ट्र एजूकेशन फंड	57,310	एसएस राघवेद्रराव प्राथमिक विद्यालय की पुनर्संरचना

1	2	3	4
95.	वेल्लुवार गुरूकुलम	73,209	वेल्लुवार गुरूकुलम प्राथमिक विद्यालय में आधारभूत ढांचे का विकास
96.	एमआर ओयायल आची एम आर अरुणाचल ट्रस्ट	41,646	ओमायल आची समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरक्कांबक्म का विस्तार
97.	कम्यूनिट एक्शन फार फूड एंड रूरल डेवलपमेंट	47,249	पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी राहत, तिरूनेलबेली जिला
98.	श्री विग्नेश्वर महिला	92,87	वृद्धों के लिए चलता फिरता मेडिकेयर
99.	सेंटर फार सोशल रिकंस्ट्रक्शन	32,187	बुनियावी प्रशिक्षण केन्द्र
100.	दी वालंटरी हेल्थ एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	55,384	ग्रामीण तमिलनाडु (तिरुवल्लूर व कांचीपुरम जिलों) में समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम
101.	रामाकृष्णन मिशन	88,475	पं. बंगाल में बाढ़ राहत हेतु राहत नाव
102.	लोरेटो हाऊस एजुकेशनल सोसायटी, कोलकाता	36,536	कोलकाता के वंचित शहरी बच्चों के लिए शैक्षणिक संवर्धन
103.	लिटिल सिस्टर्स आफ दी पुअर	13,541	होम के वृद्धों के लिए परिवर्तन व आवश्यकताओं हेतु एम्बुलेंस
104.	ला मार्टिनियरी एसईओ एमपी सोसाइटी	20,735	शहरी गरीबों के लिए सूक्ष्म उद्यम पहलों हेतु प्रशिक्षण व अनुवर्ती सेवाएं
105.	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र	53,316	अशक्तता वाले बच्चों की सेवाओं के लिए आधारभूत ढांचे का विकास
106.	इंडो-जापानीज एसोशिएशन	91,272	सुविधाहीन व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना
107.	बंबई लेपरोसी प्रोजेक्ट	76,628	कोढ़ से प्रभावित व शारीरिक रूप से विक्लांगों के लिए भौतिक-पुनर्वास-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा चलती-फिरती कोढ़ उपचार इकाई
108.	दी सांसाईटी आफ दी होम फार दि एज्ड, लिटिल सिस्टर्स आफ दि पुअर	88,804	जराचिकित्सा देखभाल के लिए सुविधा का सुधार करना
109.	भक्ति विमुक्त जती शिक्षण संस्थान	66,748	बहरे-गंगू बच्चों व अनाथों के लिए विद्यालयों व छात्रावास की रहने की स्थितियों व शैक्षणिक सुविधाओं की बेतर बनाना
110.	नागपुर हाउसिंज मैरी इमैक्यूलेट	89,184	सुविधाहीन महिलाओं व बच्चों के लिए जच्चा व नर्सिंग होम के ''एश-भवन'' का पुनर्निर्माण

1	2	3	4
111.	एसपी मंडालीस विनयकुमार रायनिवास रुइया मूक-बधिर विद्यालय	54,876	कम सुनने वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भवन का निर्माण
112.	एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिज आफ इंडिया	6,131	अनाथ व निराश्रय बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाना
113.	दी बंबई सेंट जेवियर्स कालेज सोसाइटी	45,288	वाणिज्यिक संकाय के सुविधाहीन व गरीब विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सेंट जेवियर कालेज में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना
114.	शांति अवेदना आश्रम	91,303	टर्मिनल केंसर व एड्स से जुड़े टर्मिनल केंसर के लिए प्रशासक देखभाल हेतु शांति अवेदना केन्द्र का निर्माण करना
115.	सोसाइटी आफ सेंट फांसिस जेवियर	91,304	सुविधाहीन बच्चों के लिए आश्रय घर व प्राथमिक विद्यालय "बालाग्राम" का निर्माण
116.	सोसाइटी आफ दी सिस्टर्स आफ दी डेस्टीच्यूट	91,397	एचआईवी और एड्स से ग्रस्तों के साथ रहने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र का निर्माण करना
117.	नेशनल सोसाइटी फार इकक्वल ओपोरचनिटी फार हेंडिकैप्पड	31,813	अपंगों के लिए डाटा एंट्री आपरेटिंग यूनिट की स्थापना
118.	नेशनल एसोसिएशन आफ ब्लाइंड	75,705	आंखों की सभी बीमारियों का पता लगाने व उपचार हेतु मोबाइल आफथैल्मिक यूनिट।

२०७-९५

ग्रे मार्किट में मोबाइल हैंड सेटों की बिक्री

2636. **श्री विलास मुत्तमेवार:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 70 प्रतिशत मोबाइल हैंड सेट ग्रे मार्किट के माध्यम से बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सेटों की बड़ी संख्या में तस्करी की जा रही है और घरेलू बाजार दरों से बहुत कम दरों पर स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय सेल्यूलर एसोसिएशन (आई.सी.ए.) ने सरकार से मोबाइल हैंड सेटों के निर्यात पर शुल्क को युक्तिसंगत बनाकर ग्रे मार्किट को समाप्त रने और सरकार को राजस्व में घाटे, जो कि वर्ष 2006 तक 5390 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है, को रोकने हेतु उचित उपाय करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे की जाने वाली गतिविधि है, अत: निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि मोबाइल हैंड सेटों की बहुत अधिक मात्रा में देश में तस्करी का जा रही है। चूंकि देश में तस्करी कर लाए गए मोबाइल हैंट सेटों पर शुल्क अदा नहीं किया गया है, उनकी कीमतें वैध रूप से बेचे गए मोबाइल हैंड सेटों से कम हो सकती हैं, जिसमें सभी कर अदा किए गए हैं। तथापि, गत 2 वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 2003 तक) के दौरान मोबाइल हैंड सेटों के अभिग्रहण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	अभिग्रहण का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
2000-2001	2946	13.3052
2001-2002	2457	15.7496
2002-2003 (जनवरी, 2003 तक)	946	13.8430

(ग) और (घ) शुल्क दर में कमी करने और अवैध बाजार को समाप्त करने के लिए प्रवर्तन उपाय करने के संबंध में भारतीय सेल्यूलर एसोसिएशन से अन्यावेदन प्राप्त हुआ है। जहां तक वर्ष 2000 के बजट में मोबाइल हैंड सेटों पर सीमा शुल्क का संबंध है, मूल सीमा शुल्क को 25% से कम करके 5% कर दिया गया था। बजट, 2002 में मूल सीमा शुल्क को 10% बढ़ा दिया गया था परन्तु मोबाइल हैंड सेटों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से छूट दी गई थी। इस वर्ष के बजट में इन मोबाइल हैंड सेटों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, परंतु सीमा शुल्क में कोई अंतर नहीं है।

बीमा क्षेत्र में आनलाइन प्रशिक्षण

2637. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका स्थित कम्पनियों ने बीमा क्षेत्र में आनलाइन प्रशिक्षण की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण प्रस्तावों पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष क्या निकला?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि संयुक्त राज्य अमरीका स्थित कम्पनियों ने आन-लाइन प्रशिक्षण सुविधाओं की सीधी पेशकश नहीं की है। तथापि, प्राधिकरण ने एक भारतीय कम्पनी को, जिनकी संयुक्त राज्य अमरीका स्थित कम्पनी के साथ सहबद्धता है, आईआरडीए विनियमों के अनुरूप आनलाइन प्रशिक्षण की पेशकश करने की अनुमति प्रदान की है।

लोक अदालतें

2638. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वादियों की कतिपय सार्वजनिक उपभोगिता सेवाओं वाले अपने विवादों के समाधान हेतु एक अतिरिक्त मंच के रूप में स्थायी लोक अदालतें स्थापित करने के लिए बनाये गये विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 की समीक्षा से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये अदालतें न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने में सहायक रही हैं;

(ग) क्या इसके महत्व और त्वरित निर्णय के मद्देनजर सरकार अब लगभग सभी राज्यों में स्थायी तौर पर ये अदालतें बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 का पुनर्विलोकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तारीख 30.09.2002 को समाप्त होने वाली तिमाही तक, लोक अदालतों ने लगभग 1.45 करोड़ मामले निपटाए हैं, जिनसे न्यायालयों का भार कम हुआ है। इसी प्रकार, इन स्थायी लोक अदालतों से लंबित मामलों में और कमी लाने में सहायता करने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ) धारा 22(ख)(1) के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से पहले ही यह अनुरोध किया जा चुका है कि वे इन स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

भारतीय स्टेट बैंक में विदेशी संस्थागत निवेश

2639. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में विदेशी संस्थागत निवेश बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) इस सीमा को निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत-रूस व्यापार

2640. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2004 में रुपया-रूबल पुनर्भुगतान व्यवस्था समाप्त होने के पश्चात भारत के हिस्से के रूसी बाजार में चीन और यूरोपीय देशों के चले जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या चीन ने भारत के रूस के साथ केवल 1.4 मिलियन डालर के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में गत वर्ष रूस के साथ 12 बिलियन डालर का व्यापार दर्ज किया है;

(ग) क्या व्यापार/उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मास्को की यात्रा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) रुपए में ऋण भुगतान से बाद के परिदृश्य में रूस को भारत के निर्यात बनाए रखने और बढ़ाने के लिए, फरवरी, 2002 में आयोजित व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूस कार्यदल के नई दिल्ली में आयोजित 8वें राज्य के दौरान दोनों पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि सामान्य वाणिज्यिक शर्तों और मंचों के आधार पर व्यापार का क्रमिक पारगमन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी और व्यावसायिक वर्गों के बीच अधिक अन्योन्य क्रिया के स्तरों पर समग्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पक्षकारों ने भारतीय और रूसी बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के बीच बढ़ते सहयोग में की गई प्रगति को विशेष रूप से नोट किया। दोनों पक्षकार भारतीय और रूसी उद्यमियों के बीच बढ़े हुए और प्रत्यक्ष संपर्क को सक्रिय रूप से प्रोन्नत करने तथा इसके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए भी सहमत हुए थे जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में व्यवसाय करने के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक अवसरों के लिए बेहतर समझ तथा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे उत्पन्न होंगे।

(ख) रूसी सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 में चीन के साथ रूस का व्यापारिक कारोबार 7.1 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था जबकि वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत रूसी द्विपक्षीय व्यापार डीजीसीआई एंड एस कोलकाता के अनुसार 1.3 बिलियन अमरीकी डालर का था।

(ग) और (घ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर परिसंघ ने भारत-रूसी परिसंघ संयुक्त व्यवसाय परिषद की तीसरी बैठक फरवरी 2003 में मास्कों में आयोजित करने के लिए सीईओएस के एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। अन्य बातों के साथ-साथ परस्पर हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए विचार-विमर्श किए गए थे। फरवरी 17-21, 2003 तक मास्कों में एक भारतीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था। यह कार्य भारत और रूस के बीच मौजूदा व्यापार से व्यापार के साथ संपर्क का विस्तार करने और हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के अवसरों में सूचना अंतर को पाटने में भी महत्वपूर्ण साबित हुए। उम्मीद है कि दोनों देशों में मौजूदा बाजार के सुधारे हुए मूल्यांकन से हमारे व्यावसायिक क्षेत्रों में निरंतर विनियोजन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

उड़ीसा में यू.एन.डी.पी. सहायताप्राप्त परियोजनाएं

2641. **श्री अनंत नायक:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से उड़ीसा में क्रियान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितना आवंटन किया है;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धि हासिल की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सहायता के साथ उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के अधीन किए गए निधियों के आवंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन परियोजनाओं की मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार की अध्यक्षता में मई, 2002 में समीक्षा की गई थी।

(ग) इन परियोजनाओं के अधीन हासिल उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान उड़ीसा राज्य में यूएनडीपी सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के अधीन निधियों के आवंटन का ब्यौरा

परियोजना का नाम	समय-सीमा	कुल निधिपोषण
उड़ीसा में आवास विकास हेतु वैकल्पिक आवासीय प्रौद्योगिकियों तथा समुदाय क्षमता निर्माण का संवर्धन	जनवरी 2001-जून 2002 इस कार्यक्रम के अतिरिक्त आवंटन के साथ वर्ष 2006 तक जारी रहने की संभावना है।	15,662,000 रुपए
उड़ीसा आपदा प्रबंधन कार्यक्रम उड़ीसा के संवेदनशील जिलों में समन्वय तथा आपातकाल अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण उड़ीसा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण के लिए सहायता	मार्च 2001-सितम्बर 2002 जनवरी 2002-जून 2002	13,655,856 रुपए 2,400,000 रुपये
उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में आजीविका बहाली कार्यक्रम	अगस्त 2001-फरवरी 2002	28,432,032 रुपए
अंकीय अंतर को भरना स्वयं सेवकों के माध्यम से आपदाप्रवण क्षेत्रों में गुणवत्ता सेवाओं तक पहुंच तथा अधिकारिता के लिए क्षमता निर्माण	अगस्त 2000 से जून 2002	2,208,000 रुपए
रोग निगरानी तथा अनुक्रिया प्रणाली की मजबूती के लिए उड़ीसा में तूपान पश्च सहायता	मई 2000-जुलाई 2002	36,095,424 रुपए
धोखाधड़ी समाप्त करना, उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका बहाली को सुदृढ़ करने के लिए एक पहल	अक्तूबर 2001-मार्च 2002	2,492,112 रुपए
तटवर्तीय जिलों में बाढ़ पश्चात राहत में संवेदी परिवारों को फैमिली किटों का वितरण	अगस्त, 2001	940,000 रुपए
कृषि में महिलाओं हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा सतत आजीविका	फरवरी 2000 से दिसम्बर 2002	16,450,000 रुपए
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समुदाय आधारित वर्षा जल संग्रहण	फरवरी 2001 से सितम्बर, 2003	65,136,600 रुपए
आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (भारत सरकार-सं.रा.वि. कार्यक्रम)	अगस्त, 2002—अब तक चल रही है	चरण-1 - 24,100,000 रुपए

विवरण II

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में यूएनडीपी की सहायता से क्रियान्वित परियोजनाओं तथा निधियों के आवंटन के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम		उपलब्धियां
1	2		3
1.	उड़ीसा में वैकल्पिक आवास प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन तथा आवास विकास के लिए समुदाय का क्षमता सृजन	*	प्रौद्योगिकी अंतरण में 764 राजमिस्त्रियों, 145 सरकारी अभियांताओं, 104 वास्तुकारों, अभियंताओं, योजना निर्माता तथा एनजीओ सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण द्वारा 40 प्रदर्शन यूनिटों द्वारा, जागरूकता सृजन द्वारा तथा फोरा की स्थापना द्वारा स्थानीय क्षमताओं में अभिवृद्धि की गई।
2.	उड़ीसा आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	*	1600 गंवों में सामुदायिक आकस्मिकता योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रखंड, ग्राम पंचायत तथा गांव स्तरों पर सरकारी पदाधिकारियों की क्षमताओं में अभिवृद्धि।
		*	ग्राम स्तर पर क्या करें, क्या न करें तथा भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता का सृजन किया गया।
3.	उड़ीसा के संवेदनशील जिलों में समन्वय तथा आपात अनुक्रिया को सुदृढ़ करना-	*	पूर्व चेतावनी तथा प्रसार के लिए उपकरण के साथ 11 जिला नियंत्रण कक्षों को सुदृढ़ किया गया।
	उड़ीसा राज्य आपदा परिशमन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) को सहायता	*	जिला समाहर्ताओं, पुलिस अधीक्षकों, सीडीएमओ, लाइन विभाग अधिकारियों, प्रखंड विकास अधिकारियों तथा तहसीलदारों को डीएम के लिए प्रशिक्षित किया गया।
		*	11 जिलों में जिला डीएम योजनाएं तैयार की गई।
		*	4 जिलों में नागरिक समाज अनुक्रिया योजनाएं तैयार की गई।
4.	उड़ीसा में बाढ़ग्रस्त जिलों में आजीविका बहाली कार्यक्रम	*	10,000 परिवारों की आजीविका बहाली
		*	29 कृषि सेवा केंद्रों तथा 40 कृषि सूचना केंद्रों की स्थापना की गई।
		*	किसानों को वैकल्पिक फसल पद्धतियों तथा कीटनाशक उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया।
5.	डिजीटल विभाजन की खाई को पाटना- अधिकारिता तथा नागरिक केंद्रित ई-अभिशासन पहलों को प्रोत्साहन	*	आईटी किआस्कों की स्थापना के द्वारा सरकारी कार्यक्रमों के बारे में सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुदृढ़ किया गया।
		*	खुर्दा, केंद्र पारा, बोलांगीर जिलों में एक इंटरएक्टिव वेबसाइट www.aamagaon.com को चालू किया गया।
		*	समुदाय द्वारा कम्प्यूटरों तथा इंटरनेट का बढ़ा हुआ उपयोग।

1	2	3
6.	''उड़ीसा-रोग निगरानी तथा अनुक्रिया-प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पश्च-चक्रवात सहायता'' (उड़ीसा बहु-रोग निगरानी प्रणाली ओएमडीएसएस)	* विगत 6 महीनों में लगभग 95 प्रतिशत प्रखंडों से शत-प्रतिशत समय पर उत्तर के साथ रोग रिर्पोटिंग में गुणात्मक सुधार
		* स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा 24 राज्य तथा 90 जिलाकोर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया
		* सभी स्तरों के लिए डीएसएस प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए गए।
		* प्रारूप स्वास्थ्य कार्यनीति तैयार की गई।
		* छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के एक सूखा-प्रवण जनजातीय क्षेत्र में त्वरित पोषाहार आकलन सर्वे पूरा किया गया।
7.	दरार-समाप्ति-उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आजीविका बहाली को सुदढ़ करने की पहल	* 4400 फुट के 9 तटबंध दरारों को बंद किया गया।
8.	जनजातीय उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं महिलाओं के लिए निरंतर आजीविका	* कृषि आधारित क्रियाकलापों में 50 महिला एसएचजी दलों को शामिल किया गया।
		* वहनीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध भंडारण तथा प्रसंस्करण तकनीकों सहित कृषि में मूल्य संवर्धन पर महिला स्व-सहायता समूहों के लिए क्षमता निर्माण हेतु नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।
9.	आपदा जोखिम प्रबंध कार्यक्रम	* कार्यक्रम जिलों में जिला डीएम समितियां तथा प्रखंड डीएम समितियां गठित की गई।
		* वर्तमान में जारी सभी स्तरों पर सरकारी पदाधिकारियों का अभिमुखीकरण।
10.	विकेंद्रीकृत योजना निर्माण के जरिए वहनीय आजीविका तथा सूखा रोधन	* गहन सूखा रोधी क्रियाकलाप शुरू किए गए तथा विभिन्न सूखा रोधी ढांचों को सुदृढ़ किया गया।
		* गरीब परिवारों में निर्धनतम 10,000 परिवारों को आजीविका सहायता
		* 500 एकड़ को भूमि उपचार/कृषि विविधीकरण/गहन खेती के अन्तर्गत लाया गया।
		* 10 वन सुरक्षा समितियों को कार्य में लगाया गया।
		* पीआरआई सदस्यों, उड़ीसा सरकार के पदाधिकारियों तथा बहु-उद्देश्यीय सामुदायिक स्वयंसेवकों के लिए 4 परिचय दौरे आयोजित किए गए।

305

शहर का उन्नयन करना

2642. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001 की जनगणना के अनुसार कोल्लम (यूए) (केरल) की वर्तमान जनसंख्या उसका बी-2 शहर के रूप में उन्नयन किए जाने को सही ठहराती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोल्लम को बी-2 शहर के रूप में घोषित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा सन् 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। भारत के महापंजीयक द्वारा सन् 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़े उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन हेतु कोल्लम समेत सभी शहरों के पुनवर्गीकरण पर विचार किया जाएगा।

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

2643. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत खाद्यान्नों की उपलब्धता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों से संबंधित खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा इस खपत के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के बीच खाद्यान्न वितरम में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता का अनुमान अलग से नहीं लगाया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि 1999-2000 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की औसत खपत 12.45 किलोग्राम प्रति माह थी। 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की औसत खपत 11.45 किलोग्राम प्रति माह थी।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की दोनों श्रेणियों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन को बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है।

(ङ) और (च) जी नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने एवं इसे और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया था। आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए किसी भी अपराध के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आपराधिक जवाबदेही बन जाती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा के उपाय के रूप में विशेष रूप से उचित दर दुकान स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग के काम में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं को तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को बड़े पैमाने पर शामिल करें।

[हिन्दी]

चेक गणराज्य के साथ व्यापार

2644. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत और चेक गणराज्य के किन क्षेत्रों में व्यापार संबंध हैं;

(ख) क्या चेक गणराज्य ने भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत और चेक गणराज्य (सीआर) के बीच व्यापार के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

सीआर को मुख्य निर्यात: (1) काटन, यार्न (2) वस्त्र परिधान, लीनेन आदि (3) चमड़ा फुटवियर और चमड़े की अन्य मदें (4) चाय, काफी, चावल मसाले, मुंगफली आदि (5) भेषज (6) इंजीनियरी मदें।

सीआर से मुख्य आयात: (1) विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइनें, (2) मोटर वाहनों की सहायक सामग्री, (3) मशीनें, मशीनी औजार और परिवहन उपकरण (4) रसायन और प्लास्टिक की सामग्री (5) जोड़ रहित स्टील ट्यूब (6) क्रिस्टल, ग्लासवेयर और बीड्स।

(ख) जी, हां।

(ग) अक्टूबर, 2002 में प्राग में भारत-चेक व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त समिति के पांचवें सत्र जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव और सीआर के उद्योग और व्यापार उपमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी में दोनों पक्षों ने परस्पर लाभकारी और संतुलित आधार पर व्यापार को और बढ़ाने तथा विविधीकृत करने का अपना विनिश्चय अभिव्यक्त किया था। भारतीय पक्ष ने यह उल्लेख किया था कि गैर-पारम्परिक/उभरती हुई/निच उत्पाद समूहों जैसे इंजीनियरी मदें, साफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रो-तकनीकी और इलेक्ट्रानिक्स, प्लास्टिक, पैकेजिंग, रसायन, भेषज, चिकित्सा उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण आदि में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयासों को सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। चेक पक्ष ने मशीन औजारों, वस्त्रों, चर्मशोधन और जूता निर्माण मशीनों, प्रिंटिंग प्रेसों, मापन और नियंत्रण उपकरणों आदि के निर्यात के लिए अधिक संभावनाओं का सुझाव दिया था।

(घ) भारत सरकार ने सीआर के साथ व्यापार का स्तर बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाएं हैं। इनमें भारतीय और चेक कंपनियों को तुरंत सूचना और सहायता प्रदान करना, शीर्षस्थ व्यापार और उद्योग संगठनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संबंधित निकायों के जरिए व्यापार संबंधी सूचना का प्रसारण, व्यवसायिक शिष्टमंडलों को भेजना और बुलाना, सीआर में बड़े व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना और इसी प्रकार सीआर कंपनियों को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक सेमिनार आयोजित करना और भारत-चेक व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त समिति के सत्रों तथा अन्य उच्च स्तरीय बैठकों/दौरों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करना शामिल है।

[अनुवाद] 308-09

बुनकर सहकारी समितियां

2645. श्री टी. गोविन्दन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में स्थित अधिकांश बुनकर सहकारी समितियों को निर्यात में कमी के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे बंदी के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन समितियों की रक्षा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) निर्यात के क्षेत्र में केरल में करूर से केवल तीन बुनकर सहकारी समितियां हैं और विगत दो वर्षों के दौरान उन समितियों के निर्यात में वृद्धि हुई है। तथापि, केरल में अभी तक अन्य समितियां निर्यात में आगे नहीं आई हैं और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यत: परम्परागत हथकरघा उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं। निर्यात में गिरावट के कारण आए वित्तीय संकट की वजह से केरल में किसी भी सहकारी समिति के बंद होने की स्थिति की सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय ने अभी तक पूर्ववर्ती निर्यात योग्य उत्पाद विकास एवं उनके विपणन की योजना (डीईपीएम) योजना के अंतर्गत केरल की बुनकर सहकारी समितियों के पक्ष में दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और 26.40 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। चालू वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान हथकरघा निर्यात योजना के अंतर्गत एक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति को वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से परामर्श करके प्रस्ताव की जांच की जा रही है। केरल में बुनकर सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने 14 फरवरी, 2003 को तिरूअनंतपुरम में उत्पाद

विविधीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर एक कार्यशाला आयोजित की थी। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों को परम्परागत मदों के उत्पादन के बजाय निर्यात योग्य हथकरघा मदों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिनका विदेशों में विपणन के लिए अच्छा क्षेत्र है। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र समितियों और बुनकर सेवा केन्द्र जैसे संगठनों के व्यावसायिकों से व्याख्यान दिलाने का भी प्रबंध किया। इसके अलावा, भारत सरकार देश से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सामान्यत: निम्नलिखित कदम उठाती रही है-

(क) महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रेता-विक्रेता मिलन का आयोजन,

(ख) चुनिंदा देशों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी,

(ग) करघों और विभिन्न उत्पादन प्रणालियों का तकनीकी उन्नयन,

(घ) ड्यूटी इन्टाइटिलमेन्ट पास बुक स्कीम/ड्यूटी ड्राबैक स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को सहायता उपलब्ध कराना,

(ङ) प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि

(च) राष्ट्रीय हथकरघा निगम के माध्यम से हथकरघा उत्पादन केन्द्रों को मिल गेट कीमत पर हैंक यार्न की आपूर्ति,

(छ) उत्पाद विविधता, डिजाइन विकास एवं प्रचार तथा विदेशों में विपणन के जरिए उत्पादन सामर्थ्य का सृजन करने के लिए निर्यात योग्य उत्पाद विकास एवं उनके विपणन की योजना के अंतर्गत प्रदत्त सहायता,

(ज) हथकरघा उत्पादों के बारे में क्रेताओं के अद्यतन जानकारी देने के लिए जल्दी-जल्दी वेबसाइट को अद्यतन करना,

(झ) भारत में विभिन्न हथकरघा उत्पादन केन्द्रों का दौरा करने के लिए विदेशी क्रेताओं को आमंत्रित करना।

[हिन्दी]

309-10

मध्य प्रदेश के लिए स्थायी परामर्शदाता

2646. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में भारत संघ के लिए स्थायी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई कार्यकाल निर्धारित किया है जिसमें ये स्थायी परामर्शदाता विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करने हेतु नियुक्त किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत नियुक्त स्थायी परामर्शदाताओं की संख्या क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) 34

(ग) जी हां।

(घ) स्थायी काउंसेल का सेवाकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, है। सेवाकाल को आगे और बढ़ाया जा सकता है। तथापि, आयकर विभाग के स्थायी काउंसेल का सेवाकाल एक वर्ष का है, जिसे आगे और नवीकृत किया जा सकता है।

(ङ) 34।

[अनुवाद]

310-13

औद्योगिक वृद्धि

2647. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री रमेश चेन्नितला:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री वाई.वी. राव:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2002 के दौरान 3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के बावजूद अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर रिकार्ड की गई जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान रजिस्टर की गई 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के दुगुने से भी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार वृद्धि दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें सकारात्मक वृद्धि रजिस्टर की गई है और किस सीमा तक;

(घ) ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें नकारात्मक वृद्धि रजिस्टर की गई है तथा इसके क्या कारण हैं और यह किस हद तक है;

(ङ) इन क्षेत्रों में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) वर्ष 2002-03 के अंत तक कितनी समग्र औद्योगिक वृद्धि प्राप्त होने की संभावना है और अब तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आई.पी.पी. आधार वर्ष 1993-94=100) के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन ने अप्रैल-दिसंबर, 2001 के दौरान दर्ज 2.5 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान 5.3 प्रतिशत विकास दर दर्ज की है। दिसम्बर, 2001 में दर्ज की गई 3 प्रतिशत विकास दर की तुलना में दिसम्बर, 2002 के दौरान 5 प्रतिशत दर्ज की गई। पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

	2000-01	2001-02	2002-03
आईपीपी में विकास	5.7%	2.5%	5.3%

(ग) वे क्षेत्र जिन्होंने सकारात्मक विकास दरें दर्ज की तथा अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान उनकी विकास की दर नीचे दी गई है:

औद्योगिक क्षेत्र	विकास दर (%)
1	2
बीवरेज, तम्बाकू तथा संबद्ध उत्पाद	23.8
वस्त्र उत्पाद (पहनने वाले अपैरल सहित)	14.7
परिवहन उपकरण और उनके अव्यव (पार्ट्स)	14.6
खाद्य उत्पाद	10.2
धातु उत्पाद और उनके अव्यव (पार्ट्स) (मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर)	8.5
मूल धातु और मिश्रित धातु उद्योग	7.3
कागज तथा कागज उत्पाद तथा छपाई, प्रकाशन तथा संबद्ध उद्योग	5.5
जूट तथा अन्य वनस्पति फाइबर टेक्सटाइल (सूती के अलावा)	5.2
मूल रसायन तथा रसायन उत्पाद (पैट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों को छोड़कर)	4.9
रबड़ प्लास्टिक, पैट्रोल तथा कोयला उत्पाद	4.1
ऊन, रेशम (सिल्क) तथा मानव निर्मित फाइबर टैक्सटाइल	4.1
गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	3.8
परिवहन उपकरण से भिन्न मशीनरी तथा उपकरण	1.5

(घ) वे क्षेत्र जिन्होंने अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान ऋणात्मक विकास दरें दर्ज की हैं अपने महत्व के साथ नीचे दिए गए हैं। पिछले वर्ष में सूखे के हालात तथा अवस्थापनापरक विशेष रूप से विद्युत की बाधाएं तथा यू.एस.ए., यूरोपियन संघ और जापान (निर्यात मांग हेतु) में आर्थिक सुधार की धीमा गति इन क्षेत्रों में विकास की गिरावट के मुख्य कारण हैं।

औद्योगिक क्षेत्र	विकास दर (%)
काष्ठ तथा काष्ठ उत्पाद	-20.2
चमड़ा तथा चमड़ा और खाल (फर) उत्पाद	-8.1
सूती वस्त्र	-2.1
अन्य विनिर्माणकारी	-2.1

(ङ) सरकार ने औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

केन्द्रीय बजट 2003-04 में घोषित उपाय:

* सरकार ने अवस्थापना में सुधार के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। इन उपायों का लक्ष्य रेल, सड़क, हवाई अड्डा, पत्तन और विद्युत क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और विकसित करना है।

* बजट में उत्पाद और सीमा शुल्क में कमी करके विनिर्माणकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा की

गयी है। इससे विनिर्माण क्षेत्र में सुधार को सुदृढ़ता मिलेगी।

* वस्त्र उद्योग के लिए, बजट में उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा फुटकर खरीददारों के लिए वस्त्र सस्ते करने हेतु उत्पाद शुल्क में कमी करने के प्रस्ताव किए गए हैं।

* आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र मशीनरी तथा उनके अव्यवों (पार्ट्स) पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

* अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिए करावकाश बढ़ाया गया है।

* निजी आयकर से संबंधित प्रस्ताव, जैसे अधिभार को हटाना, शैक्षिक खर्चों पर छूट और अतिरिक्त कर न लगाने का अर्थ उपभोक्ताओं की निजी प्रयोज्य आय में वृद्धि होना होगा जिससे मांग में आगे और वृद्धि होगी।

अन्य उपाय:

* उद्योग के संचालनात्मक माहौल में सुधार करने तथा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में तेजी लाने के लिए सरकार ने अनेक नियम बनाये हैं जिसमें प्रतियोगिता अधिनियमन तथा सेबी अधिनियम में संशोधन सम्मिलित हैं।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) को 5.0% से घटाकर 4.75% कर दिया है, जो एक ऐसा कदम है जिससे मौद्रिक स्थिति में आगे और सुधार आयेगा।

* विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आसान बनाने की दृष्टि से संसद में मसौदा बिजली विधेयक पेश किया है।

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10% विकास का वार्षिक औसत लक्ष्य निर्धारित किया है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आर्थिक कार्यकलाप द्वारा जीडीपी पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार विनिर्माणकारी क्षेत्र का उत्पादन वर्ष 2002-03 के दौरान 6.1% तक बढ़ने का अनुमान है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण क्षेत्र का भार लगभग 80% है।

[हिन्दी]

C:13-15

बैंक कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार

2648. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार सेवा से हटाए गए ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बैंकों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार को किए गए उपायों से कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 और 2002 (सितम्बर तक) के दौरान भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा, जैसाकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित किया गया है, नीचे दिया गया है:-

वर्ष	दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	बड़ा/छोटा दंड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	II में से बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए कर्मचारी
	I	II	III
2000	57	1624	429
2001	55	1686	380
2002 (सितम्बर तक)	67	1055	285

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने बैंकिंग उद्योग में धोखाधड़ियों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। बैंकों को समय-समय पर सामान्य धोखाधड़ी वाले क्षेत्रों, धोखाधड़ी करने वालों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप गर्वनर श्री ए. घोष की अध्यक्षता वाली समिति ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों की व्यापक समीक्षा की थी और समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सूचना बैंकों को दे दी गई है ताकि उसे कार्यान्वित किया जा सके। बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे अपने 50% कारबार को शामिल करते हुए समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रणाली शुरू करें और यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा तंत्र के कार्य की निगरानी निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा उच्च स्तर पर की जाए। बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों में

पाई गई कार्य प्रणाली के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा खाते खोलते समय सावधानी बरतने, "अपने ग्राहक को जानिए" की संकल्पना के कार्यान्वयन, प्रतिभूति फार्मों की उचित अभिरक्षा एवं रखरखाव, नए खोले गए खातों के परिचालनों पर निकट निगरानी रखने, साख-पत्रों को खोलने एवं गारंटियों जारी करते समय सावधानी बरतने, भर्ती के समय उम्मीदवारों के गहन अनुवीक्षण, अनुशासनिक कार्रवाई तुरन्त शुरू करने और दोषी कर्मचारियों को अनुकरणीय एवं निवारक सजा देने आदि के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। यद्यपि उपर्युक्त उपायों से बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाएं रुकी हैं और इनका निवारक प्रभाव भी पड़ा है, तथापि उन उपायों की सफलता की सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

2649. श्री रामदास आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और नई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान और चालू वर्ष में आज तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्ती का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कोई विभाग कार्य नहीं करता। इस मंत्रालय के तत्वावधान में मात्र एक उपक्रम अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्य कर रहा है, जिसे अप्रैल, 2001 में निगमित किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई भी पद निगम में रिक्त नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान पदोन्नति और नई भर्ती का संबंधित विवरण निम्नलिखित है:-

पदोन्नति	-	शून्य
नई भर्ती	-	एक (समूह "ग")

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रही कंपनियों के लिए आईपीओ मानदंड

2650. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजी बाजार को बढ़ावा देने हेतु सरकारी नीति में घाटे में चल रही कंपनियों के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) संबंधी मानदण्डों में और अधिक छूट दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बाजार पहुंच पहल योजना

2651. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुंच पहल योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना शुरू किए जाने के बाद कोई संभावित लाभ दिखाई पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) देशवार उत्पाद फोकस पद्धति आधार पर विदेश में विपणन संवर्धन प्रयास करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों/व्यापार संवर्धन संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-02) में बाजार पहुंच पहल योजना शुरू की

गई थी। इस योजना में प्रमुख विपणन परामर्शदाताओं के जरिए संभावित बाजारों का गहन बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण करने, अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोरों में शो रूमों, भाण्डागार सुविधा और प्रदर्शन काउंटरों की स्थापना करके फोकस देशों में अभिज्ञात केन्द्रों पर चुनिंदा उत्पादों का प्रदर्शन करने, चोटी के विज्ञापन एजेंटों को कार्य पर लगाकर फोकस बाजारों में व्यापक एवं सतत प्रचार अभियान चलाने, ब्रांडेड उत्पादों का संवर्धन करने, लक्षित बाजारों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विकास करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य सरकारों को भी उक्त राज्यों से निर्यात को बढ़ाने हेतु कार्यनीतियां तैयार करने के लिए उनके राज्यों के निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

(ग) और (घ) चूंकि बाजार पहुंच पहल योजना विकास योजना के रूप में तैयार कर कार्यान्वित की गई है इसलिए वित्तीय स्वरूप में उसके लाभों की मात्रा को निर्धारित करना कठिन है। तथापि, यह आशा की जाती है कि बाजार पहुंच पहल योजना से विश्व बाजारों में भारतीय निर्यातों की पहुंच बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में पर्याप्त योगदान मिलेगा।

[हिन्दी]

318

वस्त्र संबंधी मदों का उत्पादन

2652. डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कपड़ा मिलों, विद्युत करघा और हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्त्र संबंधी मदों की मात्रा और लागत क्या है; और

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र में से प्रत्येक के द्वारा इनमें से निर्यात की गई वस्त्र मदों की मात्रा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) मिल, हथकरघा व विद्युतकरघा क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक उत्पादित फैब्रिक व यार्न की मात्रा निम्नानुसार है:

	मिल क्षेत्र			हथकरघा			विद्युतकरघा		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
फैब्रिक का उत्पादन (सूती, सम्मिश्रित व शत्-प्रतिशत और गैर सूती) मिलियन वर्ग मीटर में	1714	1670	1546	7352	7506	7585	23187	23803	25192
यार्न का उत्पादन* मिलियन किग्रा. में	3934	4093	4073	—	—	—	—	—	—

*यार्न केवल मिल क्षेत्र में उत्पादित होता है।

स्रोत: वस्त्र आयुक्त, मुंबई

चूंकि वस्त्र उद्योग विकेंद्रीकृत प्रकृति का है, इसलिए उत्पादों के मूल्य केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ख) मिल, हथकरघा व विद्युतकरघा क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक निर्यात की मात्रा निम्नानुसार है:

मिल क्षेत्र			हथकरघा			विद्युतकरघा		
1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
47318.15	52959.95	42773.81	24182.53	21913.07	24895.16	87217.54	83336.01	73193.27

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

[अनुवाद]

317-20

सहकारी बैंक

2653. श्री जी.जे. जावीया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में कुछ सहकारी बैंक संकट का सामना कर रहे हैं जिससे लघु जमाकर्ताओं में हड़कंप-सा मच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का लघु जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के बजट के दौरान सहकारी क्रेडिट क्षेत्र हेतु घोषित पुनर्वास पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में कुछ शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) नकदी संकट का सामना कर रहे हैं ऐसे बैंकों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

क्रमांक	राज्य का नाम	बैंकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	गोवा	1
3.	गुजरात	34
4.	कर्नाटक	1
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	7

(ग) और (घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के तहत (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) शहरी सहकारी बैंकों का निरीक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का निरीक्षण नाबार्ड द्वारा दो वर्ष में एक बार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने हेतु यूसीबी के विनियमन एवं पर्यवेक्षण की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सख्य उपाय किए हैं। इन उपायों में मांग मुद्रा बाजार में परिचालनों और शेयरों एवं डिबेंचरों पर बैंक वित्त के संबंध में उच्चतम सीमा निर्धारित करना, सरकारी प्रतिभूतियों में एसएलआर निवेशों का प्रतिशत बढ़ाना, यूसीबी द्वारा प्रस्तुत जमाराशि पर ब्याज दरों संबंधी प्रतिबंध और अन्य यूसीबी में जमाराशि के रूप में निधियों का निवेश करना आदि शामिल है। इसी तरह, नाबार्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

* वर्ष 1996-97 से बैंकों के निरीक्षण के लिए कैमल्स (पूंजी, आस्ति गुणवत्ता, प्रबन्धन, आय, नकदी, प्रणाली एवं नियंत्रण तथा अनुपालन) कोटि निर्धारण संबंधी मानदण्ड अपनाए गए हैं, ताकि पारदर्शिता दिखाई दे।
* वर्ष 1998-99 से स्थलेतर निगरानी (ओएसएस) प्रणाली शुरू की गई है और सहकारी बैंकों की निर्धारित ओएसएस विवरणियों के जरिए निगरानी की जाती है और उन्हें पहले से सचेत कर दिया जाता है।
* प्रभावी अनुवर्तन हेतु सहकारी बैंकों के कार्यसंचालन की निगरानी के लिए नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नाबार्ड में एक पर्यवेक्षण बोर्ड बनाया गया है।
* बैंक के आन्तरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों के लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं एससीबी के मुख्य निरीक्षण अधिकारियों का सम्मेलन आवधिक रूप से आयोजित किया जाता है।

(ङ) जैसा कि बजट 2002-03 में घोषणा की गई है, सहकारी ऋण क्षेत्र के लिए पुनर्वास सहायता के लिए 100 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। इसके तौर-तरीकों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

राज्यों को विश्व बैंक सहायता

2654. श्री सुबोध राय:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार साक्षरता, आंगनवाड़ी और अन्य कल्याणकारी तथा विकासात्मक कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सहायता किन निबंधनों और शर्तों पर मिली है;

(ग) इस राशि से राज्यवार शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शुरू हुए कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान साक्षरता और आंगनवाड़ी कार्यक्रमों सहित विभिन्न कल्याण और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु प्राप्त विश्व बैंक ऋण सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से प्राप्त ऋण सहायता की वापसी अदायगी 10 वर्षों की छूट की अवधि सहित 35 वर्षों में की जाती है जिस पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष का सेवा प्रभार वसूला जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से प्राप्त ऋण सहायता की वापसी अदायगी 5 वर्षों की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में की जाती है। वर्तमान में भारत आईबीआरडी से विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर एकल करेंसी में ऋण लेता है। नए ऋणों पर वर्तमान ब्याज दर 1.79 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

विश्व बैंक से प्राप्त सहायता किसी कार्य विशेष से सम्बद्ध नहीं होती है। बैंक परियोजना के समापन की तारीख तक वहन किए गए निर्माण कार्यों से सम्बद्ध सभी व्ययों की वापसी अदायगी विश्व बैंक द्वारा कर दी जाती है।

विवरण

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण सहायता का राज्यवार संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03 (जनवरी, 2003 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	1164.98	2314.00	1169.55
2.	असम	109.45	123.86	32.60
3.	बिहार	58.11	0.00	0.00
4.	गुजरात	153.40	33.26	427.24
5.	हरियाणा	280.00	281.08	26.79
6.	कर्नाटक	0.00	1315.70	83.31
7.	केरल	25.29	19.83	93.77
8.	मध्य प्रदेश	16.30	4.47	13.01
9.	महाराष्ट्र	79.43	121.79	174.77
10.	बहुराज्य	611.18	580.39	509.45
11.	उड़ीसा	375.25	264.03	239.94
12.	राजस्थान	130.47	62.32	111.43
13.	तमिलनाडु	445.82	202.50	157.04
14.	उत्तर प्रदेश	412.64	577.31	392.94
15.	पश्चिम बंगाल	2.67	1.21	0.36

टोक्यो में लघु-मंत्रालीय सम्मेलन

3122

2655. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टोक्यो में हाल ही में डब्ल्यू टी ओ का लघु मंत्रालीय सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोहा सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई विवाद था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत द्वारा बैठक में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(च) किन-किन देशों ने बैठक में भारत के विचारों का समर्थन किया; और

(छ) बैठक के क्या निष्कर्ष निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (छ) जापानी सरकार के निमंत्रण-पत्र डब्ल्यूटीओ के सदस्यों देशों के लगभग 20 व्यापार मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक टोक्यों में दिनांक 14-16 फरवरी, 2003 तक आयोजित की गई थी। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग तथा विधि एवं न्याय मंत्री और कृषि मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने भी इस अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया था।

बैठक में कृषि और गैर-कृषि उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच, ट्रिप्स और लोक स्वास्थ्य, विशेष और विभेदकारी व्यवहार, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों और विषयों, नियमों और सिंगापुर

के चार मुद्दों अर्थात व्यापार और निवेश के बीच संबंध, व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति के बीच अन्योन्य क्रिया, सरकार द्वारा खरीद में पारदर्शिता तथा व्यापार की सुविधा सहित चालू दोहा कार्यक्रम में वार्ताओं के अंतर्गत आए डब्ल्यूटीओ के सभी मुख्य मुद्दों की समीक्षा की गई थी।

इस बैठक में, दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा में यथा अधिदेशित डब्ल्यूटीओ वार्ताओं के केन्द्रीय फोकस के रूप में विकास कार्यसूची को बहाल करने की आवश्यकता को भारत द्वारा जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया था। भारत ने विकास संबंधी मुद्दों जैसे ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य, कार्यान्वयन मुद्दों और विशेष और विभेदकारी व्यवहार से मुद्दों के क्षेत्र में धीमी प्रगति पर दृढ़ता से अपनी चिंता जाहिर की थी और यह कहा था कि इस वर्ष सितम्बर में डब्ल्यूटीओ के आगामी केनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलता अथवा अन्य निष्कर्ष पर्याप्त रूप से इन मुद्दों के समाधान पर निर्भर होंगे। बहुत से अन्य विकासशील देशों जैसे ब्राजील, केन्या, कोस्टारिका, नाइजीरिया, लिसोथो और सेनेगल के भागीदारों ने भारत के कथन का जोरदार समर्थन किया था।

चूंकि सभी देशों के लिए कृषि एक प्राथमिकता का क्षेत्र था इसलिए भारत ने कहा था कि वैश्विक कृषि व्यापार में विकृति के संबंध में संतोषजनक समाधान तभी हो सकता है जब विकसित देशों में घरेलू सहायता और निर्यात सब्सिडी दोनों को पर्याप्त रूप से कम किया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। भारत ने इस उच्चतम प्राथमिकता पर दृढ़ता से जोर दिया कि वह अपने किसानों और उनके कल्याण को संरक्षण प्रदान करेगा। भारत ने विकासशील देशों के लिए पर्याप्त विशेष और विभेदकारी प्रावधानों जैसे आयातों में वृद्धि रोकने के लिए विशेष रक्षोपायों के प्रयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। इसने कहा था कि उसके लिए कृषि में बाजार पहुंच के लिए लचीलेपन की कमी है।

जहां तक गैर-कृषि उत्पादों का संबंध है, भारत ने अपने निर्यात हित के उत्पादों जैसे वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं के लिए अधिक बाजार पहुंच का भी दृढ़ता से समर्थन किया था। सेवा वार्ताओं में जोरदार रुचि व्यक्त करते हुए भारत ने प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन में अधिक उदारीकरण की मांग की थी।

सिंगापुर मुद्दे के संबंध में भारत ने अपने इस रूख को दोहराया है कि यह मुद्दे डब्ल्यूटीओ के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं जिसे केवल व्यापार संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। नियमों के क्षेत्र में भारत ने पाटन और सब्सिडी को रोकने में अधिक कड़े अनुशासनों की मांग की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टैरिफों में कमी और गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के जरिए उपलब्ध हुई बाजार पहुंच व्यापार सुरक्षोपायों के जरिए व्यर्थ न हो जाए।

चूंकि यह एक अनौपचारिक बैठक थी, इसलिए यह विचार-विमर्श किसी निष्कर्ष की घोषणा न करते हुए भागीदार देशों के विचारों के आदान-प्रदान के रूप में किए गए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस वर्ष केनकुन, मैक्सिको में आयोजित किए जाने; वाले पांचवे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के समय तक दोहा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और प्रगति कैसे की जा सकती है। इस बैठक में मंत्रियों ने विकासशील देशों के महत्वपूर्ण हितों के क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए एक नया प्रयास करने का संकल्प पारित किया।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों, सोने आदि की तस्करी में वृद्धि

2656. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में जाली मुद्रा की तस्करी और आवक संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पता लगाए गए नशीले पदार्थों, सोने, हाथी दांत, हेरोइन और संरक्षित वन्य जीवों की खालों की तस्करी के मामलों की संख्या क्या है;

(ग) इस अपराधों के लिए गिरफ्तार/पकड़े गए तस्करों और सरकारी अधिकारियों की संख्या क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या जाली मुद्रा और हेरोइन की तस्करी के अधिकांश मामलों में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जाली मुद्रा और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) तस्करी एक चोरी-छिपे की जाने वाली गतिविधि है। निश्चितता के साथ यह कहना संभव नहीं है कि देश में तस्करी और जाली मुद्रा की आवक में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में (जनवरी, 2003 तक) दर्ज किए गए मामलों और औषधि, हाथी दांत, हेरोइन तथा संरक्षित वन्य जीवों के खालों की तस्करी

के लिए गिरफ्तार किए गए तस्करों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। तथापि, उपर्युक्त गतिविधियों में किसी भी सरकारी कर्मचारी की कोई गिरफ्तार नहीं की गई है।

	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003 (जनवरी, 2003 तक)	
	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए तस्करों की की संख्या	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए तस्करों की की संख्या	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए तस्करों की की संख्या	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए तस्करों की की संख्या
औषधि	571	182	490	168	436	145	454	132
सोना	1065	157	585	118	425	104	164	35
हाथी दांत	1	2	शून्य	शून्य	1	शून्य	1	शून्य
हेरोइन	37	48	33	40	34	40	44	59
संरक्षित वन्य जीवों की खालें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	2	2	2

(घ) जब्त की गई हेरोइन के कुछ मामलों से यह पता चला कि लिखाई/ठप्पे/लेबल संकेत करते हैं कि निषिद्ध माल पाकिस्तान सहित दक्षिण-पश्चिम एशिया से उद्भूत हुआ है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय देश में जाली मुद्रा और स्वापक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सजग और चौकस हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा-ऋण की रेटिंग

2657. श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की हाल ही की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उसने भारत की विदेशी मुद्रा ऋण की रेटिंग को बढ़ाकर ''सबस्टांनशियल'' का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पिछली तीन ग्रेडिंग रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अमरीकी एजेंसी किन पहलुओं और मानदंडों का ध्यान रखती है; और

(घ) प्रत्येक बार कितना सुधार दर्ज किया गया जिससे एजेंसी द्वारा भारत की ग्रेडिंग प्रभावित हुई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने फरवरी, 2003 में विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में भारत के लिए देश की उच्चतम सीमा ''बी ए 2'' से बढ़ाकर ''बी ए 1'' कर दी थी। ''बी ए 1'' विदेशी मुद्रा ऋण की उच्चतम सीमा से संबंधित दृष्टिकोण का स्थिर रहना बताया गया था। निम्नलिखित तालिका एजेंसी की पिछली तीन ग्रेडिंग रिपोर्टों का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है:

वर्ष	भारत के लिए विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में देश की उच्चतम सीमा संबंधी रेटिंग रिपोर्ट
अगस्त, 2001	''बीए2'' स्थिर दृष्टिकोण सहित
नवम्बर, 2000	''बीए2'' सकारात्मक दृष्टिकोण सहित
अक्तूबर, 1999	''बीए2'' सकारात्मक दृष्टिकोण सहित

(ग) और (घ) सरकार के संबंध में रेटिंग की समीक्षा करते समय, एजेंसी अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी नकदी, संरचनात्मक सुदृढ़ता, राजकोषीय घाटा, लोक ऋण तथा लोक वित्त की स्थिति आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। भारत के लिए विदेशी

मुद्रा ऋण के संबंध में देश की उच्चतम सीमा की रेटिंग का अद्यतन दर्जा बढ़ाने में एजेंसी ने सूचित किया है कि दर्जा बढ़ाने का प्रमुख कारण देश की विदेशी नकदी स्थिति में पर्याप्त सुधार होना था। वर्धित पण्य निर्यातों, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की शानदार बिक्रियों, और कामगारों द्वारा अधिक धनराशि भेजने की वजह से सरकारी विदेशी प्रारक्षित निधयों में विशेष रूप से पिछले वर्ष के दौरान तेजी से बढ़ोत्तरी हुई। देश के लिए विदेशी मुद्रा की उच्चतम सीमा संबंधी रेटिंग दृष्टिकोण में अंतिम परिवर्तन अगस्त, 2001 में किया गया था जब मुख्य रूप से यह बजट घाटा, लोक ऋण, निजीकरण आदि के आधार पर सकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित किया गया था।

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध

2658. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 8 फरवरी, 2003 से निर्यात हेतु गेहूं का आवंटन रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं के निर्यात पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गेहूं का वर्तमान बफर स्टाक क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहली जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में 288.30 लाख टन गेहूं का स्टाक था, जो बफर मानदण्डों से अधिक है।

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौता

2659. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और कुछ लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देकर व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन व्यापार समझौतों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई तथा लैटिन अमरीकी क्षेत्रों के निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार करार करने के प्रस्ताव किए हैं:

* ब्राजील
* ब्रुनेई
* चिली
* कोलम्बिया
* मलेशिया
* मरकोसर (चार देशों अर्थात् अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरूग्वे के एक व्यापार ब्लॉक के रूप में)
* म्यांमार
* थाईलैंड
* उरूग्वे
* वेनेजुएला।

(ग) ग्यांमार, थाईलैंड, उरूग्वे और मरकोसर के साथ व्यापार करारों को वर्ष 2003 में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और शेष देशों के लिए इन्हें यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बृहत परियोजनाओं हेतु राज्यों को धनराशि

2660. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी वृहत परियोजनाओं के लिए और धनराशि/वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य सरकारों के काफी संख्या में आवेदन केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार, अवधि-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने का है जो अधिक वित्तीय सहायता/समर्थन हेतु बिना अधिक लागत के समयानुसार चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर की नई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। भारत सरकार के पास योजना निधि की समग्र उपलब्धता के अलावा, पहले से चालू परियोजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता, विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों के बकाया विकास को पूरा करने की आवश्यकता के आधार पर ऐसी परियोजनाओं की प्राथमिकता निश्चित किए जाने की जरूरत भी महत्वपूर्ण कारक है।

(ग) से (ङ) चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता तथा इसको समय पर पूरा करना भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। योजना आयोग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की महत्ता पर विभिन्न मंत्रालयों के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह दी जा रही है।

लेखा-परीक्षकों की अदला-बदली

2661. **डा. बलिराम:**
श्री पी.आर. खूंटे:
श्री सईदुज्जमा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कंपनियों द्वारा तीन वर्ष के लिए नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों की अदला-बदली संबंधी एक नीतिगत निर्णय लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों के लागत लेखा परीक्षक तुलन-पत्रों में हेराफेरी करने में सहायता कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त लागत लेखा परीक्षक तुलन-पत्र के तैयार करने से संबद्ध नहीं होता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिसीमन आयोग

2662. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सभी लोक सभा और विधान सभा सीटों के पुन: संयोजन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारार्थ विषय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आयोग से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राजनीतिक दलों ने आयोग के प्रस्तावों का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) परिसीमन आयोग का गठन अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह और इसके पदेन सचिव के रूप, में भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त श्री बी.बी. टंडन (मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट) और संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य निर्वाचन आयुक्त सहित परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन तारीख 12.7.2002 को किया गया। आयोग का मुख्य कार्य परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है।

(ग) जी नहीं, परिसीमन अधिनियम, 2002 में ऐसा कोई उपबंध नही है कि यह अपने प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) परिसीमन आयोग ने यह सूचित किया है कि परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन, आयोग किसी राज्य के विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन

संबंधी अपने प्रस्तावों वाले कार्य-पत्र की एक प्रति सहयुक्त सदस्यों के रूप में लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक सभा के सदस्यों और उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन सहयुक्त सदस्यों के रूप में संबंधित राज्य विधान सभाओं के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट विधान सभाओं के सदस्यों को भेजता है। आयोग सहयुक्त सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर, इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए अधिवेशन में विचार करता है। तत्पश्चात् विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व जनसाधारण से आक्षेपों और सुझावों को निमंत्रित करने वाले प्रारूप प्रस्ताव प्रकाशित किए जाते हैं। उस समय राजनीतिक दलों के सदस्यों सहित कोई भी व्यष्टि प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इसके पश्चात्, आयोग जनसाधारण के आक्षेपों और सुझावों की सुनवाई के लिए संबंधित राज्य में जन बैठकें आयोजित करता है। उन जन सुनवाईयों में राजनीतिक दलों के सदस्य भी भाग ले सकते हैं और उक्त प्रस्तावों के संबंध में अपने आक्षेप या सुझाव बता सकते हैं। जन बैठकों की समाप्ति के पश्चात् आयोग एक आंतरिक अधिवेशन में जन बैठकों में लिखित रूप में या मौखिक रूप में दिए गए सभी सुझावों और आक्षेपों पर विचार करता है और अंतिम आदेश जारी करता है। अंतिम आदेशों वाले राजपत्र की प्रतियां लोक सभा और संबंधित राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं।

(च) सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता। 331-32

निर्यातकों के लिए फाइटो सेनेटरी मानदंड

2663. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपियन संघ ने भारतीय निर्यातकों पर नए पर्यावरण संबंधी स्वच्छता और फाइटो सेनेटरी मानदंड निर्धारित किए हैं और इससे हमारी निर्यात संभावनाओं पर असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) यूरोपीय संघ द्वारा कुछेक खाद्य/कृषि उत्पादों इत्यादि के लिए निर्धारित किए गए स्वच्छता और फाइटो सेनेटरी (एसपीएस) मानक इन उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त मानकों से उच्च हैं। ऐसे मानकों से कृषि उत्पादों, समुद्री खाद्य/समुद्री उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, अंडा उत्पादों, मांस उत्पादों, अस्थि उत्पादों इत्यादि के क्षेत्रों में ई यू बाजारों को होने वाले भारतीय निर्यात प्रभावित होते हैं।

(ग) उच्चतर एसपीएस मानकों के मुद्दों की नियमित निगरानी की जाती है और उन्हें यूरोपीय संघ तथा ई यू सदस्य देशों के साथ उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मानक ई यू देशों को होने वाले भारत के निर्यातों के लिए बाजार पहुंच संबंधी बाधा न बन सकें।

सिल्क का उत्पादन

332-37

2664. **श्री आर.एल. जालप्पा:**
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्यवार बाइवोलटाइन और सिल्क की अन्य किस्मों का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) क्या चीन की मलबरी कच्चा सिल्क से देश में पाटन से स्वदेशी उत्पादित सिल्क के मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चीन के सिल्क यार्न निर्यात पर डंपिंग शुल्क लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में उत्पादित सिल्क हेतु समर्थन मूल्य लागू करने की सिफारिश की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) वर्ष 2002-03 के दौरान अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन 17900 मी.टन होने का अनुमान है जिसमें 950 मी. टन द्विफसलीय रेशम का उत्पादन शामिल है। अपरिष्कृत रेशम का किस्म-वार उत्पादन निम्न अनुसार है:-

किस्म	अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन (मी. टन में)
शहतूती रेशम	16215 (950 द्विफसलीय)
तसर	270
एरी	1310
मूगा	105
कुल	17900

वर्ष 2002-03 के दौरान शहतूती (परम्परागत शहतूती राज्य) और गैर-शहतूती अपरिष्कृत रेशम के अनुमानित उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) से (ङ) सीमा शुल्क प्रभार अधिनियम 1975 और सीमा शुल्क प्रभार (पहचान, मूल्यांकन और पाटी गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण और हानि का निर्धारण), नियम 1995 के अंतर्गत मनोनीत प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि चीन द्वारा अपरिष्कृत रेशम की डंपिंग की जा रही है जिसके कारण देश में अपरिष्कृत रेशम की कीमत प्रभावित हुई हैं। पिछले चार वर्षों से प्रमुख बाजारों में फिलेचर/कॉटिज बेसिन अपरिष्कृत रेशम की औसत कीमतों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

भारत सरकार ने सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 2 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 2/2003 के अंतर्गत चीन गणराज्य में मूलत: होने वाली अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली 2ए ग्रेड और उसमें कम ग्रेड की आयातित शहतूती रेशम (धागा रूप में नहीं) के लिए आगत मूल्य और 33.19 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. की राशि के बीच के अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। उक्त पाटनरोधी शुल्क अनंतिम रूप से लगाया गया है और यह 1 जुलाई, 2003 से प्रभावी होगा।

(च) और (छ) रीलिंग कोसों के लिए मूल्य संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करने वाली केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना, राज्यों के परामर्श से बनाई गई है और इस पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 2002 03 के दौरान शहतूती अपरिष्कृत रेशम का राज्यवार अनुमानित उत्पादन

(टन में)

राज्य	शहतूती अपरिष्कृत रेशम		
	द्विफसलीय	बहुफसलीय	कुल
1	2	3	4
कर्नाटक	550	7450	8000
आंध्र प्रदेश	179	5421	5600
पश्चिम बंगाल	4	1446	1450
तमिलनाडु	28	722	750
जम्मू और कश्मीर	92	–	92
अन्य	97	226	323
कुल	950	15265	16215

वर्ष 2002-03 के दौरान गैर-शहतूती अपरिष्कृत रेशम का राज्यवार अनुमानित उत्पादन

(टन में)

राज्य	तसर	एरी	मूगा
आंध्र प्रदेश	5	–	–
असम	–	480	99
छत्तीसगढ़	85	–	–
झारखंड	65	5	–
मेघालय	–	300	5
मणिपुर	1	380	–
नागालैंड	1	90	–
महाराष्ट्र	5	–	–
बिहार	20	35	–
पश्चिम बंगाल	25	8	1
उड़ीसा	54	2	–
उत्तर प्रदेश	4	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	10	–
मध्य प्रदेश	5	–	–
कुल	270	1310	105

विवरण II

फिलाचर/सीबी अपरिष्कृत रेशम की औसत कीमत

बैंगलोर (कर्नाटक) रेशम एक्सचेंज में रुपए/किग्रा.

माह	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
अप्रैल	1200	1143	1253	1084
मई	1217	1195	1274	1000
जून	1169	1223	1333	1043
जुलाई	1160	1271	1297	1004
अगस्त	1250	1410	1392	980
सितंबर	1217	1425	1324	948
अक्तूबर	1185	1468	1243	972
नवंबर	1230	1493	1288	954
दिसंबर	1237	1494	1304	890
जनवरी	1246	1412	1233	911
फरवरी	1196	1337	1161	–
मार्च	1134	1182	1101	–

धर्मावरम् में फिलाचर/सीबी अपरिष्कृत रेशम की औसत कीमत

रुपए/किग्रा.

माह	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
अप्रैल	1128	1185	1353	1150
मई	1171	1172	1322	1137
जून	1121	1146	1408	1080
जुलाई	1138	1220	1302	1077
अगस्त	1189	1222	1463	1083
सितंबर	1121	1364	1446	1095
अक्तूबर	1162	1332	1323	1005
नवंबर	1168	1623	1289	1036
दिसंबर	1214	1513	1336	926
जनवरी	1185	1515	1341	837
फरवरी	1359	1450	1258	–
मार्च	1190	1337	1212	–

तमिलनाडु में फिलाचर/सीबी अपरिष्कृत रेशम की औसत कीमत

रुपए/किग्रा.

माह	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
अप्रैल	1205	1060	1153	1010
मई	1220	1117	1202	956
जून	1128	1159	1200	935
जुलाई	1120	1225	1320	942
अगस्त	1227	1312	1325	935
सितंबर	1229	1433	1273	964
अक्तूबर	1178	1408	1146	925
नवंबर	1174	1482	1204	918
दिसंबर	1189	1476	1254	903
जनवरी	1182	1335	1165	876
फरवरी	1242	1270	1081	–
मार्च	1074	1135	1007	–

जम्मू और कश्मीर में फिलाचर/सीबी अपरिष्कृत रेशम की औसत कीमत

(20/22 डेनियर)रुपए/किग्रा.

माह	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
अप्रैल	1175	1400	1400	1700
मई	1175	1400	1400	1700

1	2	3	4	5
जून	1175	1400	1400	1700
जुलाई	1200	1400	1400	1700
अगस्त	1300	1400	1400	1700
सितंबर	1400	1400	1700	1700
अक्तूबर	1400	1400	1700	1700
नवंबर	1400	1400	1700	1700
दिसंबर	1400	1400	1700	1100
जनवरी	1400	1400	1700	–
फरवरी	1400	1400	1700	–
मार्च	1400	1400	1600	–

पश्चिम बंगाल में फिलाचर/सीबी अपरिष्कृत रेशम की औसत कीमत

रुपए/किग्रा.

माह	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
अप्रैल	750	730	725	750
मई	750	730	950	700
जून	725	680	975	575
जुलाई	700	700	950	550
अगस्त	740	700	900	550
सितंबर	725	675	880	540
अक्तूबर	700	675	850	540
नवंबर	725	800	850	525
दिसंबर	750	800	850	लागू नहीं
जनवरी	760	900	825	लागू नहीं
फरवरी	750	850	800	–
मार्च	750	700	825	–

[हिन्दी]

महंगाई भत्ता

2665. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का मूल्य सूचकांक काफी ऊंचा चला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2003 से महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का कब तक महंगाई भत्ते की घोषणा करने का विचार है और यह कितने प्रतिशत होगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई से किया जाता है, जिसका भुगतान आमतौर पर क्रमश: मार्च एवं सितम्बर माह के वेतन के साथ किया जाता है। 1 जनवरी, 2003 से देय महंगाई भत्ते के मामले में निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

अरबन हाट

2666. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिल्पकार समुदाय को प्रभावी विपणन अवसंरचना उपलब्ध कराने के मद्देनजर नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अर्बन हाट की स्थापना शीर्षक वाली एक योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार खोले गए ऐसे हाट की संख्या और स्थान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में ऐसे हाट खोलने का लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(च) ये हाट शिल्पकारों की दशा सुधारने में किस हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की दशा सुधारने हेतु और क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998-99 के दौरान शिल्पकारों और बुनकरों को प्रत्यक्ष विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''शहरी हाट'' नामक एक योजना शुरू की गई थी।

इस योजना के अन्तर्गत ''दिल्ली हाट'' के पैटर्न पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शिल्पकार समुदाय को स्थायी विपणन बाजार मुहैया कराने पर बल दिया गया। इन हाटों में शिल्पकारों को यह सुविधा उपलब्ध है कि वे अपने उत्पाद बिना बिचौलियों को शामिल किए सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं।

(ग) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में बहुत से ''शहरी हाट'' खोले गए। इनकी राज्यवार स्थानों की जानकारी विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नौवीं योजना के दौरान योजना आयोग ने देश में महत्वपूर्ण वाणिज्यक एवं पर्यटन स्थानों पर 18 ''शहरी हाटों'' की स्थापना के लिए मंजूर दी थी। नौवीं योजना के दौरान 18 हाटों की मंजूरी दी गई।

(च) इन शहरी हाटों की स्थापना से अब शिल्पकार बिना बिचौलियों को शामिल किए अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। इस तरह उन्हें समस्त लाभ प्राप्त होगा जो कि पहले बिचौलिये ले जाते थे। इन शहरी हाटों में शिल्पकारों को उपभोक्ताओं की मांग में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी पता लगेगा जिससे वे इन परिवर्तनों को अपनाकर इस अवसर का लाभ उठाएंगे।

(छ) शिल्पकारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है जैसे अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन, विपणन सहायता एवं सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/एपैक्स सोसाइटीज को वित्तीय सहायता एवं निर्यात संवर्धन आदि। हाल ही में प्रारम्भ की गई ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना'' (एएचवीवाई) का उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों पर चुनिंदा कारीगर समूहों को व्यवसायिक रूप से व्यवस्थित और आत्म-निर्भर समुदाय उद्यमियों के रूप में विकसित करते हुए कारीगर समूहों का सतत विकास करना है।

विवरण

नौवीं योजना की अवधि के दौरान शहरी हाटों का राज्यवार स्थान

क्षेत्र	राज्य	मंजूरी शहरी हाटों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	1	ठचाना
	हिमाचल प्रदेश	–	–
	जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
	पंजाब	–	–
	राजस्थान	2	जोधपुर, जयपुर
मध्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	2	आगरा, कानपुर
	उत्तरांचल	1	देहरादून
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता
	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
	बिहार	–	–
	झारखण्ड	1	रांची
	सिक्किम	–	–
दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश	1	तिरुपति
	तमिलनाडु	–	–
	केरल	1	तिरुवनन्तपुरम
	पांडिचेरी	–	–
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–

1	2	3	4
	कर्नाटक	-	-
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	1	गांधीनगर
	महाराष्ट्र	-	-
	गोवा	-	-
	मध्य प्रदेश	1	भोपाल
	छतीसगढ़	1	रायपुर
पूर्वोत्तर क्षेत्र	असम	1	गुवाहाटी
	मेघालय	-	-
	मणिपुर	-	-
	मिजोरम	-	-
	अरुणाचल प्रदेश	-	-
	नागालैंड	-	-
	त्रिपुरा	1	अगरतला

चीनी और शीरे पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त करना

341-42

2667. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय चीनी मिलें चीनी के मूल्य में निरन्तर गिरावट और गन्ने के मूल्य में निरन्तर हो रही वृद्धि से परेशानी का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने सरकार से दो वर्ष के लिए चीनी और शीरे पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके अनुरोध पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा चीनी मिल की समस्याओं को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) चीनी मूल्यों में सामान्य गिरावट के चलते चीनी उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

(ग) और (घ) भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने बजट पूर्व ज्ञापन के जरिए वित्त मंत्री को अभ्यावेदन दिया था कि इस समय चीनी पर 34/-रुपये प्रति क्विंटल की दर पर लिए जा रहे मूल उत्पाद शुल्क से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट दी जाए और शीरे पर भी उत्पाद शुल्क में कमी की जाए। शुल्क दरों में कोई कमी नहीं की गई है।

(ङ) हाल ही के महीनों में सरकार ने चीनों मिलों की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए:

(1) **बफर स्टाक:** सरकार ने 18.12.2002 से एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाया है, इसमें चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपए दिया जाना शामिल है, और बफर स्टाक के खाते पर बैंकों द्वारा 374 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस प्रकार किसानों को गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान करने के लिए चीनी उद्योग को 786 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध हो सकेगी।

(2) **समुद्री भाड़ा राजसहायता:** यह भी निर्णय लिया गया है कि चीनी की निर्यात नौभारों पर समुद्री भाड़ा हानि के निष्प्रभावीकरण के लिए अब चीनी फैक्ट्रियों को 350 रुपये प्रति टन की दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वेतनमान में संशोधन

342-43

2668. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वस्त्र मंत्री** 22 नवम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 725 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों के वेतनमान एफ सी एस में संशोधन लागू करने के मुद्दे पर किसी निर्णय पर पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) जी नहीं। मामले में संबंधित सरकारी विभागों द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से गहराई से जांच की जानी है। निर्णय लेने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

बैंकों में अंतर

2669. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों के प्रख्यात स्थायित्व और विश्वसनीयता के आधार पर ''ज्यादा जोखिम वाले'' अथवा ''कम जोखिम वाले'' बैंकों के रूप में उनमें अंतर किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ''ज्यादा जोखिम वाले'' अथवा ''कम जोखिम वाले'' बैंकों के रूप में बैंकों की पहचान करने हेतु किन निर्धारक घटकों का इस्तेमाल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ''ज्यादा जोखिम वाले'' बैंक के रूप में पहचान किए गए बैंकों को कोई चेतावनी-पत्र जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। अभी तक ऐसा कोई विभेद नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सेवा मूल्य सूचकांक

2670. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व के मद्देनजर सेवा मूल्य सूचकांक लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली के कब तक लागू होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी, हां। जीवन मूल्य व लागत सांख्यिकी से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति (एस.पी.सी.एल. से संबंधित टी.ए.सी.) के उप-समूह ने हाल ही में व्यवसाय मूल्य सूचकांक (बी.एस.पी.) आई के विकास पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उक्त के संबंध में कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है और दसवीं योजना के दौरान प्रारंभ में मुख्य सेवा क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक प्रायोगिक बी.एस.पी.आई. विकसित करने की परिकल्पना है।

गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

2671. श्री परसुराम माझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में अस्पतालों और सचल औषधालयों की स्थापना करने हेतु विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थापित किए गए ऐसे अस्पतालों और औषधालयों का जिलावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निधियों का अब तक उपयोग न करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित अस्पतालों और सचल औषधालयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) आगे अनुदान रोक दिए गए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर-सरकारी संगठनों से अनुदान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वसूल करें।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित अस्पतालों तथा औषधालयों का ब्यौरा

क्रम संख्या	नाम	पता	परियोजना	वर्ष के दौरान दी गई सहायता		
				1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश						
1.	ए.पी. गिरि जाना सेवक संघ	चंदा मापेट, नंदीगाम-521185 कृष्णा, ए.पी.	आवासीय विद्यालय एवं 10-बेड का अस्पताल	1010160	1626063	1437503

1	2	3	4	5	6	7
2.	इंट्रीग्रेटड डेलपमेंट एजेंसी	कृष्णा जिला, रैपुपेट नंदी ग्राम-521185, कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश	मोबाईल डिसपेंसरी और 10 बेड का अस्पताल	1148610	1293250	720090
3.	आदर्श महिला मंडली	सोलोमन सेंटर, चीराला-523155 प्रकासम डिस्ट्रीक, आंध्र प्रदेश	मोबाईल डिसपेंसरी (2 नं.)	182917	390870	0
4.	आर.के. मिशन	रामकृष्ण बीच विशाखापट्टनम)-530003 आंध्र प्रदेश	मोबाईल डिस्पेंसरी (2 नं.)	828720	796966	812383
5.	रामकृष्ण मिशन (राजामुंद्री)	रामकृष्ण विवेकानन्द नगर, कारुकोंडा रोड़, राजामुंदरी-533005 आंध्र प्रदेश	मोबाइल डिस्पेंसरी	111181	428670	857340
6.	श्री शिवाजी मेमोरियल कमेटी	श्री शिवाजी स्मृति केन्द्र, श्री सेलम डिस्ट्रीक कुरनूल, पिन 518101, आंध्र प्रदेश	मोबाईल डिसपेंसरी	0	516547	0
7.	श्री प्रमेश्वरी एडुकेशनल सोसाईटी	के.जी. रोड, अतमकुर कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश	मोबाईल डिसपेंसरी	0	424418	0
8.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	डी. नं. 5-8-11/3, 2/7 ब्रोडीपेट गुंटूर-522002 (आंध्र प्रदेश)	10 बेड का अस्पताल	0	1290728	611400
9.	मुरपास	एच. नं. 4-8-121, पी डब्ल्यू डी (आई-वी) जिला, आंध्र प्रदेश,	10 बेड का अस्पताल और मोबाईल डिसपेंसरी	0	2359757	0
10.	तेलेंगाना वीकर सेक्शन डिवलपमेंट सोसाईटी	अम्बेडकर चौक के नजदीक मनचेरीयल अदिलाबाद, जिला, आंध्र प्रदेश	मोबाईल डिस्पेंसरी	0	594826	195435
11.	वेलामा वीकर सेक्शन महिला	डी. नं. 7-175, मेथेना वारीपेलम पितालवानी पालेम, गुन्टूर जिला	मोबाईल डिस्पेंसरी	346741	390870	0
12.	युथ इन एक्शन सोसाईटी	प्लॉट नं.-103-ए, एच. नं. 3-2-826 साथिया अपार्टमेंट, चप्पल बाजार, काचीगुडा, हैदराबाद 500027, आंध्र प्रदेश	10 बेड का अस्पताल	0	1586504	524655
राज्य का नाम: अरुणाचल प्रदेश						
13.	ओजु वेलफेयर एसोसिएसन	पुलिस स्टेशन के नजदीक बी-सेक्टर पी.ओ. नहर लगान, जिला पापुम पारे, अरूणाचल प्रदेश जिला, 79110	रेसिडेनशियल स्कूल (प्राथमिक एवं सेकेण्डरी) होस्टल 10 वेड का अस्पताल एवं मोबाईल	2524994	1887300	0
14.	आर.के. मिशन (एलौंग)	पी.ओ. विवेकानगर, एलौंग, पश्चिम सियंग जिला अरूणाचल प्रदेश, पिन-791001	नान रेसिडेन्शल स्कूल, हास्टल स्कूल बस (3) मोबाईल डिस्पेंसरी मोबाईल लाइब्रेरी कम ए.वी. यूनिट कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	8402800	10449510	6082350
15.	आर.के. मिशन (टिराप)	पी.ओ. नरोत्तम नगर, जिला टिराप अरूणाचल प्रदेश, पिन-786629	कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर (2 नं.) रेसिडेन्शियल स्कूल एवं मोबाईल डिस्पेंसरी	4162049	6616169	2197656

1	2	3	4	5	6	7
16.	आर.के. मिशन अस्पताल (ईटानगर)	पी.ओ. आर.के. मिशन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश पिन-791113	साठ बेड का अस्पताल	4369410	433410	3477717
राज्य का नाम: असम						
17.	डॉ. अम्बेडकर मिशन	ग्राम धोपाटरी, पी.ओ. चंगसारी जिला कामरूप-781001 (असम)	10 बेड का अस्पताल एवं चलित औषधालय	876135	600525	1440180
18.	प्रांवतिया सरोजनीय कल्याण केन्द्र	पी.ओ. कामिन, जिला-लखीमपुर असम, पिन-791121	निटिंग विविंग और हथकरघा ट्रेनिंग सेंटर, चलित औषधालय, टाइपिंग और शार्ट हैंड, ट्रेनिंग सेंटर एवं होस्टल	342992	-	-
19.	आर.के. मिशन आश्रम उलुबारी	रामकृष्णा मिशन रोड, उलुबारी गुवाहाटी-781007, असम	छात्रावास, चलित औषधालय पुस्तकालय	792358	1599430	811790
20.	श्री मांटा शंकर मिशन	पी.ओ. नगोन, पिन-782001, जिला नागोन (असम)	चलित औषधालय	0	1162416	697584
राज्य का नाम: गुजरात						
21.	अनुग्रह आदिवासी एजुकेशन ट्रस्ट	पोस्ट-वदवा, जिला दाहोद गुजरात	चलित औषधालय	0	-	804662
22.	भारत सेवाश्रम संघ	पोस्ट: देदीपाड़ा, जिला नर्मदा, पिन,-393040	चलित औषधालय	370910	902449	390870
23.	भारत सेवाश्रम संघ (नवसारी)	पोस्ट गंगापुर, तालुक वंसादा जिला नवसारी, गुजरात,	चलित पुस्तकालय ए.वी. यूनिट और चलित डिसपेंसरी	0	2377644	1071400
24.	भारत यात्रा केन्द्र	जिला/पोस्ट/तालुक देदियापाड़ा डिस्ट्रीक नर्मदा, पिन 393040	टाइपिंग और शार्ट हैंड ट्रेनिंग सेन्टर होस्टल और चलित औषधालय	82361	-	-
25.	संत श्री आसारामजी गुरुकुल	साबरमती, अहमदाबाद गुजरात	मोबाईल डिस्पैंसरी	0	-	1050517
26.	शिव शक्ति एजुकेशन ट्रस्ट	एच न. 17 म्यूनिसीपल शापिंग सैक्टर, नीयर न्यू फायर स्टेशन दाहोड़-389151, गुजरात	मोबाईल डिस्पैंसरी	0	-	534285
राज्य का नाम: जम्मू व कश्मीर						
27.	बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन	पो.बा. नं. 46 जंसकार, जिला-कारगिल पिन-194302 लद्दाख-(जम्मू-कश्मीर)	आवासीय स्कूल गैर-आवासीय स्कूल (3 नं.) तथा मोबाईल डिस्पैंसरी	1499985	1253745	1556609
28.	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट (पं.)	48, गुर्जर कालोनी, पो. सैनिक, कालोनी बाई पास, जम्मू तवी-180011	मोबाईल डिस्पैंसरी (2 नं.) आवासीय स्कूल तथा टाइपिंग का शार्टहैंड प्रशिक्षण सेंटर	0	281160	1851016

1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम :झारखंड						
29.	अल्पसंख्यक महिला प्रशिक्षण संस्थान	सीसी-37, कांकेरबाग, पटना-800020, बिहार	मोबाइल डिस्पेंसरी	393316	-	-
30.	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी)	रिवर्स मीट रोड, सोनारी जमशेदपुर-831011, झारखंड	30 बिस्तरों वाला अस्पताल आवासीय स्कूल (3 नं.) तथा निटींग एंड वीविंग सेंटर मोबाईल, डिस्पेंसरी (3 नं.)	3239592	596047	7656561
31.	भारत सेवाश्रम संघ (घाटशिला)	पोस्ट/ग्राम बराजुरी, वाया घाटशिला, जिला: पूर्वी सिंहभूम झारखंड, पिन-832303	चलित औषधालय (5 नं., 2 नया), 10 बेड का हॉस्पीटल (3 नं.) रेजिडेंशल कम्प्यूटर स्कूल (4 नं.) ट्रेनिग, कताई बुनाई (3 नं.) और केन और बांस	479520	3746101	4375500
32.	जनजाति विकास प्रतिष्ठान	ग्राम और पोस्ट ऑफिस तापचंची जिला धनबाद, झारखंड	10 बिस्तर, अस्पताल	0	12890728	0
33.	आर.के. मिशन, तपेदिक सनोटोरियम	पी.ओ. रामकृष्ण सनोटोरियम जिला रांची, झारखंड-835221	चलित औषधालय (1 नं.) और 80-बेड का अस्पताल	435370	3235260	5220000
राज्य का नाम: कर्नाटक						
34.	आशीर्वाद रूरल डेवलपेंट ट्रस्ट	काजीपेट, गुडीवांडे-561209, जिला कोलार, कर्नाटक	10 बेड का अस्पताल	0	-	1289731
35.	हरिहर ग्रामीनवीरूधी संघ	स्थान-सिद्धाअरापल्ली, पोस्ट-रामपुर वाया-गुड्डीपाड़ा, पिन-561209 चिकवालापुर (तालुका), जिला कोलार, कर्नाटक	चलित औषधालय	390870	390870	390870
36.	स्वामी सर्वधर्म में सरणालय	सुल्तानपेट, नदी पोस्ट, चिकवालापुर तालुक, जिला कोलार, कर्नाटक	10 बिस्तर का अस्पताल और नन-रेजिडेंशियल स्कूल	956577	774270	1624140
37.	कुमुदवती रूरल डेवलपमैंट	एच.नं. 32, आर.आर. एक्सटेंशन मधुगिर, पिन-572132, तुमकुर जिला, कर्नाटक	चलित औषधालय	0	541478	390870
38.	श्री होयशाला विद्या समस्थे	स्थान/पोस्ट नेरिज, तालुक-देवनगिरी जिला-देवनगिरी, कर्नाटक ब्लॉक ऑफ: कॉटन मिल प्रेमिसेंज, (डीसीएम) पिन-511003	चलित औषधालय और आवासीय स्कूल	0	1555296	1451790
39.	स्वामी विवेकानंद यूथ मुवमेंट	केंचनहली शांति नगर पो., हैगादावदेनकोटे तालुक, मैसूर	आवासीय स्कूल, सचल औषधालय और 10 बिस्तरों वाला अस्पताल	2899234	2463362	2229606
40.	विवेकानंद गिरिजना कल्याण केन्द्र	वी आर हिल्स, चलुन्दर तालुक, चामराजनगर जिला, पिन-571441, कर्नाटक	आवासीय स्कूल, सचल औषधालय और 10 बिस्तरों वाला अस्पताल	2416837	8281376	5222216

1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम: केरल						
41.	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन (केरल)	विवेकानंद नगर, पो. पलपेटा नार्थ, वायनाड-673122, केरल	मोबाईल डिस्पैंसरी और 10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1205460	1227714	2191230
42.	विनोभा निकेतन	विनोभा निकेतन, पो. तिरूवंतपुरम-695542, केरल	मोबाईल डिस्पैंसरी, छात्रावास और बेबी क्रैच सैंटर (6 सं.)	1499985	-	-
राज्य का नाम: मध्य प्रदेश						
43.	आशादीप कल्याण समिति	एच ओ 86, विनोभा वार्ड, सिदोरा, जिला जबलपुर, पिन-483225, बीरसिंहपुर	गैर-आवासीय स्कूल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और 10 बिस्तर वाला अस्पताल	1904611	-	-
44.	समदर्शी सेवा केन्द्र	गांव मालासीडी, हरिओम प्लेस चक्कर रोड़, हौशंगाबाद-461001 मध्य प्रदेश।	मोबाईल डिस्पैंसरी	0	-	790948
राज्य का नाम: महाराष्ट्र						
45.	धर्मसमन्वय महर्षि वारकरी विकास शिक्षण संस्थान	पो. कारला, त.-अंजागोव, जिला-अमरावती (महाराष्ट्र)	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	535455	-
46.	नवलबहु प्रतिष्ठान	नवल नगर, तालुक और जिला धुले महाराष्ट्र, पिन-424318	मोबाईल, डिस्पैंसरी एंड टंकण और शार्टहैंड प्रशिक्षण केन्द्र	-	-	-
47.	सेवाधाम ट्रस्ट	मनोज क्लीनिक, 1148 सदाशिव पेट पूणे-411030, महाराष्ट्र	मोबाईल डिस्पैंसरी	259009	-	-
राज्य का नाम: मणिपुर						
48.	मोलावेफेर रूरल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर	पो.बा.न. 3, चुराचंद्रपुर-795128, मणिपुर	मोबाईल डिस्पैंसरी	513270	-	-
49.	रूरल वालंटरी सर्विस (आर वी एस)	बंगबाल मयाई, लेकबाई पो. थोउबाल-715138, मणिपुर	मोबाईल डिस्पैंसरी	0	358448	-
50.	सोसायटी फार वूमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन (एस डब्ल्यू ई ए आर)	अथोकपाम खोनु, थोबाल मणिपुर	मोबाईल डिस्पैंसरी	0	485408	-
51.	बालंटरी फार रूरल हेल्थ एंड एक्शन (पी ओ आर एच ए)	लामडिंग पो. वांगजिंग मणिपुर, पिन-795148	मोबाइल डिस्पैंसरी तथा टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	-	485408	0
52.	नागजिंग तेन्था फार्मेसी डेवलपमेंट एसोसिएशन	तेंथा गांव, पो वांगजिंग, थवुबोल जला, मणिपुर, पिन-795148	मोबाइल डिस्पैंसरी	0	485407	-

1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम: मेघालय						
53.	आर.के. मिशन (चेरा बाजार)	चेरापूंजी, पो. चारबाजार, पिन-793000 (मेघालय)	गैर आवासीय स्कूल, होस्टल (2 नं.) मोबाइल डिस्पैंसरी (2.नं.) मोबाइल लाइब्रेरी सह-ए.वी. यूनिट, तकनीकी स्कूल और एल पी और एम ई स्कूल (49 नं.)	13688699	25439569	15925399
राज्य का नाम: मिजोरम						
54.	सेंटर फार रूरल डेवलपैंट एंड रिसर्च	डी-32, पी डब्ल्यू डी. तिल्ला, जर्कवात, आइजोल, मिजोरम	मोबाइल डिस्पैंसरी	435097	386730	-
55.	मिजोरम हमीबाई (विधवा) आर्गेनाइजेशन	अपर रिपब्लिक रोड आइजोल पिन-796001	मोबाइल डिस्पैंसरी तथा आवासीय स्कूल	0	2187000	-
56.	मिजोरम उपा पावल	राज भवन साउथ गेट, एम जी रोड आइजोल-796001, मिजोरम	मोबाइल सेंटर	0	485407	-
57.	सोशल गाइडेंस एजेंसी (एस जी ए)	पो. बा. नं. 133, तुरुकोल ए आइजोल, पिन-796001, मिजोरम	मोबाइल डिस्पैंसरी	186939	-	-
राज्य का नाम: नागालैंड						
58.	बकवर्ड डेवलपमेंट ट्रस्ट	लोंगखिम टाउन, पो. लोंगखिम, तुनोसेंग जिला	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1257705	0
राज्य का नाम: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली						
59.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा. अम्बेडकर मार्ग (लिंक रोड) नई दिल्ली-110055	आवासीय स्कूल, होस्टल (7 नं.) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, मोबाइल डिस्पैंसरी एंड वर्कर्स प्रशिक्षण केन्द्र (2)	3606147	5349327	5677616
60.	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट	एच.ओ.7ई., स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055, गांव इमेला कोदार, ब्लाक, पचपंखा जिला बलरामपुर (उ.प्र.)	मोबाइल डिस्पैंसरी तथा होस्टल (2 नं.)	604800	1077978	1107711
राज्य का नाम: उड़ीसा						
61.	एनिमल वेलफेयर सोसायटी आफ उड़ीसा	प्लाट नं. 1400, पैकानगर, पो. डेल्टा कालोनी, भुवनेश्वर-3 (2) प्लाट यूनिट-8-भवन	मोबाइल डिस्पैंसरी	390870	390870	0
62.	ग्लोबल विलेज फार रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट	पो. उदुलीवेदा वाया मैथिली जिला मल्कान गिरी, उड़ीसा	मोबाइल डिस्पैंसरी	0	-	688050
63.	हरिजन आदिवासी कन्या सेवाश्रम	पी. डब्ल्यू. डी. न्यू कालोनी, नयागढ़-752069, उड़ीसा	गैर-आवासीय स्कूल तथा मोबाइल	1375830	-	-

1	2	3	4	5	6	7
64.	जीवन ज्योति	प्लाट नं. 708 बी जे बी नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा-पिन-751014	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1532949	-
65.	निसादरी	एच.ओ. संतपुर, बापा गोंडिया धेनकनाल, उड़ीसा पिन-759016	मोबाइल डिस्पैंसरी एंड केन्द्र सेंटर (10 नं.)	373320	186660	0
66.	पत्रीओट	एच. नं. बीम-67, सैल श्रीविहार पोस्ट सी.एस. पुर	चलित औषधालय	390764	189910	384040
67.	रामकृष्ण मिशन आश्रम	पुरी-752001, उड़ीसा	हॉस्टल, चलित डिस्पेंसरी और टाइपिंग शार्टहैंड ट्रेनिंग सेंटर	1344776	987152	1148557
68.	रामकृष्ण विवेकानन्द वेदांत आश्रम	ग्राम सरगलजी, ब्लॉक भवानीपट्टना, जिला कालीहांडी पिन-766001 (उड़ीसा)	चलित औषधालय	327120 0	436247 -	0 3786223
69.	रूसीकुल सेवाश्रम ट्रस्ट	स्थान दुमेरमल, पोस्ट: कुन्टरा वाया कुचिंदा, जिला, संबलपुर पी.ओ. सीताराम मंदिर, कम्पलेक्स सेक्टर-3 राउरकेला, जिला सुदंरगढ़, उड़ीसा	10 बिस्तरों वाला अस्पताल एवं चलित औषधालय			
70.	श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम	स्थान/पोस्ट रामपुर, भवानीपट्टना कालाहांडी-766102, उड़ीसा	चलित औषधालय (1 नं.) और होस्टल (1 नं.)	789570	789570	818070
राज्य का नाम: तमिलनाडु						
71. 72.	निलगिरिस आदिवासी वेलफेयर एशोसिएसन	25/28-ए. कोटा हाल रोड कोटागिरी-643217, निलगिरि जिला	चलित औषधालय-कम-हॉस्पीटल	0	1484067	-
राज्य का नाम: त्रिपुरा						
रामकृष्ण मिशन		विवेकानगर पोस्ट अमतली त्रिपुरा-799130	कम्प्यूर ट्रेनिगं सेंटर, हास्टल मिनि दाम (3 नं.) और मोबाइल	309213	438756	1156200
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश						
73.	जन कल्याण एवं नारि उत्थान समिति	104, साहेब गंज, फैजाबाद उत्तर प्रदेश	चलित डिसपेंसरी	61020	390870	195435
74.	निर्बल समाज कल्याण संगठन	202/ए-39, जवाहरनगर हाथी पार्क के नजदीक, लखनऊ-226018	चलित औषधालय	0	781740	390870
75.	पुर्वांचल जन सेवा संगठन	ग्राम आदिलपुर, आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश	चलित औषधालय	0	480008	0
राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल						
76	भारत सेवाश्रम संघ (औरंगाबाद)	स्थान/पोस्ट औरंगाबाद जिला मुर्शिदाबाद, पं. बंगाल	हास्टल और चालित औषधालय	725850	875295	1251545
77.	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा)	ग्रा/पोस्ट डोकरा जिला मिदनापुर-721125, वेस्ट बंगाल	हॉस्टल और चालित औषधालय	135863	1358640	1736578

1	2	3	4	5	6	7
78.	भारत सेवाश्रम संघ (वेलडांगा)	वेलडांगा ट्राइबल वेलफेयर सेन्टर पोस्ट बेलडानगा, जिला मुर्शिदाबाद	रेसिडेन्सियल स्कूल और चलित औषधालय	663750	1838617	1721520
79.	भारत सेवाश्रम संघ (दुर्गापुर)	दुर्गापुर ब्रांच, जिला वर्धमान पं. बंगाल	चलित औषधालय (2 नं.)	0	-	520820
80.	भारत सेवाश्रम संघ (घकसोल)	घकसोल यूनिट, पोस्ट बगसारी जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	होस्टल और चालित औषधालय	0	-	1113278
81.	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक)	गांव/पोस्ट-मुलुक भोलापुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय स्कूल नीटिंग विर्वीग सैंटर (न्यू) एंड मोबाईल डिस्पैंसरी (2)	0	-	1405035
82.	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर)	ताजपुर (पो.) हबीबपुर, जिला माल्दा, पश्चिम बंगाल।	होस्टल तथा मोबाइल डिस्पेंसरी	0	-	1070438

[हिन्दी] 357-

सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2672. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्षों के दौरान अब तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर नियुक्त सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें खासकर विदेशी राजनयिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ये अधिकारी विशेषतौर पर विदेशी नागरिकों/राजनयिकों को परेशान करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस तरह की शिकायतों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, नई दिल्ली स्थित इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी नागरिकों एवं राजनयिकों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर में मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 357-58

घटिया उत्पादों का विपणन

2673. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 2003 के 'द दक्कन क्रोनिकल' में "टॉप ब्रान्डस पास ऑन सब-स्टैण्डर्ड सोप्स, सेज स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान, घटिया, कम वजन वाले व नकली साबुन बनाने वाले साबुन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वालण्टरी आर्गेनाइजेशन इन इन्टरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एड्यूकेशन (वायरस) ने ऐसे ही विषय पर कराए गए अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ नहाने के साबुन के 12 ब्रांडों पर उनके घटकों, वजन, कुल वसा घटकों तथा उनके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उत्पन्न किए जाने वाले झाग के संबंध में टिप्पणी की है ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा सके।

(ग) साबुन, भारतीय मानक ब्यूरों की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। अत: साबुन के विनिर्माताओं द्वारा साबुन के निर्माण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है जिससे संगत भारतीय मानकों में विहित गुणवत्ता विशिष्टियों के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त जिन ब्रांडों की जांच की गई उनमें से कोई भी ब्रांड आई.एस.आई. चिह्नांकित नहीं है अन्यथा साबुन पैकेजों में रखी वस्तु नियमों में कवर होते हैं, जिसके उपबंधों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

पेंशन की बहाली

2674. श्रीमती कांति सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: 359

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की परिवर्तित पेंशन को बहाल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के अधीन गठित व्यय सुधार समिति ने पेंशन संबंधी अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दे पर भी गौर फरमाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) व्यय सुधार आयोग ने पेंशन के सारांशीकरण के संबंध में विभिन्न मुद्दों की जांच की थी, जिनमें सारांशीकरण मूल्य की गणना का तरीका भी शामिल था, परन्तु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 12 वर्ष के पश्चात् पेंशन के सारांशीकृत हिस्से को बहाल करने की उन्होंने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की।

(ग) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी] 359 - 60

जूट उत्पादन

2675. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव देश में खासकर बिहार में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सिवान (बिहार) में जूट मिल को पुन: चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 में बिहार सहित देश में पटसन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने पर विचार किया है।

(ख) प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, पटसन प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि, उद्योग और कच्चे पटसन तथा तैयार उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में पटसन से संबंधित क्रियाकलापों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करके 4 लघु-मिशनों के माध्यम से परिचालित किया जाना है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके मुख्य उद्देश्य (1) फसल के जीवन-चक्र को कम करने वाले अच्छे किस्मों के बीच की खोज के द्वारा पटसन, मेस्टा और सहायक रेशों की उत्पादकता बढ़ाना, (2) कच्चे पटसन और मेस्टा के मजबूत बाजार संपर्कों का सृजन करना, (3) प्रमाणित प्रौद्योगिकीयों और आधुनिकीकरण को अपनाते हुए पटसन उद्योग की उत्पादकता बढ़ाना, तथा (4) पूरे भारत में विविधीकृत पटसन उत्पादों के उत्पादन आधार को बढ़ाना है।

(ग) सीवान (बिहार) में कोई सरकारी पटसन मिल नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 360 - 61

अमरीका का सारबेस ऑक्सले एक्ट

2676. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में उच्च प्रबंधन व्यवसायियों और लेखापरीक्षकों के लिए सारबेस ऑक्सले एक्ट में निर्धारित नवीन सूचना मानदण्डों के परिवर्तित स्वदेशी स्वरूप को लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कोई योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उच्च प्रबंधकों को केन्द्रीय बैंक के प्रति और ज्यादा जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में लेखापरीक्षा एवं कंपनी अभिशासन मुद्दों की जांच करने

के लिए आन्तरिक कार्यदल बनाया है। यह कार्यदल, अन्य बातों के साथ-साथ सारबेनेस ऑक्सले एक्ट, 2002 में उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करेगा। भारतीय रिजर्व ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों की भूमिका का अध्ययन करने तथा जोखिम एवं अधिक निवेश को न्यूनतम करने के उद्देश्य से इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सिफारिश करने के लिए डा. ए.एस. गांगुली की अध्यक्षता में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों का परामर्शदाता समूह बनाया था। इस समूह ने निदेशकों को और अधिक उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से सिफारिशें की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को समूह की सिफारिशें अपनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की सलाह दी है।

361

ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रूट

2677. डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किये गये ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रूट को बढ़ाने तथा एफ.आई.पी.बी. की भूमिका को कम करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने एक उदार प्रत्यक्ष निवेश नीति को क्रियान्वित किया है और एक छोटी नकारात्मक सूची के अतिरिक्त अधिकांश क्षेत्रों को ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत रखा गया है। लगभग सभी क्रियाकलापों में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति ऑटोमेटिक रूट पर दी जाती है जिसमें दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, प्रसारण आदि जैसे कुछ क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिनमें नीतिगत तथा क्षेत्र विषयक पहलुओं के आधार पर अधिकतम सीमा निधारित की गयी है। क्षेत्र विषयक नीतियों तथा अधिकतम सीमाओं सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की पुनरीक्षा जारी प्रक्रिया के आधार पर की जाती है।

361-62

कृषि उत्पादों के संबंध में वायदा भावी व्यापार

2678. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पाद बाजार के प्रति बड़ी उदारता बरतते हुए गेहूं, चावल, सोना, चांदी, तांबा, तिलहनों और दलहनों सहित 54 वस्तुओं के संबंध में वायदा दी व्यापार करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) यह निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं और किसानों एवं व्यापारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भावी व्यापार के लिए अनुमत 54 वस्तुओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

खाद्यान्न तथा दालें:

गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, छोटा बाजरा (कोदान कुल्टी, कोदरा, कोररा, वरगु, सावन, राला, काकून, समाई, वारी और बांती), तुर (अरहर), उड़द (माश), मूंग, मोठ, मसूर, कुल्थी, मटर, लाख (खेसारी), जौ, ग्वार, चावल या धान, अरहर, चुनि, मूंग, तुर दाल (अरहर दाल), उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, खांडसारी चीनी।

तिलहन, तेल तथा खली:

अलसी, अलसी का तेल, अलसी की खली, अजमोद के बीज, कपास की फली, सूती यार्न, सूती कपड़ा, आर्ट सिल्क यार्न, कच्चा पटसन (मेस्ता सहित)

मसाले:

मेथी, धनिया, बीज, सौंफ, काली मिर्च, सुपारी, इलायची, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, अदरक, जायफल।

धातुएं:

सोना, चांदी के सिक्के (तांबा, जस्ता, सीसा या टिन)।

अन्य:

चपड़ा, लाक्षाचूर्ण, कैरा या बरसीम (इसमें कैराबीज अथवा बरसीम के बीज शामिल हैं), कर्पूर, चना भूसी (चना छिलका)।

(ग) यह सामन्य रूप से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा विशेष रूप से कृषि के अनुरूप है। चूंकि वस्तुओं की कीमतों का अधिकतर निर्धारण आयातों सहित बाजारी शक्तियों द्वारा होता है इसलिए भावी संविदा जैसे जोखिम प्रबंधन प्रदान करने वाले साधन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कृषक, प्रोसेसर्ज, व्यापारी तथा अन्य पणधारी कीमत अन्वेषण के रूप अर्थात् पहले से ही भावी कीमतों को जानने तथा अन्य फार्मिंग, स्टॉकिंग तथा निर्यात/आयात संबंधी निर्णय लेने में लाभान्वित होंगे।

362-63

आयात-निर्यात बैंक के माध्यम से ऋण

2679. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात और आयात बैंक (एक्सिम) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में उनकी परियोजनाओं को हासिल करने हेतु लंदन इंटरबैंक की तुलनीय दरों पर आसान ऋण मुहैया कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण को मंजूरी देने हेतु निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम दरों पर आसान ऋण मुहैया कराने से कंपनियों को विदेशों में अपनी परियोजनाओं का कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में किस हद तक मदद मिलेगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सामान्यतया, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को विदेशों में परियोजनाएं हासिल करने के लिए लंदन अंतर बैंक प्रस्तुत दर से संबद्ध विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करता है। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर लंदन अंतर बैंक प्रस्तुत दर का विस्तार होगी और एक्जिम बैंक की निधियों की लागत से अधिक होगी।

(ख) लंदन अंतर बैंक प्रस्तुत दर से तुलनीय कम दरों पर सुलभ ऋणों के मामले में, आसान शर्तों पर ब्याज दर और एक्जिम बैंक द्वारा सामान्य रूप से प्रस्तावित दर के बीच अंतर के बराबर ब्याज समकरण सहायता अपेक्षित है। हाल ही में एक्जिम बैंक द्वारा ईरान को प्रदान की गई ऋण सहायता और अपने एलएसी फोकस कार्यक्रम के अंतर्गत लैटिन अमेरिकी देशों को एक्जिम बैंक की ऋण सहायता के संबंध में, भारत सरकार द्वारा ब्याज समकरण सहायता प्रदान की गई है।

(ग) कम ब्याज दर पर सुलभ ऋणों से भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धियों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी।

जापानी सरकारी विकास सहायता योजना

2680. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने अपनी सरकारी विकास सहायता योजना (ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कीम) के तहत प्रत्येक परियोजना को धन मुहैया कराने हेतु भारत में एक मूल्यांकन मिशन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये संभावित परियोजनाएं अवसंरचनात्मक विकास और पर्यावरण क्षेत्र में होंगी;

(घ) क्या जापानी दल ने भारतीय प्राधिकारियों के साथ इन परियोजनाओं पर चर्चा की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 2002 के सरकारी विकास सहायता ऋण पैकेज के अधीन सात परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए जापान से एक मूल्यांकन मिशन ने अक्तूबर, 2002 में भारत का दौरा किया।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) और (च) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ऋण वार्ताएं निष्पादित की गई हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण की राशि (मिलियन येन में)
1.	सिम्हाद्रि ताप विद्युत केन्द्र परियोजना (4)	5,684
2.	पंजाब वानिकीकरण परियोजना (2)	5,054
3.	बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 4 एवं 5 विस्तार परियोजना	36,771
4.	राजस्थान वानिकी तथा जैव विविधता परियोजना	9,054
5.	यमुना कार्य योजना परियोजना (2)	13,333
6.	अजंता-एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना (2)	7,331

दिल्ली मेट्रो परियोजना (ट्रांश 4) के लिए ऋण वार्ताएं अभी तक जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ नहीं की गई हैं।

घटिया परिधानों का निर्यात

2681. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ निर्यातक फर्में घटिया परिधानों का निर्यात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी खेपें अस्वीकृत की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घटिया परिधानों का निर्यात कर रही फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) वर्ष 1999-2001 की अवधि के दौरान घटिया कपड़े का निर्यात करने वाली कुल 58 फर्मों को सीमा शुल्क विभाग द्वारा दण्डित किया गया है। इन मामलों में, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, सामानों को जब्त किया गया है, क्षतिपूर्ति जुर्माना और निजी दण्ड लागू किया गया है तथा जहां जुर्म साबित हो गया है वहां ड्राबैक का भुगतान नहीं किया गया है। कुछ मामलों में व्यक्तियों को 'कोफेपोसा' के तहत गिरफ्तार या बंदी भी बनाया गया है। 365-66

हस्तशिल्प उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल

2682. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने हस्तशिल्प उत्पादों के भारी विपणन हेतु ई-कॉमर्स पोर्टल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार योजना के तहत 9.96 लाख रुपये के अनुदान की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने एक ऐसा बहुआयामी ई-कॉमर्स पोर्टल विकसित किया है जिसमें अभिनव शिल्पियों द्वारा तैयार किए गए परम्परागत उद्योग उत्पादों को न केवल प्रदर्शित किया जा सकता है बल्कि उससे उन सभी उत्पादों को बेचा भी जा सकता है। केवल इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (कैल्ट्रोन) ने इस बहुआयामी ई-कामर्स पोर्टल का निर्माण किया है और इसका रखरखाव भी किए हुए है। यह पोर्टल सितम्बर, 2002 में डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.केरलाक्राफ्ट.कॉम के नाम से चालू है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, केरल हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम ने विदेश में प्रचार-प्रसार के लिए 20.785 लाख रुपये की सहायता की मांग की है।

(घ) विदेश में प्रचार-प्रसार के लिए केरल हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, के प्रस्ताव को वित्तीय नियमों के अनुसार इस अवस्था पर स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि पहले जारी की गई निधियों का उपयोग नहीं हुआ।

एच.सी.एल. द्वारा की गई धोखाधड़ी 366

2683. श्री सुबोध राय: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** एच.सी.एल. द्वारा की गयी धोखाधड़ी के बारे में 1.3.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नि:शुल्क विधि सहायता 366-72

2684. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को विधिक सहायता निधि से नि:शुल्क विधिक सहायता दी गयी है;

(ग) सरकार और विधिक सहायता निधि प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता मुहैया कराये जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान नि:शुल्क सहायता हेतु राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आवेदनों को मंजूरी दी गयी है तथा कितने को अस्वीकार किया गया है और उसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकारों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को पात्र आवेदकों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहायता अनुदान जारी किया जाता है। निधियों के ऐसे संवितरण के ब्यौरे प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान नि:शुल्क विधिक सहायता और सहयोग प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	विधिक सहायता से फायदाग्राही व्यक्तियों की संख्या
2000	5,81,872
2001	6,08,975
2002 (30.9.2002 तक)	6,43,889

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की (1987 का 39) धारा 12 के अनुसार कोई मामला फाइल करने या प्रतिवाद करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विधिक सेवाओं का हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानवों के दुर्व्यापार का शिकार या भिखारी है;

(ग) कोई महिला या कोई बालक है;

(घ) कोई मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा नि:शक्त व्यक्ति है;

(ङ) अनुचित वांछा की परिस्थितियों के अधीन कोई व्यक्ति है जैसे कि घोर विनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक दुर्घटना का शिकार कोई व्यक्ति; या

(च) कोई औद्योगिक कर्मकार है; या

(छ) अभिरक्षा में कोई व्यक्ति है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थांतर्गत किसी संरक्षागृह की या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थांतर्गत किसी किशोर गृह की या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थांतर्गत मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम की अभिरक्षा भी है; या

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसकी वार्षिक आय 9,000 रुपए या ऐसी किसी अन्य उच्चतर रकम से कम है जो राज्य सरकार द्वारा उस दशा में विहित की जाए, जब मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष हो और 12,000 रुपये या ऐसी किसी अन्य उच्चतर रकम से कम है जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस दशा में विहित की जाए, जब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष हो।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान विधिक सहायता के फायदाग्राही व्यक्तियों की बाबत की अपेक्षित जानकारी उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में दी गई है। उन व्यक्तियों की, जिन्हें विधिक सहायता प्रदान नहीं की गई, संख्या के बारे में पृथक आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, अधिनियम के अधीन विधिक सेवा की पात्रता के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को विधिक सहायता/सहयोग से इंकार नहीं किया गया था।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 (28.2.2003 तक) के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्यवार (जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति भी है) आवंटित रकम का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2000-2001	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	18,00,000	20,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—

1	2	3	4	5
3.	असम	10,00,000	—	15,00,000
4.	बिहार	—	15,00,000	10,25,000
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	50,50,000	—	25,00,000
7.	हरियाणा	35,00,000	—	7,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	—	5,00,000	5,00,000
9.	जम्मू और कश्मीर	9,50,000	—	—
10.	कर्नाटक	—	5,00,000	—
11.	केरल	35,50,000	—	15,00,000
12.	मध्य प्रदेश	20,00,000	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	1,98,000	2,98,000
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	5,00,000	—
16.	मिजोरम	8,00,000	11,55,000	10,00,000
17.	नागालैंड	—	5,00,000	—
18.	उड़ीसा	17,30,000	15,00,000	41,00,000
19.	पंजाब	50,00,000	—	5,00,000
20.	राजस्थान	40,55,000	15,00,000	10,00,000
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	10,00,000	5,00,000
23.	त्रिपुरा	—	13,00,000	6,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	15,10,000	50,500	5,30,000
25.	पश्चिम बंगाल	5,10,000	16,00,000	25,00,000
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
27.	चंड़ीगढ़	—	—	—
28.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	10,00,000	—	—

1	2	3	4	5
33.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	17,00,000	30,00,000	35,00,000
34.	झारखंड	—	—	10,00,000
35.	उत्तरांचल	—	—	10,00,000
	योग	3,32,55,000	1,66,03,500	2,62,53,000

371-72

पर्यावरण संबंधी न्यायालय

2685. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने देश के पर्यावरण संबंधी कारणों की समीक्षा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इनके त्वरित निपटान हेतु देश के विभिन्न भागों में पर्यावरण संबंधी न्यायालयों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) विधि आयोग ने सूचित किया है कि उसने पर्यावरण संबंधी विधियों का अध्ययन आरंभ कर दिया है। अध्ययन के भाग के रूप में, पर्यावरण संबंधी न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता पर भी विचार किया जा रहा है। अध्ययन अभी प्रगति पर है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन फाइल किए गए पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकारों ने विशेष न्यायालय गठित किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न न्यायालयों में हरित न्यायपीठें स्थापित करने का भी निदेश दिया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की उच्च न्यायालयों ने हरित न्यायपीठें गठित कर ली हैं।

372

ग्यारहवां वित्त आयोग

2686. श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत गठित प्रोत्साहन निधि के संचालन सहित ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित केन्द्रीय सहायता/अनुदान तथा योजनागत निधि आबंटनों की समीक्षा करने तथा उनमें परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। अनेक राज्यों ने समय-समय पर ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रोत्साहन निधि के प्रचालन सहित केन्द्रीय करों एवं अन्य सहायता अनुदान में अपने हिस्सें की समीक्षा करने की मांग की है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने संसाधनों के समग्र आकलन तथा केन्द्र और राज्यों की आवश्यकताओं तथा क्षैतिज एवं उर्ध्व साम्यता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतिम सिफारिश की थी। भारत सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदान की प्रमात्रा के अंतरण से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

372-73

विनिर्माण क्षेत्र का विकास

2687. श्री वाई.वी. राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.आई. के प्राक्कलनों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र ने विकास दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्राक्कलन क्या हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कौन-से क्षेत्र इस मामले में पीछे रह गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल-दिसम्बर, 2002 तक की अवधि के लिए सी.आई.आई. की एस्कान उद्योग समीक्षा में विनिर्माणकारी क्षेत्र में अनेक सेक्टरों में पुनरुज्जीवन, विकास और मांग में तेजी की प्रक्रिया की पुष्टि की गई है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) पर नवीनतम मोटे प्राक्कलनों के अनुसार, उक्त विनिर्माणकारी क्षेत्र ने अप्रैल-दिसंबर 2002 की अवधि के दौरान 5.3 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 3 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र ने घटिया औद्योगिक विकास दर दर्ज की है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में घटिया विकास दर के मुख्य कारण ये बताये गये हैं- ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में मामूली सुधार, सस्ते आयात के कारण प्रतिस्पर्धा, घटिया आधारभूत सुविधाएं विशेषकर के बिजली की घटिया आपूर्ति एवं गुणवत्ता, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना।

कारों का निर्यात

373-74

2688. श्री पी.के. सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माताओं द्वारा किन-किन देशों को सवारी कारों का निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान माडल-वार कुल कितनी कारें निर्यात की गयी हैं; और

(ग) इस निर्यात में मारुति उद्योग की कितनी भागीदारी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) पिछले तीन वर्षों (1999-2000, 2000-01 और 2001-02) के दौरान विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा निम्नलिखित देशों को सवारी कारों का निर्यात किया गया है:-

अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बहरीन, बंगलादेश, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, बुल्गारिया, चीन, चीनी ताईपेई, चिली, कांगो, कोस्टारिका, क्रोशिया, क्यूबा, साइप्रस, जिबूती, मिस्र, इथोपिया, एल सल्वाडोर, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, जांबिया, घाना, ग्रीस, ग्वाटेमाला, गिनी, गिनी-बिसाऊ, हंगरी, इंडोनेशिया, इरान, आयरलैंड, इटली, इस्त्राइल, जापान, जार्डन, कजाकिस्तान, केन्या, कोरिया गण., कुवैत, लेबनान, मैसीडोनिया, मलेशिया, मालद्वीप, माल्टा, मारीशस, मेक्सिको, मोरक्को, मोजाम्बिक, नेपाल, नीदरलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, पापुआ न्यूगिनी, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, पुर्तगाल, पोर्ट टिमोर, कतर, सऊदी अरब, सेलेगल, सेशैल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सेंट ल्यूसिया, सूडान, स्वीडन, स्विटजरलैंड, सीरिया तंजानिया, थाईलैंड, त्रिनिडाड, टोगो, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, उरूग्वे, युगोस्लाविया, जांबिया।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन न भारतीय विनिर्माताओं द्वारा निर्यातित कारों की कुल संख्या और इस निर्यात में मारुति उद्योग लि. की वर्षवार भागीदारी निम्नानुसार है:-

निर्यात मदें	1999-2000	2000-01	2001-02
सवारी कारें	23272	22990	50108
मारूति उद्योग लि. द्वारा निर्यातित सवारी कारें	20,943	15,025	11,874

स्रोत: सोसाइटी फार इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स

घटिया टेपों के लिए अनुमति

376

2689. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से पंजाब में कुछ निर्माताओं को निर्यात उद्देश्यों के लिए घटिया टेप मेजर्स का निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विनिर्माता राजपत्र में दी गयी अनुमति में निर्धारित की गयी शर्तों का उल्लंघन करते हुए घरेलू बाजार में ऐसी अनुमति की आड़ में बड़ी मात्रा में घटिया टेप मेजर्स का उत्पादन कर रहे हैं और बेच रहे हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक प्रकार की कितनी बढ़िया और घटिया टेप मेजर्स बेचे गए और घरेलू और निर्यात बाजार में इन विनिर्माताओं द्वारा कितना मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान घरेलू बाजार में इनके द्वारा की गयी सम्पूर्ण बिक्री के लिए विनिर्माताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए अलग-अलग कितनी सत्यापन और स्टैम्पिंग शुल्क का भुगतान किया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो वर्षों में केवल निर्यात प्रयोजनों के लिए घटिया टेप मेजर्स का विनिर्माण करने के लिए पंजाब में निम्नलिखित फर्मों को अनुमति दी गई है:-

कम्पनी का नाम	पता	अनुमति दिए जाने की तारीख	वैधता की अवधि
मैसर्स फ्रीमान्स मेजर्स लि.	जी टी रोड़ जुगियाना, लुधियाना-20	23.3.2001	6 माह
मैसर्स एफएमआई लि.	फिरोजपुर रोड़ लुधियाना-01	23.3.2001	6 माह
मैसर्स फ्रीमान्स मेजर्स लि.,	जी टी रोड़ जुगियाना, लुधियाना-20	14.3.2002	1 वर्ष
मैसर्स एफएमआई लि.,	फिरोजपुर रोड़ लुधियाना-01	14.3.2002	1 वर्ष

(ग) देश के अन्दर घटिया टेप मेजर्स की बिक्री करना बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 तथा बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। राज्य सरकारें कानून के उपबंधों को लागू करती हैं। उल्लंघन के ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

375-76

जूट कच्चा माल बैंक

2690. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जूट के विविधीकृत उत्पादों के विनिर्माण और विपणन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित "जूट कच्चा माल बैंक" की स्थापना करने हेतु कर्नाटक और अन्य राज्यों में स्थानों की पहचान कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एन सी जे डी),. वस्त्र मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में पहले ही पटसन कच्चा माल बैंक (जे आर एम बी) स्थापित कर दिए हैं। कर्नाटक में बीजापुर, असम में गुवाहाटी व शिवसागर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, गाजीपुर व सैदपुर, कश्मीर में श्रीनगर, हरियाणा में भिवानी और पंजाब में अमृतसर में एन सी जे डी द्वारा जे आर एम बी खोलने का प्रस्ताव है। इन स्थानों पर पटसन कच्चा माल बैंक स्थापित करने के उद्देश्य से, सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। जे आर एम बी तभी स्थापित किया जाएगा जब यह सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार्य होगा।

376-77

हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन की बिक्री

2691. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन की "ब्रेकफास्ट फूड" इकाई लाभ में बिना किसी सरकारी सहायता से

चल रही है और टाटा, आई.टी.सी. इत्यादि कम्पनियां इसके ब्रांड नाम को खरीदने में रुचि रखती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त इकाई का बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

(ङ) क्या विनिवेश आयोग ने इस इकाई को नई कम्पनी का स्वरूप देने की सिफारिश की है और इसकी सौ प्रतिशत भागीदारी की बिक्री की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है और ऐसी स्थिति में सहायता प्रदान कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो प्रमुख खाद्य प्रसंकरण इकाई के निजीकरण की संभावना का पता न लगाए जाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लि. की ब्रेकफास्ट फूड यूनिट वर्ष 1999-2000 जिसमें इसे नुकसान हुआ था, को छोड़कर विगत के कुछ वर्षों से लाभ अर्जित करती रही है। कुछेक कंपनियों ने इस यूनिट के उत्पादों के ब्रांड नाम में रुचि व्यक्त की है।

(ग) और (घ) सरकार ने यह निर्णय लिया कि ब्रेकफास्ट यूनिट सहित हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लि. के पुनरुद्धार/पुन:स्थापना करने का प्रयास करना संभाव्य नहीं है और तदनुसार बोर्ड फार इंडस्ट्रीयल फाइनेंशियल एंड रिकन्सट्रक्शन जिसे इस कंपनी का मामला पहले भेजा गया था, को सूचित कर दिया गया था। बोर्ड फार इंडस्ट्रीयल फाइनेंशियल एंड रिकन्सट्रक्शन ने अपने दिनांक 7.12.2001 के आदेश में ब्रेकफास्ट फूड यूनिट सहित हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लि. को बंद करने की सिफारिश की थी।

(ङ) और (च) विनिवेश आयोग का विचार बना कि बढ़ते हुए वैश्वीकरण को देखते हुए ब्रेकफास्ट फूड यूनिट के व्यापार को मजबूत करने के लिए काफी अधिक धन तथा प्रबंधकीय निवेश की आवश्यकता होगी। कंपनी में इन चीजों की कमी है। अत: उसने ब्रेकफास्ट फूड के कार्य के लिए एक नई कंपनी बनाने तथा बाद में उसकी शतप्रतिशत भागीदारी (होल्डिंग) को बेचने की सिफारिश की।

(छ) जी, हां।

(ज) बोर्ड फार इंडस्ट्रीयल फाइनेंशियल एंड रिकन्सट्रक्शन ने तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को इसके ब्रेकफास्ट फूड यूनिट सहित बंद करने की सिफारिश की।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

378

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पट पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रारूप (संशोधन) नियम, 2003, जो 3 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत तमिलनाडु स्पिरिट कारपोरेशन लिमिटेड और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, आदेश, (समामेलन) 2002, जो 9 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7104/2003]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं विनिवेश मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7105/2003]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं कानूनों के निर्वाचन के लिए बाह्य सहायताओं की ग्राह्यता और संहिताकरण के प्रति विशेष निर्देश से साधारण खंड अधिनियम, 1897 पर एक सांतत्यक पर भारत के विधि आयोग की एक सौ तिरासीवीं रिपोर्ट नवम्बर, 2002, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7106/2003]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) टैक्साइल्स कमेटी, मुम्बई, के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टैक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7107/2003]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7108/2003]

(5)(एक) जूट मैनिफेक्चर्स डवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैनिफेक्चर्स डवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7109/2003]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): अध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, जो 7 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.पी. 30(1)/88-खंड चार में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7110/2003]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) नेशनल काउंसिल फार सीमेन्ट एंड बिल्डिंग मेटीरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फार सीमेन्ट एंड बिल्डिंग मेटीरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7111/2003]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 139(अ) जो 6 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें आंध्र प्रदेश में राज्य श्रीराम दास पेपर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड-यूनिट-2, जेगुरूपाडु गांव, काडियाम मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, को न्यूज प्रिंट का उत्पाद करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित करने का आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7112/2003]

(4)(एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7113/2003]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 8-श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, क्या श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन ने आपको सूचित किया था कि वे सदन में नहीं रहेंगे? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया था तो पुन: एक बुरी परंपरा शुरू हो रही है। सरकार प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री जिन्जी रामचन्द्रन को सोमवार को सभा पटल पर पत्र रखने के लिए कहा जाएगा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7114/2003]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. सं. 821 (अ)/आ.व./गन्ना जो 12 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें वर्ष 2002-2003 गन्ना मौसम के लिए चीनी की फैक्टरियों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना कीमत को अधिसूचित करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है।

(दो) सा.का.नि. सं. 19(अ)/आ.व./गन्ना जो 9 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें वर्ष 2002-2003 गन्ना मौसम के लिए चीनी की फैक्टरियों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना कीमत को अधिसूचित करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है।

(तीन) सा.का.नि. सं. 63(अ)/आ.व./गन्ना जो 27 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें वर्ष 2002-2003 गन्ना मौसम के लिए चीनी की फैक्टरियों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना कीमत को अधिसूचित करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7115/2003]

(4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2002 जो 21 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 443(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 20 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2003 जो 29 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 67(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7116/2003]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 10- मैं पहले ही श्री सीएच. विद्यासागर राव को श्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से सभा पटल पर पक्ष रखने की अनुमति दे चुका हूं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं श्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 जो 1 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16ख के अंतर्गत का.आ. 84(अ) जो 24 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल, केरल, असम तथा त्रिपुरा राज्यों में उसमें उल्लिखित बंद पड़ी चाय इकाइयों के क्रियाकलापों की पूर्ण जांच करने हेतु विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7117/2003]

(3)(एक) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7118/2003]

(5)(एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7119/2003]

(7)(एक) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवपण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7120/2003]

(9)(एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्यक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7121/2003]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7122/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 'राष्ट्रीय और राज्य आयोगों का कार्यकरण' विषय से संबंधित समिति के दूसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-

कार्रवाई से संबंधित समिति का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03 $^{1}/_{2}$ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से वक्तव्य देंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, मैं आपकी अनुमति से, श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से सोमवार, 10 मार्च, 2003 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में होने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयको की पुर:स्थापना, विचार और पारित करना:-

   (1) वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदानों की मांगे (सामान्य)

   (2) वर्ष 2002-2003 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)

   (3) वर्ष 2000-2001 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)

3. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखापरीक्षा कर्मचारिवृंद को दौरा विशेष वेतन दिए जाने के बारे में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 12 फरवरी, 1999 को 1992 के सी.ए. संदर्भ संख्या 13 में दिए गए अधिनिर्णय की अस्वीकृति चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

   (1) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधयेक, 2003; और

   (2) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2001 ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सदस्य अपनी बात कहेंगे। श्री वाई. जी. महाजन।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हमने प्रीवलेज नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: अभी सबमीशन हो रहे हैं। उसके बाद करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अगले सप्ताह में की कार्यसूची के विषयों के संबंध में अभी-अभी एक वक्तव्य दिया है *...(व्यवधान)* अगले सप्ताह की कार्यसूची में विद्युत (संशोधन) विधेयक शामिल नहीं किया जाना था। अत: आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसमें संशोधन करे। आगामी सप्ताह की कार्यसूची का वह हिस्सा नहीं था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। डिसकशन वहीं होगा जो बी.ए.सी. तय करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: फिर इसके बारे में क्यों बताया?

श्री विजय गोयल: आप पहले मुझे सुन लीजिये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप कृपया माननीय मंत्री जी को सलाह दें। कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट जब भी सदन में प्रस्तुत होती है, तो यह अगले सप्ताह की कार्यसूची से संबंधित होती है। कल की बैठक मे विद्युत (संशोधन) विधेयक का कोई उल्लेख नहीं था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. में जो तय हुआ था, उसके मुताबिक संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो बता रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि डिसकशन वहीं होगा जो बी.ए.सी. ने तय किया है। सरकार तो केवल बैकअप बिजनैस के रूप में इस बिल को रख रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें। मंत्री जी को मैं उचित सलाह देना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बोलने का अवसर तो दीजिए। मंत्री महोदय, विद्युत (संशोधन) विधेयक को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि विधेयक को नहीं लिया जायेगा। इसलिए इसे निकाल दिया जाए और अन्य विषयों को आगामी सप्ताह में लिया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप एक प्रश्न मेरे सामने रखते हैं, मैं समझ सकता हूं कि प्रश्न क्या है।

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित करने का कष्ट करें:-

1. जलगांव में दूरदर्शन का मेट्रो चैनल शुरू किये जाने की आवश्यकता।
2. भुसावल रेल मण्डल के अंतर्गत आने वाले बोदबड स्टेशन पर विदर्भ एक्सप्रैस का 2 मिनट का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को सप्ताह की अगली कार्यसूची में जोड़ने की कृपा की जाये:-

1. सैंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ढोरी प्रक्षेत्र के घनी आबादी वाला सैंट्रल कालोनी एवं समस्त ढोरी क्षेत्र में सीसीएल द्वारा निर्मित वाटर फिल्टर प्लांट से कालोनीवासियों को पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति करने की व्यवस्था एवं सीसीएल प्रबंधन को नियमित पेयजलापूर्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी करने की अपेक्षा।
2. बिहार के गया टेलीफोन मण्डल के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र के अनियमित टेलीफोन व्यवस्था को नियमित करने तथा औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा-अम्बा एवं नवीनगर टेलीफोन केन्द्रों के अंतर्गत गांवों में खराब दूरभाषों के शीघ्र चालू कराने एवं टेलीफोनों के नियमित कराने और अम्बा-कुटुम्बा टेलीफोन केन्द्र को नवीनगर के बजाय औरंगाबाद टेलीफोन केन्द्र से जोड़ने की अपेक्षा।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मैं निम्नलिखित विषय जोड़ने का अनुरोध करता हूं:-

1. नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध (बग्गी बांध) की दांई नहर को उसके अंतिम छोर सतना तक पहुंचाने हेतु भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक मदद दे अथवा विकसित देशों से मद्द दिलाये।
2. अंतर्राज्यीय बाण सागर बांध की नहरों को पूरा कर वित्तीय वर्ष 2003 तक सिंचाई व्यवस्था कराने पर चर्चा। इस बांध का निर्माण 1978 से हो रहा है।

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करती हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव सम्मिलित किया जाये:-

1. मुरादाबाद एवं मुगलसराय-लखनऊ रेलखंड को विद्युतीकरण की परियोजना को रेल बजट में शामिल किया जाये।
2. रेलवे में पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) की अत्यधिक खपत एवं दुर्घटनाओं से बचने के लिये विद्युतीकरण परियोजनाओं को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित करें:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में हाल में लगातार बारिश एवं ओलावृष्टि से 150 करोड़ से भी ज्यादा की फसल नष्ट हो गई है एवं पशु के मारे जाने की खबर है।
2. इस क्षेत्र में जीवन बुरी तरह से तहस-नहस हो गया है। यह क्षेत्र पहले से अकाल पीड़ित है। सरकार से अनुरोध है कि नुकसान का सर्वे किया जाये एवं केन्द्र स्तर पर प्रभावित क्षेत्र में एक टीम भेजी जाये। साथ ही केन्द्र स्तर पर तत्काल राहत कार्य किया जाये एवं सहायता दी जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करती हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जायें:-

1. जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच स्थापित करना।
2. चाय उद्योग के श्रमिकों द्वारा समस्याओं का सामना करना।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. गुजरात में दंगाग्रस्त लोगों की समस्याएं अभी भी गम्भीर हैं। ज्यादातर लोगों का पुनर्वास अभी तक नहीं हुआ। बहुत से लोगों का पुनर्वास अभी तक नहीं हुआ। बहुत से लोग अभी भी शिविरों में रह रहे हैं, उनके घरों को बनाया नहीं गया है। उनका व्यापार अभी तक शुरू नहीं हो पाया, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। यहां तक की उन्हें नौकरियां भी नहीं दी गयी हैं। केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और गुजरात के हजारों दंगाग्रस्त लोगों के उचित पुनर्वास के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

2. राष्ट्र विरोधी संगठन कामतापुरी लिबरेशन आर्मी उत्तरी पश्चिम बंगाल में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। उनके ठिकाने तथा प्रशिक्षण शिविर भूटान में हैं। इस मामले पर केन्द्र सरकार को भूटान सरकार के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में, मैं निम्नलिखित विषय जोड़ने का अनुरोध करता हूं:-

1. देश के अनेक भागों में दलितों और जनजातीय लोगों को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सार्वजनिक पदों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर भी उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है केन्द्र तथा राज्य सरकारों में विभिन्न आरक्षित पद भरने बकाया हैं। अनेक जगहों पर इन लोगों के साथ अत्याचार जारी हैं। हाल ही में केरल के मातुंगा में हुये अत्याचार की जांच न्यायिक दल द्वारा अभी तक नहीं हुई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए तथा संसद में भी प्रस्तुत होनी चाहिए।

2. सरकार को सभी वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर मदद करनी चाहिए। इस कार्य के लिए बैंकों को आगे आना चाहिए तथा तकनीकी, चिकित्सा तथा अन्य व्यवसायिक शिक्षा के लिए धनराशि देनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर व्यावसायिक पाठ्यक्रम निजी क्षेत्र में हैं और फीस तथा अन्य खर्च बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए तत्काल उपरोक्त कदम उठाना आवश्यक है।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:-

1. केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की समीक्षा आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी गयी वित्तीय नीतियों के कारण राज्य सरकारें गंभीर वित्तीय संकट में हैं। अंतर-राज्यीय परिषद की उप-समिति की बैठक के प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि 33-$^1/_3$ प्रतिशत हिस्सा राज्यों के बीच तब तक बांटा जाए जब तक उनका हिस्सा बढ़कर 50 प्रतिशत तक न पहुंच जाये।

2. एन.जे.एम.सी. के कर्मचारियों को महीनों से वेतन न मिलने के कारण वे वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। आज सुबह की ईटीवी की रिपोर्ट के अनुसार भूख के कारण एक व्यक्ति मर गया तथा एक अन्य ने आत्महत्या कर ली। इन कर्मचारियों के माध्यमिक परीक्षा के छात्र परीक्षा के लिए पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि उनके आवास की बिजली काट दी गयी है।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाए:-

1. संसद के वर्तमान सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की आवश्यकता।

2. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की समीक्षा करने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.14 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

कॉफी बोर्ड

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2)(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2)(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.15 बजे

विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 6 मार्च, 2003 को सभा पटल पर रखे गये विशेपाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा 6 मार्च, 2003 को सभा पटल पर रखे गये विशेपाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: दो छोटे विधेयक की पुर:स्थापना के लिए हैं। अगर सभा की सहमति हो तो हम अभी उन्हें ले सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 12.16 बजे

सरकारी विधेयक-*पुर:स्थापित*

(एक) संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 7.3.2003 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक की पुर:स्थापना का विरोध करता हूं। सर्वप्रथम यह तो हमारे संविधान के संघीय ढांचे का अतिक्रमण है। संघीय ढांचा हमारे संविधान की मूल विशेषता है। उस अर्थ में हमें संविधान की मूल विशेषता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है।

इतना ही नहीं, अन्य बातों का भी इस चरण में उल्लेख होना चाहिए। अब सबसे पहली बात यह है कि संपूर्ण भारत में बिक्री कर के स्थान पर, जिसे राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया जाता था मूल्य वर्धित कर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह दावा किया जा रहा है कि सभी राज्य इस पर एकमत है। परन्तु यह सही नहीं है। 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी मूल्यवर्धित कर को लागू करने के संबंध में सभी राज्यों में सर्वसम्मति नहीं है। केरल विधान-सभा में भी यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था पर इस पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रेस में इस प्रकार की रिपोर्ट छपी है कि अन्य राज्यों में भी लोग मूल्य-वर्धित कर के पुर:स्थापना के विरुद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप केवल संक्षेप में ही बोल सकते हैं लंबा भाषण नहीं दे सकते।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं मूल्यवर्धित कर प्रणाली के पुर:स्थापन के संबंध में अधिक नहीं बोल रहा हूं परन्तु मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि इससे राज्यों के कर ढांचे की कीमत पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि इससे राज्यों का कर ढ़ांचा कम हो जाएगा। इसलिए मैं, इस विधेयक के पुर: स्थापन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल सकते हैं। श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, यदि मैने माननीय सदस्य के विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध को सही समझा है तो क्या मैं एक-दो मुद्दे संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता हूं? प्रथम, पुर:स्थापन के चरण पर किसी प्रस्तावित विधान के पुर:स्थापन का विरोध केवल क्षमता के आधार पर ही हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए विधायी तौर पर सक्षम है।

दूसरा, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करने वाला यह विशेष विधान वास्तव में मूल्यवर्धित कर से संबंधित नहीं अपितु सेवा कर के बारे में है। तीसरा, मैं माननीय सदस्य को पर भी बताना चाहता हूं कि मूल्यवर्धित कर के पूरक सेवा कर संबंधी विधेयक का पुर:स्थापन वास्तव में राज्यों के कराधान की शक्ति को कम नहीं करता अपितु उसमें वृद्धि करता है? इन तीनों के आधार पर और सिद्धांत रूप में भी सर्वप्रथम पुर:स्थापन के चरण में विरोध का आधार केवल विधायी क्षमता ही हो सकती है, क्या मैं सदस्य से निवेदन कर सकता हूं कि वे अपनी आपत्तियां भद्रतापूर्वक वापस ले लें?

श्री वरकला राधाकृष्णन: कीमतें बढ़ गयी हैं।

श्री जसवंत सिंह: बाकी सब भिन्न मामला है। यदि आप अपनी आपत्तियां वापस लें तो मैं आगे बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.19 बजे

(दो) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री लालकृष्ण आडवानी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 7.3.2003 में प्रकाशित।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.20 बजे

सीमा शुल्क से संबंधित अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधि नयम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 11/2003-सी.शु. [दिनांक 15 जनवरी, 2003 का सा.का.नि. 32(अ)], जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है जिससे कि उप-शीर्ष 0703.20 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत और अधिमानी क्षेत्रों से आयात के संबंध में शुल्क की अधिमानी दर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जा सके, का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 11/2003-सी.शु. [दिनांक 15 जनवरी, 2003 का सा.का.नि. 32(अ)], जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है जिससे कि उप-शीर्ष 0703.20 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत और अधिमानी क्षेत्रों से आयात के संबंध में शुल्क की अधिमानी दर 30 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जा सके, का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा): क्या मैं एक अति गंभीर मामला उठा सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। प्रत्येक को अपने स्थान पर बैठना चाहिए। क्या मैं सदस्यों को स्थिति समझा सकता हूं? कृपया सही स्थिति समझने का प्रयत्न कीजिए। मुझे दो माननीय सदस्यों से विशेषाधिकार संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशेषाधिकार को सभा के अन्य कार्य पर वरीयता दी जाती है। इसको निपटाने के बाद जैसा कि मैंने कहा है मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना दूंगा जिस पर मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। उसके बाद अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं हैं जिस पर मैं सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दूंगा। उसके बाद नियमित रूप से 'शून्य काल' आरंभ होगा। यदि आप सब सहयोग करें तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा कम से कम एक दिन के लिए ही सही मैं सभी सदस्यों से सहयोग चाहता हूं ताकि हम सभा का कार्य निपटा सकें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): हम प्रति दिन ही सहयोग करते हैं इसलिए हम सफल होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: जिस प्रकार आप बीच-बीच में खड़े होते हैं यह सहयोग नहीं कहलाता है।

जिसको वरीयता मिलनी चाहिए मैं उन सभी को मौका देने वाला हूं। चूंकि कल 'महिला दिवस' है। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने मुझसे अनुरोध किया है कि कल छुट्टी होने के कारण वह महिला आरक्षण विधेयक पर बोलना चाहती हैं। उन्हें वरीयता दी जाएगी।

तथापि मुझे तय करने दीजिए कि मैं सभा की कार्यवाही कैसे निपटाऊं। कृपया मुझे सहयोग दें। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने मुझसे अनुरोध किया है कि उन्हें बोलने का मौका दें क्योंकि वह ईराक मामले पर बोलना चाहते हैं। मैं सभी को मौका दूंगा बशर्ते आप मुझसे सहयोग करें। अन्यथा सभी कार्य वैसे ही चलेंगे जैसे रोजाना चलते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए मेरा आपसे यह निवेदन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, मुझे गन्ना किसानों पर बोलना है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी कौन सी है। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रक्रिया के अनुसार, मैं विशेषाधिकार सूचना लेता हूं। मुझे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुमारी मायावती द्वारा दिये गये वक्तव्य कि संसद सदस्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि पर दलाली लेकर पैसा कमा रहे हैं, के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री रामजीलाल सुमन और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह से सूचना प्राप्त हुई है। मुझे आज यह सूचना प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: प्रिवलेज नोटिस में दो नाम हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, मेरा एडजर्नमेंट मोशन है।

अध्यक्ष महोदय: उसके लिए मैंने कहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सूचना मुझे इन दोनों से प्राप्त हुई है। यह मामला मेरे विचाराधीन है। हम इस मामले को उचित समय पर लेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना है कि एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी और रघुंवश जी, आप इस सदन में सीनियर मेम्बर हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको परमीशन नहीं दी है, कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो प्रार्थना मैंने पहले भी की है आप उसे सुनने को तैयार नहीं हैं। कोई भी सुनना नहीं चाहता। कृपया

बैठिए। मैं हर सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा। आपको सदन में खड़े होकर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

आप लोग ये क्या करते हैं? आपको समझना चाहिए कि पूरा देश आपकी तरफ देखता है।

[अनुवाद]

आपको अपने मतदाताओं का, जिन्होंने आपको चुनकर यहां भेजा है, सम्मान करना चाहिए। मैंने सूचना पढ़ी है। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। दोनों सदस्यों से मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई है। मैंने कहा है कि मामला मेरे विचाराधीन है, इसकी एक प्रक्रिया है जिसका अनुपालन किया जाएगा और उचित समय पर आपको सदन में बोलने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उसमें विशेष बात है। जब सवाल उठा तो गृहमंत्री जी ने इंकार नहीं किया। गृहमंत्री जी ने कहा कि जब वे चीफ मिनिस्टर थीं, यह तब का नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने बयान दिया होगा। इस बयान से समस्त सदन की अवमानना हुई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा अभी नहीं हो सकती है। प्लीज बैठिये। मैं आपको राइट टाइम पर इजाजत दूंगा, अभी नहीं दूंगा। मुझे आपकी सूचना पर विचार करना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप जरा मुझे टाइम दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसे आपको विशेषाधिकार समिति में भेजने का अधिकार है, इसमें नियम 222 देखा जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरे अधिकार मालूम हैं और अपने अधिकार से ही मैंने यह निर्णय लिया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसकी जांच-पड़ताल के लिए विशेषाधिकार समिति है। यह सदस्यों की अवमानना का प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना का मुद्दा लेता हूं। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने की अनुमति दी है। आप बोलते रहिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह, जो बोल रहे हैं, उसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, प्लीज बैठिये। आप कोआपरेट करिये, नहीं तो हाउस कैसे चलेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: ये नियमों का हवाला दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मुझसे जवाब चाहिए? अगर आप बैठेंगे तो जवाब दूंगा, नहीं तो जवाब कैसे दूंगा। अगर आप मेरा जवाब चाहते हैं तो बैठ जाइये। मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): आप सोच सकते हैं कि बिहार में क्या होता होगा।

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपने प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब दे दूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने सवाल नहीं पूछा, आग्रह किया है।

अध्यक्ष महोदय: आप जवाब सुनेंगे? मैं आपके आग्रह का जवाब दे दूं। आप प्रेम से बैठिये न, गुस्से में मत बैठिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप स्वीकार कर सकते हैं या इन्कार कर सके हैं, यह बोलेंगे कि स्टेट मैटर है। हाउस में यह परिपाटी नहीं है, न नियम है, न वहां का कोई जवाब देने वाला है तो पार्टी का जवाब सुन लीजिए, हम यहां हैं, हमें भी मौका दीजिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): मेरा आपसे व्यवस्था का सवाल है। आपकी व्यवस्था का उल्लंघन अगर वरिष्ठ सदस्य करेंगे तो हम जैसे नये सदस्यों का क्या होगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने व्यवस्था का प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। रघुवंश प्रसाद सिंह जी इतने सीनियर मैंबर होते हुए भी अध्यक्ष की विनती मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने व्यवस्था का प्रश्न किया है; मैं उसका उत्तर यह है कि इस सदन में यह प्रैक्टिस रही है कि एडजर्नमेंट मोशन जब कोई सदस्य देता है तो मैं उनसे विनती

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं कि अभी मत बोलिये, तो भी सदस्य कुछ न कुछ बोलते ही हैं। सदस्य बोलें या न बोलें, यह सदस्य पर निर्भर है। मैं कहता हूं कि मैं बाद में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा और आप जीरो ऑवर में यह प्रश्न उठा सकते हैं, वैसा ही आज हुआ है। इसमें कोई नई बात नहीं है। यहां प्रभुनाथ सिंह जी ने प्रश्न उठाया था, मैंने उनको कहा था कि

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी आप बैठिये। मेरे कहने से वे बैठ गये हैं। अब मैं इन्हें 'शून्य काल' में बोलने की इजाजत दूंगा। सदन के सामने कुछ भी नया नहीं है। मैंने पहले भी आग्रह किया था कि प्रत्येक सदस्य को अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

सब कोआपरेट करेंगे तो काम होगा और अगर आप सब लोग नहीं चाहते हैं कि काम हो, ऐसा ही करना है तो करते रहिये। लेकिन यह अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें जो कुछ कहना है, थोड़े में, दो-तीन मिनट में कहें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उस पर हमसे भी सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगर प्रथा होगी तो जरूर सुनूंगा। मैं प्रथा देखूंगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, प्राथमिकता निर्धारित करना अध्यक्षपीठ का विशेषाधिकार है। हममें से कुछ सदस्य इराक के महत्वपूण मुद्दे को उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार अमरीका के दबाव में आ रहा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं इजाजत दे रहा हूं। मैं नहीं सोचता हूं कि आपने मेरा निवेदन सुना है। आप सब लोग बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह जी कहेंगे, वही रिकार्ड में जायेगा। इसके अलावा और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.31 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल आपके सामने रख रहा हूं। 13 वर्षों से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है। आज उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है जो बिहार में सरकार चलाती है। कल दिन के साढ़े दस बजे पुनपुन में समता पार्टी के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह की हत्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 पर कर दी गयी। जिस जगह पर हत्या की गई, वहां पहले भी तीन-चार हत्याएं हुई थीं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष स्वर्गीय कामेश्वर सिंह बराबर इन हत्याओं का विरोध किया करते थे। वहां जान-बूझकर एक साजिश के तहत राजनीतिक हत्या कराई गयी है। बिहार में लगभग एक हजार से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्यायें हुई और उन कार्यकर्त्ताओं की हत्याएं हुई जो सरकार के विरुद्ध काम करते थे। बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति बनी हुई है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। *...(व्यवधान)* यह हम पर आरोप लगा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आज ही बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति बनी हुई है। आज दिन के साढ़े दस बजे बिहार के किरड़ा के कोषाध्यक्ष आनंद हैं, उनको भी गोली दस बजकर 50 मिनट पर लगी *...(व्यवधान)* जिसके अध्यक्ष श्री कीर्ति आजाद सामने बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)* बिहार में तीन वर्षों में साढ़े तीन लाख से ज्यादा संगीन अपराध की घटनायें घटी हैं जिसमें हत्या की 10 हजार से ज्यादा घटनायें हैं और साढ़े तीन हजार से ज्यादा डकैती की घटनाएं, छः हजार से ज्यादा लूट की घटनाएं, पांच हजार से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी हैं। अगर सरकारी आंकड़ों को ही मान लिया जाये तो चार सैंकिंड पर एक संगीन अपराध होता है। दो घंटे पर एक हत्या की घटना होती है, तीन घंटे में फिरौती की घटना और छः घंटे पर एक बलात्कार की घटना होती है। *...(व्यवधान)* सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपहरण की जो घटना घटती है उनमें अपहरणकर्ता तभी छूटता है जब* 75 ऐसे अपहरण के मामले हुए हैं। मैं कुछ नाम आपको

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

बताना चाहूंगा। श्री अशोक कांत, छायाकर 'हिन्दुस्तान' का था, श्री जानकी सिंह, जो श्री प्रदीप दास विधायक का भतीजा था, डाक्टर भरत सिंह ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, वे राज्य सभा के सदस्य हैं। वे इस सदन में उनका नाम कैसे ले सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो भी असंसदीय है, मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: श्री अश्विनी गुप्ता, उद्योगपति, श्री सलेश कुमार, उद्योगपति, पटना, श्री तुलसी राम अग्रवाल, विराट नगर, नेपाल का व्यवसायी था। श्री रमेश आदि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृतान्त में से आपत्तिजनक शब्द हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने जो मुख्यमंत्री के बारे में कहा है, मैं उसे हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: *वहां के तत्कालीन डी.जी.पी. ने अखबारों में बयान दिया है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि कौरवों की चीरहरण सेना में बैठे हुए हम महायोद्धा हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अब कम्पलीट कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह: वहां के तत्कालीन डी.जी.पी. ने कहा कि कौरवों की महासेना में बैठे हुए हम महायोद्धा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब अमरीका ओसामा बिन लादेन को नहीं पकड़ सका तो बिहार की पुलिस सुल्तान मियां को कैसे पकड़ सकती है। ...*(व्यवधान)* जहां का डी.जी.पी. इस ढंग से अखबारों में बयान दे, मीडिया के माध्यम से बयान दे, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। हम केन्द्र सरकार से मांग करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हम एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को जल्दी बर्खास्त कर दीजिए। यह हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बैठिए। रघुनाथ सिंह शाक्य, कुंवर अखिलेश सिंह और रामजीलाल सुमन इन लोगों ने मुझे नोटिसेस दिये थे। इस विषय पर चर्चा हुई है। इस विषय पर मैंने आपके नोटिसेज रिजेक्ट कर दिये हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, अब आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठिए। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने इतना गंभीर सवाल उठाया है। हम चाहेंगे कि सरकार इस पर रैस्पांस ले और सदन को आश्वस्त करे कि ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार या तो इसकी जांच कराएगी या इस पर कोई कार्रवाई करेगी। ...*(व्यवधान)* यह हम निवेदन करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुनी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का व्यवस्था का प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो सवाल इन्होंने उठाया है, हम जांच को तैयार हैं। ...*(व्यवधान)* भारत सरकार के मंत्री और एनडीए के यहां अपराधी गिरोह पल रहा है। ...*(व्यवधान)* ये राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* राज्य सरकार को बदनाम कराने के लिए एनडीए के लोगों ने अपराधी गिरोह पाल रखे हैं जिनसे अपहरण कराते हैं, अपराध कराते हैं और हत्या करते हैं। ...*(व्यवधान)* इसकी जांच-पड़ताल की जाए। ...*(व्यवधान)* मैं गृह मंत्री को चुनौती देता हूं कि जांच-पड़ताल करवाकर सब बातों को सदन के पटल पर रखें। इनका एमएलए, मिनिस्टर सब अपराधी हैं और अपराध को संरक्षण देते हैं। ...*(व्यवधान)* अपराधियों का गिरोह पाल रखा है और योजनाबद्ध तरीके से राज्य सरकार को बदनाम करा रहे हैं। इसीलिए हम जांच के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको सुन लिया है। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव पर कुछ अन्य सूचनाएं भी थीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग आदि के बारे में कुछ अन्य स्थगन प्रस्ताव भी थे। मैं इस पर कल और परसों पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं। अत: इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब मैं श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा को महिलाओं के मुद्दे पर विचार रखने की अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मुद्दे पर पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने परमिशन मांगी है। मैंने परमिशन नहीं दी है। दो बार दो दिन यह विषय आया। मैंने परमिशन नहीं दी। मैंने कहा कि यह विषय एडजर्नमेंट मोशन में नहीं होता है। वही विषय फिर आया है तो मैं कैसे परमिशन दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। संविधान का मजाक हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री जी श्री प्रभुनाथ सिंह जी द्वारा उठाये गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे पर पहले ही बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उसी मुद्दे पर फिर से व्यवस्था नहीं दे सकता। मैं पहले ही दो बार व्यवस्था दे चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि अब यह मामला बहस का विषय नहीं हो सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सांसदों के अपमान का मामला है और जब तक उसका निराकरण नहीं होगा, हम बार-बार इन मामलों को उठाएंगे। आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, हम मामले को उठाते रहेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं निर्णय लूंगा और मैंने निर्णय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यह बात नहीं मान सकता। कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: हमें एलाउ कर दीजिए। यह बहुत गंभीर सवाल है। ...*(व्यवधान)* यह सम्पूर्ण लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। इन सांसदों का अपमान हो रहा है और इसका निराकरण जब तक नहीं करेंगे, मैं आज ही भूख हड़ताल पर यहां बैठूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं। बैठिए। अन्याय का निवारण करने के लिए इस सदन में कुछ पद्धति है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी और अखिलेश जी ने नोटिस दिये हैं, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह विषय महत्वपूर्ण है। विषय गंभीर है। इसका कुछ तरीका है। आप तो जानते हैं कि इस विषय पर जब चर्चा हुई थी तो शिवराज पाटील जी ने कहा था कि इस विषय पर स्ट्रक्चरल डिबेट होने की जरूरत है। मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल डिबेट के लिए यदि बीएसी की कमेटी मानेगी तो मैं डिबेट देने के लिए तैयार हूं। अब यह विषय इसी माध्यम से उठाने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हैं कि इस विषय पर दो बार मैंने निर्णय दिया है और दो बार कहा कि यह विषय एडजर्नमेंट मोशन का विषय नहीं है।

आप सचमुच इसी विषय में जाना चाहते हो तो आप इस विषय के पक्ष में हैं या विरोध में हैं यह मेरा प्रश्न नहीं है। सदन के नियमों के अनुसार यह प्रश्न स्ट्रक्चरल डिसकशन द्वारा उठा सकते हैं। बीएसी में यह विषय आया था लेकिन वहां सब एकमत नहीं थे। मैंने कहा कि इस बारे में एक बार फिर बैठ सकते हैं और इस विषय पर अगले हफ्ते चर्चा कर सकते हैं। विषय सभी को मालूम है। दो-तीन बार आप लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है। मैं इतना ही चाहता हूं कि नियमों के अनुसार जब चाहें यह विषय यहां ला सकते हैं और मैं आपको इजाजत देने के लिए तैयार हूं लेकिन यह कैसे हो सकता है कि इस विषय पर केवल दो मैम्बर्स अपनी बात कहें और पूरे हाउस का काम रोकें, यह अच्छा नहीं लगता है। आप यह विषय उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं डिवाइस बताने के लिए तैयार हूं लेकिन यह चर्चा कौन से डिवाइस से आ सकती है, उस डिवाइस का उपयोग करना आपके ऊपर है। इसके ऊपर यह कहूंगा कि आप यह न करो, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। मुझे यह मुद्दा हल करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना का जो विषय है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विषय सब को मालूम है। मैं उस विषय पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आप कौन सी चर्चा चाहते हैं, यह बताएं। यह ठीक बात नहीं है। आप अपनी जगह पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.41 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय: शरद यादव जी, आप प्रभुनाथ जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शरद यादव जो कुछ कहेंगे, वही रिकॉर्ड में जाएगा। बाकी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा नहीं चलेगी। कई माननीय सदस्य धरने पर बैठे हैं। ऐसे में हाउस की कार्यवाही कैसे चलेगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब लोग चाहते हैं इसलिए चलेगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप जैसा कहेंगे, वैसे हाउस नहीं चलेगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष महोदय, जो सवाल प्रभुनाथ सिंह जी और उनके सहयोगियों ने उठाया है, मैं उनको और उनकी भावनाओं को गृह मंत्री के पास पहुंचाने का काम करूंगा। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसे सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों ने मुझे हाउस चलाने का अधिकार दिया है। मुझे हाउस चलाने दीजिए। मुझे सदन की कार्यवाही चलानी है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी। यह संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है। यह बात सही है कि कल कार्य मंत्रणा समिति में यह सवाल तय नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट भी है। वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुयोग्य पद्धति के साथ सदन में आएंगे तो मैं आपको उस समय इजाजत दे सकता हूं। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा कीजिए लेकिन इस पद्धति से चर्चा नहीं हो सकती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि नियमों के अनुसार आप चर्चा करवा सकते हैं और मैं चर्चा के लिए इजाजत देने को तैयार हूं लेकिन यदि आप चर्चा नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मुझे हाउस चलाना है। मैं अब 'शून्यकाल' शुरू करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.45 बजे

(दो) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कल इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसलिये मैंने श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा को प्रायरिटी दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा बोल रही हैं, केवल वही सदन की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं महिलाओं के विषय में इजाजत देने वाला हूं क्योंकि महिलाओं को अधिकार दिये जाने का मामला है। यदि सदन में शान्ति रही तो अन्य विषय लिये जायेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की संध्या पर सदन में सदस्यों की ओर से मैं भारत और विश्व की महिलाओं का अभिनंदन करती हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मार्ग्रेट जी, आप कम्पलीट कीजिए। आपका रिकॉड में जाएगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में, उसके बाद अन्य बातों पर आयेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जारी रखिए। यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महिलाओं के सामने हिंसा, परिवार, समाज और उनके कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव किये जाने जैसी ढेरों चुनौतियां हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी मेरी, आपसे विनती है कि आप अपनी जगह पर जाइये। मैं चर्चा के लिये तैयार हूं। यह विषय चर्चा में आ सकता है लेकिन नियम के अनुसार आएगा, नियम तोड़कर नहीं और न दबाव में आकर यह विषय आएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आल्वा जी, आप कम्पलीट करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: कानूनों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रह हैं *...(व्यवधान)* शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में लिंग भेद बढ़ रहा है। लेकिन इन सब कठिनाइयों से पार पाने के लिए महिलाएं मजबूत और दृढ़निश्चयी बनकर उभरी हैं *...(व्यवधान)*

महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलायी गयी बैठक आज ही होनी है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.48 बजे

(इस समय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगहों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं नेताओं से अपनी मांग के समर्थन का आग्रह करती हूं। मैं आशा करती हूं कि इस पर सर्वसम्मति बनेगी। यदि सर्वसम्मति नहीं भी बनती है तो हम चाहते हैं कि सदन में इस लम्बित पड़े विधेयक पर बहस कराकर मतदान कराया जाए। इसे 1989 के पंचायती राज विधेयक की तरह खारिज होने दो। आखिरकार हम इन कठिनाइयों से पार पाएंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टी.बी. रिले बन्द किया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आज अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हिंसा, प्रतिबन्धों और मूल अधिकार न दिये जाने के कारण मध्यपूर्व में मासूम महिलाएं और बच्चे मर रहे हैं। मैं उनकी पीड़ा और निराशा को समझती हूं तथा भारत सरकार से प्रार्थना करती हूं कि भारतीय लोगों की युद्ध के खिलाफ उठी आवाज को संयुक्त राष्ट्र संघ में, तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाये, ताकि हम शान्ति से रह सकें *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1249 बजे

(इस समय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब थी लेकिन *...(व्यवधान)* हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों को राहत देने के लिए ज्यादा मूल्य प्रदान किया। इसके पहले गन्ना किसान लूटे जा रहे थे। *...(व्यवधान)* मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गन्ना किसानों की मदद की।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेनु कुमारी।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। महिलाओं के विकास के लिये, उनके कल्याण के लिये कितनी ही योजनायें बनाई गई लेकिन परिणाम वही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): मैं सदन का ध्यान महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक के मामले में महिलाओं की वर्ष 1996 से चल रही दीर्घ प्रतीक्षा की ओर दिलाना चाहती हूं।

हमारा लक्ष्य राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना है। इस विधेयक का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाना है। अब ऐसा लगता है कि यह विधेयक वर्तमान स्वरूप में इस सदन में कभी भी पारित नहीं कराया जा सकता। अब समय है कि हमें इसके विकल्प तलाशने चाहिए। काफी समय से मैं स्वयं भी यह मांग करती आ रही हूं कि चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनते समय राजनीतिक पार्टियों को और अधिक संख्या में महिलाओं को नामित करना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में एक साधारण सा संशोधन लाकर इसे आवश्यक बनाया जा सकता है। हम यह जानते हैं कि पूर्व चुनाव आयुक्त इस प्रस्ताव पर समहत थे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इससे सहमत नहीं हुई।

पिछले वर्षों में बहुत से चुनाव हुए हैं और बहुत से होने वाले हैं। हम अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं यदि हम पहले ही इस विकल्प से सहमत हो जाते तो आज राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की संख्या काफी अधिक होती। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मामला गम्भीरता से लिया जाए और वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिये ताकि पिछले विधेयक के आवर्तन जैसी कमियों को दूर किया जा सके और आरक्षण के अन्दर आरक्षण की कोई आवश्यकता न हो। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणु कुमारी।

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए

के लिए सरकार का अनगिनत पैसा खर्च होगा और हम उनके लिए अनेक भाषण देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां अध्यक्ष पद का सम्मान रखने की जिम्मेदारी नजर नहीं आती।

[अनुवाद]

जो सदस्य यहां आकर बैठ रहे हैं मैं उनके इस कार्य की निन्दा करता हूं। सदन के कार्य करने का यह कोई तरीका नहीं है। लेकिन इन हालात में भी मैं सदन की कार्यवाही चलाता रहूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वे अपने स्थानों पर जाएंगे तभी मैं उनको बोलने की इजाजत दूंगा।

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है:

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पद तल में
पीयूष स्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुन्दर समतल में।''

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सत्ताधारी इसके सदस्य हैं, कृपया आप अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। इनको जो करना है वह करने दें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.51 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, जिस गांधी जी और लोहिया जी की दुहाई देकर यह देश चल रहा है, यह सदन चल रहा है उन गांधी जी ने महिलाओं के विकास के लिए दहेज प्रथा का विरोध किया था, पर्दा प्रथा का विरोध किया था। गांधी जी महिलाओं के विषय में कहा करते थे कि महिलाओं को रोटी की चिन्ता से मुक्त होना चाहिए। गांधी जी स्त्री-शिक्षा के पक्षधर थे। गांधी जी कहते थे कि नारियों को कानून की तरफ से समानता का अधिकार होना चाहिए। वे नारियों को राजनीति का अनिर्वाय अंग मानते थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वचन नहीं निभाते। आपने प्रॉमिस किया था कि अपनी बात रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी: गांधी जी ने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से हंसते-हसंते सैकड़ों नारियां जेल जाती थीं, लाठियों का प्रहार सहती थीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महिला दिवस पर चर्चा हो रही है, महिलाओं को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी: गांधी जी ने आह्वान किया कि तुम स्वर्णाभूषण दान करो तो सारी महिलाओं ने स्वर्णाभूषणों का दान कर दिया। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, लोहिया जी भी कहते थे कि नारियों के सहभाग के बिना हर विकास अधूरा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो विषय चल रहा है, उसको पूरा होने दें।

श्रीमती रेनु कुमारी: इसलिए हम गांधी जीं और लोहिया जी की दुहाई देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो रहा है, उससे गांधी जी और लोहिया जी की आत्मा भी स्वर्ग में रोती होगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कराकर महिलाओं को सम्मानित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे महिला दिवस के बारे में बोलना चाहती हैं। आप पूरे साल में एक दिन भी महिलाओं को नहीं देंगे? यह कैसे चल सकता है? कृपया उनका सम्मान करें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती संध्या बौरी (विष्णुपुर): अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इतना महत्व का दिन है मगर आज भी महिलाएं चाहे घर में हों या काम करती हैं, उन पर अत्याचार होता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से तो महिलाओं की तरक्की होना मुश्किल है। यदि पुरुष उनको बोलने की परमीशन नहीं देंगे तो उनकी तरक्की कैसे होगी?

...(व्यवधान)

श्रीमती संध्या बौरी: महिलाएं जहां काम करती हैं, उनकी नौकरियां छीन ली जाती हैं। सरकार ने जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई है, उसके कारण जब कल-कारखाने बंद हो जाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले महिलाओं को नौकरियों से निकाला जाता है। जहां आदमियों की नौकरी चली जाती है, वहां भी सबसे पहला असर महिलाओं पर पड़ता है और उससे पूरे परिवार पर असर पड़ता है। *...(व्यवधान)* महिलाएं घर में जो छोटा-मोटा सामान बनाती थीं, अब बाहर का सामान आने से उनकी बिक्री भी बंद हो गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कम से कम महिलाओं को सदन में बोलने की पावर तो दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती संध्या बौरी: अनेक महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। जब सारे सरकारी बिल पास हो जाते हैं तो हमारा महिला आरक्षण वाला बिल सदन में पास क्यों नहीं होता है? हम महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकती हैं, यही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। *...(व्यवधान)*

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने महिलाओं को अपनी बात कहने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूं। यहां सभी प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि महिलाओं का विकास हो, उनको उनके अधिकार मिलें, यह बहुत अच्छी बात है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद की सभी पार्टियों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके प्रतिशत के अनुपात में आरक्षण देने हेतु विधयेक सदन में प्रस्तुत किया जा सके। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपके मंत्री तो महिला-विरोधी हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती जयश्री बैनर्जी: महिला सदस्य जब बोल रही हैं, तब आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपका यह रवैया ठीक नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपके राज्य में तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत अच्छी हैं, फिर भी आप यहां महिलाओं का विरोध क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के विकास की दिशा में जो बातें की जा रही हैं वे ठीक हैं, लेकिन, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बंगाल के धनकलां में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। ऐसी घटनाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार में भी ऐसी अनेक घटनाएं घट चुकी हैं। जिनमें महिलाओं पर अत्याचार और व्यभिचार किया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती बैनर्जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय में किसी स्टेट गवर्नमेंट को बीच में न लाएं। यह विषय बिल्कुल अलग है। यह महिलाओं से संबंधित विषय है।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज महिलाओं को बोलने की अनुमति दी जाए। पूरे वर्ष में कम-से-कम उन्हें एक दिन तो बोलने दिया जाए।

[हिन्दी]

डा. (श्रीमती) अनिता आर्य (करोलबाग): अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं भारतीय संसद की तरफ से पूरे देश की महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। महिलाओं का संसद और विधान परिषदों में 33 प्रतिशत का आरक्षण हो, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी महिला सासंदों से कहना चाहूंगी कि वे अपने दल के नेताओं से प्रार्थना करें ताकि महिला आरक्षण बिल सदन में पेश हो सके और सर्वसम्मति से पारित हो सके। महिलाएं संसद और विधान परिषदों अपनी भागीदारी चाहती हैं क्योंकि देश की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है और 50 प्रतिशत महिलाएं वोट देती हैं। इसलिए संसद और विधान परिषदों में उनका होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम संसद और विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत करते हैं, लेकिन*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। वह विषय यहां नहीं आ सकता।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या श्रीमती अनिता आर्य जी से कहना चाहता हूं कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और जितना सम्मान मैं महिलाओं का करता हूं, शायद ही कोई और उतना सम्मान करता होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, यह विषय सदन में नहीं उठाया जा सकता है। मैंने श्रीमती अनिता आर्य को उसी समय रोक दिया था। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, फाइव स्टार होटलों में महिलाओं के साथ जो हो रहा और तथा कथित उच्च वर्ग के कहे जाने वाले लोग उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह चिन्तनीय ही नहीं बल्कि निन्दनीय है। *...(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) अनिता आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करती हूं कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत हो और सर्वसम्मति से पारित हो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि मैंने इसे रिकार्ड मे हटा दिया है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्या ने मेरे नाम का उल्लेख किया है इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मुझे दो मिनट अपनी बात कहने हेतु अवसर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम उन्होंने नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह सामान्य रूप से कहा है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने आपका नाम नहीं लिया है। मैंने कार्यवाही-वृतान्त में देख लिया है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे दो मिनट बोलने का समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें आप क्या बोलेंगे?

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, इन्होंने मेरा नाम लिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है, कृपया आप बैठ जाइए। आप महिलाओं को भी बोलने का मौका दें। हर रोज आप ही बोलेंगे, महिलाओं को बोलने का मौका नहीं देंगे। यह क्या तरीका है?

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उसे कार्यवाही-वृतान्त से हटा दिया है। इसलिए वह विषय पूरा हो गया है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अखिलेश जी का नाम लिया है, आप एक मिनट इनकी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इनकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, वह बात दूसरी है, उन्होंने इनका नाम नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इनका नाम नहीं लिया तब भी इनके कहने का मतलब यही था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो कुछ कहा है वह भी रिकार्ड से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, यह जो वूमेंस का इश्यु चल रहा है, यह पूरा होने के बाद मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा, अभी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, अभी आप बैठ जाइए, मैं आपको परमीशन देने वाला हूं, आप दो मिनट रुकिए। मुझे यह विषय पूरा करने दीजिए अभी मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि महिला आरक्षण पर सरकार की राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह विधेयक अभी तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है *...(व्यवधान)* वर्ष 1996 से , यह विधेयक संसद के अनुमोदनार्थ लंबित पड़ा है। उस समय पूरे राष्ट्र को शर्मिन्दगी महसूस हुई। जब सरकार ने वर्ष 1999 में विधेयक पुर: स्थापित किया *...(व्यवधान)*

संसद के अंदर और बाहर, संसद की महिला सदस्यों और विभिन्न महिला संगठनों ने इसे बिना किसी बाधा के पारित करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु अपनी आवाज उठाई *...(व्यवधान)* लेकिन सरकार ने उनकी कोई परवाह नहीं की तथा यह कहा कि सभी राजनैतिक दलों की सर्वसम्मति के बाद विधेयक पुर:स्थापित किया जा सकता है।

महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर सकती हूं कि क्या उसने 'पोटा' सहित सभी विधेयकों को पारित करने हेतु सर्वसम्मति बना ली है। सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक वायदे किए लेकिन ये सभी निरर्थक सिद्ध हुए क्योंकि महिलाएं सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से अन्याय की शिकार हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि सरकार इस सत्र में ही अविलंब इस जटिल कार्य को करके विधेयक पारित करे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज (मिसरिख): अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 में प्रथम विश्व महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस मास्को शहर में मनाया गया था। महिलाओं को रक्षा और अधिकार देने के लिए आज 28 वर्ष हो गए हैं। *...(व्यवधान)* महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के नाम पर उनकी जो समस्याएं थीं, उन्हें पूरे विश्व में दर्शाने के लिए 1975 में प्रथम बैठक हुई थी। संयोगवश वह वर्ष भारतीय गणतंत्र का रजत वर्ष था और वह वर्ष राष्ट्रीय महिला वर्ष भी था, महिलाओं का सम्मान अधिकार दिवस था।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के अधिकारों के नाम पर जो सम्मेलन हुआ था, उसमें दुनिया ने देखा कि किस तरह महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव है। आज जब आरक्षण की बात होने लगी है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान की औरत नरक की जिन्दगी जी रही है और भोग रही है। इसकी पर्दे के पीछे बेशुमार दर्द और बेपनाह सिसकियां हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल दो-दो मिनट सबको बोलना है।

श्रीमती सुशीला सरोज: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल महिला दिवस है, इसलिए मैं यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूं। *...(व्यवधान)* आज केन्द्रीय शासन और महिला संगठनों, विशेषतौर से उन स्वयंसेवी संगठनों के लिए लज्जा और शर्म की बात है। आज खाड़ी देशों में 15 साल से 40 साल तक की लड़कियों को हिन्दुस्तान से बाहर नौकरी के लालच में भेजा जा रहा। जहां, उनका यौन शोषण हो रहा है। *...(व्यवधान)* तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से बहुत सी लड़कियां वहां भेजी जा रही हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, विदेश मंत्रालय में गल्फ सेल भी खोला हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कांति सिंह जी, अब आप बोलिए।

श्रीमती सुशीला सरोज: इन्होंने सिर्फ 20 महिलाओं की खोज की है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की सराहना की जानी चाहिए। महिला आयोग ने उन लड़कियों की खोजबीन करने के लिए कमर कस ली है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो लड़कियां आज खाड़ी देशों में फंसी हुई हैं, उनके साथ न्याय करने के लिए एक समिति बना दी जाये और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे दूर किया जाये और महिला आयोग की प्रशंसा की जाये और जो महिलाएं आज नर्क भोग रही हैं, पहले उनको देखा जाये फिर आरक्षण की बात की जाए।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): अध्यक्ष महोदय, महिला दिवस के ऊपर आपने मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

आज भी जब महिला दिवस पर यहां चर्चा करने के लिए आपने इजाजत दी है तो उस समय भी हमारी मार्ग्रेट आल्वा बहन बोल रही थीं तो दूसरी ओर सारे सदन में हंगामा हो रहा था। हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि महिला दिवस मनाया जा रहा है, जबकि एक ओर महिलाओं का सशक्तीकरण वर्ष मनाया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जब महिला दिवस पर हम लोगों को बोलने का अवसर दिया गया तो हम लोगों को कुछ समय देने की कृपा की जाये। आज भी महिलाओं की वहीं स्थिति है कि 'अबला जीवन, हाय तुम्हरी यही कहानी, आंचल में है दूध, और आंखों में पानी।' इसलिए मैं कह रही हूं कि आज भी देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में हम देखें तो महिला के साथ जिस तरह से ज्यादतियां हो रही हैं, चाहे वे खेतों में काम करने वाली महिलाएं हों या शहरों में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं हों, वे आज अपनी लज्जा को, अपनी इज्जत को बचाकर किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं या उनका निर्वहन कर रही हैं।

मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसा कि लोग अभी भी कहते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी:

कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है,

सब को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।

कहा जाता है कि जब भी महिला आरक्षण बिल यहां पर लाया जाता है तो आर.जे.डी. के लोग इसका विरोध करते हैं। जबकि हमारे आर.जे.डी. की साफतौर से यही नीति है कि जब भी महिला आरक्षण बिल लाया जाये तो उसमें सामाजिक न्याय की महिला यानी कि ओ.बी.सी. महिलाएं, दलित महिलों और माइनोरिटी की महिलाओं को भी उसमें आरक्षण का प्रावधान करते हुए महिला बिल को लाने का काम किया जाये ताकि जिन महिलाओं की अभी तक उपेक्षा हो रही है, जो आज समानता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकी हैं, उन महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, न कि उन महिलाओं को मिलना चाहिए, जो कि पहले से ही हैं। मैं भी महिला हूं और जनरल कोटे से आई हूं।

अपराह्न 1.08 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

मैं आरक्षण के बल पर नहीं आई हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं कि महिला आरक्षण बिल लाया जाये तो कम से कम ओ.बी.सी., माइनोरिटी और दलित महिलाओं को भी उसमें प्रावधान रखा जाये, तब जाकर मैं समझती हूं कि उसमें जो हम चाहते हैं, जो हमारी पार्टी की नीति है, तभी महिलाओं को आरक्षण देने की मंशा पूरी तरह साफ हो सकती है। कहा जाता है कि आर.जे.डी. महिला विरोधी है, जबकि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में वह करके दिखाया है कि एक महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर खुले आम ऐलान करके चुनाव लड़ा और कहा कि राबडी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया जायेगा। उस आधार पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद पूरे बिहार की जनता ने समर्थन दिया, बहुमत दिया, तब लालू प्रसाद जी ने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, इसलिए आर.जे.डी. महिला विरोधी नहीं है। आर.जे.डी. महिला आरक्षण चाहता है, लेकिन हमारी शर्त वहीं है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, इनका जो भाषण हुआ, उसमें इन्होंने कहा कि संसद के माननीय सदस्यों द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। आप दुर्व्यवहार शब्द कार्यवाही से हटा दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): सभापति महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं इस देश की सभी महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं और साथ ही मैं कल्पना चावला को याद करना चाहती हूं, जिन कल्पना चावला ने मानवता के लिए अपना बलिदान दिया है। हिन्दुस्तान की नारियों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। आप मुझे रोकिए मत, मैं बहुत संक्षेप में अपनी 2-3 बातें कहकर स्वयं बैठ जाऊंगी। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों के लिए शिक्षा एवं राजकीय संरक्षण दिया जाना चाहिए।

जिन आर्थिक कारणों से किसी महिला को विवश होकर जिंदगी का नरक न भुगतना पड़े। आज उदारीकरण के इस दौर में महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। बाजार की शक्तियां उसकी योग्यता, जिम्मेदारी, क्षमता, संकल्प और आत्म निर्धारण की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उसकी चमड़ी और देह को नारी की योग्यता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। यह अत्यंत शर्म की बात है। आज हम सब जानते हैं कि कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है कि कई विज्ञापन बहुत अश्लील दिखाये जाते हैं। बहुत से विज्ञापन ऐसे हैं जिनमें नारियों की आवश्यकता नहीं होती फिर भी उनको जबरदस्ती उस विज्ञापन में दिखाया जाता है। हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

आज सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की बात सरकार करती है लेकिन वह हमें बहुत विवश दिखाई पड़ रही है। एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूं कि सत्ता में जो महिला मंत्री है, मैं उनको बधाई देती हूं। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं।

सभापति महोदय, आपने सदन में देखा होगा कि हमारी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वे एक महिला हैं। वे जब भी सदन में बैठती हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। पहले जो संसदीय कार्य मंत्री थे, वे एक पुरुष थे। वे बहुत गुस्सा करते थे और सबको डांट लगाते थे। इसलिए अगर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जायेगा तो इस सदन में भी हर तरफ मुस्कुराहट, खुशी नजर आयेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस बात को सहमत होंगे।

अंत में, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि नारी और पुरुष हमेशा से एक दूसरे के अनुपूरक तत्व रहे हैं। नारी सदैव अपने सहज स्वभाववश पुरुष का अनुगमन करती है। इसलिए आपको भी नारी को अपना सहयोगी समझकर सहयोग देना चाहिए और आरक्षण में दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। आप महिलाओं को बार-बार मना करते हैं, यह आपकी टालने की मंशा को व्यक्त करता है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी की ओर से पुरजोर मांग करती हूं कि सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करके महिलाओं को वास्तविक केवल ऊपर से नहीं बल्कि दिल से सम्मान दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट): माननीय सभापति महोदय, अब यह बात स्वीकार कर ली गई है कि जो हाथ झूला झुला सकता है वह प्रणाली को भी बदल सकता है। यहां अनेक पैतृक, पुरुष संस्थापित व्यवस्थाएं हैं जिन में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। इन्हें पूर्णत: दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से एक राजनैतिक व्यवस्था है। 'राजनीति' शब्द का अर्थ है द्वंद्व और लिंग भेद पर आधारित राजनीति का अर्थ है पुरुष और महिला के बीच विवाद। इस बात को इस सम्मानीय सभा के अलावा और कहां स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

स्थान के लिए भी विवाद होता है। यह स्थान महिलाओं के लिए है और वह स्थान पुरुषों के लिए है। हम पिछले चार वर्षों से इस सभा में राजनैतिक स्थान प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। सरकार सर्वसम्मति के लिए कह रही है। किसी और विधेयक के लिए सर्वसम्मति नहीं मांगी गई है। हम राजनैतिक वाद-विवाद चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कौन सा पुरुष सदस्य विधेयक के लिए मतदान करता है।

एक अन्य बात का मैं यहां उल्लेख करना चाहती हूं कि बजट बनाए जाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि बजट में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए। हम यह भी चाहते हैं कि महिलाओं के भोजन के अधिकार की रक्षा की जाए।

एक अन्य बात यह है कि न्याय व्यवस्था ठीक से कार्य नहीं कर रही है। जब कानून का नियम टूटता है तो उसका पहला शिकार महिला बनती है। चाहे वह साम्प्रदायिक संघर्ष हो अथवा युद्ध क्षेत्र, महिलाओं को ही भुगतान पड़ता है।

अत: मैं, मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाएं पुरुषों के साथ 50:50 की साझेदारी चाहती हैं। हम विशेषरूप से इस सम्मानीय सभा में अधिकार नहीं करना चाहते।

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमेशदपुर): सभापति महोदय, कल महिला दिवस है और इस मौके पर आज हमें लोक सभा में बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं सदन के माध्यम से पूरे विश्व की महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूं। इसके साथ मैं यह भी दुआएं करती हूं कि वे जहां भी हैं, जिस पद पर भी हैं चाहे घर में भी हैं, वे अपनी जगह से निरंतर आगे बढ़े और यह साबित कर दें कि वे पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि महिला आज उस जगह पर पहुंच गयी हैं जहां उसे आरक्षण मांगने का मौका आज मिल रहा है। क्योंकि हमारा भारत हमेशा शक्ति को मानता आ रहा है। वह चाहे दुर्गा के रूप में हो या सरस्वती के रूप में हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं कि जब देवताओं का मंत्री मंडल था तो इन्द्र देवता राजा हुआ करते थे। उस समय महिलाओं को अधिकार दिये गये थे और महिला के रूप में मां दुर्गा को शक्ति के रूप में माना गया था और प्रतिरक्षा मंत्री बनाया गया था। उसी तरह सरस्वती जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था और लक्ष्मी जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। जब भगवान ने हमें अधिकार दिया है तो आज के युग में भी हमें अधिकार मिलना चाहिए और आज के दिन महिलाओं के लिए मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी बहनें हर चीज से जूझने की कोशिश करें। अगर सही ढंग से अधिकार को लेना चाहेंगी तो ले लेंगी।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय सभापति महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। सर्वप्रथम, मैं यह बताना चाहती हूं और इस गलत विचार से असहमत हूं कि महिला

[डा. वी. सरोजा]

कमजोर वर्ग है। महिलाओं को दो '×' क्रोमोसोम की स्वामिनी होने पर गर्व है। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक सहिष्णु जीन है। इसका अर्थ है कि हमारे पास पुरुषों की तुलना में अधिक सक्षम और सहिष्णु जीन है। हमारे पास 100 प्रतिशत है जबकि पुरुषों में महिलाओं का 50 प्रतिशत है। इस पृष्ठभूमि में यह हमारा अधिकार है। न कि कोई 'दान' है कि हमें संसद और राज्य विधानसभाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण मिले—लेकिन दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्त के 55 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी हमें 33.33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ रहा है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया जाना चाहिए था। आज, पूरा विश्व साक्षी है कि किस तरह महिलाओं को शक्ति प्रदान करने संबंधी समिति की सभापति श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा भारतीय महिलाओं, जो भारतीय जनसंख्या का 51.8 प्रतिशत है, के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दु:खद और शर्मनाक है कि इस सम्मानीय सभा के कुछ दलों ने आज इस तरह का व्यवहार किया। मुझे यहां उपस्थित सदस्यों के रवैये से वास्तव में शर्मिन्दगी महसूस हो रही है कि उन्हें अपने विचार व्यक्त नहीं करने दिए गए।

दूसरा, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह महिला आरक्षण विधेयक को संसद में बिना किसी चर्चा के पारित करे क्योंकि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में सर्वसम्मति बन गई है। इस तरह इस सभा में चर्चा की कहां आवश्यकता है? मैं इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक कराने के लिए भारत की 51.8 प्रतिशत महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देती हूं। हम प्रार्थना करते हैं और हमें आशा है कि यह विधेयक संसद के चालू सत्र में पारित हो जाएगा। यदि कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता है तो वे उस पर चर्चा करके इस दौरान इसे पारित कर सकते हैं।

अंत में, यह सौभाग्य की बात है कि संसदीय कार्य तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महिला है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस सम्मानीय सभा में महिला स्वास्थ्य नीति पर चर्चा की जानी चाहिए और उनकी संख्या के अनुपात में बजट में आबंटन किया जाना चाहिए। मैं अन्ना द्रमुक की ओर से तथा हमारी नेता, डा. जयललिता की ओर से यह मांग करती हूं।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): माननीय सभापति महोदय, मैं विश्व भर में महिलाओं को बधाई देती हूं और भावी वर्षों में उनके प्रयासों में सफलता की कामना करती हूं।

आरंभ में, हम हमारे प्रिय नेता, श्री राजीव गांधी को याद करते हैं जो पंचायती राज को संज्ञान में लाए और महिला सशक्तिकरण विधेयक भी लाए। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें एक महिला के हाथों मरना पड़ा। हम उन्हें याद करते हैं और साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि हम इस सम्मानीय सभा में पिछले 10 वर्षों से महिलाओं को शक्ति प्रदान करने संबंधी विधेयक पर वाद-विवाद करते रहे हैं। अब राजनैतिक इच्छा क्या है? इस सम्मानीय सभा के लोग वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या वे चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण विधेयक अस्तित्व में आए अथवा वे इसे ठंडे बस्ते में डालने का विचार कर रहे हैं जैसाकि वे वर्षों से करते आ रहे है।

इसलिए, मैं इस सम्मानीय सभा को एक सुझाव देना चाहती हूं। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। सभी सदस्यों को भी दलगत भावना से उठकर विधेयक पर मतदान करने का निर्णय लेना चाहिए यह गोपनीय मतदान हो सकता है अथवा वे कोई अन्य तरीका अपना सकते हैं। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सदस्य कौन हैं जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली (वाशिम): महोदय, विश्व में महिला दिवस मनाया जा रहा है। मैं सारी महिलाओं को शुभ-कामनायें देती हूं। मैं समझती हूं कि यह मुद्दा बहुत सालों से उठाया जा रहा है कि महिलाओं को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। 1992 से यह मामला चल रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कोई पहल नहीं होती है। यह बहुत दुख की बात है। महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में अलग-अलग विचार हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि इस पर सरकार आम सहमति द्वारा कोई-न-कोई रास्ता निकाले। सदन में महिलाओं को बोलने का आपने मौका दिया है और मैं समझती हूं कि जो मीटिंग चल रही है, उसमें सारी पार्टियों के नेता शामिल हैं, उस मीटिंग में महिलाओं को सम्मान मिलेगा। सदन महिलाओं के विषय पर गम्भीरता से विचार करे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की मांग करती हूं। ...*(व्यवधान)* हम देख रहे हैं कि सदन में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उधर से जब श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा जी बोल रही थीं, तो उस समय उनको भी बोलने नहीं दिया जा रहा था। मैं कहती हूं कि महिलाओं का सम्मान करते हुए, महिलाओं को 33 प्रतिशत से अधिक 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। सारे पुरुष लोग महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सदन से ही हो रही है। मैं चाहती हूं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। भारत देश में महिलायें अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। इस बात को महिलाओं ने साबित कर दिया है। हमारी सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हम इराक गए थे ...*(व्यवधान)* हमारे शिष्टमंडल में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णुपद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): मैंने भी जीरो आवर में बोलने के लिए नोटिस दिया है।

सभापति महोदय: बारी-बारी से सबको बुलायेंगे। आप आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हम चार दिन वहां रहे।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): आपने जो रास्ता दिखाया है, हम उसी पर चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं यहां से भी रास्ता दिखाने वाला हूं। आप कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हमने राष्ट्रीय परिषद् के सभापति तथा सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की ...*(व्यवधान)*

महोदय, पूरा देश एक है, हमने बैठक में पाया कि इराक की जनता हमारे देश से उच्च अपेक्षाएं रखती है। इराक और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: सभापति महोदय, यह ठीक नहीं हो रहा है। मैंने पहले नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका 29वां नम्बर है। कृपया आसन ग्रहण करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हमने विगत में देखा है कि जब स्वेज कैनाल का संकट था तो हमारे देश नें सकारात्मक निर्णय लिया था। जब वर्ष 1952 में कोरिया पर आक्रमण हुआ तब हमने अपने देश की भूमिका देखी। जब अमरीका और उसके राष्ट्रपति बुश यह वक्तव्य दे रहे हैं कि वे राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को शस्त्र रहित करने हेतु भरसक प्रयास करेंगे और जब इंस्पैक्टर हंस ब्लिक्स ने आज अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तो सुरक्षा परिषद् के तीन स्थायी सदस्यों अर्थात् फ्रांस, रूस और चीन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे नए संकल्प का समर्थन नहीं करेंगे जो अमरीकी साम्राज्य और ब्रिटेन को इराक के विरुद्ध जोर-शोर से युद्ध करने हेतु प्राधिकृत करना चाहता हैं। वे इसका समर्थन नहीं कहेंगे।

महोदय, हमने देश में देखा कि राष्ट्रपति बुश ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की और वे हमारे देश से समर्थन चाहते थे। लेकिन भारत सरकार ने अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा इराक पर आक्रमण के संबंध में आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि हमें इराक पर आक्रमण की निंदा करनी चाहिए।

इराक की जनता पिछले दस वर्षों से प्रतिबंधों, जहाजों पर लगी रोक तथा नाकेबंदी के कारण कष्ट भोग रही है। हमने अमेरिका शैल्टर का दौरा किया जहां 1991 में बम विस्फोट से 400 बच्चे और महिलाएं मारी गई थी। हमने वह स्थान देखा है। हम चाहते हैं कि इस सभा और भारत सरकार को इराक पर आक्रमण के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं अपनी गहन चिंता व्यक्त करता हूं। इराक पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यह संसद पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल से किसी प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के विरुद्ध आक्रमण का विरोध करने की स्थायी नीति बनाए हुए है। मेरे अनुसार यह संसद पहले दिन से दलगत भावना से ऊपर उठकर किसी राष्ट्र पर आक्रमण तथा इसकी प्रभुसत्ता का अतिक्रमण न करने का पक्षधर रही है।

इस आधार पर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसे बार-बार पूर्णतया स्पष्ट किया। यदि आप वियतनाम युद्ध को याद करें तो पाएंगे कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही सरकार थी जो सदन के विवेक से सामूहिक रूप से अमरीका से यह कहने के लिए आगे आई थी कि वह वियतनाम से वापस चला जाए।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के मलेशिया दौरे से पूर्व इराक की स्थिति पर इस सदन में चर्चा हुई थी। सरकार द्वारा हमसे किसी ऐसे संकल्प पर न अड़ने के लिए कहा गया था जो सरकार को लचीला रवैया न अपनाने दे और हमने संकल्प के लिए जोर

नहीं दिया। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में सदन की भावनाओं को व्यक्त किया जाएगा। अभी तक सदन को गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में व्यक्त की गई भावनाओं की वास्तविक जानकारी नहीं मिली है और 13 तारीख को सदन स्थगित हो जाएगा।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चाहे जो भी विचार रखे गए हों, वे यह महसूस करते हैं कि वहां हमला हो सकतता है। महोदय, मैं पूर्ण विनम्रता के साथ, मुख्य विपक्षी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, महोदय आपके माध्यम से सरकार को यह संदेश दे दूं कि वह 13 मार्च से पहले हमारे रुख के बारे में सदन को विश्वास में लें। हमने पहले दिन से ही किसी साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा किसी राष्ट्र पर हमले का विरोध किया है ...*(व्यवधान)*

महोदय, पैट्रोलियम मंत्री ने यह कहा है कि हमारे पास दो महीने के लिए ईंधन का भंडार है, खाड़ी से 40 लाख लोगों को वापस लाया जाएगा और उसके लिए प्रबन्ध कर लिया गया है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इससे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और शेष भारत की अर्थव्यवस्था को कैसी क्षति पहुंचेगी। इसलिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक अरब की आबादी के सामूहिक विवेक और विचारों से अवगत किया जाए कि भारत इराक के विरुद्ध युद्ध का विरोध करता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री रूपचंद पाल एसोसिएट कह रहे हैं। सदन की कार्यवाही मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.19 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.19 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सामान्य बजट, 2003-2004—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2002-2003

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम बजट पर चर्चा को जारी रखेंगे। श्री खारबेल स्वाइं बोल रहे थे और अब वे अपनी बात जारी रखेंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35 और 36, 38 से 62, 64 से 70, 72 और 73, 75 से 103 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिये या के संबंध में, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	614,64,00,000	22,15,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	251,82,00,000	...

1	2	3	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	86,27,00,000	4,06,00,000
एग्रो और ग्रमीण उद्योग मंत्रालय			
4.	एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	111,17,00,000	10,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
5.	परमाणु ऊर्जा	270,76,00,000	190,15,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	244,43,00,000	333,33,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
7.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	9,73,00,000	210,98,00,000
8.	उर्वरक विभाग	3851,66,00,000	64,70,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9.	नागर विमानन मंत्रालय	207,05,00,000	7,85,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	72,98,00,000	4,17,00,000
खान मंत्रालय			
11.	खान मंत्रालय	185,21,00,000	3,42,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
12.	वाणिज्य विभाग	278,23,00,000	25,50,00,000
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	63,89,00,000	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
14.	डाक विभाग	932,56,00,000	21,53,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	227,94,00,000	17,00,000
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	75,88,00,000	6,48,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	6,18,,00,000	39,00,000
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4704,51,00,000	58,39,00,000
रक्षा मंत्रालय			
19.	रक्षा मंत्रालय	779,00,00,000	64,30,00,000
20.	रक्षा पेंशन	1833,29,00,000	
21.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	4940,11,00,000	
22.	रक्षा सेवाएं—नौसेना	842,34,00,000	

1	2	3	
23.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	1419,85,00,000	
24.	रक्षा आयुध निर्माणियां	693,50,00,000	
25.	रक्षा सेवाएं—अनुसंधान एवं विकास	457,32,00,000	...
26.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		3490,41,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग			
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	153,33,00,000	11,70,00,000
विनिवेश मंत्रालय			
28.	विनिवेश मंत्रालय	4,73,00,000	...
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	183,19,00,000	4,24,00,000
विदेश मंत्रालय			
30.	विदेश मंत्रालय	585,70,00,000	82,51,00,000
वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय			
31.	आर्थिक कार्य विभाग	730,19,00,000	42,84,00,000
32.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	145,39,00,000	90,70,00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1259,96,00,000	531,98,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	4364,11,00,000	...
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		112,50,00,000
38.	व्यय विभाग	4,00,00,000	
39.	पेंशन	747,88,00,000	...
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	160,71,00,000	2,58,00,000
41.	राजस्व विभाग	161,43,00,000	2,27,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	201,80,00,000	19,25,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	189,25,00,000	44,18,00,000
44.	कम्पनी कार्य विभाग	8,62,00,000	50,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13,47,00,000	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य विभाग	426,16,00,000	52,84,00,000
47.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपेथी विभाग	32,41,00,000	33,00,000

1	2	3	
48.	परिवार कल्याण विभाग	997,69,00,000	...
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
49.	भारी उद्योग विभाग	22,15,00,000	286,29,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	2,10,00,000	
गृह मंत्रालय			
51.	गृह मंत्रालय	116,22,00,000	3,42,00,000
52.	मंत्रिमंडल	42,70,00,000	35,00,000
53.	पुलिस	1560,03,00,000	182,33,00,000
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	125,69,00,000	
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	102,23,00,000	71,60,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
56.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	917,44,00,000	
57.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	826,09,00,000	1,00,000
58.	महिला और बाल विकास विभाग	707,48,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	214,93,00,000	38,60,00,000
श्रम मंत्रालय			
60.	श्रम मंत्रालय	161,81,00,000	3,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
61.	निर्वाचन आयोग	1,83,00,000	
62.	विधि और न्याय	98,36,00,000	9,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
64.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	84,19,00,000	20,84,00,000
महासागर विकास विभाग			
65.	महासागर विकास विभाग	33,22,00,000	
संसदीय कार्य मंत्रालय			
66.	संसदीय कार्य मंत्रालय	67,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
67.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	19,34,00,000	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			

1	2	3	
68.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1354,71,00,000	
	योजना मंत्रालय		
69.	योजना मंत्रालय	13,13,00,000	
	विद्युत मंत्रालय		
70.	विद्युत मंत्रालय	311,46,00,000	470,51,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और		
	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
72.	लोक सभा	30,18,00,000	
73.	राज्य सभा	14,06,00,000	...
75.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	18,00,000	
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	935,20,00,000	1079,74,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
77.	ग्रामीण विकास विभाग	4316,54,00,000	5,00,00,000
78.	भूमि संसाधन विभाग	175,61,00,000	
79.	पेय जलापूर्ति विभाग	1100,23,00,000	
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
81.	विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	161,81,00,000	8,35,00,000
81.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	188,05,00,000	1,35,00,000
82.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	45,56,00,000	
	नौवहन मंत्रालय		
83.	नौवहन मंत्रालय	89,35,00,000	58,33,00,000
	लघु उद्योग मंत्रालय		
84.	लघु उद्योग मंत्रालय	62,93,00,000	3,33,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	221,18,00,000	21,25,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
86.	अंतरिक्ष विभाग	314,71,00,000	80,01,00,000

1	2	3	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
87.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	631,54,00,000	4,19,00,000
इस्पात मंत्रालय			
88.	इस्पात मंत्रालय	11,39,00,000	2,17,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
89.	कपड़ा मंत्रालय	203,52,00,000	81,46,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
90.	संस्कृति विभाग	90,62,00,000	...
91.	पर्यटन विभाग	26,80,00,000	34,25,00,000
जनजातीय कार्य मंत्रालय			
92.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	21,34,00,000	6,88,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)			
93.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145,14,00,000	35,23,00,000
94.	चंड़ीगढ़	143,07,00,000	25,74,00,000
95.	दादरा और नागर हवेली	56,76,00,000	6,05,00,000
96.	दमन और दीव	44,69,00,000	5,06,00,000
97.	लक्षद्वीप	37,87,00,000	5,99,00,000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
98.	शहरी विकास विभाग	117,00,00,000	215,41,00,000
99.	लोक निर्माण कार्य	111,99,00,000	46,54,00,000
100.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	27,14,00,000	3,00,000
101.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	59,18,00,000	47,82,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
102.	जल संसाधन मंत्रालय	122,11,00,000	9,50,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
103.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	71,84,00,000	1,54,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी		49823,71,00,000	8365,79,00,000

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांग संख्या 1, 3 से 15, 28, 30, 35 और 36, 38 से 40, 42, 45, 47 से 51, 54 से 58, 60, 63, 66 और 67, 73 से 80, 82 और 83, 85 से 88, 90, 94 और 98 से 102 के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगो की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	1,00,000	
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग		61,00,00,000
6.	उर्वरक विभाग		293,74,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	1,00,000	
कोयला और खान मंत्रालय			
8.	कोयला विभाग	1,00,000	
9.	खान विभाग	...	9,99,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
10.	वाणिज्य विभाग	3,00,000	1,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग	8,35,00,000	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
12.	डाक विभाग	190,94,00,000	
13.	दूरसंचार विभाग	277,20,00,000	33,16,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2,01,00,000	
रक्षा मंत्रालय			
15.	रक्षा मंत्रालय		1,00,000
वित्त मंत्रालय			
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां		635,74,00,000
30.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	802,53,00,000	
35.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	3,47,00,000	1,00,00,000
36.	राजस्व विभाग	...	17,00,000
38.	प्रत्यक्ष कर	79,58,00,000	...

1	2	3	
	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
39.	उपभोक्ता कार्य विभाग		15,00,00,000
40.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2983,67,00,000	
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
42.	स्वास्थ्य विभाग	1,18,00,000	
	गृह मंत्रालय		
45.	गृह मंत्रालय		1,00,000
47.	पुलिस	1,00,000	5,00,00,000
48.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	241,00,00,000	
49.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	85,88,00,000	133,53,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
50.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	4,00,000	
	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		
54.	भारी उद्योग विभाग	6,68,00,000	75,01,00,000
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
55.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1,00,000	
	श्रम मंत्रालय		
56.	श्रम मंत्रालय	2,00,000	
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
57.	विधि और न्याय	95,75,00,000	
58.	निर्वाचन आयोग	62,00,000	
60.	कम्पनी कार्य विभाग	1,00,000	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
63.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	26,00,000	1,05,00,000
	विद्युत मंत्रालय		
66.	विद्युत मंत्रालय	40,77,00,000	5,35,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
67.	ग्रामीण विकास विभाग	1099,72,00,000	

1	2	3	
	लघु उद्योग मंत्रालय		
73.	लघु उद्योग मंत्रालय	1,00,000	...
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
74.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	
	इस्पात मंत्रालय		
75.	इस्पात मंत्रालय	67,55,00,000	61,12,00,000
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3,00,000	2,00,000
	नौवहन मंत्रालय		
77.	नौवहन मंत्रालय	158,31,00,000	...
	कपड़ा मंत्रालय		
78.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	1,00,000
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय		
79.	पर्यटन मंत्रालय		25,00,00,000
80.	संस्कृति विभाग	1,01,00,000	...
	शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
82.	शहरी विकास विभाग		1,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य		1,00,000
85.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग		31,26,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
86.	जल संसाधन मंत्रालय		11,67,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
88.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	10,02,00,000	1,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
90.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं		335,00,00,000
	राष्ट्रपति संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
94.	राज्य सभा	7,28,00,00	...

1	2	3	
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
98.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		17,67,00,000
99.	चंड़ीगढ़	26,68,00,000	5,16,00,000
100.	दादरा और नगर हवेली	6,00,000	2,20,00,000
101.	दमन और दीव	2,57,00,000	35,00,000
102.	लक्षद्वीप	4,00,000	45,00,000
	कुल जोड़	6193,42,00,000	1759,71,00,000

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें-

मांग संख्या 1 और 21"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	-	43,72,665
रक्षा मंत्रालय			
21.	रक्षा आयुध निर्माणियां	229,69,86,853	-
	जोड़	229,69,86,853	43,72,665

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, जब कल मैं अपनी बात कह रहा था तो मैं विनिवेश पर बोल रहा था जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपये प्राप्ति के रूप में निर्धारित किए गए थे जबकि केवल 3,000 करोड़ रुपये ही एकत्रित किए जा सके।

इस देश के एक आम आदमी के रूप में मैं विनिवेश की प्रक्रिया के संबंध में कुछ प्रश्न उठाना चाहूंगा। सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 2,70,000 करोड़ रुपये के उच्च लागत वाले ऋण का निवेश क्यों करना चाहिए जबकि उससे वार्षिक प्राप्तियां केवल 3.5 प्रतिशत हैं? क्या इस देश में रोजगार उपलब्ध कराने का यह तरीका है?

ऐसा कैसे होता है कि सरकारी क्षेत्र का एक घाटे में चल रहा उपक्रम निजीकरण के बाद रातों रात लाभ-अर्जक बन जाता है? मेरा प्रश्न यह है: हम क्यों नहीं ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश किए गए धन को निकालकर उसे सामाजिक अवसंरचना जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, सड़कें, गांवों में बिजली का प्रावधान करने आदि जैसी चीजों में निवेश क्यों नहीं करते। क्या सरकार का काम व्यवसाय करना है? अत: मेरी सरकार से यह अपील है कि जितनी जल्दी सरकार व्यवसाय करने के इस कार्य से बाहर आ जाएगी देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। सरकार को इस संबंध में अपने रुख पर कायम रहना चाहिए।

[श्री खारबेल स्वाइं]

इसके बाद मैं रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया की शुरुआत करने से संबंधित दूसरे बिंदु पर आता हूं। सस्ते यूरिया के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी को बर्बाद कर दिया है और उसकी उत्पादन क्षमता घट गई है। अत: क्या हमें रसायनिक उर्वरकों के उपयोग को जारी रखना चाहिए जो धीरे-धीरे कृषि के क्षेत्र में बर्बादी ला रहे हैं?

लगभग दो वर्ष पहले कृषि मंत्रालय ने जैविक कृषि के संबंध में एक कार्य बल का गठन किया था और मैं भी उसका एक सदस्य था। हमने पूरे भारत का भ्रमण किया और हम गत वर्ष ही उस जैविक कृषि संबंधी इस कार्यबल की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को सौंप चुके हैं। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जैविक कृषि से उत्पादन की लागत में तो कमी आती है परंतु इससे उत्पादन नहीं घटता। अत: इससे लाभ बढ़ जाता है। तब हम हमेशा क्यों चिल्लाते हैं—किसान मर गया, खाद का दाम बढ़ गया? तब हम जैविक खेती की प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाते जो कि बहुत सस्ती है? अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इस पहलू पर गंभीरता से ध्यान दें जिससे कि कुछ समय के बाद हमारी जमीनें बंजर न हो जाएं। भारत में जैविक कृषि और जैव-उर्वरकों के उपयोग की एक पुरानी परंपरा रही है।

अब, मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के सम्मुख दो या तीन प्रश्न और रखने हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि हमारे पास लगभग 70 बिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। उस पैसे का क्या करना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशों में बैंकों में पैसा जमा कराने पर प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है लेकिन भारत में हम लगभग 10 प्रतिशत ब्याज देते हैं। अत: मेरी वित्त मंत्री जी से अपील है कि, जब वे उत्तर दें तो बताएं कि हम ऐसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का क्या करना चाहते हैं? इसने हमें बहुत आरामदायक स्थिति में ला दिया है परंतु इसके संबंध में हमें क्या करना है?

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक और चीज के बारे में अपील करूंगा। क्या हमें केन्द्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य को शासित करना चाहिए जो सीधे इसके सम्पर्क में होती है? क्या ऐसा करना सही नहीं होगा कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी जाए कि वह यह पता लगाए कि लक्षित व्यक्ति कौन है और किसे यह राजसहायता मिलनी चाहिए?

आवास ऋण के संबंध में मेरा प्रश्न यह है: केवल वेतनभोगी वर्ग को ही आवास ऋण पर रियायत क्यों मिलनी चाहिए? उन लोगों का क्या होगा जो वेतनभोगी नहीं हैं? जब वे घर का निर्माण करते हैं तो उन्हें सामान्यतया उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि वेतनभोगी वर्ग को मिलता है। अत: मेरी यह अपील है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अपील करूंगा कि वे विद्युत विधेयक पुर:स्थापित करें और इसे शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाना चाहिए क्योंकि 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए आपको शक्ति चाहिए; आपको विद्युत चाहिए। उचित गुणवत्ता वाली बिजली की अनुपलब्धता से आप 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर के आस-पास भी नहीं पहुंचने जा रहे हैं।

अंत में, दो-तीन मिनट के समय में मैं कुछ सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं कर संग्रहण और कर प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में यह अपील करूंगा कि छोटे-पैमाने की बचतों, बीमा पॉलिसियों, आवास ऋण, चिकित्सा व्यय, बैंकों में बचत खातों पर दी जा रही सभी रियायतों को धीरे-धीरे कम करना चाहिए क्योंकि छूट का दावा करने के लिए भारी गणनाओं और निवेश के सबूत की आवश्यकता पड़ती है। इससे कागजी कार्यवाही कई गुणा बढ़ जाती है और इससे अनुपालन लागत में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में सरकार को अधिकाधिक राजस्व की हानि होती है। इन सब रियायतों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि इन रियायतों को समाप्त कर दिया जाता है तो कर की कम दरों से ऐसी रियायतों को समाप्त करने के घाटे की पूर्ति हो जाएगी। यहां तक कि यदि सरकार करों की दर में कमी लाती है तो स्वाभाविक रूप से सभी रियायतों को समाप्त करने की हानि की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति हो जाएगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि स्थायी खाता संख्या 'पैन' के आबंटन का कार्य बाहरी संस्था से कराया जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इसे एक समयबद्ध परियोजना बना दें जिससे कि एक निर्धारित समयावधि में सभी आयकर दाताओं को स्थायी खाता संख्या आबंटित की जा सके।

कर की चोरी को रोकने हेतु सभी बड़े लेनदेन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से किए जाने चाहिए। कर-मुक्त आय की सीमा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए; इसके स्थान पर कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, जो कि माननीय वित्त मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं। सीमा शुल्क को चरणबद्ध तरीके से घटाया जाना चाहिए।

अप्रत्यक्ष कर की दरों में इन सभी विवेकाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए। कर नीति स्थायी, पूर्वसूचनीय होनी चाहिए अन्यथा जोखिम-बोध में वृद्धि होगी। सरकार को न केवल नए करदाता अपितु कुछ और आय को भी कर के दायरे में लाया

जाना चाहिए और नए करदाताओं की अपेक्षा कम आय दर्शाए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों, विशेषकर उड़ीसा जैसे राज्यों में रहने वालों पर सर्वेक्षण कराए जाने के संबंध में भी एक अपील करूंगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहां कुछ जिले ऐसे हैं, जैसे मेरा अपना जिला, जो कि तुलनात्मक रूप से उड़ीसा के बहुत समृद्ध जिले हैं। मेरे जिले के जिलाधीश ने यह उल्लेख किया है कि मेरे जिले के 84 प्रतिशत लोगो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं।

केवल स्कूल अध्यापक इस सर्वेक्षण के लिए जाते हैं और जो भी व्यक्ति उनसे अनुरोध करता है वह उसका नाम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में डाल देते हैं। प्रत्येक ऋण, प्रत्येक सरकारी विशेषाधिकार, प्रत्येक वस्तु गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई बाह्य एजेंसी जाकर वास्तव में यह सर्वेक्षण करे ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के निमित्त प्रोत्साहन वास्तविक लोगों अथवा लक्षित व्यक्तियों को ही मिले। यह इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए।

कृपि ऋण मौजूदा 14 से 15 प्रतिशत की दर से कम करके 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए। सेल्युलर फोन पर सीमाशुल्क दर को भी कम किया जाना चाहिए। अब सेल्युलर फोन एक आम बात हो गई है और यह प्रत्येक स्थान में हैं। डेढ़ वर्ष पहले जब मैं चीन गया था तो मैंने पाया कि एक ग्वाला भैंस पर बैठकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि भविष्य में भारत में भी ऐसा होगा। यह सेल्युलर फोन अमीर व्यक्तियों का नहीं अपितु गरीब गों का भी यंत्र होगा क्योंकि अनेक गांव हैं जहां आप केबल नहीं बिछा सकते। यह बिल्कुल संभव नहीं है। यदि आप इन गांवों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं तो आप केवल मोबाइल फोन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

इसलिए मोबाइल फोन की दरें कम की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण भी इन्हें खरीद सकें। भारतीय कम्पनियां बहुत ज्यादा विनियामक मूल्य अदा कर रही हैं और जब वे अंतर्राष्ट्रीय पटेंट के लिए आवेदन करती हैं तो वे बहुत अधिक कीमत देती हैं। उन्हें इस संबंध में कुछ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

अंतत:, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कुछ बाहर के लोग हैं जो कहते हैं संसद सदस्य और विधायक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि से कुछ पैसा लेते हैं तो मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं। यहां ऐसे अनेक लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद इस देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक संसद सदस्य को सूटकेस में दो करोड़ रुपये देकर कहते हैं कि वे अपनी इच्छा से इसे खर्च कर लें। मैं, इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम धनराशि नहीं देखते हैं। यह जिला आयुक्त के पास जाती है। हम केवल प्रस्ताव करते हैं। जिला आयुक्त ही वास्तव में धनराशि स्वीकृत करता है। यह कार्यकारी प्राधिकारी है। यह कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार की नियुक्ति करता है। वह सभी कार्य करता है। वही वास्तव में संबंधित बिल पारित करता है। हम बिल्कुल भी इस मामले से संबद्ध नहीं हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार हमारा उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। इस देश में केवल अफवाह फैलाई जा रही है कि संसद सदस्य अथवा विधायक 2 करोड़ रुपये से भरा सूटकेस ले रहे हैं और अपनी इच्छा से खर्च कर रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा परिकल्पित उत्कृष्ट योजनाओं में से एक है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दें। यह केवल मेरी अपील नहीं अपितु इस सभा के सभी सदस्यों की अपील है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अपील करता हूं। यहां सुवर्णरेखा नामक नदी है जिसे बलेश्वर जिले की वांग हो कहा जता है और यह नदी प्रत्येक वर्ष बलेश्वर जिले में तबाही मचाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तटबंधों को सुदृढ़ करने हेतु धनराशि प्रदान करें ताकि मेरे जिले के तीन खण्ड बाढ़ से तबाह न हों और कम से कम वर्ष में एक फसल को बचाया जा सके।

अंत में, मैं इस बजट के लिए वित्त मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस बजट से निकट भविष्य में आठ प्रतिशत वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है और सुविधाजनक भुगतान संतुलन स्थिति और कम मुद्रास्फीति के कारण इस देश को वित्तीय घाटे का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया (गुना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री जसवन्त सिंह ने वर्ष 2003-2004 का बजट हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और इस बजट में की गई सिफारिशों पर इस सभा तथा समग्र राष्ट्र को विचार तथा विश्लेषण करना है। हमें गंभीरतापूर्वक, विनम्रता से, उत्सुक्ता से, बिना किसी द्वेष अथवा संकीर्ण धर्मान्धता के, सभी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर तथा हमारे देश की जनता के हित में ऐसा करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा कहे गए आरंभिक वक्तव्य को उद्धृत करता हूं:

[श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया]

''वृहत्त आर्थिक परिस्थितियां कभी भी इससे बेहतर नहीं रही।'' यदि आज हमें अपने देश में आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करना हो और व्यापक आर्थिक मानदण्डों पर ध्यान देना है। तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्थिति आज की तुलना में अधिक गंभीर और चिंताजनक हो सकती है। आज के बजट में वाकपटुता है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों का अभाव है। बजट में हमारे देश की समस्याओं का उल्लेख है लेकिन इनका बहुत कम लघु अवधिक समाधान दिया गया है।

अब कुछ वृहत् आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें। वर्ष 1992 से 1996 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.1 से 8 प्रतिशत थी जो आज 5.6 प्रतिशत से गिरकर पिछले वर्ष के 4.4 प्रतिशत हो गई तथा इसमें कुल मिलाकर 20 प्रतिशत से अधिक कमी आई है जो प्रधान मंत्री के आठ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद दर के लक्ष्य के विपरीत है। इससे भी महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अर्थात् कृषि पूर्ण रूप से तबाह हो गई है।

पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में आज यह नकारात्मक 3.1 प्रतिशत हो गई है। खाद्यान्न के संबंध में, जो इस बात का पैमाना है कि हम देश की जनता को कितनी अच्छी तरह भोजन दे सकते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में 13.6 प्रतिशत की गिरावट आई है अर्थात् यह उत्पादन 212 मिलियन टन से कम होकर 183 मिलियन टन रह गया है।

यदि आज आप देशभर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण छह फसलों को देखें चाहे वह चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, कपास अथवा चीनी हो, सभी की स्थिति निराशाजनक है। दूसरी ओर, जब हम उद्योग की ओर देखते हैं तो कभी इसमें वृद्धि 12 प्रतिशत थी लेकिन, आज, हमें शिष्टता पूर्वक वृद्धि के बारे में बताया गया है कि उद्योग में वृद्धि 3.3 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत वृद्धि हो गई है और वह भी तब जब मुख्य क्षेत्र जैसे—वस्त्र, चमड़ा, विनिर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई है।

नि:संदेह स्थिति चिंताजनक है। 5.3 प्रतिशत का वित्तीय घाटा हमेशा की तरह अपने लक्ष्य से बढ़कर आज 5.9 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 1994 में जो राजस्व घाटा 2.4 प्रतिशत था, आज 4.3 प्रतिशत हो गया है। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका तात्पर्य यह है कि सरकार निरंतर अधिक दर पर ऋण लेकर खपत का वित्तपोषण कर रही है जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व का 70 प्रतिशत ऋण सेवा भुगतान में चला जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत है जो कि पाकिस्तान के 105 प्रतिशत से थोड़ा सा कम है।

यदि हम अपनी सीमा के पार देखें तो मेरा विश्वास है कि हमारा निकटतम आर्थिक प्रतिस्पर्धी चीन है जिसने सफलतापूर्वक 8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त कर ली है और उनकी सफलता की कहानी इस तथ्य पर आधारित है कि उनकी निवेश दर 36 प्रतिशत है तथा बचत दर 40 प्रतिशत। दुर्भाग्वश पिछले तीन वर्षों में हमारे देश की निवेश दर 22 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। दूसरी ओर यदि हमें वास्तव में प्रधानमंत्री की 8 प्रतिशत वृद्धि के वक्तव्य को शब्दों में नहीं अपितु कार्यवाही करके अमल में लाना है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें 36 प्रतिशत की दर से निवेश करना होगा और 24 प्रतिशत की चालू बचत दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना होगा।

मैं अब संक्षेप में बजट के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष व्यय 14 प्रतिशत तक बढ़ गया था। यदि हम बजट घाटे को कम करना चाहते हैं तो हमें या तो राजस्व बढ़ाना होगा अथवा व्यय कम करना होगा। हमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। हम इस वर्ष अपने राजस्व लक्ष्य में 13 प्रतिशत पिछड़ गए हैं। हम अगले वर्ष राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यह भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि आप अन्य क्षेत्रों को देखें तो उत्पाद शुल्क में 11 प्रतिशत, सीमा शुल्क में 8.5 प्रतिशत, निजी आयकर में 15 प्रतिशत तथा निगमित आयकर में 18 प्रतिशत तक वृद्धि होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अप्राप्य लक्ष्य हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत का. सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कर का अनुपात विश्व में सबसे कम में से है अर्थात् 8.5 है। पिछले चार वर्षों से देशभर में अर्थशास्त्रियों की यही धारणा है। हम कर अनुपालन बढ़ाने, कर आधार व्यापक करने के प्रति कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन हमेशा की तरह हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई है। यह देखकर आश्चर्य नहीं होता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। आज सरकारी निवेश नहीं हो रहा है। यदि आप गैर-योजनागत व्यय को देखे तो इसमें 21,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है लेकिन 10,000 करोड़ रुपये की राजसहायता के कारण ब्याज के कारण 6,000 करोड़ रुपये तथा रक्षा वेतन के कारण, 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अत: कुल व्यय का 82 प्रतिशत राजस्व पर आधारित है। यदि हम पूंजीगत व्यय को देखें तो आज यह अनुपात 3.1 प्रतिशत से कम होकर 2.5 प्रतिशत हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, कुल राजस्व का 51 प्रतिशत ब्याज भुगतान में चला जाता है, अर्थात् रक्षा-26 प्रतिशत; वेतन और पेंशन में 14 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत। इस तरह सरकार के कुल राजस्व का 99 प्रतिशत पहले

ही खत्म हो जाता है और ऋण लेकर भावी पूंजीगत व्यय तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन किया जाता है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट में भाषण में अपनी पांच प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। मैं एक बार में एक ही बात पर चर्चा करूंगा। पहली बात गरीबी उन्मूलन की है। मैं अभी भी 15 अगस्त, 1947 की ऐतिहासिक रात को नेहरू जी द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं। मैं उनका कथन उद्धृत करता हूं, ''कि आने वाले समय में निश्चिन्तता अथवा आराम करना नहीं अपितु निरंतर प्रयास करना है होगा ताकि हम अपनी अक्सर की गई प्रतिज्ञा और जो प्रतिज्ञा आज करेंगे, को पूरा कर सकें कि भारत की सेवा का अर्थ है करोड़ों गरीबों की सेवा और इसका मतलब है गरीबी, अज्ञानता और बीमारी तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करना।''

यह शर्मनाक है कि भारत जैसे खाद्य अधिशेष देश में अभी भी भुखमरी से मौतें हो रही हैं। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सरकार की अकुशलता जिम्मेदार है जो आवश्यक वस्तुएं हमारी गरीब जनता की पहुंच में नहीं रखती। आज रोजगार के नए अवसरों की जरूरत है न कि अन्त्योदय अन्न योजना के लिए मात्र 507 करोड़ रुपया। यदि इस धनराशि को देखें, जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 50 लाख परिवारों को आपूर्ति की जानी है तो आप प्रतिदिन 2 रुपये 80 पैसे प्रति परिवार की बात कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि 'गरीबों के पेट में दाना' के बजाए यह सरकार उन्हें खाना भी नहीं दे सकती।

बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं तो सरकार इस देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। केन्द्र द्वारा खर्च किये गए हर सौ रुपये में से केवल एक रुपया शिक्षा पर, चौंतीस पैसे स्वास्थ्य और केवल पैंतालीस पैसे बाल विकास पर व्यय किये जाते हैं। आज हमें विश्व के सबसे ज्यादा अशिक्षितों वाले देशों में से एक होने की विशेषता प्राप्त है। हमारे लगभग 35 मिलियन या एक तिहाई बच्चे स्कूल नहीं जाते। प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार की अपनी अपेक्षित आवश्यकता 14,000 करोड़ रुपये की तुलना में 4,900 करोड़ रुपये का आबंटन बहुत कम है। इस 4900 करोड़ रुपये के आबंटन के आधार पर की गई गणना के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से रुपया 50 पैसे प्रतिदिन आता है। यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व से बच रही है। वर्तमान बजट में परिव्यय में केवल 400 करोड़ रुपये की वृद्धि करके इसे 9,625 करोड़ किया गया है।

श्रेष्ठता के प्रतीक आई.आई.टीज के लिए इस बजट में केवल 140 करोड़ रुपये और हमारे आई.आई.एमस के लिए केवल 25 करोड़ रुपये रखे गये हैं। आज विश्व एक ज्ञान आधारित समाज बन गया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान निरन्तर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से एकरूप हों। 1991-96 के दौरान कांग्रेस सरकार सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध थी। उस समय शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत व्यय किया जा रहा था। आज यह दुखद रूप से 2.5 प्रतिशत के स्तर पर है।

अब हम बेरोजगारी का मुद्दा लेते हैं पिछले दो वर्षों के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि की दर 0.15 प्रतिशत से घटकर 0.38 प्रतिशत हो गयी है। इनमें से प्रत्येक वर्ष में 700 हजार युवक और युवितियां विश्वविद्यालयों और कालेजों से स्नातक होकर रोजगार बाजार में आए हैं। इस सरकार के पिछले चार वर्षों के शासनकाल में एक भी नये रोजगार का सृजन नहीं हुआ है बल्कि 3 मिलियन युवक और युवतियां शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल हो गये हैं।

कृषि में निवेश के घटने के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ी है। वर्ष 2020 तक देश में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या 160 से 170 मिलियन के करीब पहुंच जाएगी। नब्बे के दशक में रोजगार तलाशने वालों की औसत वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत थी। पिछले चार वर्षों में रोजगार की औसत वृद्धि की दर नकारात्मक रूप से 0.75 प्रतिशत हो गयी है। अत: मुझे खेद सहित यह कहना पड़ रहा है कि रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है बल्कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक करोड़ रोजगारों के सृजन का जो वायदा किया था उसके बिल्कुल विपरीत रोजगारों के अवसर घटे हैं।

अब हम कृषि क्षेत्र पर गहन नजर डालते हैं। इंदिरा गांधी जी हरित क्रांति लाई थी। 1988-89 में राजीव गांधी जी ने अपने प्रौद्योगिकी मिशन और दुग्ध की श्वेत क्रान्ति के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया।

कृषि क्षेत्र में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो इस देश में अब तक सर्वाधिक रही है।

मेरे विचार से हमें कृषि क्षेत्र के इतिहास में जाना होगा। विगत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने पर प्रमुखता से जोर दिया जाता था। हमने इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अन्य क्रान्ति की शुरूआत करना समय की मांग है। खाद्यान्न उत्पादन में विविधता लाने की क्रान्ति-अर्थात्

[श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया]

प्रमुख फसलों की जगह नकदी फसलों को बढ़ावा देना, ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, एक क्रान्ति जो किसानों को संगठित करके यह सुनिश्चित कर सके कि उन्हें किसी वस्तु की अर्जित कीमत की अधिकतम मात्रा उन्हें मिले।

आज विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि वाले देशों का गौरव भारत को प्राप्त है। वित्त मंत्री ने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा था, मैं उसे उद्धृत करता हूं: ''कृषि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायी रक्त है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि फिर क्यों उनके द्वारा बनायी गई नीतियों के कारण किसानों का रक्त बह रहा है और वे आत्महत्या कर रहे हैं?

पिछले बजटों की तरह ही इस बजट में भी खाद, डीजल और पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि की गई है। यह किसान विरोधी सरकार है।

मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चाहे वह कृषि मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, इन सबका आबंटन 12834 करोड़ रु. से घटकर 8,181 करोड़ रु. यानि 36 प्रतिशत कम क्यों हो गया है? 1994 में कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश 33 प्रतिशत था जो कि अब घटकर 24 प्रतिशित हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि निवेश का हिस्सा 1994 में 1.6 प्रतिशत था जो कि आज 1.3 प्रतिशत हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी की कमी हमारे किसानों की प्रमुख समस्या है। आज हमारी केवल 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि ही सिंचित है। हर वर्ष हमारी भूजल तालिका 5 प्रतिशत की दर से सिकुड़ रही है। आने वाले समय में उद्योग, कृषि और निर्माण के क्षेत्र में इससे विकास के क्षेत्र में भारी कमी आयेगी। वक्त की जरूरत है कि नहरों और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश शुरू करने के लिए एक नया पनधारा कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

यह मेरी उत्कट अभिलाषा है। वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा है कि वे कृषि पर विशेषज्ञ सलाहकार परिषद् की व्यवस्था करेंगे। यह केवल मेरी ही आशा नहीं है बल्कि इस देश के लाखों, करोड़ों लोगों की आशा है कि इसका हश्र भी केलकर समिति की रिपोर्ट की तरह ही न हो।

अब मैं संक्षिप्त में अवसंरचना की बात करना चाहूंगा। देश में 60,000 करोड़ रुपये की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वायदा किया गया था। लेकिन सरकार की भूमिका किसी सक्रिय निवेशक या सहायक की न होकर केवल राजसहायता देने वाले की हो गयी है। अवसंरचना के संबंध में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती हैं किन्तु सरकार के पास इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक निवेश नहीं है। अत: कोई सरकारी निवेश नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हर परियोजना के लिए स्पष्ट समयबद्ध कार्यान्वयन सारणी नहीं बनायी जाएगी, इन क्षेत्रों में कोई निजी निवेश नहीं होगा।

देश में विद्युत की स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है। देशभर में मांग की तुलना में 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की कमी है। यदि आप पारेषण और वितरण के घाटे को देखें तो यह औसतन 31 प्रतिशत है। कुछ राज्यों में यह 45 से 50 प्रतिशत तक है। चोरी के कारण वाणिज्यिक घाटा सकल घरेलु उत्पाद का एक प्रतिशत है जो कि लगभग 24,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के बराबर है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है। पिछले वर्ष बड़े जोरशोर से त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 3500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। विद्युत की भारी कमी को देखते हुए इस वर्ष यह आबंटन 68 प्रतिशत घटाकर 1089 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि आप विद्युत मंत्रालय के परिव्यय को देखें तो पाएंगे कि इसमें मामूली सी 1200 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और यह 12668 करोड़ कर दिया गया है। बजट विवरण में क्या लक्ष्य रखे गए हैं? इसमें कहा गया है कि ''हम 545 बिलियन विद्युत यूनिटों का उत्पादन करेंगे; 24,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा।''

यह पैसा कहां से आएगा? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि देश को एक लाख मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन करके उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता है। इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता। यह पैसा कहां से आएगा? यह तो निश्चित है कि निजी क्षेत्र से यह पैसा नहीं आएगा। हमें उत्पादन, पारेषण और वितरण में व्याप्त अव्यवस्था को सुलझाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्युत पर व्यय किया गया प्रत्येक रुपया राजस्व अर्जित करेगा और वापिस आएगा।

आर्थिक सुदृढ़ीकरण वित्त मंत्री जी द्वारा चिन्हित किया गया एक प्रमुख मुद्दा था। हम वित्तीय घाटे को देखें तो यह 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गया है; और सकल व्यय, पिछले 50 वर्षों की अवधि में सबसे अधिक अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद का 16.4 प्रतिशत रहा है। इस घाटे संबंधी आंकड़ों में सरकार की कई देयताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त मंत्री जी ने 100 हजार करोड़ रुपये के 'केन्द्र से राज्य के ऋणों का विनिमय' की घोषणा की है। लेकिन ऋण विनिमय के कारण छोड़ा गया ब्याज शामिल नहीं किया गया। तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, रसोई गैस और कैरोसिन पर राजसहायता 6300 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,000 करोड़ हो जाएगी, इसे भी वित्तीय घाटे के आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

अंत में, राज्यों के राजस्व घाटे के लिए 700 करोड़ का वैट प्रावधान कम रहेगा और वांछित राशि और बढ़ जाएगी क्योंकि राज्यों का एकत्रित बिक्री कर 93,000 करोड़ रुपए है।

मैं वित्त मंत्री जी को एक कार्यक्रम के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा—वो है जीवन बीमा निगम की पेंशन योजना। तथापि, यहां एक मुद्दे ने हम सबको चौंका दिया है—इसके लिए आयु को 60 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष किया जाना। सरकार की किसी भी अन्य योजना में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आयु एक बड़ा मापदंड बन गया है। उसी तह किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए देश का प्रधानमंत्री बनने हेतु 55 वर्ष की आयु बहुत कम मानी जाती है, वहीं सरकार की गारंटी वाली पेंशन योजना का दावा करने के लिए यह आयु वरिष्ठ नागरिक समझे जाने के लिए पर्याप्त है। वित्त मंत्री जी आर्थिक सुदृढ़ीकरण की बात करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष बजटीय आबंटन को पांच गुना करके 535 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2492 करोड़ रुपये किया है और हम आर्थिक सुदृढ़ीकरण की बात करते हैं। मैं वित्त मंत्री जी के सामने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहे गये शब्दों को उद्धृत करता हूं:

"विश्व में हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर पहले हमें बदलना होगा।"

अंत में, निष्कर्ष निकालते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह बजट आम आदमी का बजट है और हिन्दी में उनका यह पद था:

'गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की कुटिया में आना'

अब हम संक्षेप में उन उत्पादों को देखते हैं जो कि देश के करोड़ों लोगों के लिए सस्ते हुए हैं। वे हैं: टायर, एअर कंडीशनर, गैस मिश्रित (एरेटेड) पेय पदार्थ, विदेशी शराब, मोटरकार, आडियो सीडी, खिलौने, रसोईघर का सामान। दूसरी तरफ जो वस्तुएं अब महंगी हो गयी हैं वे हैं: खाद, खाद्य तेल, वनस्पति, सीमेंट, पैट्रोल और पैट्रोलियम पदार्थ, कीटनाशक और जीवनाशी।

वित्त मंत्री के बारे में मैंने जो जानकारी आपको दी है, उससे आप सब को पता चल गया होगा कि वित्त मंत्री वास्तव में क्या कहते हैं और करते क्या हैं। इधर-उधर थोड़ी सी रियायतें दे कर आप महत्वपूर्ण मामलों को नहीं सुलझा सकते। लोगों को सब्ज-बाग दिखाकर आप भूख, कुपोषण तथा बीमारी की काली छाया को हटा नहीं सकते। लोकप्रिय नारे देकर आप राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

आज हमें याद आता है कि स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बुलन्द नारा दिया था-

'जय जवान, जय किसान'

हमें स्मरण करना होगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था-

'रोटी, कपड़ा और मकान'

और आज यह सरकार कहती है-

'खाने को नहीं रोटी, पहनने को नहीं पकड़ा,
हाथ में नहीं काम, हर बात में कहो जय श्रीराम'

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्र विजय सिंह अपने भाषण को सभा पटल पर रखना चाहते हैं और मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

***श्री चन्द्र विजय सिंह** (मुरादाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकप्रिय बजट प्रस्तुत करने तथा लोगों पर अत्यधिक कर न लगाने के लिए हम वित्त मंत्री को बधाई देते हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट में शहरी क्षेत्रों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ कम ध्यान दिया गया—यही दुख का विषय है।

सदन में जब आपने कहा कि अमरीका के बाद भारत विश्व में कृषि-योग्य-भूमि के मामले में दूसरे स्थान पर है तो हमें आशा हुई कि आप कृषकों के लिए कुछ राहत प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे आप भाषण देते रहे तो हमारा क्षणिक सुखाभास समाप्त हो गया। सरकार ने फर्टिगेशन, शोध, उच्च प्रौद्योगिकी की बागवानी, हरित खाद्य, साग उत्पादों, जैव-तकनीकी उकरणों के लिए 50 करोड़ रुपये मात्र उपलब्ध कराए। यह राशि शहरों में एक अथवा दो उपरिपुल बनाने में आने वाली लागत के बराबर है।

ऐसा लगता है इस तथ्य की अनदेखी की गयी है कि अमेरीका में जबकि विश्व की सबसे ज्यादा कृषि योग भूमि है, बहुत कम प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, दूसरी हमारे भारत में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।

महोदय, हमें विश्वास है कि सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखेगी और उर्वरकों तथा डीजल के मूल्यों को कम करेगी ताकि किसानों की तकलीफें कम हों।

चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है। हमें आशा थी कि इस संबंध में कुछ राहत दिलायी जायेगी। लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हो रहा।

पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के विकास हेतु डीजल पर उपकर लगाया गया है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है?

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्रविजय सिंह]

मैं आशा करता हूं कि ग्रामीण सड़कों के लिए अधिक प्रावधान किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र को तेजी से भारत की मुख्य धारा में लाया जा सके।

महोदय, मुरादाबाद देश के लिए प्रति वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। मुरादाबाद को विशेष निर्यात आर्थिक क्षेत्र का दर्जा देने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अनुदान देने की मांग हम काफी समय से करते रहे हैं। परंतु इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। मुझे आशा थी कि मुरादाबाद में एक हवाई अड्डे के निर्माण हेतु विशेष निधि आवंटित की जायेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (हापुड़ से मुरादाबाद) को चार लेन चौड़ा करने के लिए भी धनराशि आवंटित की जायेगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा शहर राष्ट्रीय कोष में अपने अंशदान में वृद्धि करेगा। महोदय, हमें आशा है कि आप हमारी मांग का संज्ञान लेंगे जो जायजा है और जो राष्ट्रीय हित में है।

अंत में, महोदय मैं अनुरोध करता हूं कि कृषक समुदाय के प्रति आप उदारता दिखायें क्योंकि वे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं तथा राष्ट्र की उत्पादकता धैयपूर्वक बढ़ाते जा रहे हैं। जबकि आर्थिक लाभ से उन्हें दूर रखा जा रहा है। आज उनका जीवन स्तर सुधारने की विशेष आवश्यकता है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम बजट है जो अनोखा अभ्यास है। जो लोग कहते हैं कि बजट राजनैतिक वास्तविकताओं पर आधारित होता है उनके विरुद्ध हम कह सकते हैं कि यह सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय का ही वक्तव्य नहीं होता बल्कि मूल तथ्यों से कहीं अधिक होता है। यह राजनीति का अर्थशास्त्र का मेल-जोल होता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण से बिल्कुल भिन्न है, उसमें अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण होता है।

सकल घरेलू उत्पाद दर बढ़ाने के साथ-साथ बजट का उद्देश्य राष्ट्रीय संतुष्टि भी होना चाहिए। देश के सभी तबकों के हितों को ध्यान में रख कर बनाये गये इस बजट के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इसमें लगभग हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया गया है। सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को है जिनकी वार्षिक आय 3 से पांच लाख रुपये के बीच है। आलोचक इसे लोकप्रिय बजट मान सकते हैं क्योंकि केलकर समिति की सिफारिशों के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, उसका प्रभाव इस बजट पर नहीं पड़ा है, तथा भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ पैनल के विचारों को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

जब बजट प्रस्तावों की घोषणा होती है तो वेतन पाने वाला वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उनके हितों का ध्यान रखा गया है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जैसे, 1.5 लाख रुपये तक के आवास ऋण ब्याज पर कर छूट बनाये रखना, बिना कर के आय देना, और 50,000 रुपये की सीमा को तो नहीं बढ़ाया गया लेकिन सुरक्षा अधिकार को हटा लिया गया है। दो बच्चों के शिक्षा व्यय पर 12,000 रुपये की सीमा प्रत्येक बच्चे के लिए आयकर मुक्त की गई है। शिक्षा दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और इससे देश के ज्यादातर परिवारों को लाभ होगा। यात्रा भत्ता सुविधा (एल टी सी) बहाल करने पर सरकारी कर्मचारी खुश होंगे। 1.83 लाख रुपये तक की आय पर छूट से वरिष्ठ नागरिकों को विशेषकर लाभ हुआ है। जिन लोगों ने भविष्य-निधि तथा अन्य छोटी निवेश स्कीमों में निवेश किया है वे 1 मार्च से घाटे में रहेंगे क्योंकि ब्याज दर एक प्रतिशत कम कर दी गई है। ज्यादातर राज्यों में पैंशन पर बहुत ज्यादा खर्च है तथा पैंशन बिलों का भार निरन्तर जा रहा है। इस संभावित संकट का समाधान पैंशन निधि प्राधिकरण की स्थापना करने से हो सकता है। आविष्कार करने वाले कलाकारों तथा लेखकों के हितों की भी रक्षा की गयी है। उनकी 3 लाख रुपये तक की रायल्टी पर कोई कर न लागने का प्रावधान बजट में किया गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

उच्च कार्य निष्पादन वाले सॉफ्टवेयर उद्योग को उचित लाभ दिये गये हैं। इसके साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल खोलने को प्रोत्साहन दिया गया है। जीवन रक्षक उपकरणों पर सीमाशुल्क की भारी छूट दी गयी है, यह 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारी परिवर्तन आयेगा तथा भारत एशिया में मुख्य स्वास्थ्य देख-रेख केन्द्र बन जाएगा।

मैं उड़ीसा के संबंध में कुछ मसलों पर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बजट में इस राज्य के लिए जो कुछ दिया गया है, वह हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है। वित्त मंत्री ने 2002-03 में शुरू की गई ऋण विनिमय योजना के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया है। इस योजना से उड़ीसा जैसे अत्यधिक ऋणी राज्य का ब्याज भार कम करने में थोड़ी सहायता मिली है। बजट में व्यापक ऋण पुनर्संरचना योजना लायी जानी चाहिए थी ताकि हमें आवश्यक व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय अतिआवश्यक आर्थिक राहत मिल जाती। ऐसा कम से कम उन राज्यों के लिए किया जाना चाहिए था जिनके बारे में वित्त आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वे इस ऋण का बोझ सहन नहीं कर सकते।

उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसमें केन्द्र की अनेक परियोजनाएं तथा स्कीमें 50:50, 30:70, और 90:10 अनुपात के आधार पर दी

जाती हैं। लेकिन हमारे राज्य में नकदी की इतनी कमी है कि यह कार्यक्रम और योजनाओं को पर्याप्त धनाभाव के कारण क्रियान्वित नहीं कर पाता है। मैंने हाल ही में सदन तथा इस सरकार का ध्यान बाल्मीकी-अम्बेडकर आवास योजना की ओर दिलाया था, जो 50:50 के अनुपात वाली योजना है। उड़ीसा इस योजना को पूर्णत: क्रियान्वित करने में विफल रहा है। केन्द्र द्वारा प्रदान की जा रही धनराशि का उपयोग धनराशि के अभाव के कारण नहीं किया जा सका।

अब मैं ऋण की स्थिति पर बात करूंगा। हाल ही में किसी विधान सभा में एक वित्त मंत्री ने कहा था, किस विधान सभा में मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा—कांग्रेस शासित महाराष्ट्र राज्य पर 80,000 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल बहुत पीछे नहीं है, आंध्र प्रदेश पर 57,000 करोड़ रुपये का ऋण है। 1947 में केन्द्र पर कुछ सौ करोड़ रुपये का ऋण था जो वी.पी. नरसिंहाराव के समय 4,00,000 करोड़ रुपये हो गया था। केन्द्र सरकार तथा राज्यों का कुल ऋण वर्ष 2002-03 में सकल घरेलू उत्पाद का 76 प्रतिशत पहुंच गया है जो 1991 में 62 प्रतिशत था। रूस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, फिलिपीइन्स, मलेशिया और थाइलैंड जैसे देश जिनकी चर्चा अनेक जगहों पर की जाती है और जिनके बारे में हमें कहा जाता है कि हमें उन पर गौर करना चाहिए कि वे आर्थिक क्षेत्र में कैसे इतना अच्छा कार्य कर रहे है, उनका ऋण बोझ सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। यहां तक कि अमेरीका पर भी 1.3 ट्रिलियन डालर ऋण का बोझ है, जो उसके वार्षिक बजट से ज्यादा है। लेकिन क्या इसका अनुसरण आदर्श होना चाहिए? विश्व के ज्यादातर देशों में कोशिश की जा रही है ''ऋणं कृत्वा, धृतं पिबेत''

जहां तक देश के ऋण भार का संबंध है, यह राशि वर्ष 2002-2003 में 15,61,775 करोड़ रुपये से बढ़कर, 2003-2004 में 17,17,764 करोड़ रुपये हो गई है।

मात्र एक वर्ष में 217,985 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई है। ब्याज तथा लिए गए ऋण पर लगने वाला ब्याज भी वर्ष 2002-03 में 115,663 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 123,223 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन ब्याज दरों में गिरावट आने के कारण केन्द्र की धन जुटाने की लागत कम होकर लगभग 7 से 7.5 प्रतिशत हो गयी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राज्यों के ब्याज पर विचार करें तथा इसका कुछ हिस्सा राज्यों को प्रदान करें। आज देश में चर्चा है कि हमारे यहां अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध है। फिर भी भुखमरी से अनेक लोग मर रहे हैं। अभी भी लोग भूखे रहते हैं। ऐसा क्यों है? कृषि संबंधी स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति संबंधी स्थायी समिति ने भी, एक हिस्से में, इस देश की वास्तविक स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। लोग खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ हैं, चाहे वह कहीं वह उपलब्ध है। लोगों में क्रय शक्ति नहीं है। लोगों के हाथों में पैसा उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस पहलू को देखना होगा, अन्तत: बजट एक दर्पण है जो देश की आर्थिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। यदि यह छवि निराश करती है तो यह दर्पण की गलती नहीं है। तथापि, सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी।

महोदय, अन्त में मैं एक पंक्ति कहूंगा। विगत के अनुभव यह सुझाव देते हैं कि इस देश में अन्य राजनैतिक गठजोड़ों ने बमुश्किल बेहतर और कदाचित खराब कार्य दर्शन ही किया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 28 फरवरी, 2003 को यह प्रस्तुत किया गया आम बजट इस देश की मुख्य ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान देने में पूर्णतया असफल रहा है। यह गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग जगत में जारी मंदी, कृषि क्षेत्र में नकारात्मक विकास, प्राथमिक शिक्षा और जन स्वास्थ्य परिचर्या जैसे रुग्ण सामाजिक क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान देने में असफल रहा है। मानव विकास सूचकांक में हम, हम एक अरब की आबादी वाला देश, केवल बंगलादेश से ऊपर हैं। यहां तक कि श्रीलंका और थाइलैंड जैसे छोटे देश भी हमसे ऊपर हैं। हमें यह जानकर शर्म महसूस होती है कि यह बजट इस देश के सम्मुख मूलभूत मुद्दों पर भी ध्यान देने में असफल रहा है। दूसरी ओर इससे समाज के सम्पन्न वर्ग के हितों की पूर्ति हुई है। यह बजट अमीरों के पक्ष में और गरीब विरोधी है। यदि अधिक न कहूं तो इतना तो अवश्य कहूंगा कि इससे और अधिक कंगाली व बेरोजगारी बढ़ेगी। यह भारतीय कृषि क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विनाशकारी है। यह औद्योगिकरण के विपरीत ले जाएगा। यह प्रसन्नता का कारण हो सकता है आप मेज थपथपाइये, बोलिये। अमीर लोग भी यही बोल रहे हैं। काला धन रखने वाले खुशी मना रहे हैं। आयकर अधिनियम में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं और अब कोई भी उनके धन के स्रोत पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उस पर आऊंगा। यह अधिक ऋण और विदेशी पूंजी के अधीन होने के मार्ग पर ले जाएगा और यह भारतीय बैंकों को गैर-भारतीयकरण की ओर ले जाएगा।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): हमारे भाग्य में हंसना लिखा है और आपके भाग्य में रोना लिखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आप सुन लीजिए। आपने पी.सी. सरकार का मैजिक देखा होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को क्या मैजिशियन के रूप में कभी देखा है। ...*(व्यवधान)*

[श्री रूपचन्द पाल]

[अनुवाद]

यह हाथ की सफाई है। कोई भी जादूगर हमारे वित्त मंत्री से ईर्ष्या कर सकता है, इन्होंने सीधे हाथ से कुछ दिया है और उल्टे हाथ से कुछ ले लिया है। कारें सस्ती हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा है—इसका केवल संतुलन किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छोटी जमाओं पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी कौ है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उन्हें नई प्रस्तावित बीमा योजना से नौ प्रतिशत की सुनिश्चित आय होगी।

मैंने प्रारंभ में ही प्रश्न किया था कि क्या बजटीय प्रक्रिया प्रासंगिक है। यह देश के ज्वलंत मुद्दों और मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। बजटीय प्रक्रिया का 98 प्रतिशत पूर्व-निर्धारित है जिसमें से 51 प्रतिशत ब्याज के भुगतान के लिए है और 47 प्रतिशत रक्षा बजट, वेतन, राजसहायता, सब कुछ मिला दिया गया है, के लिए है। अत: केवल 2 प्रतिशत शेष बचता है। क्या इसकी कोई शुचिता है? आप बजट अनुमानों में एक बात कहते हैं और पुनरीक्षित अनुमानों में उसे बदल देते हैं और फिर वास्तविक आंकड़े उन पुनरीक्षित अनुमानों से भी बहुत भिन्न होते हैं। मेरे विचार से वित्त मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं; शायद वे नोट भी कर रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय तो एक पवित्र गाय की तरह है, वह आबंटित राशि को व्यय नहीं कर पाया है। उन्होंने वह राशि वापस की है। यह केवल वित्तीय प्रबंधन का प्रश्न नहीं है, यह सुरक्षा प्रबन्धन का भी प्रश्न है। लोग अपने प्राण गंवा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर सब जगह शोर मच रहा है और यहां तक कि साधारण नागरिक भी मारे जा रहे हैं। यहां तक कि सुरक्षा के नाम पर संसद सदस्यों को भी जेल में डाला जा रहा है और जो राशि रक्षा मंत्रालय को दी जाती है वे उसे व्यय नहीं कर पाते। मैं सी.ए.जी. ने जो कुछ कहा कि कैसे करगिल युद्ध का बहाना लेकर खरीद की गई उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यह एक अलग मुद्दा है और इसे किसी अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है। बजटीय अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों में अंतर बढ़ता जा रहा है।

उदाहरण के लिए आयकर को ही लें। बजटीय अनुमानों में 91,440 करोड़ रुपये की आयकर प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था जबकि पुनरीक्षित अनुमानों में वह राशि घटकर 82,000 करोड़ रुपये पर आ गई। निगमित कर में 42,524 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान था जबकि पुनरीक्षित अनुमानों में यह राशि घटकर 37,300 करोड़ रुपये पर आ गई। उत्पाद शुल्क के बारे में बजटीय अनुमानों में यह राशि 91,433 करोड़ रुपये थी और पुनरीक्षित अनुमानों में यह घटकर 87,000 करोड़ रुपये हो गई। मंत्री जी ने कहा है कि इस बार उन्होंने कर प्रबन्धन का एक प्रावधान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री यहां नहीं हैं। हमने अपने संविधान में संशोधन करके शिक्षा को मूल अधिकार बनाया है। सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर शिक्षा जारी रखने और व्यस्क शिक्षा धनराशि दी गई थी, शायद वे जानते हैं कि वे सारी धनराशि व्यय नहीं करेंगे। इस बजट में इस सरकार ने इस देश के लोगों को प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक धनराशि से वंचित कर दिया है। यदि आप जनसंख्या वृद्धि को भी शामिल करके देखें तो पाएंगे कि वास्तव में प्राथमिक शिक्षा के लिए आबंटन में कमी आई है। ग्रामीण विकास के मामले में इसमें भारी कटौती हुई है।

पुनरीक्षित अनुमानों में यह 15176 करोड़ रुपये था। इसे घटाकर 10,270 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृपया मेरी बात सुनें। यदि मैं गलती पर हूं तो आप मेरी गलती सुधार सकते हैं। पुनरीक्षित अनुमानों में ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए आंकड़ा 15,176 करोड़ रुपये का था। इस देश के लगभग 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। अब इसे घटाकर 10,270 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब आप उन्हें बधाई देंगे।

अन्त्योदय अन्न योजना पर आते हैं। यह कहा जाता है कि 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को सस्ता खाद्यान्न जैसे एक परिवार के लिए 2 रुपये किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये किलो की दर से चावल के अनुसार 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। क्या राशि दी जाती है? यहां 50 लाख अतिरिक्त परिवार हैं। अर्थात् यह एक परिवार में पांच सदस्यों के हिसाब से घटकर 2.5 करोड़ रह गया है और राशि 507 करोड़ रुपये है। प्रति व्यक्ति कितनी राशि दी जाएगी? यह इस देश के गरीब लोगों के साथ एक मजाक है।

बीमे के संबंध में, पैसा कहां से आएगा? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि यह आएगा भी या नहीं? मैं इस सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं। शायद वे भूल गए हैं कि इस सदन में क्या कहा गया है।

जयप्रकाश नारयाण के नाम पर एक रोजगार गारंटी योजना में थी। कार्यान्वयन की बात तो छोड़ ही दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज तक भी कोई समिति गठित की गई है। गत वर्ष 2002-03 के बजट में वर्तमान सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा कृषि बीमा के लिए एक अलग निगम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। क्या आप जानते हैं कि उसका क्या हुआ? आर्थिक सर्वेक्षण में इसके बारे में इस प्रकार लिखा गया है:

> ''कम्पनी पंजीयक ने कम्पनी के नाम को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।''

एक उचित नाम तलाश करना एक जटिल समस्या थी। यह ठीक है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नई कम्पनी बनाई गई है। यह भी ठीक है। इसे अभी आई.आर.डी.ए. से पंजीकरण प्राप्त करना है। यह कृषि बीमा है और उन्होंने देश के वारिष्ठ नागरिकों को 9 प्रतिशत की सुनिश्चित आय का आश्वासन दिया है। सरकारी क्षेत्री की बमा कंपनियां एक योजना बनाएंगी और बाजार में उपस्थित ब्याज दर व 9 प्रतिशत सुनिश्चित आय के बीच के अंतर का भुगतान करेंगी। मैं प्रश्न पर आ रहा हूं कि वे यह धनराशि कहां से लाएंगी। मैं नहीं जानता कि वे यह राशि कही से लायेंगी।

गरीबी उन्मूलन के मामले में वे कहते हैं कि गरीबों की संख्या में गिरावट आई है। गरीबी के पैमाने के बारे में विवाद है। मेरे विचार से मंत्री जी को अंतर विवाद, पैमानों और इन सब मुद्दों पर बड़ी संख्या में लिए गए नमूनों की पूरी जानकारी है। यह एक दृढ़ विश्वास है कि इस या उस तरीके से इस देश की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के निकट है। वे उस रेखा से नीचे हो सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में देश में क्या हो रहा है? इस तरह के देश में राजस्व कहां से प्राप्त होगा? क्या यह निगम कर से आएगा, आयकर से, सीमाशुल्क से या उत्पाद शुल्क से आएगा? वर्ष दर वर्ष सीमाशुल्क कम किया जा रहा है।

यह हमारे घरेलू उद्योग को प्रभावित कर रहा है। यह हमारे घरेलू उद्योगों और कृषि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। यह कहा जा रहा है कि ऐसा विश्व व्यापार संगठन के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं के कारण है। मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम यूरिया और अन्य प्रकार के उर्वकों पर से राजसहायता हटाएंगे। लेकिन विश्व के अन्य देश जैसे संयुक्त राज्य अमरीका और कई यूरोपीय देश इस या उस नाम से राजसहायता में वृद्धि कर रहे हैं।

हम सीमाशुल्क के माध्यम से अपने घरेलू उद्योगों को नहीं बचा रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? मैं नहीं जानता कि क्या हमें इसकी पूरी जानकारी है। एक बार मैंने यह प्रश्न किया था कि इस देश में कितने लोगों की आय एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह संख्या कितनी रही होगी? यह उत्तर दिया गया है कि 22,568 वेतनभोगी व्यक्तियों की आय 10 लाख रुपये से अधिक है, और उसी वर्ष गैर-वेतन भोगी वर्ग के ऐसे लोगों की संख्या 35,569 थी। इसका अर्थ है ऐसे कुल व्यक्तियों की संख्या 58,000 है। ये लोग केवल दक्षिण दिल्ली में रहते हैं, ये फार्म हाउसों के मालिक हैं और बाघ आदि जैसे पालतु पशु रखते हैं। अत: केवल दक्षिण दिल्ली में 10 लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्ति इतनी संख्या में रहते हैं।

ऐसी स्थिति में, उदारीकरण के नाम पर, कुछ लॉबियों और अमीर वर्ग के दबाव में आत्मसमर्पण करने के नाम पर, आय कर कानून बदले जाते हैं, उनमें इस प्रकार संशोधन किए जाते हैं और उनके अध्याय इस तरह से हटाए जाते हैं जिससे कि इस प्रकार का धन उत्पन्न होता है जो सामानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा है। यहां तक कि एक दिन संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन सदन में सभा पटल पर रखा गया था। उसमें घोटाले ही घोटाले थे। उसमें घोटालों की शृंखला थी, उसमें एकाधिकारी घरानों द्वारा की गई गड़बड़ियां थी। इसमें व्यावसायिक घरानों व दलालों का गठजोड़ है। एक डालर का निवेश करके मारीशस के सास्ते से सैकड़ों डॉलर निकाल लिए जाते हैं। यह बजट उन चीजों पर ध्यान नहीं देता। कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 8 से 9 प्रतिशत के आसपास मंडरा रहा है। यह विश्व में सबसे कम है।

यह कहा गया था कि यदि आप करों की दर कम करेंगे तो उसका अधिक अनुपालन होगा। ऐसा नहीं है। भारतीय मानसिकता अलग है। इस देश में यह नहीं हो रहा है। यहां तक कि करों की दरें कम करने के बाद भी यह नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अवसंरचना के लिए पैसा कहां से आएगा। इस सरकार ने प्राथमिक शिक्षा और जन स्वास्थ्य परिचर्या जैसे सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा की है। श्रमिकों के लिए कोई समाज कल्याण नहीं है। वे वी.आर.एस. और वी.एच.एस. की घोषणा कर रहे हैं। उद्योग बंद हो रहे हैं। वे वस्तुओं के आयात के कारण कम प्रतियोगी होते जा रहे हैं। विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा योजना है। जब भी वहां कोई नियुक्ति होती है तो नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होती है कि यदि किसी भी समय इस व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो उसे सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस देश में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। विकसित देशों में जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं रहता तो उसे कम से कम भोजन, औषधियां और आश्रय तो उपलब्ध कराया जाता है। यहां, हम पाते हैं कि सुधारों के नाम पर वे सब कुछ बेच रहे हैं— यहां तक कि बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. जैसी लाभ-अर्जन सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी। यहां निरंकुश भ्रष्टाचार है। यहां कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपना रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। मैं श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में श्रम मंत्रालय से कह रहा हूं। वर्ष 2002-03 के बजट में 490.90 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। अब इसे घटाकर केवल 62.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अत: सामाजिक सुरक्षा कम है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा व स्वास्थ्य परिचर्या की उपेक्षा हुई है।

[श्री रूपचन्द पाल]

महोदय, वास्तव में इस सरकार ने किसानों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, कर दी है। कृषि ऋण तक उनकी पहुंच नहीं है। जो कुछ भी दिया जाता है वह भी केवल थोड़े से सरकारी क्षेत्र के बैंक देते हैं। विदेशी और निजी बैंक यह नहीं दे रहे हैं। मंत्री महोदय, आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं परन्तु वे किसानों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखेंगे। वे विश्व व्यापार संगठन के दबाव में हैं। अविवेकपूर्ण तरीके से आयात हो रहा है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। वे आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप किसानों पर और अधिक बोझ डाल रहे हैं। लगातार 13 वर्षों तक अच्छे मानसून के पश्चात केवल एक बार सूखा पड़ा है। हम पाते हैं कि अब कृषि वास्तविक परेशानी में है। हमारी जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्नों की वृद्धि को लांघ चुकी है। यह एक खतरनाक संकेत है। सरकार किसानों की ज्वलंत समस्याओं को हल करने में असफल रही है। वह समय अब दूर नहीं है जब एक अरब से अधिक की जनसंख्या वाला यह देश एक और बड़ी भुखमरी का सामना करेगा। क्या सरकार देश में पैदा हो रही ऐसी स्थिति की अनदेखी कर सकती है? क्या तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है? यह सरकार इस देश के किसानों की ज्वलंत आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने में असफल रही है।

अवसंरचना क्षेत्र के बारे में 48 या करीब इतनी ही परियोजनाओं के लिए 40,000 करोड़ या 60,000 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। विमानपत्तन, बंदरगाहों, कन्वेंशनल हालों और ऐसी ही सभी चीजों के लिए 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह धनराशि कहां से आएगी? मैं इसके बारे में नहीं जानता। केवल सड़क उप-कर से 2,000 करोड़ रुपये आए थे; इसे भी घटाकर 1993 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जहां भी शीघ्र लाभ-और पर्याप्त आय नहीं है वहां निजी क्षेत्र नहीं आएगा। ये केवल बड़ी-बड़ी बाते हैं, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण ले रही है। यदि यह लापरवाही से लिया गया ऋण है तो—हमारे समाने अन्य देशों के उदाहरण हैं-यह हमारे देश जैसे देश को विनाशकारी परिस्थितियों में ले जाएगा और यह हमारे देश को ऋण जाल में फंसा देगा।

अब मैं निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की साझेदारी पर आता हूं। यह सड़क और विमानपत्तनों के मामले में हुआ। विद्युत क्षेत्र का क्या होगा? नए क्षमता सृजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है? हम अपने लक्ष्य का केवल एक हिस्सा, 16,000 मेगावाट ही नौवीं योजना में प्राप्त कर सके हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक लाख मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है; इसका उत्पादन किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। डाभोल के अनुभव के बाद प्रति-गारंटी नहीं दी जाती है। वे इन सब चीजों के लिए प्रति-गारंटी नहीं देने जा रहे हैं। यद्यपि यह सरकार अपनी शुरूआत की 13 दिनों की सरकार के दौरान प्रति-गारंटी को स्वीकृति दे चुकी थी। हमें उसके परिणाम ज्ञात हैं।

विद्युत क्षेत्र का क्या होगा? वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना के भारी घाटे वाले उन क्षेत्रों का क्या होगा जहां निजी क्षेत्र निवेश नहीं करेगा? 'वैट' का क्या होगा? यह ठीक है कि सुधारों की प्रक्रिया में ऐसे एकीकरण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यह सरकार राज्यों को हुए घाटे को किस प्रकार पूरा करने का विचार करती है? इस सदन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि वे राज्यों को राजस्व घाटे के लिए लिए 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देंगे और राज्यों को सी एस टी के चार प्रतिशत को आधा-आधा बांटने की एवज में भी क्षतिपूर्ति देंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार को कुछ अन्य बातों पर भी स्पष्टीकरण देना है और वह केवल सामाजिक अवसंरचना, केवल ग्रामीण विकास, केवल काले धन को उजागर करने जैसे उपेक्षित सामाजिक क्षेत्र आदि के बारे में ही नहीं है अपितु बेरोजगारी से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों के बारे में भी हैं।

महोदय, लघु उद्योग देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। मात्रा की दृष्टि से और निर्यात की दृष्टि से भी लधु उद्योगों का बड़ा हिस्सा है। गत वर्ष 50 मदों को आरक्षित सूची में से हटा दिया गया था और इस वर्ष और अन्य चीजों का इस सूची से हटाया गया है। क्या इससे देश को मदद मिलेगी? क्या इससे अधिक बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? क्या लघु उद्योग और कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगे? हम सरकार से गंभीरतापूर्वक इन मुद्दों पर अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं।

वे बार-बार चीन की बात करते हैं। वे करते हैं कि हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा। चीन में अनुषंगीकरण की नीति और श्रम आधारित इकाइयों को बढ़ावा देकर रोजगार के साथ-साथ सुधारों को अपनाया गया है। यहां सुधारों के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और सुधारों के इन दस वर्षों में अधिक बेरोजगारी, अधिक निजीकरण, कृषि क्षेत्र में नकारात्मक प्रदर्शन, किसानों के लिए अधिक कष्ट, अधिक आत्महत्याएं और अधिक कंगाली हुई है। आज देश में यह स्थिति है। अत: यही उचित समय है जब सरकार को अपने सुधारों की नीति पर पुन: विचार करना चाहिए।

महोदय, हम सुधारों के विरुद्ध नहीं हैं। यह एक भ्रांति है कि वामपंथ सुधारों के विरुद्ध है। नहीं। एक मिथक गढ़ा गया है कि कुछ लोग सुधारों के पक्ष में हैं और कुछ लोग सुधारों के विरोधी

हैं। यह पूर्णतया आधारहीन है। लेकिन सुधार किसके हित में किए जाने चाहिए? जब हम भूमि-सुधारों की बात करते हैं तो यह इस देश के लाखों भूमिहीनों के हित में है। जब हम औद्योगिक सुधारों की बात करते हैं तो हम करते हैं तो हम करते हैं कि ये देश के हित में होने चाहिएं। वैश्वीकरण कोई कठोर त्रुटिहीन परिकल्पना नहीं है। विभिन्न देशों में उन देशों के विकास की स्थिति व आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न तरीके से सुधार किए गए हैं। चीन ने एक मार्ग अपनाया है। स्केंडिनेवियाई देशों ने दूसरा मार्ग अपनाया है।

मैं किसी वामपंथी विचारक का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मंत्री जी यह जानते हैं। आप में से कुछ लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं। वह जोसफ स्टिगिलट्ज हैं। वे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। उससे पहले वे राष्ट्रपति क्लिंटन की आर्थिक सलाहकार परिपद् के सभापति थे। वर्तमान में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में वित्त और अर्थशास्त्री के प्रोफेस हैं। उन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार मिला है। उस नोबल पुरस्कार प्राप्त लेखक ने 'ग्लोबल एण्ड इट्स डिस्कंटेन्ट्स'? में लिखा है:

> ''लेकिन लाखों लोगों के लिए वैश्वीकरण ने काम नहीं किया है। वास्तव में बहुत से लोगों की स्थिति और खराब हुई है क्योंकि उनकी अपनी नौकरियां जाती हैं और अपना जीवन अधिक असुरक्षित होता देखा है। वे उनके नियंत्रण से बाहर की शक्तियों के सामने स्वयं को अधिकाधिक शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोकतन्त्रों की जड़ें खुदते हुए और अपनी संस्कृतियों को नष्ट होते देखा है''

मैं अभी यही कह रहा था। यह हमारे देश में भी हो रहा है, यही वह समय है जब हमें अपने सुधारों पर फिर एक बार नजर डालनी चाहिए। मैं केवल उन्हें ही नहीं बता रहा हूं मैं इस ओर के पक्ष से भी कह रहा हूं जिन्होंने सुधारों की शुरूआत की थी। हमने पूरे सदन में बताया है। हमने सभी वर्गों से कहा है कि हम सुधारों के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन सुधार जनोन्मुखी या जनता की ओर पुन: उन्मुख होने चाहिए जिससे कि इस देश के आम आदमी, किसानों, बेरोजगारों और श्रमिकों का हित हो सके।

यह बजट हमारे देशवासियों—एक आम आदमी की मुख्य समस्याओं में से किसी भी समस्या पर ध्यान देने में पूर्णतया असफल रहा है। यह अमीरों का हितैषी, गरीब-विरोधी और किसान विरोधी है। अत: मैं इसका विरोध करता हूं। जब तक यह सरकार अपनी नीतियां नहीं बदलेगी तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट सारे देश में सराहा गया है, सभी वर्गों ने इसे सराहा है और अर्थ विशेषज्ञों द्वारा भी सराहा गया है। सराहते वे भी हैं जो केवल खिलाफत करते हैं और खिलाफत केवल खिलाफत करने के लिए करते हैं। शुरू-शुरू में बड़े जुमले गढ़े गये। जब आलोचना के लिये कोई शब्द न हों, तब कहा जाता है कि यह दिशाहीन बजट है। इसलिए जिस बजट को समूचे देश ने और सभी वर्गों ने एक स्वर से सराहा हो, उसकी प्रशंसा की हो। ऐसा अपने ढंग का परम्परा से हटकर यह बजट है जिसे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सारी आकांक्षायें इस बजट से पूरी नहीं हो सकती, सारी आर्थिक बीमारियों की राम बाण दवा एक बजट में नहीं हो सकती। इसलिये देखना यह है कि बजट कौन-सी दिशा दे रहा है? इस बजट में सोच है, इस बजट को देखने के लिये यदि हम विचार करें तो इस बजट ने प्रत्येक वर्ग को छुआ है। सभी लोगों के बारे में एक चिन्तन हुआ है, चाहे वह मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति हो, पेंशनर हो, वरिष्ठ नागरिक हो, विकलांग व्यक्ति हो, सबके बारे में उनका हित चिन्तन किया गया है। मैं केवल वर्गों की बात नहीं करता, व्यक्ति के बारे में भी सोचा गया है। उसके परिवार, उसके लिये मकान, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसकी पेंशन के बारे में कहा गया है। इस प्रकार से यह प्रति व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग का चिन्तन करने वाला परम्परा से हटकर बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में केवल औपचारिकता नहीं की गई है कि कर-संबंधी समायोजन करके इतिश्री हो गई हो परन्तु सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसीलिए सभी वर्गों में इस बजट को सराहा गया है। छोटी-छोटी बातों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। राजस्थान चार वर्षों से अकाल से जूझ रहा है। वहां चारा नहीं है। वहां मरु-गोचर विकास की योजना बनी है और यह एक नया विचार है जो इस क्षेत्र के लिए नितांत आवश्यक है जहां की उदर-पूर्ति पशुपालन से होता है।

चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 60 हजार करोड़ रुपये सड़कों पर आ रहे हैं। 2007 तक प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ जाए वह भी ''पेवर रोड्ज'' से। किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। कोई व्यक्ति देश से बाहर जाए और पांच साल बाद लौटेगा तो गांवों की सड़कें देखकर और चतुर्भुज योजना देखकर उसको लगेगा कि मेरा भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है।

अपराह्न 3.41 बजे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

[श्री रघुवीर सिंह कौशल]

न केवल सड़कों के लिए बल्कि एयरपोर्ट, बंदरगाह और सभी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए इस बजट में एक अच्छा प्रयास है, अच्छी दिशा है जिससे सभी वर्ग प्रसन्न हुए हैं। इसीलिए इसको विकासोन्मुखी बजट कहा गया है। इसमें आशावाद और उपयोगितावाद का अदभुत सम्मिश्रण है और इस बजट में आधारभूत परिवर्तन की झलक मिलती है। मान्यवर, ऐसा लगता है कि यह बजट किसी तकनीकी विशेषज्ञ और राजनेता की बुद्धिमता दोनों के सम्मिश्रण का उदाहरण है जो हमारे वित्त मंत्री जी में है। इसलिए इस बजट से लोगों को और देश को आशा बंधी है।

मान्यवर, नदियों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना इस बजट में है। ज्योतिरादित्य जी बोल रहे थे कि विकास दर कम हो गई है...किसलिए हो गई है? सूखा पड़ गया। इसकी व्यवस्था भी यदि हो गई और नदियां जुड़ गई जो कि एक बहुत कठिन काम है क्योंकि जब कर्नाटक और तमिलनाडु इस विषय पर झगड़ सकते हैं, पंजाब और हरियाणा झगड़ सकते हैं तो यह कठिन काम है। लेकिन जहां चाह वहां राह। यदि दृढ़-संकल्प होगा और यदि यह योजना पूरी हो गई तो सड़क और नदियों को जोड़ने का ऐसा काम होगा कि जिसके लिए इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाएगा। दृढ़ इच्छाशक्ति वित्त मंत्री जी और सरकार में है और ये दोनों काम इस देश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक हैं।

मान्यवर, सारी विशेषताएं होने के बावजूद मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कृषि की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि कृषि के बारे में उन्होंने बजट में प्रावधान रखा है, कुछ कृषि पर भी पैसा बढ़ाया है, पशुपालन पर भी बढ़ाया है, फलोद्यान पर भी अच्छी राशि दी है, किन्तु फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी विकास दर में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। खेती हमारे देश की रीढ़ है। भारत गांवों में बसता है और इसलिए आज बंटवारा होते-होते जोते छोटी हो गई हैं जो गरीबी का आह्वान कर रही हैं। इन परिस्थितियों में हम यदि कृषि के बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो वह हमारे देश के लिए लाभदायक होगा।

मान्यवर, आज यदि हम रोजगार की बात सोचें तो संगठित क्षेत्र में केवल 9 प्रतिशत रोजगार मिल रहा है।

सभापति महोदय, खेती में 56.7 प्रतिशत रोजगार मिल रहा है। सूखे के कारण इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है, किन्तु खेत आज 56.7 प्रतिशत रोजगार दे रहा है। इनक्रीमेंटल केपिटल आउटपुट रेशो का अगर हम हिसाब लगाएं, तो जितना पैसा लगा रहे हैं उससे एक रुपया प्राप्त करने के लिए कितने रुपए किस क्षेत्र में लगाने पड़ेंगे तो सर्वाधिक लाभ खेती में होगा। यदि हम खदान में सात रुपए 99 पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता है, उद्योग में सात रुपये 77 पैसे लगाएं तो एक रूपया प्राप्त होता है, पावर में 15 रुपए 43 पैसे लगाएं तो एक रूपया प्राप्त होता है और रेलवे में 14 रुपये 97 पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता है, संचार में आठ रुपए 33 पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता है, परन्तु खेती में एक रुपया 99 पैसे लगाने से एक रुपया प्राप्त होता है तो सर्वाधिक लाभ का धंधा, जिससे तुरंत आउटपुट मिलता है, वह खेती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

आपने फसल बीमा योजना शुरू की है। इसमें स्टेट का, केन्द्र का हिस्सा है। स्टेट्स ज्यादातर दिवालिया हो रहे हैं। वे अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं हैं और केन्द्र सरकार अपना हिस्सा देने को तैयार है। इसलिए फसल बीमा योजना प्रारंभ नहीं हो रही है। आज यदि फसल बीमा योजना राजस्थान में होती तो अकाल के कारण जो दुर्दशा हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, यह नौबत न आती। वित्त मंत्री जी से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस विषय पर विचार करें कि फसल बीमा योजना कैसे लागू हो, जिसका वे लाभ उठा सकें।

महोदय, 1990 के बाद सिंचाई की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। 13 वर्ष हो गए, कोई परिसंपत्ति सिंचाई क्षेत्र में बन कर तैयार नहीं हुई। आज भी 400 योजनाएं लम्बित हैं, इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं है। अभी भी जो बजट सिंचाई में दिया है, उतना ही दिया है जितना पिछली बार था और वह भी पूरा खर्च नहीं होता है। जितना बजट दिया है उसका प्लान में केवल 28 प्रतिशत खर्च होगा, बाकी सारे का सारा नॉन प्लान में होगा। इन 400 योजनाओं में केवल 77,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो एक साल में नहीं, बल्कि चार से आठ साल में 77,000 करोड़ रुपए, 21 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई कर देगी। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां नदी-नाले बहुत हैं। वहां पहली बार सूखा पड़ा है। लिफ्ट सिंचाई की योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से लिफ्ट सिंचाई की स्वीकृति होती है, परन्तु 15 प्रतिशत पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट देने में सक्षम नहीं है। 85 प्रतिशत पैसा स्टेट लेने को तैयार नहीं है और उसका दंड किसान को भुगतना पड़ रहा है। महोदय, आप भी गांव से आते हैं। मेरा और आपका इलाका नजदीक है। मेरे यहां की परिस्थितियां आप समझते हैं। किसान पैदावार के लिए ट्यूबवेल लगाता है। इतने ट्यूबवेल लग गए हैं फिर भी जलस्तर प्रतिवर्ष 10-15 फीट नीचे जाता जा रहा है। ट्यूबवेल सूख गए हैं, इसलिए यदि लिफ्ट

इरीगेशन योजना हो जाए तो कोई ट्यूबवेल नहीं लगाएगा। हमारे यहां पानी के बहुत अधिक भंडार मौजूद हैं, लेकिन उसमें राज्य सरकार रोड़े अटका रही है। क्या केन्द्र सरकार इन किसानों को राज्य सरकार को रहम पर छोड़ देगी? इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका राष्ट्रीय उत्पादन से सम्बन्ध है, इससे किसान के उत्थान का सम्बन्ध है, इसलिए लिफ्ट इरीगेशन के बारे में निश्चित रूप से सोचा जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

फर्टीलाइजर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां वित्त मंत्री जी ने पूर्णिमा के चांद की सुखद चांदनी सारे देश में फैलाई है, वहां किसान को थोड़ी सी टीस रही है। आखिर यह सब्सिडी जाती कहां है? सब्सिडी कम्पनियों को फैक्टरियों को दी जाती है और हर कम्पनी सब्सिडी लेने के लिए अपना प्रोडक्शन 100 प्रतिशत बताती है। चार हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन से लेकर 16 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन तक एक-एक कम्पनी रासायनिक खाद पर सब्सिडी ले रही है, वहां हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन एक पैसे की सब्सिडी नहीं ले रहा। यह किसान के नाम की सब्सिडी, जिसमें बदनामी किसान की हो रही है, आज इन कम्पनियों के पेट में जा रही है। अगर ठीक से जांच हो जाये तो इसमें जबरदस्त घपले निकलेंगे। आज स्थिति यह हो रही है कि यदि बाहर से फर्टीलाइजर मंगाया जाये और उसे बेचा जाये तो एक हजार करोड़ रुपये इसी में सरकार का बच जायेगा। 12 हजार करोड़ रुपये इन कम्पनियों को प्रतिवर्ष सब्सिडी देनी पड़ रही है। इसलिए कोई ऐसा मार्ग निकाला जाये कि खाद को खुला करके यह सब्सिडी किसान को डायरैक्ट दे दी जाये तो उसके हाथ में तो जायेगी, किन्तु आज सब्सिडी फैक्टरियों के पास जा रही है। चारों ओर से हल्ला मच रहा है और सब्सिडी के नाम पर विदेशों से भी हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, डब्ल्यू.टी.ओ., अमेरिका का हम पर इसे घटाने के लिए दबाव है। यू.एस.ए. में 33 प्रतिशत सब्सिडी किसान को दी जा रही है, वे खुद सब्सिडी दे रहे हैं और हम पर दबाव डाल रहे हैं कि किसान को सब्सिडी नहीं दें। यह सब्सिडी का ही असर था कि देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई और आज हमारे भंडार अनाज से भरे हुए हैं। किसान यदि हतोत्साहित हुआ तो उसके भंयकर परिणाम होंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सब लोक प्रसन्न हैं तो किसान थोड़ी सी सब्सिडी के पीछे आज अप्रसन्न क्यों रहे। निश्चित रूप से इस विषय पर विचार करना चाहिए। मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि यह अब का सर्वश्रेष्ठ बजट है, जिसकी सारे देश में प्रशंसा हो रही है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): यह पूंजीपतियों को बजट है या किसानों का?

श्री रघुवीर सिंह कौशल: आप तो ऐसा ही कहेंगे, आपके सामने तो हम अगर सोना भी रख देंगे तो आपको सोना भी पीतल लगेगा। इसलिए मैं आपकी बात को तवज्जह नहीं देता।

कुंवर अखिलेश सिंह: हमने रेल बजट का स्वागत किया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: आपने कोई रेल चलवा ली होगी, इसलिए तारीफ कर दी होगी।

सभापति महोदय: उनकी बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: इतने श्रेष्ठ बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि कृषि और किसान की ओर उनका ध्यान निश्चित रूप से जायेगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, श्री जसवन्त सिंह जी ने 28 मार्च, 2003 को जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसे किसान और मजदूर विरोधी मानता हूं और इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

बजट का मतलब है कि बजट में हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि हमें गांव, गरीब, मजदूर, आम आदमी, कृषि, सिंचाई और आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मेरा कहना है कि न सिर्फ इस बजट में बल्कि इस सरकार ने जितने भी बजट प्रस्तुत किये हैं, उन सभी में कृषि की उपेक्षा हुई है। इस साल जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह 4,38,795 करोड़ रुपये का है जिसमें योजना व्यय 1,20,924 करोड़ रुपये है और गैर-योजना व्यय 2,53,935 करोड़ रुपये है। जो बजट का घाटा है, वह 1,93,637 करोड़ रुपये है जिसे हमें ब्याज से पूरा करना पड़ेगा। हम फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की बात निरंतर करते रहे हैं। अगर हम उसका मोटा-मोटा हिसाब लगायें तो इसका सीधा मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के खजाने से अगर एक रुपये की दौलत कहीं पहुंचानी है, जो सरकारी ताना-बाना है, सरकारी तंत्र है, उस पर साढ़े तीन रुपये खर्च होगा। यह बजट की हालत है।

हमारा कहना है कि गैर-योजना व्यय 64 प्रतिशत है और योजना व्यय 24 प्रतिशत है। इन 24 प्रतिशत में से 14 प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं और 10 प्रतिशत राज्यों की आयोजना सहायता है हालत यह हो गयी है कि दैनिक सामान्य कार्यों में हम इतना उलझ गये हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय का जो छवां हिस्सा है, वह केन्द्रीय सरकार खर्च कर देती है। बजट में आय व्यय के खर्च की राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। 1998-99 में यह राशि 62,903 करोड़ रुपये थी जो 2002-03 में बढ़कर 1,12,865 करोड़ रुपये हो गयी। जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, हर बजट में वायदे किये जाते हैं। वर्ष 2000-01 के बजट में 103 वायदे किये गये थे जिनमें से केवल

[श्री रामजीलाल सुमन]

48 वायदे ही पूरे हुए। 2002-03 का बजट जो श्री यशवंत सिन्हा जी ने प्रस्तुत किया था, जिसमें 87 वायदे किये गये जबकि 50 वायदे पूरे हुए। ...*(व्यवधान)* आपके लिहाज से सब कुछ ठीक है। कुल मिलाकर जो आश्वासन दिये जाते हैं, गांव और गरीब की बात की जाती है, बजट मे जो वायदे किये गये, ''वादा करके और भी मुश्किल में डाला आपने, जिंदगी मुश्किल थी, अब मरना भी मुश्किल हो गया।'' यह काम इन लोगों के बजट में होता रहा है। इन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम—अमीरों के हक में काम करना और गरीबों को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में 94 प्रतिशत अकुशल मजदूर हैं और 6 प्रतिशत कुशल मजदूर हैं। सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हमारे देश में अगर कोई है तो वह कृषि है लेकिन हमारे देश में कृषि की बराबर उपेक्षा होती रही है। वित्त मंत्री जी ने फरमाया कि ग्रामीण क्षेत्र में निजी बैंक खुलेंगे। मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में इसी भावना से कि किसानों की मदद हो, सहकारी बैंक खोले गये थे।

अपराह्न 4.00 बजे

पिछले दस वर्षों में इन बैंकों की पूरी तरह से मौत हो गई। आखिर किसान को ऋण कैसे मिले? किसान की मदद कैसे हो? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का बजट आपने नहीं बढ़ाया है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृषि के नाम पर जो शोध होते हैं, वे शोध सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित रह जाते हैं। उन शोधों का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। जब हम कोई विचार-गोष्ठी करते हैं, कोई चर्चा करते हैं तो ये विचार-गोष्ठियां पांच सितारा होटलों में होती हैं। वातानुकूलित कमरों में होती हैं। जिन वर्गों के कल्याण की बात हम करते हैं, दूरदराज के इलाकों में जाकर जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक उन वर्गों को लाभ नहीं मिल सकता। योजना कोई भी हो, हमारे देश में योजना का लाभ उठाने वालों का कोकस बन गया है और वे ही लोग इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। हमारे देश में कृषि को जैसा संरक्षण मिलना चाहिए, वैसा संरक्षण नहीं मिला। वित्त मंत्री जी का बजट उद्योग जगत व प्रशासन के सुधार और विश्वव्यापार संगठन के इर्द-गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देता है। खेती पर सिर्फ 3866 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 443 करोड़ रुपया सिंचाई पर और 8181 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास पर खर्च होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर जिन क्षेत्रों को सर्वाधिक लाभ मिलना चाहिए, उन क्षेत्रों को लाभ देने में कंजूसी क्यों की जा रही है? बजट के पैरा 72 में वित्त मंत्री जी का जो भाषण है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। भारत के पास विश्व में सबसे अधिक कृषि सिंचित योग्य भूमि है। हमारी कृषि योग्य भूमि का स्थान अमरीका के बाद दूसरे स्थान पर है। हमें इन तथ्यों के अनिवार्य महत्व को समझना चाहिए। इन दोनों को महत्व नहीं दिया गया है और यह परिसम्पत्ति हमारे महान भंडार हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में 37 प्रतिशत भूमि सिंचित है और जो शेष जमीन है, वह मानसून और प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। उसकी सिंचाई के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने से चली पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सिंचाई की दस ऐसी परियोजना हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। हम सिंचाई का पूरा ध्यान नहीं देते। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इतना पानी उपलब्ध है जितने पानी की हमें आवश्यकता है अगर हम ज्यादा पानी वाले इलाके से सूखे इलाके में पानी को धकेलना शुरू कर दें तो काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है लेकिन बाद में वहीं पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाती है। इन सब सवालों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि के बाद हमारे देश में दूसरा बहुत बड़ा उद्योग पशुपालन उद्योग है जिसमें बीस मिलियन लोग रोजगार में लगे हुए हैं जिसमें अकसर लोगों को रोजगार मिलता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस धंधे के लिए 1.1 प्रतिशत राशि आबंटित की गई थी और हमारे भाजपा के मित्र बजट की प्रशंसा कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन उद्योग के लिए 0.6 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गई है। देश में 60 प्रतिशत चारे की कमी है। बीस प्रतिशत भूसे की कमी है। पशुपालन उद्योग में जो लोग लगे हैं, उनकी परेशानी को लोग यहां नहीं समझ सकते।

इसलिए इस उद्योग को और ज्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कांग्रेस की तरफ से सांसद भाषण कर रहे थे, लेकिन मैं इसे दलीय प्रश्न नहीं मानता हूं। किसानों का सवाल दलीय प्रश्न नहीं है वरन् यह देश का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, आप फौज से आये हैं, इतना ही मुझे पता है। आपका संबंध गांव से रहा है लेकिन खाद और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसकी पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में भी ग्रामीण अंचलों से आये हुए भाजपा सदस्यों की वेदना थी कि खाद और डीजल की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। डीजल की कीमत में 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है यह इसी वित्तीय वर्ष में हुई है, उसे कम किया जाना चाहिए।

दुनिया के बाजार में हमारे उत्पाद इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि हमारी लागत बहुत आती है। एक तरफ आप डीजल, यूरिया,

सिलाई मशीन, खाद और सीमेंट आदि के दाम बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ कार के दाम घट रहे हैं। इससे किसानों और गरीबों में क्या संदेश जाता है? किसानों के काम आने वाली चीजों में वृद्धि हुई है और कार के दाम आपने कम कर दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने किसान के काम में आने वाले ट्रैक्टर के दाम कम क्यों नहीं कम किये, खेती से संबंधित किसान के काम में आने वाले उपकरणों के दाम कम क्यों नहीं कम किये? जनता में इससे क्या संदेश जाता है, यह मैं जानना चाहता हूं।

सभापति जी, इस देश में आज सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमने 70 लाख लोगों को रोजगार दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन्, 1984 से 1994 के बीच हमारे देश में रोजगार 2.67 प्रतिशत बढ़ा और बेरोजगारी 5.99 प्रतिशत बढ़ी। सन् 1994 से सन् 2000 के बीच में रोजगार 1.07 प्रतिशत बढ़ा और बेरोजागारी 7.32 प्रतिशत बढ़ी। इससे क्या नतीजा निकलता है? सभापति जी, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार की तरफ से इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। आज आप रोजगार बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टे माननीय वित्त मंत्री जी ने वीआरएस के लिए कहा कि पांच लाख रुपये तक पर कोई आयकर नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि आपका इरादा लोगों को वीआरएस की तरफ आकर्षित करने का है। इसका मतलब केवल इतना ही है और कुछ नहीं है। मतलब साफ है कि जिनके पास नौकरियां हैं वे भी नौकरियों से जाएंगे। सरकार को बेरोजगारी की समस्या पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। आज पूरे देश में जो तनाव व्याप्त है, उसके मूल में बेरोजगारी की समस्या है। माता-पिता अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं कि वे पढ़-लिखकर नौकरी करेगा तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी लेकिन हर दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब बच्चे को रोजगार नहीं मिलता है तो वह मजबूरी में हिंसा का सहारा लेता है।

इस देश में हिंसा की कोई वकालत नहीं कर सकता। लेकिन जो तनाव है, आज हमारे देश में जो वातावरण बना हुआ है, उसके मूल में अगर कोई कारण है, तो मैं समझता हूं कि बेरोजगारी के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है।

जहां तक सड़कों का सवाल है, केन्द्र सरकार द्वारा 40000 करोड़ रुपये से अब नई सड़कें बनाई जायेंगी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन पुरानी सड़कों का क्या होगा। आजादी के बाद जो सड़कें बनी हैं, वे तमाम सड़कें ऐसी हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)* हमने नहीं किया, तो आप भी गलत काम करेंगे। महोदय, कृपया इनको समझाइए। जहां एक तरफ नई सड़कें बनाने की बात की जा रही है, वहीं पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार को धन आवंटित करना चाहिए। तमाम सड़कें ऐसी हैं, जिन पर पैदल भी नहीं चला जा सकता। उन सड़कों की मरम्मत के लिए इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, चिकित्सा सेवायें बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को करों से रियायत दी गई है। जीवन रक्षक दवायों को एक्साइड ड्युटी से मुक्त करने की बात कही गई है और इसके अलावा संबंधित उपकरणों के आयात पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इस बजट में गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, उनके लिए बीमा योजना शुरू की गई है। एक व्यक्ति एक रुपया रोज या पांच व्यक्तियों का परिवार है, तो डेढ़ रुपया रोज और सात व्यक्तियों का परिवार है, तो दो रुपया रोज यानी सात व्यक्तियों के परिवार वाला व्यक्ति 60 रुपए प्रतिमाह देगा। ग्रामीण अंचल में 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनकी मासिक आय 327 रुपए है और जिनके समाने रोजी-रोटी का सवाल है, जिनके सामने पेट भरने का सवाल है, उनके सामने यह अजीब समस्या है। सरकार निजी अस्पतालों पर मेहरबान हो रही है। क्या इस बात की गारन्टी है कि निजी अस्पतालों को राहत देने के बाद आम आदमियों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी? हमने कभी सोचा कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है? आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चले जाइए, वहां दवायें उपलब्ध नहीं हैं। स्टाफ नहीं मिलेगा और डाक्टर वहां सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, तो हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाने के बाद कोई राहत मिल जाएगी। उन केन्द्रों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। ग्रामीण अंचल से आने वाला कोई भी आदमी दिल्ली में सर गंगा राम अस्पताल, अपोलो या एस्कार्ट में अपना इलाज नहीं करा सकता है। वहां जाने का मतलब है कि उसके पास पांच-सात लाख रुपया होना चाहिए, अन्यथा वह इन अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जा सकता है। सही मायनों में जो सरकारी क्षेत्र में अस्पताल हैं, उनकों बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, देश में सरकारी नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत विश्व की तुलना में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर, अप्रैल से दिसम्बर, 2002 के बीच बेलजियम, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, यूरोपियन देश और अमरीका में आवश्यक वस्तुओं में जो वृद्धि हुई है, वह 0.1 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत तक हुई है। जर्मनी में वृद्धि दर-0.1 प्रतिशत है। भारत में यह वृद्धि दर कम से कम 2.1 परसैंट है। आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जो चीजें खरीदता है, वे हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगी हुई है। जब से सरकार ने डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर किए हैं, सरकार निजी क्षेत्र को यह कह रही है कि स्पर्धा में आने के लिए उत्पादन लागत कम करनी चाहिए। इस

[श्री रामजीलाल सुमन]

संबंध में सरकार को कोई आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे यहां जो कम्पनियां हैं, उन पर कम्पनी कर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया में कम्पनी कर 28 परसैंट से 35 परसैंट तक है। यह अमेरिका में 35 परसैंट है, मलेशिया में 28 परसैंट है लेकिन हमारे देश में कम्पनी कर जो 48 परसैंट था, वह अब 37 परसैंट है। यदि हम कर ज्यादा लगाएंगे और यह अपेक्षा करेंगे कि स्पर्धा में आ जाएं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

पिछले साल बजट में प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए 4900 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस बार वित्त मंत्री से 7096 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन शिक्षा के लिए जो धन आवंटित हुआ, उसमें 1600 करोड़ रुपए दोपहर के भोजन के लिए करीब 3200 करोड़ रुपए सर्व शिक्षा अभियान के लिए रखे हैं। जसवंत सिंह जी ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए बहुत कम राशि स्वीकृत की है। हमारे देश में शिक्षा का बुरा हाल है। 87 परसैंट बच्चे इंटरमीडिएट तक जाते-जाते पढ़ाई छोड़ देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत हल्ला हो रहा है लेकिन इससे विशेष वर्ग को लाभ हो रहा है और आम आदमी को लाभ नहीं हो सकता है।

वित्त मंत्री जी, आज अखबार में खबर छपी है कि वित्त मंत्री जी के गांव के ही लोग इस बजट से खुश नहीं हैं। उस गांव में शायद कुटीर उद्योग होता होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन समाचार-पत्रों में प्रमुखता के साथ छपा है कि वित्त मंत्री का बजट भाषण उनके गांव के लोगों को भी खुश नहीं कर पाया। हम कितना आगे बढ़े यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस दिशा की तरफ चले हैं? अगर चलने की दिशा ठीक नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, गरीबों के साथ किस हद तक इन्साफ करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर इनकी दिशा तय नहीं कर पाएंगे तो मैं नहीं समझता कि इस बजट से कोई ज्यादा फायदा गांव के गरीब लोगों को होगा। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप कम से कम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। जो योजनाएं बन रही हैं, वे पारदर्शी होनी चाहिए। सांसद निधि का सवाल बार-बार आता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में गम्भीरता से सोचे और विचार करे।

हर सरकार का राष्ट्रीय धर्म है कि वह गरीबों के साथ इन्साफ करे। बाढ़ और सूखे के सवाल पर अंग्रेजों के जमाने के जो मानक मदद करने के बने थे, वे ज्यों के त्यों हैं। लाखों रुपए का नुकसान होने के बाद गांव के आदमी को 50-100 या डेढ़ सौ रुपए मदद के तौर पर मिलते हैं। इन मानकों को बदलने की आवश्यकता है। अमीर लोगों का मोह छोड़ कर गरीबों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाएं।

"सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है,
कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत नापिए,
असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।"

मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री खास तौर पर खाद और डीजल के बढ़े दाम वापस ले लेंगे जिससे किसान यह महसूस करें कि बजट बनाने में गलती हुई होगी, जसवन्त सिंह जी किसान विरोधी नहीं हैं। वित्त मंत्री इस दिशा में सार्थक पहल करें। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): माननीय, सभापति महोदय, मुझे इस सामान्य बजट पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके इस सद्भावनापूर्ण कार्य के लिए बधाई देना चाहती हूं। उन्होंने 2003-04 का बजट प्रस्तुत किया है। हम समझते हैं कि हम प्रत्येक को खुश नहीं कर सकते परन्तु इसी के साथ हम महसूस करते हैं कि यह बजट विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में संतुलित, विकासोन्मुख और कल्याणकारी है।

आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नि:संदेह सरकार ने सर्वोत्तम प्रयत्न किया है क्योंकि आधारभूत संरचना के बिना हम विकास नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री जी ने विशेषकर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने धारा 80 (छ) के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा पर 12,000 रुपयों तक की कर छूट की घोषणा की है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नि:शक्तों के लिए, अन्त्योदय योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हेतु अधिकतम राशि आवंटित की गयी है जिससे हमें अत्यधिक खुशी हुई है।

महोदय, सभी यह आसानी से समझ सकते हैं और मैं नहीं मानती कि हमारे देश की स्थिति खराब है। प्रत्येक बार हमें यह समझना होगा कि कुछ अनिश्चित घटेगा, कुछ मुश्किलें आएंगी। परन्तु हमें इन मुश्किलों और कठिनाइयों पर काबू पाना होगा। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। मेरा पुरजोर विश्वास है-और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में भी कहा था-कि 20 वर्ष के भीतर ही भारत अपनी क्षमता, रवैये और अपनी गतिविधियों के कारण आत्मनिर्भर और आत्म सक्षम हो जाएगा और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है।

यह सत्य है कि हमारा देश एक विकासशील देश है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करती हूं कि यद्यपि इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है; इसका संबंध सरकार से है और सब इसके लिए चिंतित हैं कि भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए विनाशपूर्ण साबित होगा।

सीमा पार से फैलाया जा रहा आतंकवाद, समानान्तर अर्थव्यवस्था, तस्करी, मादक द्रव्यों का व्यापार ये सारे कृत्य परस्पर जुड़े हुए हैं। कभी-कभी सीमा पार से फैलाया जा रहा आतंकवाद इतना शक्तिशाली होता है कि न केवल वह देश पर कब्जा कर सकता है अपितु देश की अर्थव्यस्था की दृष्टि से भी उस पर हावी हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूं कि सरकार को सीमा पार से फैलाये जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। घुसपैठ रोकना भी उनके लिए आवश्यक है।

महोदय, मैंने यह मामला पहले भी कई बार उठाया है। माननीय वित्त मंत्री जी मैं कुछ नामों का भी उल्लेख करना चाहूंगी। उत्तरी बंगाल में समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है उत्तरी बंगाल में सर्वत्र भूटान की मुद्रा चल रही है। भारतीय मुद्रा की बजाय वे भूटान की मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप बैंक जाएं या आप किसी भी राज्य सरकार के कार्यालय जाएं या यदि आप किसी केन्द्र सरकार के कार्यालय जाएं तो आप पाएंगे कि केवल नकली मुद्रा ही परिचालित हो रही है। मैं यह कल्पना नहीं कर सकती हूं कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का परिचलन हो रहा है।

मेरे विचार से सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले की जांच करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दल भेजना चाहिए। यदि यह बात सच है तो सरकार को स्थिति सामान्य करने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए।

महोदय, उत्तरी बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वारा है परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवाद जारी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बंग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यानमार और चीन का प्रवेश द्वारा है।

इसलिए सरकार से मेरा प्रथम मुद्दा यही है कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जाना चाहिए। सरकार से मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि घुसपैठ और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को रोके। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने की तत्काल आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूं कि आयोग के गठन से ही सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। जहां चाह है वहां राह है। इसलिए सरकार इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है और जनसंख्या पर नियंत्रण करने के उपाय खोजने के लिए सभी को विश्वास में ले सकती है।

महोदय, जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश चीन के बाद दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या के मामले में चीन पहला है और हमारा स्थान दूसरा है।

यदि आप हमारे पड़ोस में देखें तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश स्वत: ही प्रथम दस में होंगे यही स्थिति है।

इसलिए, वित्त मंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किया है। परंतु हमारा देश एक विशाल देश है इस देश की जनसंख्या सौ करोड़ है। अधिकतर लोग गरीब हैं। हमें लोगों में इस तरह विभाजन नहीं करना चाहिए। हमें आम लोगों, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि वे हमारे देश का मुख्य आधार हैं।

मैं यह आवश्य कहूंगी कि श्री जसंवत सिंह के नेतृत्व के अधीन हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 75 बिलियन है; और इस पर हमें गर्व है। उन्होंने सीमा शुल्क घटा दिया है और निर्यात की स्थिति भी बुरी नहीं है परंतु मैं अवश्य कहूंगी कि कुछ क्षेत्रों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हम उर्वरकों की बात कर रहे हैं। हमारे देश में हम देखते हैं कि किसान भी अमीर और गरीब है। अधिकतर किसान गरीब हैं और वे निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग से संबंधित हैं।

क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बात करने का निवेदन कर सकती हूं? मैं जानती हूं कि यह उनके लिए कठिन होगा और वे सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सरकार के पास विशेषाधिकार है और उसकी कुछ बाध्यताएं भी हैं; हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, हमारे कुछ विशेषाधिकार हैं तो कुछ बाध्यताएं भी हैं।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, दुर्गापुर फर्टिलाइजरल प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कर दिए है। उर्वरक के मामले में भी गैट समझौते के कारण हमारे सामने एक समस्या है। यह इस सरकार का काम नहीं है; अपितु इससे पूर्व की सरकार ने गैट या डब्लूटीओ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए हमारे सामने कृषि क्षेत्र की भी समस्याएं हैं।

घरेलू उद्योग हों या कृषि उद्योग—पहले जिन क्षेत्रों में हमारा प्रभुत्व था, अब चीन का है। पहले हमारे किसान अधिक चावल का उत्पादन करते थे और 10 रुपये प्रति किलो की दर से उसकी आपूर्ति बंगलादेश को करते थे। अब भी बंगाल के लोग काफी मात्रा में चावल का उत्पादन करके पड़ोसी देश बंगलादेश के विभिन्न भागों में उसकी आपूर्ति करते हैं। लेकिन अब हमारे

[कुमारी ममता बनर्जी]

किसान चीन से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते क्योंकि चीन 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दे रहा है। चीन ने भारत के ही नहीं बल्कि सारे बाजार पर प्रभुत्व जमा लिया है। भारत के बाजार के साथ-साथ ही नेपाल, बंगलादेश, भूटान, पाकिस्तान आदि के बाजारों पर भी कब्जा कर लिया है, इसके परिणामस्वरूप हमारे किसान परेशानी में हैं और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किसानों और घरेलू उद्योगों पर ध्यान दें क्योंकि हमें प्रतिस्पर्धा में उतरना है। हम आज प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में आने के लिए हमें किसानों और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

अन्यथा यहां बेरोजगारी की समस्या होगी। अब भी बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है। बेरोजगारी की समस्या का हल कैसे किया जाएगा? 'बेरोजगारी हटाओं' कार्यक्रम लाए बिना इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। आपको यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि देश में अस्थिरता फैलाने के लिए विदेशों से धन आ रहा है, सीमा पार से आतंकवाद और तस्करी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा बहुत से स्रोतों से हो रहा है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को पकड़ कर इस्तेमाल करना एक आसान विकल्प है क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ करे। मेरा आग्रह है कि इस समस्या पर बहस करने के लिए संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए. आपको सदन के हर पक्ष से इस बारे में सुझाव प्राप्त होंगे और सरकार ऐसा अवसर दे सकती है। शिक्षा के मामले में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है; इस देश में शिक्षा हर नागरिक का मूल अधिकार है। इसी तरह 'काम करने का अधिकार' हर बेरोजगार युवा को दिया जाना चाहिए। इसे प्रभावी बनाने के लिए इस संबंध में एक संविधान संशोधन विधेयक लाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार द्वारा इसे गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। हमारे पास जो सम्भावनाएं हैं हम उन्हें नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि भारत तो भारत ही है। भारत में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है अत: हमें वास्तविक मूल समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा।

सभी जातियों, धर्मों और वर्गों में अत्यधिक गरीब लोग होते हैं। मेरे विचार से छोटी बचत के क्षेत्र में ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल हर उद्योग बंद होने के कगार पर है। हम विनिवेश के बारे में सुन रहे हैं। पहले सेवानिवृत्ति की आयु 60 या 58 वर्ष थी लेकिन अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण या उद्योग के बन्द होने से लोग 35 या लगभग इसके आस-पास की उम्र में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार ने बीमा योजना शुरू की है और 55 वर्ष के आयु वाले लोगों को 9 प्रतिशत ब्याज दे रही है। यदि आयु को मानदण्ड बनाया जाता है और वरिष्ठ लोगों के लिए यह किया जा रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन तर्क के लिए यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं और 45 वर्ष की आयु में बेरोजगार हो जाते हैं तो क्या हम इस योजना का बिस्तार उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प तो नहीं चुनते बल्कि उनका उद्योग बंद हो जाने के कारण सेवानिवृत्त होते हैं। उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? एक के बाद एक उद्योग बंद हो रहे हैं। क्या इसका कोई हल है? मेरे विचार से हमें पैसे की बचत करनी चाहिये लेकिन हर वर्ष छोटी बचतों पर ब्याज की दर घटा दी जाती है। पहले इसे 1.5 प्रतिशत कम कर दिया गया था और अब फिर से 1 प्रतिशत कम कर दिया गया है। विशेषकर एक आम आदमी भविष्य के लिए पैसे की बचत करता है, लेकिन यदि हर वर्ष इस पर ब्याज की दर घटा दी जाती है तो लोग बचत क्यों करेंगे?

मैंने बहुत से अध्यापकों, पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों, गृहणियों और आम आदमियों से बात की है, उन सबने मुझसे अग्रह किया है कि इस संबंध में मैं उनकी भावनाओं को वित्त मंत्री जी तक पहुंचा दूं। मैं जानती हूं कि यह बहुत कठिन है परन्तु माननीय मंत्री जी को यह समस्या हल करनी ही होगी। वे महसूस करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपना घर इस बचत से ही चलाना होता है। लेकिन अब उनके सामने क्या विकल्प बचा है? यह एक गम्भीर समस्या है।

मैं समझती हूं कि सरकार बड़ी-बड़ी गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों से पैसा वसूल कर सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगभग 1,26,000 करोड़ रुपया कुछेक लोगों के पास पड़ा हुआ है। यह 100 करोड़ लोगों का देश है। यह दुख का विषय है कि कुछ सौ लोग अपने हित में बैंकों से ऋण लेते हैं और इसे लौटाते नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी पर भार पड़ता है। मैं कर प्रशासन की प्रणाली के बारे में समझ सकती हूं। एक आम आदमी को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका और पंचायतों को कर देना पड़ता है। सरकार को एक समान कर व्यवस्था प्रणाली बनानी चाहिए। जो लोग बचत करना चाहते हैं उनको इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। यदि हम सुरक्षित और सुदृढ़ होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित और सुदृढ़ होगी। अत: सरकार को गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों तथा काले धन के क्षेत्र में और अधिक ध्यान देना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब आप आम आदमी पर कर लगा सकते हैं तो राजनीतिक दल जो अत्यधिक सम्पत्ति एकत्रित कर रहे हैं, उन पर कर क्यों नहीं लगाया जा सकता।

उनके पास करोड़ों की बेनामी सम्पत्ति है। पहले उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन अब वे समृद्ध हो गये हैं। राजनीतिक दलों को ये लाभ क्यों मिलना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अब तो उत्तर प्रदेश में पार्टियां कमीशनखोरी भी कहने लगी हैं। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: अखिलेश जी, मैं आपके भाषण के बीच में नहीं बोली हूं। कृपया आप भी मेरे भाषण के बीच में न बोलें। मुझे अपनी बात कहने दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अखिलेश जी, कृपया शान्त रहें।

कुमारी ममता बनर्जी: मुझे अपनी बात कहने दें।

[अनुवाद]

महोदय, घर में दिया जलाकर फिर मन्दिर में जलना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे तृणमूल कांग्रेस से इसकी शुरूआत करें। जब आप आम आदमी पर कर लगा सकते हैं तो राजनीतिक दलों पर भी कर लगाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के नाम पर कुछ प्रबन्धक और हेराफेरी करने वाले लोग देश में राजनीति कर रहे हैं। उनके मन में आम लोगों के लिए कोई भावना नहीं है। उनके दोहरे मापदण्ड हैं और वे पाखंडी हैं। मैं सबके लिये यह बात नहीं कर रही हूं पर उनमें से बहुत से ऐसे हैं। सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा।

दूसरे, मेरा विचार है कि सरकार हर उद्देश्य के लिए धन दे रही है। मैंने सुबह भी यह प्रश्न उठाया था। मंत्री जी बहुत अच्छे हैं। यद्यपि उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया फिर भी मुझे पता है कि जो कुछ मैंने कहा उन्होंने उसकी प्रशंसा की। इसीलिए उन्होंने कहा कि वे इसकी चिन्ता करते हैं। सरकार पैसा दे रही है पर खातों की कोई लेखा-परीक्षा नहीं की जा रही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इसकी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि पैसा किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया था पर इसे किसी और कार्य के लिए प्रयोग कर लिया गया। विकास के लिए दी गई निधियों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों तथा उनके विशेष व व्यक्तिगत हितों के लिए किया जा रहा है। खातों की लेखा-परीक्षा नहीं की जाती। यदि कोई आम आदमी बैंक से पैसा लेता है तो उसे आयकर व अन्य कर देने पड़ते हैं, उसे लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने पड़ते हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं?

यह किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है। सरकार राज्य सरकारों और दूसरे संगठनों को पैसा दे रही है। इसके लिए एक निश्चित निगरानी तथा लेखा प्रणाली होनी चाहिए। यह आम आदमी का पैसा है और इसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है। पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए जवाबदेही की भी आवश्यकता है। मेरे विचार से सरकार को लेखा-परीक्षित लेखे मंगाने चाहिए। मैं आपको अपनी राज्य सरकार का उदाहरण दे रही हूं और भी राज्य सरकारें है। मैने सुना है कि उन्होंने 76,000 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण लिया है फिर भी वे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अध्यापकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। वे आपसे पैसा लेकर अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें बिल्कुल दिवालिया हो गई हैं। आप वित्तीय आपातस्थिति की घोषणा क्यों नहीं करते? हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। यह लोगों का पैसा है। सरकार को इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि किन राज्य सरकारों ने लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत किये हैं और किन राज्य सरकारों ने नहीं। मैं किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रही हूं, मैं सभी राज्यों की बात कर रही हूं। एक निगरानी व्यवस्था होनी चाहिये। यदि हमारा वित्तीय प्रबन्धन ठीक नहीं होगा तो वित्त मंत्रालय द्वारा अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करना सम्भव नहीं होगा।

जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो साम्यवादी पार्टी के मेरे मित्रों ने कहा कि यह गरीब-विरोधी और किसान-विरोधी बजट है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वे अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं? पैसा कहा गया? वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को रियायतें दे रहे हैं, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं। वे राज्यों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा दे रहे हैं परन्तु यहां उनकी आलोचना कर रहे हैं। इनका क्या मानदंड है? उनका यह दोहरा मानदंड क्यों हैं? वे इतने आडम्बरपूर्ण क्यों हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता तभी मैं सरकार से निगरानी और वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का ध्यान रखने का आग्रह करती हूं। यदि कोई प्रबन्धन नहीं होगा तो वित्तीय स्थिरता नहीं होगी और वित्तीय स्थिरता के बिना देश में स्थिरता नहीं होगी।

महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी को यूरिया, खाद, छोटी बचतों, गैर-निष्पादित सम्पत्तियों, बेरोजगारी, सीमापार से आतंकवाद, काले धन और हमारे किसानों के लिए चीन द्वारा खड़ी की गई समस्याओं के बारे में बताया है। मैं सदन का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। अंत में वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए इसे पिछड़ना नहीं चाहिए।

सम्पूर्ण देश के हित में, वित्त मंत्री जी को कुछ राज्यों की स्थिति पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें आम आदमी को राहत देने पर भी विचार करना चाहिये। उन्हें इसे 'रोल बैक'

[कुमारी ममता बनर्जी]

अर्थात् अपनी बात को वापिस लिया हुआ नहीं समझा चाहिए। कभी-कभी जब आप आम आदमी की भलाई के बारे में सोचते हैं तो वे आपको, सरकार को आशीर्वाद देंगे। इसीलिए तो यह सरकार लोगों की सरकार है, लोगों में से चुनी गयी तथा लोगों के लिए काम कर रही है। यदि आप लोगों को छोड़ देंगे तो आपको बाकी सब भी छोड़ना पड़ेगा। तथापि, आपके लिए अवसरवादी लोगों को छोड़ना ठीक रहेगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, सदन के अन्दर कोरम नहीं है, आप कोरम देखिये, इस सरकार की बिना कोरम के सदन चलाने की आदत हो गई है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कोरम दिखवा लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: घंटी बजाई जा रही है।

अपराह्न 4.52 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा में गणपूर्ति है। अब श्री रमेश चेन्नितला बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष जी, सदन चलाइए। फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, बजट डिसकशन चल रहा है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सदन के अंदर कोरम बनाए। *...(व्यवधान)* सर, हमारे सदस्यों ने भी सहयोग दिया है। *...(व्यवधान)* मेरे दो सदस्यों के आने के बाद ही सदन में कोरम हो गया है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अखिलेश जी, आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री रमेश चेन्नितला जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें मत उकसाइए। अब श्री रमेश चेन्नितला की बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोरम का प्रश्न प्रवोक करना है तो मैं समझता हूं कि यह हमारा अल्पज्ञान है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, रमेश चेन्नितला जी आपके दोस्त हैं न?

कुंवर अखिलेश सिंह: इस दोस्त के लिए ही मैं बैठा हुआ हूं। *...(व्यवधान)* इनके जैसे ज्ञानी लोगों ने भ्रष्टाचारियों को पाल रखा है। पूरा देश आज इनके ऊपर हंस रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): आप जैसा ज्ञानी तो आज तक जन्मा ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप शांत रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रमेश चेन्नितला द्वारा कही गई बात के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कोई बात सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं। बजट केवल दर्पण है जिसमें सरकार का आर्थिक दृष्टिकोण ही प्रतिबिम्बित होता है। यदि प्रतिबिंब निराशाजनक है, तो यह आईना का दोष नहीं है। इस बजट के माध्यम से इसने 'राजग' सरकार का आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। निश्चित रूप से बजट गरीब विरोधी, किसान विरोधी उद्योग और लघु क्षेत्र विरोधी है। यह बजट निगमित क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए है। यह बजट अमीर और समृद्ध वर्ग के अनुकूल है। इसका वृद्धि, निवेश प्रक्रिया को पुन: शुरू करने तथा सरकार की वित्तीय स्थिति को पुन: बहाल करने पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मुझे निम्नलिखित कारणों से इस बजट से पूर्णत: निराशा हुई है (एक) विश्वसनीय राजकोषीय समेकन नीति का अभाव (दो) राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उपायों पर पर्याप्त बल न देना। अनेक राज्यों पर भारी ऋण है। कल, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के राजकोप का उल्लेख किया था। शायद, न्यायपालिका को राज्य की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में वित्तीय आपात स्थिति लगाए जाने की आवश्यकता है। देश में लगभग सभी राज्य सरकारों की यही स्थिति है। (तीन) श्रम सुधारों की तालिका का अभाव जो नौ श्रमिक वर्ग के न्यूनतम अधिकारों की रक्षा करें ...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष बार-बार आठ प्रतिशत वृद्धि के बारे में बड़े जोश से बात कर रहे हैं। पिछले वर्ष वास्तविक वृद्धि 4.4 प्रतिशत थी, भारत जैसे देश में यदि वह जरा भी मेहनत न करे, तब भी 5.5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति दर्शाता है। यह सरकार की दिशाहीनता दर्शाता है। यह आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कुप्रबंधन को दर्शाता है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस विषय पर कुशलता पूर्व मौन धारण कर लिया है। अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। वित्त मंत्री के अनुसार ऐसा तीन कराणों से हुआ है:- (एक) इराक संकट के कारण विश्वव्यापी अनिश्चितता (दो) देश के विभिन्न भागों में भारी सूखा (तीन) सीमा पार से आतंकवाद।

महोदय, ये तीन समस्याएं कम से कम दो या तीन वर्ष और रहेंगी। ये तीनों समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। रिपोर्ट के अनुसार, देश में सूखे की स्थिति जारी रहेगी और आगामी वर्षों में यह और बदतर हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में बहुत शोरगुल हो रहा है।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, राजस्थान तथा देश के अन्य मार्गों से आने वाली रिपोर्ट भंयकर सूखे की स्थिति का संकेत देती हैं। इन क्षेत्रों में भारी राहत कार्यों की काफी मांग है। इसका अर्थ यह है कि आगामी वर्षों से सूखे की स्थिति बदतर हो जएगी।

विगत अनुभव को देखते हुए सीमापार से आतंकवाद जारी रहेगा और इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है। पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

यह सीमा-पार से जारी आतंकवाद को हर तरह से सहायता दे रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में एशियाई क्षेत्र में सीमा पार से आतंकवाद तथा आतंकवादी गतिविधियों में काफी बढ़ोत्तरी होगी। कोई नहीं जानता कि इराक संकट का क्या होगा। इस संदर्भ में, संघ सरकार को इस देश के आर्थिक विकास के समेकन में आने वाली अपरिहार्य बाधाओं के बावजूद रणनीति अथवा योजना के बारे में सोचना चाहिए था। विगत अनेक वर्षों से केन्द्र की वित्त व्यवस्था खराब होती जा रही है और इस वर्ष के बजट में इसे रोकने हेतु अधिक नहीं किया गया है। इन स्थितियों, अर्थात् भारी सूखे की स्थिति, सीमा-पार से बढ़ता हुआ आतंकवाद तथा इराक संकट को देखते हुए सरकार तथा वित्त मंत्री को इस तरह के मुद्दों से निपटने हेतु एक व्यापक योजना के बारे में सोचना चाहिए था। मंत्री महोदय को देश में आर्थिक विकास के समेकन पर विचार करना चाहिए था। दुर्भाग्य से, वित्त मंत्री इस महत्वपूर्ण पहलू पर पूर्णत: विफल रहे।

वित्त मंत्री ने कर आधार बढ़ाने के लिए राजस्व जुटाने हेतु कोई खास प्रयास नहीं किया है। इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कृषि, उद्योग आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में समग्र विफलता के कारण स्थिति और भी बदतर हो सकती है।

मुझे आशंक है। इस बजट में निम्नलिखित कारणों से मुद्रास्फीति की दर बढ़ सकती है। एक, वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत से अधिक हो सकता है जो काफी चिंताजनक है; दूसरा मूल्यवर्धित कर योजना के स्थान पर, ऋण प्रतिस्थापन मुआवजा जैसी वचनबद्धता प्रभावी की जाएगी। यह योजना इस वर्ष अप्रैल से प्रभावी होगी। बजट में अनके योजनाओं की सूची दी गई है। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि अप्रैल से मूल्यवर्धित कर योजना लागू हो जाएगी। सभी राज्य सरकारें विधान पारित करने के लिए तैयार हैं। यहां अन्य योजनाएं भी हैं। खर्च पूरा करने हेतु धनराशि कहां से आएगी? या तो सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को नोट छापने के लिए कहना पड़ेगा अथवा सरकार को इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग करना पड़ेगा जो कि अब 20 बिलियन अमरीकी डालर है। मैं माननीय मंत्री और सरकार से जानना चाहता हूं कि इन कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या होगी। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक को और नोट छापने के लिए निदेश देंगे अथवा आप विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग करेंगे। सरकार को इस संबंध में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इस कारण मुझे आशंका है कि आगामी दिनों में हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी जिससे आम आदमी और गरीब लोग प्रभावित होंगे।

सरकार सरकारी बैंक विदेशी निवेशकों को सौंप देगी। केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वर्ष 1969 में सामाजिक दायित्वों को पूरा करने, देश की गरीब

[श्री रमेश चेन्नितला]

जनता जिन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से किसी तरह की सहायता नहीं मिलती उनकी सहायता करने के लिए सवर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तब से समाज के गरीब लोगों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कम से कम कुछ सहायता तो मिल रही है। अब स्थिति पूर्णत: बदल रही है। सरकारी बैंक विदेशी निवेशकों को सौंप दिए जाएंगे। ...*(व्यवधान)* मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं। पहले मतदान 10 प्रतिशत तक सीमित था।

इसलिए, पहले जो लोग शेयर खरीदना चाहते थे वे केवल दस प्रतिशत शेयर खरीद सकते थे। अब वह सीमा हटा दी गई है और देश में कोई भी कितने ही शेयर खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त एक विधेयक जिसमें सरकारी इक्विटी को 51 प्रतिशत से कम करके 33 प्रतिशत करने का उपबंध है, वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष लंबित पड़ा है। इसका अर्थ है सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा और इसके साथ ही बजट में निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। सरकारी बैंक जिनका निजीकरण किया गया है उन्हें विदेशी निवेशक आसानी से ले सकता है। यह मेरी आशंका है। सरकार ने निजी निवेशकों की सहायता हेतु अनेक कदम उठाए हैं। उनकी सहायता करने हेतु सोच-समझ कर कदम उठाए गए हैं तथा यह षड्यंत्र है ताकि हमारे देश के सभी महत्त्वपूर्ण सरकारी बैंकों को विदेशी निवेशकों के अंतर्गत लाने में सहायता दी जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंक अधिकारी तथा प्रबंधन गरीब लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं। वे देश के गरीब, पात्र तथा जरूरतमंद लोगों को ऋण नहीं दे रहे हैं। अब यह सीमा हटा देने तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत बढ़ा देने से यह बैंक निजी विदेशी निवेशकों के हाथ में चले जाएंगे तो इन गरीब लोगों का क्या होगा? सरकारी बैंकों को जिन सामाजिक दायित्वों को पूरा करना चाहिए था, उनका क्या होगा? बैंकों की राष्ट्रीयकरण की भावना का क्या होगा? इस तरह, यह बजट गरीब-विरोधी, इस देश के गरीब तथा आम आदमी के हितों के पूर्णत: विरुद्ध है।

कृषि की स्थिति के बारे में मेरे मित्रों ने पहले ही सभा को अवगत करा दिया है। कृषि क्षेत्र के बारे में इकॉनामिक सर्वे द्वारा दी गयी चेतावनी को वित्त मंत्री ने अनदेखा कर दिया है। इकॉनामिक सर्वे में स्पष्ट चेतावनी दी गई है अर्थात (एक) फसल समर्थन मूल्यों में बदलाव, (दो) खरीद नीति में बदलाव, और (तीन) जल संचयन तथा प्रबंधन और दालों और खाद्य तेलों की कम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे सोध को सतत् प्राथमिकता देना, दिलचस्प बात यह है कि कृषि में सरकारी तथा निजी निवेश बड़ी तेजी से कम होता जा रहा है। लेकिन वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

महोदय, वित्त मंत्री दूसरी कृषि क्रांति की बात कर रहे हैं। इकॉनामिक सर्वे में दी गयी गम्भीर चेतावनी वित्त मंत्री जी अगर विचार करें उन्हें मालूम हो जायेगा कि दूसरी कृषि क्रान्ति कैसे लायी जा सकती है? इसके अलावा, देश की आबादी के 80 प्रतिशत किसानों का विश्वास जीतने में वित्त मंत्री विफल रहे हैं। डीजल पर उपकर लगाने से गरीब किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी इससे प्रभावित होगा, विशेषकर केरल में इसका कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु अन्य राज्यों से मंगाई जाती है। इसलिए डीजल और पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से सबसे ज्यादा प्रभाव हम पर पड़ेगा। हालांकि, इसका कुप्रभाव देश की सम्पूर्ण जनसंख्या पर पड़ेगा, लेकिन केरल उपभोक्ता राज्य होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।

उर्वरकों तथा कीटनाशकों के मूल्यों में वृद्धि से किसानों की स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। अत: देश में दूसरी हरित क्रान्ति कैसे लाई जा सकती है? मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत प्रदान करने पर विचार कर रही है? कृषि उत्पादों के लिए कोई बाजार नहीं है। किसानों को उनके उत्पादों के लिए कोई बाजार नहीं है। किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। वित्तीय संस्थानों से भी उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। ग्रामीण ऋण जो कि कृषि के संवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है भी बैंकों द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

श्री सुदर्शन नाच्चीयपन जी यहां हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा कृषि समुदाय को दी जाने वाली नकद राशि की हम समीक्षा कर रहे हैं। स्थिति चिंताजनक है। हमने स्थायी समिति की ग्रामीण ऋण संबंधी विभिन्न बैंकों की बैठकों में समीक्षा की। स्थिति चिंताजनक है। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के निदेशों के बावजूद लगभग सभी बैंक निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब किसान पूंजी से बिल्कुल वंचित रहते हैं। उन्हें अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। वे कैसे जिन्दा रह पायेंगे? कृषि समुदाय संकट में है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस पहलू पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके विपरीत सरकार यूरिया, कीटनाशकों के मूल्यों में वृद्धि कर रही है और डीजल आदि पर उपकर लगा रही है।

पैट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि आये दिन होती जा रही है। सरकार हर दूसरे माह इनमें वृद्धि कर रही है। डीजल के संबंध में पेट्रोलियम मंत्री ने कुछ राहत प्रदान की थी। लेकिन अब इसे रद्द किया जा चुका है। अब और अधिक उपकर लागू किया गया है। इसके कारण किसान दुखी हैं। उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं क्योंकि

प्रत्येक किसान पर भारी कर्ज है और वह उसे बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाओं को वापस करना पड़ता है।

इसलिए देश में दूसरी कृषि क्रांति कैसे आयेगी? यह तभी सम्भव है जब कृषक समुदाय तथा कृषकों को आत्मविश्वास दिलाया जा सके। दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार इस पहलू से पूरी तरह असफल रही है।

अब मैं सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। मैं ऐसे राज्य से हूं जहां लगातार बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा होती रही है। एक अन्य दिन हमारे वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री तथा अन्य सभी सांसद इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से मिले। हालांकि लगातार तीन बार सूखे की स्थिति रही, इसके बावजूद हमें केन्द्र सरकार से कुछ भी नहीं मिला। केरल में लगातार सूखा अथवा बाढ़ की स्थिति पैदा होती रही है। मई से जुलाई, 2001 के दौरान बाढ़ आई। जान-माल की कुल हानि 550 करोड़ रुपये की हुई। ज्ञापन में हमने 552 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी, लेकिन हमें एक भी पैसा नहीं दिया गया। जून-जुलाई, 2000 की अवधि के दौरान केरल राज्य में सूखा पड़ा। इसमें राज्य को 1,035 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई। इस राशि की हमने मांग की, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। वर्ष 2002 में 1 अक्तूबर से 22 अक्तूबर तक बाढ़ की स्थिति गम्भीर थी और इसमें 145 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस बार भी कुछ नहीं दिया गया। केरल राज्य के प्रति भेदभाव क्यों? 14 जिलों में से 12 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है फिर भी एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको आगाह कर दूं कि आपके दल से कम से कम सात वक्ता हैं, तो बोलना चाहेंगे। अब आपको समाप्त करना होगा, वर्ना उन्हें बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विषय पर आ रहा हूं। केन्द्र सरकार केरल के साथ भेदभाव कर रही है। हालांकि कई राज्यों को सहायता मिली, परंतु केरल को, बाढ़ और सूखे की लगातार स्थिति का सामना करने के बावजूद, एक भी पैसा नहीं मिला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करें तथा हमारे राज्य को कुछ सहायता प्रदान करें।

लघु बचत योजनाओं और भविष्य निधि पर ब्याज की दरें कम करने से आम आदमी पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरी ओर शेयर बाजार में निवेश करने वालों को लाभांश कर वापस लेने की काफी सहूलियत दी गयी है। इससे सरकार का रवैया पता चलता है। यह भी मालूम होता है कि सरकार धनाढ्य वर्ग के प्रति ही ध्यान दे रही है। लेकिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति निष्ठुर रवैया अपनाया जा रहा है।

महोदय, दीर्घावधि पूंजी लाभ कर हटने से केवल समाज के धनाढ्य वर्ग को ही फायदा होगा। सेवा कर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने से वेतनभोगी वर्ग को आयकर रियायतों का लाभ समाप्त हो जायेगा। बजट में दिखाया गया है कि वेतनभोगी, सरकारी कर्मचारियों को सब कुछ मिला है। लेकिन सच यह है कि सेवा कर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने से जो लाभ उन्हें दिये गये थे वे सब समाप्त हो जायेंगे। एक हाथ से वह कुछ देते हैं तो दूसरे से वापस ले रहे हैं। वेतनभोगी वर्ग तथा सरकारी कर्मचारियों के साथ यही तो हो रहा है।

महोदय, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसका वर्णन किया जा चुका है और मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। लेकिन स्थिति नाजुक है तथा विनिवेश नीति के कारण सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य औद्योगिक इकाइयों से हजारों लोग बाहर आ रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और जबरन सेवा निवृत्ति करने से हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो रहे हैं। परन्तु सरकार रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रही है।

महोदय, हम कहां हैं? उस दिन देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष एक करोड़ नौकरियां सृजित करने का वायदा जो हमने किया था उसे पूरा कर दिया है। लेकिन क्या ऐसा कोई राज्य है जहां के पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार के अवसर मिले हैं? रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं।

लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करने की काफी संभावनायें हैं। परन्तु यह भी देश में समाप्त होते जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 75 और चीजों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया है। इससे लघु उद्योगों पर विपत्ति आ जायेगी। काजू, नारियल जटा और सुपारी मूल तथा परम्परागत उद्योग रहे हैं। आज वे संकट में हैं तथा हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं।

अंत में इस बजट से सरकार के रवैये का पता चलता है। बजट विकासोन्मुखी नहीं है, इससे रोजगार के अवसर सृजित नहीं होंगे तथा यह बजट देश को आगे नहीं ले जा पायेगा। माननीय वित्त मंत्री ने बजट, भाषण में कहा था कि 'भारत तरक्की कर रहा है।' महोदय, एन डी ए के शासन में भारत प्रगति नहीं कर रहा है। अपितु पिछड़ता हुआ अंधकार की ओर जा रहा है। इस देश के लोग हाथ पे हाथ रखकर चुप नहीं बैठेंगे, वे इस सरकार को समुचित जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

अपराह्न 5.18½ बजे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

[श्री राधा मोहन सिंह]

मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस विकट परिस्थिति में, विश्वव्यापी मंदी में, खाड़ी में व्याप्त संकट एवं चतुर्दिक संकटों में फंसी हुई राष्ट्र की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक संतुलित बजट बनाया है। राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में इस बजट ने जो सहूलियतें दी हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर इस सदन के सभी सदस्यों को माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी होना चाहिए। वित्त मंत्रालय भी सचमुच प्रशंसा का पात्र है।

महोदय, आजादी के बाद पचास वर्षों तक हमने सिर्फ समस्याएं पैदा की हैं। 1947 से लेकर 1997 तक सिर्फ समस्याएं पैदा कीं। निदान एवं विकास के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की गई। पिछले चार वर्षों में उन समस्याओं को हम अपने पूरे आकार में देख रहे हैं जिसका परिणाम है कि पिछले दो-तीन बजट में और वर्ष के बजट के माध्यम से समस्याओं को पूरी तरह से हल करने की शुरूआत की गई है। भारत के सत्ता प्रतिष्ठान में पहले यह आदत थी कि विकास के नाम पर छोटे-छोटे और सांकेतिक काम किये जाते थे। विकास के मुकम्मल मसलों को समग्रता से खत्म करने की कोई परंपरा नहीं रही।

महोदय, आज जो बजट आया है, उसका विरोध हमारे विपक्ष के लोग शायद बजबूरी में कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यह बजट संतुलित, जनहितकारी और दूरदर्शी है।

सभापति महोदय, सदन में, हम लोगों में से बहुत सारे सदस्य किसान परिवारों से आते हैं। मैं भी किसान परिवार से आता हूं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गांवों में रहने वाले किसान तीन-चार साल पहले जब रसोई गैस लेने जाते थे, तो 2000-3000 रुपए लग जाते थे और कभी-कभी तो 5000 रुपए तक देने पड़ते थे, तब कहीं रसोई गैस का कनैक्शन मिलता था। हम सभी किसान परिवारों के सदस्य हैं। गांवों से निकलकर शहरों में आने वाले लोगों की हालत से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। जब गांवों से लोग शहरों में आते थे, तो उनके सामने रसोई गैस प्राप्त करना एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। आज सरकार की कुशल और जनहितकारी नीतियों का परिणाम है कि यह समस्या बिल्कुल नहीं है।

गांवों के लोग जब टेलीफोन लगाने के लिए जाते थे, तो काफी समय लग जाता था। कनैक्शन मिलता ही नहीं था। गांवों की क्या कहें यहां दिल्ली जैसे शहर में भी कुछ वर्ष पूर्व एक टेलीफोन कनैक्शन लेने में 10 हजार रुपए खर्च आ जाते थे। हमारे कुछ मित्र अभी रोजगार की बात तर रहे थे। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं 1947 से 1998 तक इस देश में चार लाख पी.सी.ओ. खुले थे। एक पी.सी.ओ. से कम से कम एक आदमी को रोजगार मिलता है। 1998 से लेकर अब तक सात लाख पी.सी.ओ. हो गए हैं। यानी आप अनुमान लगाइए की 50 वर्ष में केवल चार लाख पी.सी.ओ. और चार वर्ष में सात लाख पी.सी.ओ.। इससे देश के लाखों लोगों को रोजगार मिला है।

डा. नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई): टेलीफोन कनैक्शन के बारे में भी बताइए।

श्री राधा मोहन सिंह: मैं टेलीफोन कनैक्शनों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो रोजगार की बात कह रहा हूं।

अगर आपने बजट पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि संचार क्रांति के माध्यम से आगे भी रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपने बजट पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि गांवों में दूरसंचार क्रांति को पहुंचाने के लिए किस प्रकार से जाल बिछाया जाएगा। इस बजट में दूरसंचार एवं आई.टी. सैक्टर द्वारा संघटकों को निर्माण हेतु उपयोग में लाई जा रही कई पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है। आप्टीकल फाइबर केबल के लिए सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया। आप्टीकल फाइबर बनाने के लिए ई.ग्लास रोविंग के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्चे मालों पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट की उदारता सचमुच गांव में संचार क्रांति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष के उप नेता माननीय शिवराज वि. पाटिल का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस देश में अनाज का भंडार है, लेकिन उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह शब्द आलोचना करने की दृष्टि से कहे, लेकिन उनकी आलोचना में भी इस बात का प्रमाण है कि आज देश में अन्न का विशाल भंडार है। यह अन्न का जो विशाल भण्डार है, यह हम सब जानते हैं, पूरा सदन जानता है और पूरा देश इसको जानता है कि किसानों की मेहनत और इस सरकार की अच्छी नीतियों का यह परिणाम है। आपको मालूम होगा कि आज से तीन-चार साल पहले तक हमें ऐसा लगता रहता था कि कब अमरीका से अनाज आएगा और कब हमें मिलेगा। मुझे ठीक प्रकार से याद है माननीय गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे तब भी हमारे देश को अनाज का आयात करना पड़ा था। उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री बने तब 1997-98 और 1999-2000 के बीच भी हमने करीब 2930 करोड़ रुपए के गेहूं का आयात किया था, जबकि पिछले दो सालों से भारत गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है और अब तक

1100 करोड़ गेहूं का निर्यात किया जा चुका है। 1997-1998 से अब तक 17,000 करोड़ रुपए का चावल भी निर्यात किया गया है। आज भारत के 30 देशों में अनाज का निर्यात कर रहा है। दूध, चीनी, गेहूं, चावल और रुई आदि की अधिक पैदावार के कारण बहतायत है। खाद्यान्न भंडार छः करोड़ टन से ज्यादा है जिसे संरक्षित रखने के लिए हमारे पास समुचित जगह नहीं है। अन्न सड़ रहा है।

आज यदि कहीं सूखा पड़ता है तो बहुत चिन्ता का विषय नहीं है, लेकिन सूखे के कारण आज भी कई लोग मर रहे हैं। राजस्थान में इस कारण कई मौतें हुई। वहां अन्न का भंडार है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी वितरण व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी है और इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर आ जाती है। यह सरकार ऐसी है, जिसमें विकास के सांकेतिक काम नहीं किए हैं, बल्कि हकीकत में सामने आए हैं। विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मानते हैं। पाटील जी ने भी इसकी प्रशंसा की कि जो चतुर्भुज सड़कों का निर्माण और नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, उन्होंने कहा था कि इसके लिए धन जुटाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें विरोधाभास है कि डीजल पर 50 पैसे क्यों बढ़े। आजकल की राजनीति इस प्रकार की है और आप बोल भी रहे हैं कि संसाधन जुटाने चाहिए और फिर यह भी बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोत्तरी क्यों हुई।

महोदय, इस सरकार का विकास का काम हकीकत रूप में हमारे सामने है। अन्न की चर्चा हो रही थी। अनाज के विशाल भंडार के कारण ही पिछले वर्ष के बजट में देश के एक करोड़ परिवारों के लिए अंत्योदय अन्य योजना चालू की गई। इसका बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। 50 वर्ष तक इसकी कोई चिन्ता नहीं करता था। यह चिन्ता इसी सरकार के समय में हुई। इस बार के बजट में भी 50 लाख परिवारों को यह लाभ मिलेगा। देश के डेढ़ लाख परिवार, आठ करोड़ ऐसे लोग हैं, जिन्हें दोनों समय रोटी नसीब नहीं होती थी। आजाद हिन्दुस्तान में पहले कोई ऐसी सरकार आई, जिसने यह चिन्ता की। इन आठ करोड़ लोगों को पिछले 50 वर्षों तक आजादी का एहसास नहीं था, वे आजादी का अर्थ भी नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें दोनों टाइम रोटी नसीब नहीं होती थी। उन्हें आजादी का असली अर्थ का एहसास कराने का काम इस सरकार ने किया। आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था करके इस सरकार ने निश्चित रूप से महान कार्य किया है। उन आठ करोड़ लोगों के हित में इस सरकार ने जो काम किया, उसके लिए निश्चित रूप से इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना के अलावा मिड-डे मील योजना, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज की योजनाओं जैसी केन्द्र की अन्य प्रायोजित योजनाएं हैं, जो आज गांवों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं।

महोदय, इस सदन को कुछ बातों पर आश्चर्य जरूर होगा। पिछली बार प्रधानमंत्री जी के यहां बिहार के सभी सांसद गए थे, जब बाढ़ आई थी। उन्होंने एक लाख मीट्रिक टन अनाज बिहार को मुफ्त दिया, लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार की हालत यह रही कि उसमें से उन्होंने सिर्फ 7,615 मीट्रिक टन अनाज उठान किया। मिड-डे मील के लिए मुफ्त में भारत सरकार अनाज दे रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कास्ट बिहार सरकार के पास नहीं है। आदरणीय पाटील जी कह रहे थे कि एफसीआई के गोदामों में जो सरप्लस अन्न पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। अगर इस समय वे यहां होते तो मैं उन्हें बताता कि उनके मित्र उसे उठा नहीं रहे हैं, मुफ्त का अनाज नहीं उठा रहे हैं। इस सरकार की जो योजनाएं हैं, वे यदि राज्यों में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो जरूर कहीं न कहीं उसके अंदर व्यवस्था में भ्रष्टाचार है या उसकी कमजोरी है।

अभी समर्थन मूल्य भारत सरकार दे रही है, इस पर चर्चा होने वाली है। मैं बिहार में देख कर आया हूं, वहां एफसीआई के सौ केन्द्र खुले हुए हैं। सब्सिडी के आप करोड़ों रुपये दे रहे हैं, किसानों के लिए दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो क्रय केन्द्र खुले हुए हैं, वहां गड़बड़ी है। बिहार सरकार में हजारों जाली संगठन और सहयोग समितियां बनी हैं, जिसमें जाली किसानों का नाम, जिलाधीश और जिला सहकारिता पदाधिकारी से मोहर लगवा कर वे लाभ ले रहे हैं। किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई समर्थन मूल्य की राशि बिहार सरकार बिचौलियों को दे रही है। पिछले साल 60 करोड़ रुपए का चावल खरीदा गया। यदि उसकी जांच हो जाए कि क्या यह पैसा किसानों को मिला या नहीं मिला या किसके माध्यम से बिचौलियों को मिला, अगर इसकी सीबीआई जांच करे तो बिहार का पूरा सहकारिता विभाग और वहां के कई लोग जेल के अंदर बंद हो जाएंगे।

इस सदन में कई मित्रों ने कृषि और किसान की चर्चा की है। यह बात सही है कि बजट में खाद के मूल्य में 1-2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन यदि हम किसान हैं तो हमें यह भी पता करना होगा, हमें यह जानकारी करनी होगी कि जहां 1-2 प्रतिशत खाद के मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन खाद बनाने के लिए जिस नेप्था का उपयोग हम करते हैं, उसके मूल्य में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुनिया का भला ऐसा कौन सा देश होगा जो इसके प्रभाव से वंचित होगा। दुनिया की धरती पर हमारा हिन्दुस्तान भी है। अभी कच्चे तेल की कीमतों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खाद के काम में इस्तेमाल होने वाले नेप्था के मूल्य में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से उसका असर अपने देश में भी पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी किसान की जो चिन्ता कर रह हैं, उसे समझने के लिए हमें बजट भी पढ़ना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र में हाईटैक, बागवानी और

[श्री राधा मोहन सिंह]

अच्छे परिणाम देने वाले खाद के लिए नई योजना शुरू की है। हाईटैक, बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाले खाद के सम्बन्ध में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की जाएगी। उर्वरता, जैव प्रौद्योगिकी, औजारों का प्रयोग, हाईटैक हरित खाद उत्पादन, ग्रीनहाउस जैसी हाईटैक प्रौद्योगिकी इस स्कीम के प्रमुख घटक होंगे। निश्चित रूप से बजट की यह व्यवस्था किसान के लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। आखिर 50 हजार करोड़ रुपये की जो सब्सिडी दी जा रही है, वह किसके लिए दी जा रही है? क्या वह किसान के लिए नहीं दी जा रही है? इस 50 हजार करोड़ रुपये में से आपने 28 हजार करोड़ रुपये अनाज पर सब्सिडी, 12,700 करोड़ रुपये खाद पर सब्सिडी और प्रशासनिक मूल्य प्रणाली समाप्त होने के बावजूद रसोई गैस और मिट्टी के तेल आदि पैट्रोलियम उत्पादों पर नौ हजार करोड़ रुपये की सरकारी सहायता दी जा रही है। जो लोग इस बजट की आलोचना करने में जितनी ताकत लगा रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि लोग जितनी ताकत इस बजट की आलोचना करने में लगा रहे हैं, यदि उसमें से थोड़ी सी भी ताकत, जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, वह लाभार्थियों तक यदि पहुंच जाये तो हम समझते हैं कि देश का और किसान का सबसे ज्यादा कल्याण होगा, न कि इसका विरोध करने से होगा या इसकी आलोचना करने से किसान का कल्याण होगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों का बजट रखा और उसमें जो बातें रखी हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बैंक खोले जाएंगे और यहां तक उसमें कहा गया है कि डाकघरों के माध्यम से किसानों को ऋण देना है। ऐसा विचार आजादी के इतने दिनों बाद यदि किसी वित्त मंत्री ने, किया है तो इसी सरकार में किया है तो निश्चित रूप से इस देश के अन्दर किसानों के लिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: उधर आधा घंटा और इधर केवल 10 मिनट टाइम मिलेगा क्या?

सभापति महोदय: आधा घंटा नहीं, आपके दल के काफी सदस्य और बोलने वाले हैं, आप चाहें तो पूरा समय लें। मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री राधा मोहन सिंह: मुझे सिर्फ यह कहना है कि सत्ता प्रतिष्ठान में जो लोग 50 वर्ष तक रहे, उन्होंने 50 वर्ष तक चिन्ता नहीं कि गांवों में सड़कों की हालत कैसी है, बिजली की क्या हालत है, पीने का शुद्ध पानी मिलता है या नहीं, स्कूल भवन है या नहीं, शिक्षा है या नहीं, जिन लोगों ने 50 वर्षों तक इसकी चिन्ता नहीं की, वैसे लोग, जब इस सरकार को किसान विरोधी कहते हैं तो वह समय बड़ा शर्मनाक होता है। मैं समझता हूं कि ऐसा कहने में उनको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 50 वर्षों तक इसकी चिन्ता उन्होंने नहीं की।

सड़क चाहे ग्रामीण हो या राजमार्ग हो, पिछले तीन वर्षों के अन्दर और इस बार के बजट में सड़कों, रेलवे, विमानपत्तन तथा बंदरगाहों की संरचना को मजबूत करने के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है, सचमुच हम लोग जो विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने का काम इस बजट में किया गया है। इस बजट में 40 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 48 नई सड़क परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई हैं, जिनकी लम्बाई दस हजार किलोमीटर होगी। उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे के विकास के लिए डीजल तथा मोटर स्प्रिट पर 50 पैसे प्रतिलीटर का अतिरिक्त उपकर लगाकर जुटाया जायेगा। इस उपकर से 26 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज 2003 तक पर्याप्त रूप से पूरा हो जायेगा, जो निर्धारित समय से एक वर्ष पहले होगा आज गांवों में हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम शुरू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत गावों में सड़कों का ईंटीकरण एवं पुल-पुलियों का भी निर्माण हो रहा है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य का क्षेत्र है। हाल के वर्षों के बजट पर दृष्टि डालें तो यह पहला बजट है जिसमें आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है। हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि ऊपर और नीचे के लोगों की चिन्ता हो रही है लेकिन बीच के लोगों की कोई चिन्ता नहीं हो रही। हिन्दुस्तान के सामान्य लोगों की चिन्ता इस बजट में की गई है। कपड़े के क्षेत्र में भारी बजट पैकेज से देश के लोगों को सहुलियत मिलेगी। पशुपालन और चीनी उद्योग के लिए भी कई कदम उठाये गये हैं। चीनी उद्योग के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर इस चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करेंगे। किन्तु जब तक राज्य सरकार का इसमें सहयोग नहीं होगा तब तक चीनी उद्योग का संकट समाप्त होने वाला नहीं है।

जहां तक किसान की बात है, भारत सरकार ने गन्ने का पांच रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है लेकिन बिहार सरकार को उस समर्थन मूल्य के आधार पर मूल्य दिलाने की स्थिति में नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें निश्चित रूप से राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए।

एक विषय और है कि देश में जितनी समस्याएं हैं, उनकी जड़ में हमारी अशिक्षा है। क्या इस सत्य को हमारे विरोधी पक्ष के लोग स्वीकार करते हैं? आजादी के तुरंत बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार होना चाहिए। यह 10 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन विगत 50 वर्षों में किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई। केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी जिसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का कानून बनाया। इतना ही नहीं, 2003-04 के इस बजट में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के इरादे से सरकार ने शिक्षा अभियान के लिए इस वर्ष 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन स्वीकार किया है। बजट में इस बात का साफ संकेत है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिये 1929 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जबकि पिछली बार 1993 करोड़ रुपये थे। यह कार्यक्रम इसी सरकार ने 2000 में शुरू किया था जिसका उद्देश्य था कि 2003 तक स्कूलों के माध्यम से या वैकल्पिक व्यवस्था करके सब बच्चों शिक्षित करना है।

अंत में, मेरा एक और विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं, 6 हजार पंचायत समितियां एवं 6 सौ जिला पंचायतों से संबंधित है। 10 वर्ष पहले 22 और 23 दिसम्बर, 1992 को लोक सभा और राज्य सभा ने 73वें और 74वें संशोधन पारित किये जिनमें पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को स्वशासन की इकाइयां बनाने की व्यवस्था की गई। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। दस वर्षों का अंतिम लेखा-जोखा देखा जाये तो जिन हाथों ने इन इकाइयों को खड़ा करने का काम किया, आज वहीं लोग उनको नकारा साबित करने में लगे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि सांसद, विधायक, नौकरशाही तीनों मिलकर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के बैध स्थान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम छटपटा रहे हैं कि क्यों जन सहभागिता हो रही है। हमारी बात नहीं चल रही। कोई भी राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को महत्व नहीं दे रही है। राज्यों में पंचायत कैडर नाम का कोई तंत्र नहीं है। मैं भी सांसद हूं किन्तु हमें असलियत को स्वीकार करना होगा। सांसद, विधायक एवं नौकरशाही तीनों की यह प्रबल इच्छा है कि सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट को पंचायतों के दायरे में नहीं लाया जाये, नहीं तो मेरी मनमानी नहीं चलेगी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को सक्रिय रखा जाये नहीं तो नौकरशाही की बात नहीं चलेगी। आज भी बहुत सी योजनाएं हैं, जो नौकरशाही ढांचा है, उसके जो कर्मचारी हैं, जो ओवरसियर हैं, उसके जो सोपानीकृत संगठन हैं, उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्पष्ट है कि इन योजनाओं पर राजनेता, नौकरशाह और ठेकेदार तीनों का कब्जा है और वे पूरा मलीदा खा रहे हैं। जब पंचायती राज की व्यवस्था की तो निश्चित रूप से मैं माननीय वित्त मंत्री और इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आज हम सभी सांसद इस निधि के कारण कटघरे में खड़े हो रहे हैं। जो विधायक योजना है, उसमें लूट मची हुई है। जब हमने स्थानीय निकाय बनाए पंचायतें और नगरपालिका बनाई तो फिर इसकी क्या जरूरत है? करोड़ों रुपये क्यों सांसद एवम् विधायकों हैं को दिये हैं? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की क्या कसौटी है? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की यह कसौटी है कि सांसद मद को समाप्त किया जाये। इस राशि को पंचायतों और नगरपालिकाओं के सुपुर्द किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): सभापति जी, आपने मझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लगभग सभी बातें वक्ताओं ने कही हैं और सभी बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। बजट की किसी ने प्रशंसा की। किसी ने बजट को उत्तम नहीं बताया, देश के लिए हानिकारक बताया। बजट सरकार की नीति का दर्पण माना गया है। पिछले पांच बजट वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। पता नहीं, अचानक क्या हुआ, इस दर्पण में कैसी तस्वीर दिख रही थी कि उस सरकार की तस्वीर को बदलने की आवश्यकता पड़ गई और 'य' की जगह 'ज' बिठा दिया गया। ज्यादा फर्क नहीं है। यशवंत सिन्हा जी की जगह जसवंत सिंह बैठा दिये गये। लोगों को ऐसा लगा कि इस परिवर्तन से इस वर्ष इस देश की जनता को कोई नया पुरस्कार मिलेगा लेकिन इसका अगर सूक्ष्म परीक्षण किया जाये तो ऐसा लगता है कि लाश वहीं है, सिर्फ कफन बदला है। बजट वही पुराना है, सिर्फ नये व्यक्ति के द्वारा बदला गया। नये वित्त मंत्री जी के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है। हर वर्ष यह चर्चा होती है कि हमारा सरकारी घाटा बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों से खेद व्यक्त किया जा रहा है। निरन्तर सरकारी घाटा बढ़ा है। गत वर्ष राजकोषीय घाटा 1,45,466 करोड़ रुपया था। इस वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा 1,53,637 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित किया गया। आखिर घाटे का बोझ हर साल बजट में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसके ऊपर जाता है? यह घाटे का बजट देश सह रहा है और यहां के लोग सह रहे हैं। इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा और यह विचार हम लोग छोड़ दें कि हम किस पार्टी के हैं, इधर के हैं यहा उधर के हैं या बगल के हैं। राजकोपीय घाटा हम कितनी दूरी तक ले जाएंगे। इसकी क्या सीमा होनी चाहिए और इसे हम किस सीमा तक ले जा सकते हैं। इसका औचित्य हमें इस देश को बताना होगा क्योंकि राजकोषीय घाटे से इस देश के नागरिक ही दब रहे हैं और विशेष तौर पर इस देश के गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। मेरा कहना है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था हमें दी है कि जब संविधान का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम

[श्री सुन्दर लाल तिवारी]

विचार करें लेकिन आज तक 54-55 वर्ष हो गये हैं, सरकारें बनती चली गई लेकिन राजकोषीय घाटे के ऊपर नियंत्रण करने के लिए इस सदन को कोई अधिकार नहीं है और सरकार उस पर निर्णय लेती है। जब सरकारें बनीं तो सोचा गया कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि राजस्व-घाटा बढ़ता जाए। इस पर नियंत्रण हमें लगाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 292 में इसका उल्लेख है कि:

[अनुवाद]

> "संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें ससंद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है।"

[हिन्दी]

हमारे संविधान में इसका उल्लेख है लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है और मैं किसी एक सरकार को इसके लिए दोषी नहीं मानूंगा। किसी एक पक्ष से एक बार एक बिल आया था लेकिन वह कहां गया, मुझे मालूम नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर ने उस समय कहा था कि:-

[अनुवाद]

> "कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के समक्ष संसद द्वारा केन्द्र सरकार की उधार लेने की शक्ति की सीमा निर्धारण का मुद्दा कई बार जांच के लिए आया है। अभी तक उधार की सीमा निर्धारण के लिए कोई विधायी कार्यवाही नहीं की गयी है, यह बात डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस विषय पर 10 अगस्त 1949 को संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान कही, यह विषय अनुच्छेद 292 और प्रारूप अनुच्छेद 268 के अंतर्गत सम्मिलित है।"

[हिन्दी]

लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ये विचार उस समय भी आये थे, आज भी हैं, हमारे कानून में इसका प्रावधान है। मेरा कहना यही है कि इस देश पर प्रत्यक्ष बोझ हम कब तक लादते चले जाएंगे? सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करुंगा कि इस बिल के बारे में विचार करना चाहिए। दुनिया के कई देशों में इस तरह के बिल कांस्टीट्यूट हुए हैं और इस तरह के बिलों का निर्माण हुआ है। जब राजस्व घाटा बढ़ रहा हो तो सदन निर्णय लेता है, सदन को शक्ति प्राप्त है। इसलिए आज इस बात की आश्यकता है क्योंकि हमारा राजस्व घाटा निरंतर बढ़ा चला जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

बड़े ही जादुई तरीके से मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है। लगता है कि सारे लोगों को कुछ मिलने वाला है, सबकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, चाहे मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सब को कुछ इससे मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा है? माननीय वित्त मंत्री जी ने 2955 करोड़ रुपये की छूट दी है। इस छूट को सीधे सेवा कर लगाकर और दस अन्य क्षेत्रों को जोड़कर यह घाटा पूरा कर लिया है। तीन हजार करोड़ रुपये टैक्स इकट्ठा करने का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही 2955 करोड़ रुपये में 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या जो इस देश की है उसको कितनी छूट या राहत मिलेगी, यह प्रश्न भी विचारणीय है। साफ है कि कहीं न कहीं बजट को इस तरह का प्रस्तुत करके प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि छूट मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बजट से इस देश के लोगों को कुछ नहीं मिला है।

जो पुराना बजट था, लगभग उसी से मिलता-जुलता यह बजट है। कुछ आकंड़ों में हेरफेर कर दिया गया है। डायरैक्ट टैक्सेस में भी वही स्थिति थी, जो पिछली बार हमारी थी। उसमें कोई परिर्वतन नहीं किया गया। बजट में बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की बात कही गई है। 60 हजार करोड़ रुपए से इन्फ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की बात सरकार द्वारा कही गई है। मैं पूछना चाहता हूं क्या 60 हजार करोड़ बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के लिए पर्याप्त हैं? इस राशि से मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने के लिए क्या तस्वीर निकलेगी? सन् 2002-2003 में ग्रामीण विकास के लिए 4,443 करोड़ रुपए का प्रावधान था और वर्तमान में भी 4,443 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राशि में कोई अन्तर नहीं है। हम जहां खड़े थे, वहीं खड़े हैं। सिंचाई के मामले में 443 करोड़ रुपए का प्रावधान गत वर्ष के बजट में किया गया था और इतनी ही राशि इस वर्ष के बजट में रखी गई है। इसी प्रकार परिवहन के मामले में लगभग 32 हजार करोड़ रुपये पिछले वर्ष के बजट में रखे गए और इस वर्ष 2003-2004 में 28 हजार 84 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस राशि में कमी की गई है। संचार के क्षेत्र में गत वर्ष हमारा बजट था 32 हजार 41 करोड़ रुपए और इस वर्ष के बजट में 28 हजार 784 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें भी कमी की गई है। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम वहीं खड़े हैं, जहां गत वर्ष खड़े थे। 60 हजार करोड़ रुपए से आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन कर देंगे, यह सब विचार करने का मामला है। स्वास्थ्य में भी जहां गत वर्ष थे, वहीं आज भी हैं।

महोदय, एक बात कही गई है कि निजीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार लाया जाएगा। बीमा योजना के माध्यम से सुधार लाने की बात कही गई है। वृद्धावस्था पैंशन के माध्यम से 150

रुपए पाने वाला व्यक्ति क्या एक रुपया रोज इस योजना में देने के लिए तैयार होगा और अपना स्वास्थ्य ठीक करेगा? मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य के मामले में शिथिलता बरती गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में अधिक प्रावधान नहीं किया गया है। मेरी मान्यता है कि स्वास्थ्य और सकल घरेलू उत्पाद या आर्थिक वृद्धि का एक दूसरे के साथ अनूठा संबंध है। जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निश्चित रूप से उस देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लोगों का स्वास्थ्य तभी अच्छा, जिस देश में स्वास्थ्य पर इन्वैस्टमेंट ज्यादा होगा। मेरा कहना यह है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, जब व्यक्ति हार्ट के पैशेंट हो जाए या किडनी का पैशेंट हो जाए और जेब उसकी खाली है, तो वह समझ लेता है कि वह मरने वाला है। वह अस्पताल के दरवाजे तक नहीं जा सकता। स्वास्थ्य की दिशा में लापरवाही बरती गई है। बजट में इसके लिए कम प्रावधान किया गया है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब कभी सप्लीमैंटरी बजट की बात आए, तो इसमें बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

यहां सभी लोगों ने कहा कि खाद के दाम बढ़ाए गए हैं। आखिर किसान ने क्या पाप किया है? आज देश में किसानों की क्या स्थिति है? जो शुद्ध किसान हैं और खेती करके अपना जीवन-यापन करते हैं, उनकी स्थति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। किसानों के ऊपर बोझ लाद कर और डीजल पर सैस बढ़ा कर अच्छा नहीं किया है। ऐसे में किसानों की क्या स्थिति होगी, क्या आपने उसका अन्दाजा नहीं लगाया? खाद और उर्वरक के दाम बढ़ा कर किसानों पर बोझ लादा गया है जिसे वापस लेने की आवश्यकता है। यह किसान विरोधी बजट है। अधिक ओले बरसने पर किसानों की पूरी मदद करनी चाहिए। यह एक पुरानी धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान विरोधी और पूंजीपतियों के समर्थक रहे हैं। उनकी यह धारणा इस बजट में परिलक्षित होती है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सामान्य बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामान्यत: यह बजट स्वागतयोग्य है। आज की परिस्थिति को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट पेश किया है। बुनियादी ढांचे में 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला गांव और गरीब लोगों को मजबूत करने वाला फैसला लगता है। दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी तरह से चर्चा की।

माननीय तिवारी जी अभी अपना व्याख्यान रख रहे थे। मैं उनकी इस बात पर निश्चित रूप से सहमति जताना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि 4 लाख 38 हजार 795 करोड़ रुपये के बजट में से 1 लाख 20 हजार 974 करोड़ रुपये योजना मद पर और 2 लाख 53 हजार 935 करोड़ रुपए गैर-योजना मद पर खर्च होंगे। यह अन्तर बहुत है जो ठीक नहीं है। आपने देश को विकास की तरफ ले जाने का फैसला लिया है लेकिन आप दो-ढ़ाई गुना राशि गैर-योजना मद में खर्च कर रहे हैं। इसे बदलना चाहिए। यह इस सरकार को आज नहीं बल्कि विरासत में मिला है। इसे बदलने की कोशिश इस बजट द्वारा हुई है। पांचवां बजट इस गठबंधन सरकार का है। कई क्षेत्रों में काम करने का फैसला सरकार ने लिया है। राजकोषीय घाटा 1 लाख 53 हजार 637 करोड़ रुपये का है जो बढ़ता जा रहा है। इसे बदलने का फैसला लिया गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: छ: बजने वाले हैं। सोमवार को सम्भवत: कठिनाई होगी इसलिए माननीय सदस्य यदि दो-तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें तो अच्छा होगा। मैं उतने समय के लिए हाउस का समय बढ़ा दूंगा। मैं इस बारे में सदन से सहमति प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या पांच मिनट के लिए समय बढ़ा दिया जाए ताकि माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर लें।

[अनुवाद]

डा. एम.वी.वी.एस.मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, इसे हम सोमवार को जारी रख सकते हैं *...(व्यवधान)* आज क्रिकेट का मैच भी है *...(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय: ये आज के अंतिम वक्ता हैं, और ये पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप पांच मिनट में पूरा करिये क्योंकि सदन की सहमति पांच मिनट के लिये है।

श्री नवल किशोर राय: सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात रख रहा था कि देश के संतुलित विकास की ओर ले जाने वाला बजट तभी कहा जायेगा जब एक रुपये की योजना पर ढाई रुपये खर्च की जो परिपाटी चली आ रही है, वह कम हो। इसलिये जब इसे बदलेंगे, वह बेहतर बजट होगा। फिर भी यह स्वागत योग्य बजट है। इसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का फैसला लिया गया है, खासकर श्रम प्रधान कार्य-कपड़ा क्षेत्र को माननीय वित्त मंत्री ने व्यापक छूट देने का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि कपड़ा ऐसा व्यापार क्षेत्र है जिसमें सूत, कपास और कमीज तैयार करने में, हाथ को काम मिल जाता है। माननीय मंत्री जी नारा देते हैं कि हर हाथ

[श्री नवल किशोर राय]

को काम देंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसके लिये और छूट देकर इसे श्रम-प्रधान व्यवसाय बनाया जाये। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो छूट दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि बजट भाषण में उन्होंने सिंचाई के बारे में दुनिया में अमरीका से तुलना करते हुए कहा कि सब से ज्यादा सिंचित जमीन हमारे पास है परन्तु हमारे देश में केवल 33 प्रतिशत भूमि संचित है और 67 प्रतिशत असिंचित है। जो बाढ़ प्रभावित जमीन है, उसके लिये बजट में केवल 433 करोड़ रुपया रखा गया है जो बहुत ही कम है। इस राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस जमीन को बाढ़ और सूखे से मुक्त करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, समय कम है, इसलिये मैं अपने राज्य बिहार की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमें आशा थी कि इस बजट में बिहार के पैकेज की चर्चा होगी लेकिन वह नहीं हुई। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इसका स्पष्टीकरण दें। बिहार राज्य के बंटवारे के बाद यह कमिटमेंट दिया गया था कि बिहार को पैकेज दिया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि उसे पैकेज दिया जाये। मैं उत्तर बिहार से आता हूं। आप जानते हैं कि नेपाल की नदियों से हमारा बिहार बाढ़ से बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लोगों का जीवन-यापन करना कठिन हो जाता है। इसके लिए संसद पर प्रदर्शन किये गये, सड़कों पर आन्दोलन हुए हैं। बिहार सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन, जिसमें सांसद लोग भी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम है कि अदवाड़ा समूह की नदियां—बागमती, कमला बालान, गंडक, कोसी आदि की 100 साल से गहराई नहीं की गई है। सरकार ने इसके लिये एक योजना बनाई थी जिसमें नेपाल और भारत के बीच वार्ता हुई कि इन नदियों को गहराई देने के लिये उसकी गाद निकाली जाये, उसकी चिराई की जाये और नेपाल से जो बातचीत चल रही है, उसे अमलीजामा पहनाकर जल्दी से जल्दी बाढ़ को रोकने की व्यवस्था की जाये। इससे बिहार विकास के मार्ग पर चल सकेगा। यदि उत्तर बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण कर सिंचाई की व्यवस्था सरकार नहीं करेंगी या जितनी चतुष्कोणीय योजनायें उत्तर बिहार के लिये बनाई गई हैं, वे सब बेकार हो जायेंगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें, आपका समय पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर दें तो बिहार में बाढ़ का स्थायी समाधान दें। उत्तर बिहार की सीमा से लगी सड़कें कौन सी बुनियादी ढांचे में शामिल की जायेंगी, इस बात को स्पष्ट करेंगे।

अंत में, सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आपके माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि बिहार के लिये विशेष पैकेज, बाढ़ पर नियंत्रण के लिये समाधान करेंगे। इन बातों की मांग करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा सोमवार, 10 मार्च, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 मार्च, 2003/19 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.32.15/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।